पंचम माला, खंड 25, अंक 21, मंगलवार, 20 मार्च, 1973/29 फाल्गुन, 1894 (शक)

Fifth Series, Vol. XXV No. 21, Tuesday, March 20, 1973/Phalguna 29, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
24-8-92
Fumigated
On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 25 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची

अंक 21, मंगलवार, 20 मार्च, 1973/29 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 21, Tuesday, March 20, 1973/Phalguna 29, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. No.		
383. राज्यों को मोम के आवंटन का आधार	Basis of Allocation of Wax to States	1
384. तेल-छिद्रण-उपकरणों का देश में निर्माण	Indigenous Production of Oil Drilling Equipment	4
385. विदेशों से जनरेटरों का खरीदा जाना	Purchase of Generators from Foreign Countries	6
387. मुल्की नियम विरोधी आन्दोलन से प्रभावित आंध्र प्रदेश के बिजली घर	Andhra Pradesh Power Units Affected by Anti-Mulki Rule Agitation	9
388. नेपाल में पैट्रोलियम की सप्लाई और वितरण के बारे में भारतीय और नेपाली दलों की बैठक	Indo-Nepal meeting *re* : supply and destribution of Petrolium	10
389. विभिन्न रसायनों की मूल्य में वृद्धि, और बाजार में उनकी कमी	Rise in Prices of verious chemicals and their scarcity in market	11
392. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक अमरीकी फर्म को दो नावों का किराया दिया जाना	Payment of Hire Charges of Two Boats to an American Firm by O. & N. G. C.	13
400. दक्षिण मध्य रेलवे में मिरज में उपरि पुल का निर्माण	Construction of Overbridge at Mirej, South Central Railway . .	15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
S. N. Q. No.		
5. गुजरात के वनस्पति निर्माताओं द्वारा कमी की स्थिति पैदा करने के लिए सरसों की खरीद	Purchase of Mustard Seeds by Vanaspati Manufacturers of Gujarat to create scarcity.	16

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign †marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the house by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			PAGE
381.	पेट्रोलियम के विपणन के लिए भारतीय तेल निगम के नाम से एक अलग संस्था बनाने की आवश्यकता	Need to set up I. O. C. as a separate Organisation to deal with Marketing of Petroleum .	23
382.	पेडा अयुतापल्ले (दक्षिण-मध्य रेलवे) में एक रेलवे पुल को उड़ाने का प्रयत्न किया जाना	Attempt to blow up a Railway Bridge in Pedda Ayutapalle (S. C. Rly) . . .	23
386.	1971 के मध्यावधि चुनावों के बारे में चुनाव आयोग का प्रतिवेदन	Election Commission,s Report on the 1971 Mid-term Elections	24
390.	कमला बालान बांध का अगरघाट तक विस्तार	Extension of Kamala Balan Bandh upto Agarghat . .	24
391.	स्वयंसेवी सहायता समिति के चेयरमैन का बिना टिकट यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement of Chairman, voluntary help Committee regarding Ticketless Travel	25
393.	भारत में टायर बनाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच	Enquiry into complaint against Tyre Manufacturing Companies in India .	25
394.	हिमाचल प्रदेश में बैरा सियल पनबिजली परियोजना के पूरा होने में विलम्ब	Delay in Completion of Baira Siul Hydro-Project (H. P.) .	26
395.	तलचर उर्वरक कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना	Employment of Local men in Talcher Fertilizer Factory . .	26
396.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स को हुई हानि	Losses incurred by Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.	27
397.	कम्पनियों के अंशधारियों को मुआवजा का भुगतान	Payment of Compensation to Share-holders of Companies	27
398.	कृषकों की अपेक्षा उद्योगपतियों को अधिक बिजली सप्लाई करना	Supply of more Electricity to Industrialists than Agriculturalists	28
399.	त्रिपुरा में तेल भंडारों का अनुमान	Assessment of oil deposits in Tripura.	28

अता०प्र० संख्या

U. S. Q. No.

U. S. Q. No.			PAGE
3756.	न्यू कटनी और सिंगरौली (मध्य रेलवे) के बीच के स्टेशनों पर माल लदाई की सुविधा	Facility for loading at stations between New-katani and Sengrauli (Central Railway)	28
3757.	दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर एक जाली भ्रष्टाचार निरोधक सामाजिक संगठन का सक्रिय होना	Operation of fictitious anti-corruption social organisation at Delhi main Railway station .	29
3758.	सिंदरी उर्वरक कारखाने में बिहार के लोगों को रोजगार देना	Employment of people of Bihar in Sindari Fertilizer Plant . .	29
3759.	पैट्रो-केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जापान से एक्रिल प्लांट का आयात	Import of an Acryl Plant from Japan by Perto-Chemical Corporation Ltd.	30
3760.	डिब्रूगढ़ कस्बे से रेलवे वर्कशाप तथा जिला कार्यालयों का हटाया जाना	Removal of workshop and District Offices of Railways from Dibrugarh	31
3761.	मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई	Irrigation of land in Madhya Pradesh .	31
3762.	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर नलों की व्यवस्था	Provision of water taps at railway stations of N. E. Railway. . .	32
3763.	पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर पेय जल की व्यवस्था	Provision of water taps at Railway stations of Eastern Railway .	33
3764.	पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर नलों की व्यवस्था	Provision of water taps at Railway stations of Western Railway	33
3765.	दक्षिण रेलवे द्वारा ढोया गया माल	Goods transported by Southern Railway . .	33
3766.	पूर्वोत्तर रेलवे में ओलापुर और इमली स्टेशनों के बीच 341 अप रेलगाड़ी में डकैती	Dacoity in 341 up train between Olapur and Imli stations of N. E. Railway . .	33

3767. मध्य प्रदेश में वन सागर परियोजना 'चिचाई प्रपातों' में पन बिजली परियोजना की स्थापना	Setting up of Water Power Project in Chachai Falls Area of Van Sagar Project in M. P.	34
3768. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनें	Railway lines during Fifth Five Year Plan	34
3769. बंगलौर - चामराजनगर मीटरगेज लाइन का ब्राड गेज लाइन में बदला जाना	Conversion of Banglore Chamrajnagar metre gauge line into broad gauge	35
3770. मैसूर राज्य में चिक्का होल बांध की निर्माण लागत	Cost of Construction of Chikkhole Dam in Mysore State	36
3771. व्यापारियों द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 का उल्लंघन	Violation of Drug Price Control Order 1970 by Traders	36
3772. रेलवे कर्मचारियों के संघों को मान्यता तथा उनके पदाधिकारियों का स्थानान्तरण	Recognition of Unions of Railway Employees and transfer of their Office-Bearers	36
3773. तमिलनाडु राज्य के लिये लोक-सभा की सीटों की संख्या को पुनः 41 करने के लिय वहां के मुख्य मंत्री का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध	Request by the Chief Minister of Tamilnadu to the Central Government to resolve to the state its original strength of 41 Lok Sabha seats	37
3774. ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाना	Linking of Brahmaputra with Ganga	38
3775. दक्षिण अमरीका में आयोजित किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन	U. N.'s water conference to be held in South America	38
3776. सतर्कता अधिकारियों के हस्तक्षेप की आशंका के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा पहल न किया जाना	Lack of initiative by O & N. G. C. Authorities for fear of interference by Vigilance Authorities	39

			PAGE
3777.	श्रमिकों का दुरुपयोग और रेलवे सामग्री के बेचे जाने के बारे में शिकायत	Complaint regarding misuse of Labour and sale of Railway material	39
3778.	शकूरबस्ती, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के अनुपूरक बिल को रोकना	Withholding of Supplementary Bill of Sanitary staff at Shakurbasti, Delhi	39
3779.	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट में उचंत खाता (सस्पेंस एकाउन्ट) रखा जाना	Creation of Suspension Account at Trombay Unit of F. C. I.	40
3780.	तट से दूर तथा भारत की जल-सीमाओं के अन्दर न्याय प्रदान करने की व्यवस्था	Dispensation of justice outside the shores but within the territorial waters of India	41
3781.	मध्य प्रदेश के गुना जिले में सोडा एश फैक्टरी की स्थापना	Setting up of a Soda Ash Factory in Guna District (M. P.)	41
3782.	पोलीथीन के वितरण को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of distribution of Polythene by Government	42
3783.	पोलीथीन बनाने के लिये कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material for manufacture of Polythene	43
3784.	तमिलनाडु में कदमपराई पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	Kadamparai Pumped storage hydro-Electric Project in Tamilnadu	43
3785.	राष्ट्रीय जल ग्रिड के विकास की जांच के लिय धन	Funds for investigations connected with development of a National water Grid	43
3786.	टायरों में प्रयुक्त होने वाले नायलोन के धागे का निर्माण	Manufacture of Nylon Tyre Yarn	44
3787.	उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये बहरीन के साथ करार	Agreement with Baharain for setting up of a Fertilizer Plant	44
3788.	गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश	Investment in Private Sector	45

3789.	पहले दस एकाधिकार-गृहों की आस्तियां	Assets of First Ten Monopoly Houses
3790.	उड़ीसा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में जाजपुर होकर जखापुरा से चंदाबाली तक नई रेल लाइन	New Railway line from Jakhapura to Chandabali via Jajpur in Orissa (South Eastern Railway)
3791.	खुर्द डिवीजन में 1973-74 में नये रेल स्टेशन खोलना	Opening of new Railway Stations during 1973-74 in Khurda Division
3792.	विभिन्न उच्च न्यायालयों मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीश	Judges belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various High Courts.
3793.	बुढ़लाडा रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के पूर्व केबिन के निकट 'लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था	Provision of Lifting Barrier near East Cabin of Budhlada Railway station (Northern Railway)
3794.	जिला भटिंडा और संगरुर मे कोकिंग गैस की सप्लाई	Supply of cooking Gas in Districts Bhatinda and Sangrur
3795.	गुजरात में नलकूपों और पम्पिंग सेटों को बिजली देना	Energisation of Tube wells and Pumping sets in Gujarat
3796.	गुजरात मे मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिये स्वीकृति	Clearance of Major Irrigation Projects in Gujarat
3797.	सियागंज रेलवे उपरि-पुल के निर्माण में बिलम्ब	Delay in Construction of Siaganj Railway Over-Bridge
3798.	रतलाम, जावरा; मंदसौर तथा नीमच रेलवे स्टेशनों के पास रेलवे क्रासिंग पर उपरि-पुल बनाना	Construction of over-bridges at Railway crossings near Ratlam, Jaora, Mandasor and Neemuch Railway stations
3799.	ट्रैफिक कर्मचारियों का 'आपरेटिंग', 'कर्मशियल' और 'सेफ्टी' विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों के अधीन कार्य करना	Traffic Staff Working under Officers Concerned with Operating, Commercial and Safety Departments . . . .

3800. समस्तीपुर से जयनगर (पूर्वोत्तर रेलवे) तक ब्राड गेज लाइन	Broad Gauge Line from Samastipur to Jainagar (North-Eastern Railway)	50
3801. 'राज्य पेनल' का गठन करना	Setting up of 'States Panel' . . .	50
3802. मेरठ और दिल्ली के बीच बिजली की रेल गाड़ियां चलाना	Electric trains between Meerut and Delhi .	51
3803. अमरीकी डालर के अवमूल्यन के कारण विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि करने की मांग और अशोधित तेल के आयात का सरकारीकरण	Demand of Higher Price for crude by Foreign Oil Companies due to devaluation of U. S. Dollar and take over of crude Imports	51
3804. ईराक द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई के बदले में ईराक में रेलवे लाइन के निर्माण में भारत का सहयोग	Indian help for Railway line in Iraq in consideration of Supply of crude from Iraq .	52
3805. दामोदर घाटी निगम में जन सम्पर्क अधिकारी	Public Relation Officer in D. V. C. .	53
3806. तलचर उर्वरक कारखाने के अध्यक्ष के रूप में एक उड़ीसावासी की नियुक्ति	Appointment of an Oriya as Head of the Organisation in Talcher Fertilizer Factory .	53
3807. उड़ीसा में भीमकुंड परियोजना के स्थापना-स्थल को निश्चित करने के लिये एक इंजीनियर को नियुक्त करना	Deputation of an Engineer in Orissa for location of Bhimkund Project . .	53
3808. इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों के विक्रय से लाभ	Profit earned by I. D. P. C. from sale of Drugs Imported by S. T. C.	54
3809. मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज द्वारा ई० फोस्टर एण्ड कम्पनी से एक फर्म को खरीदना और उसके ईक्विटी पूंजी निवेश में हुई वृद्धि	Purchase of a concern from E. Foster aud Co. and increase in Equity Investmen achieved by M/s. Glaxo Laboratories .	55

3810.	दूषण के कारण बिजली बंद होना	Power Failure due to Pollution .	55
3811.	बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलना	Conversion of Barabanki-Samastipur Metre Gauge Line into Broad Gauge . .	56
3812.	ब्यास और रावी के पानी के भाग पर पंजाब और हरियाणा में विवाद	Dispute regarding share of Bias and Ravi waters between Punjab and Haryana	56
3813.	गढ़वा और डाल्टेनगंज स्टेशनों को वेगनों की सप्लाई	Supply of Wagons to Garhwa and Daltonganj Railway Stations .	56
3814.	26 जनवरी, 1972 से रेलवे में चोरी को रोकने के लिये राष्ट्रव्यापी अभियान	Nation-wide drive to check thefts and pilferage w.e.f. 26th January, 1972 .	57
3815.	जम्मू और काश्मीर द्वारा पांचवीं योजना के लिये भेजी गई सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes for Fifth Plan submitted by Jammu and Kashmir	58
3816.	गुलबर्गा में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं	Medium Irrigation Projects in Gulbarga .	58
3817.	रामगंगा बहुप्रयोजनीय परियोजना की क्रियान्विति	Implementation of Ramganga Multi-purpose Project	58
3818.	उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनों का निर्माण तथा मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज में बदलना	New Railway Lines and Conversion of Metre Gauge into Broad Gauge Lines in Uttar-Pradesh	59
3819.	विभिन्न उच्च-न्यायालयों के न्यायपीठ बंद करना	Closure of Benches of various High Courts .	60
3820.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को करमुक्त वेतन देना	Tax Free Salary to Judges of High Courts .	60
3821.	टूंडला, शिकोहाबाद और फर्रुखाबाद और कानपुर से कन्नौज और फर्रुखाबाद के बीच गाड़ियों का समय पर चलना	Running of trains on time between Tundla, Shikohabad and Farrukhabad and Kanpur to Kannauj and Farrukhabad .	60

3822.	उच्च न्यायालय के कनिष्ठ न्यायाधीशों का स्थानान्तरण	Transfer of Puisne Judges of High Court .	61
3823.	गैर-सरकारी बिजलीघरों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of privately run Power Houses . . .	61
3824.	जोनवार नई रेल गाड़ियां चलाया जाना	Introduction of New Trains, Zone-wise.	62
3825.	मध्य रेलवे में नष्ट होने वाली वस्तुओं पर भाड़ा लिया जाना	Charging Freight on Perishable Articles on Central Railway	62
3826.	गुजरात में तेलशोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of an Oil Refinery at Gujarat .	63
3827.	गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in Gujarat . .	64
3828.	इलाहाबाद से दक्षिण भारत तक वैकल्पिक रेल मार्ग	Alternative Rail Route for going from Allahabad to South India	65
3829.	दैनिक यात्री संघ पटना का ज्ञापन	Memorandum by Daily Passengers' Union Patna.	65
3830.	पटना की आल इंडिया रेलवेज मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by All India Ministerial Staff Association at Patna .	66
3831.	श्रेणी I और II के क्लर्कों का काम	Duties of clerks Grade I and Grade II .	66
3832.	पूर्वोत्तर रेलवे में चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीशियन कोर्स के डिप्लोमा-धारी कर्मचारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन कोर्स के सर्टिफिकेट धारियों को समान वेतनमान देना	Equal Scales of Pay for Staff holding Diplomas in Medical Laboratory, Technicians Course and Junior Laboratory Technician Certificate (North Eastern Railway) .	67
3833.	कोचीन तेलशोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Cochin Oil Refinery . .	67
3834.	केरल में बिजली की कमी	Power shortage in Kerala	68

3835.	बांदा में जाली रसीद प्रस्तुत करके रेलवे को धोखा देकर माल छुड़ा लिया जाना	Railways cheated of Goods at Banda by Forged Receipt	69
3836.	संसद द्वारा पास किए गए कानूनों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद	Translation of Laws passed by Parliament into Regional Languages .	69
3837.	बिजली उत्पादन करने हेतु भू-तापीय क्षेत्रों के निर्धारण के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की भारत यात्रा	Visit of U.N. Experts to India to identify Indian Geothermal Areas for Generating Power	70
3838.	शोधन क्षमता में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा बचाने के लिए शोधक कारखाने को चालू करने की तिथि को आगे बढ़ाना	Increase in Refining capacity and Advancing the date of Refinery Commissioning to save Foreign Exchange .	70
3839.	जम्मू तथा कश्मीर में विद्युत उत्पन्न करने वाले संसाधनों का उपयोग	Utilization of Power Generation resources in Jammu and Kashmir	71
3840.	मध्य रेलवे में कनिष्ठ सर्वेक्षकों की वरीयता-सूची	Seniority list of Junior Surveyors on Central Railway	71
3841.	दक्षिण में सड़क परिवहन को सहायता	Aid to Road Transport in the South .	72
3842.	रायपुर जिले में महानदी पर बांध का निर्माण	Construction of a Dam on River Mahanadi in Raipur District . . .	72
3843.	वैगनों का गलत गन्तव्य स्थानों को भेजा जाना	Despatch of wagons to wrong destinations . .	73
3845.	केरल में तेल की खोज	Oil Exploration in Kerala	74
3846.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा केरल में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं को मंजूरी	Clearance of Major and Medium Irrigation Projects in Kerala by C. W. P. C. . .	74
3847.	केरल में कल्लाडा सिंचाई परियोजना का निर्माण	Construction of Kallade Irrigation Project in Kerala	75

3848. दिल्ली से कोचीन और मंगलौर जाने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस के दिल्ली से मंगलौर पहुंचने के समय में कमी	Reduction in running time of Jayanti Janta Express from Delhi to Cochin and Mangalore . .	75
3849. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाया जाना	New Railway Lines for Kerala during Fifth Five Year Plan . .	76
3850. मध्य प्रदेश में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की संख्या	Strength of R.P.F. in Madhya Pradesh	76
3851. भोपाल रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों के कार्य करने के घन्टों में वृद्धि	Increase in working hours of Staff of Bhopal Railway Station (Central Railway) .	76
3852. मध्य प्रदेश में सुकता बांध का निर्माण	Construction of Sukta Dam in Madhya Pradesh.	76
3853. सिंचाई और विद्युत मंत्री की मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं की यात्रा	Visit of Minister of I. & P to Irrigation Projects of M.P.	77
3854. मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Companies Act by Mysore Cements Ltd.	77
3855. मैसूर में तेलशोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of Oil Refinery in Mysore .	77
3856. संकटग्रस्त उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की जांच	Investigation into Financial position of Sick Concerns	78
3857. भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर का पूरा होना	Completion of Western Kosi Canal in Indian Territory	78
3858. कमला नदी के तटबंधों का विस्तार	Extension of Kamala River Embankments .	79
3859. पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ की मान्यता बहाल करना	Restoration of Recognition to North Eastern Railway Mazdoor Union.	80

3860.	कमटौल और जोगियारा के बीच मुरैठा और जयनगर तथा खजौली के बीच कोराहिया पूर्वोत्तर रेलवे पर हाल्ट बनाने की मांग	Demand for Halts at Muraitha between Kamtaul and Jogiara and Korahia between Jaynagar and Khajauli (N.E. Railway) . .	80
3861.	मैसूर के नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा फैक्ट्री की लाइसेंस-प्राप्त क्षमता	Licensed capacity of Caustic Soda Factory in North Kanara District of Mysore . .	80
3862.	देश के विभिन्न भागों में हड़तालों और उपद्रवों के कारण रेलगाडियों को रद्द करना।	Trains cancelled as a result of Agitation and Disturbances in various parts of the country .	81
3863.	रेलवे के किराये और मालभाड़े में वृद्धि	Increase in Railway Fare and Freight.	81
3864.	तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा	Nature of Facilities provided to Third Class passengers . . .	82
3865	पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972 में हुए विधान सभा के चुनावों में बेईमानी	Rigging of Elections in 1972 Assembly Poll in West Bengal . .	82
3866.	वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात् बोनस सम्बन्धी मामले पर विचार	Consideration of Bonus Issue after the publication of Pay Commission Report	82
3867.	दिल्ली में बिजली की कमी के बारे में मंत्रियों की उच्च-स्तरीय बैठक	High Powered meeting of Ministers in Delhi on Power Shortage	83
3868.	भारतीय तेल निगम का विस्तार	Expansion of I.O.C	83
3869.	युवा चार्टर्ड एकाउन्टेंटों से ज्ञापन	Memorandum from Young Chartered Accountants.	84

		PAGE
3870. इन्स्टीट्यूट ग्राफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	Institute of Chartered Accountants	85
3871. बोडरा ग्रौर बारसाट में तेल की ड्रिलिंग	Drilling oil at Bodra and Barasat .	86
3872. साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा चुनाव में बेईमानी	Rigging of Poll by C.P.M.	86
3873. पूर्वोत्तर रेलवे में मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना	Conversion of metre gauge line into broad gauge on North Eastern Railway .	86
3874. कानूनों के ग्रंग्रेजी भाषा में होने के कारण गैर-ग्रंग्रेजी भाषी लोगों को होने वाली कठिनाइयां	Difficulties faced by the non-English speaking people on account of laws being in English	87
3875. गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	Electrification of Railway Stations in Gujarat	88
3876. पांचवीं योजना में उर्वरक कारखाने लगाना	Setting up of Fertiliser Factories during Fifth Plan . .	89
3877. बिहार के गया जिले में मौहना जलाशय योजना की जांच-पड़ताल	Investigation on Mohana Reservoir Scheme in Gaya District of Bihar	89
3878. गया जंकशन के निकट करीमगंज ग्रौर डेहला मुहल्ला के बीच ऊपरी पुल बनाना	Construction of an over-bridge between Karim Ganj and Dehla Mohalla near Gaya Junction	89
3879. पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकना	Checking Rise in Prices of Petroleum Products	90
3880. बिहार के नावडा जिले की ग्रपर सिकरी जलाशय योजना	Upper Sikari Reservoir Scheme of Navada District of Bihar .	90
3881. तमिलनाडु में तापीय बिजली घर लगाने के लिये स्थान	Location for setting up a Thermal Station in Tamil Nadu . . .	90

3882.	शारावती और कोठागुडम विद्युत् परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब	Delay in the Commissioning of Sharavathi and Kothagudam Power Projects .	91
3883.	नैवेली बिजली परियोजना	Neyveli Power Project	91
3884.	व्यास सतलुज लिंक परियोजना	Beas-Sutlaj link project .	91
3885.	मध्य प्रदेश में लकड़ी के व्यापार के लिये वैगन	Wagons for Timber Trade in Madhya Pradesh	92
3886.	केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मध्य प्रदेश में बिजली पैदा करने के लिये अतिरिक्त आर्थिक सहायता	Additional Financial Assistance for Power Generation in Madhya Pradesh to meet power requirements of Central Govt. establishments	92
3887.	उत्तर रेलवे के मुख्यालय बडौदा हाउस में हुई वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों के लिये दक्षता रोध परीक्षा	Efficiency Bar Test for Senior Scale Officers at Baroda House, Northern Railway	93
3888.	मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते के पिण्डों और पट्टियों की चोरी	Imported zinc ingots and slabs found missing from Wagons at Meerut City Station	93
3889.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गए कुओं की संख्या	Number of Wells drilled by O.& N.G.C.	93
3890.	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के रिक्त पद	Posts of Station Masters and Asstt. Station Masters lying vacant . . .	94
3891.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सिगनल स्टाफ द्वारा ब्रेकडाउन ड्यूटी करने पर उन्हें दैनिक भत्ता न दिया जाना	Non-payment of Daily Allowance for attending Break- down duties by Signal Staff, Delhi Division (Northern Railway) . .	94

			PAGE
3892.	विलम्ब तथा स्थान शुल्क को छोड़ने के बारे में अधिकारियों के अधिकार	Powers to Officers to waive Demurrage and wharfage	95
3893.	वर्ष 1971-72 के दौरान भारतीय, तेल निगम की बिक्री और लाभ में वृद्धि होना	Increase of Sales and Profits by I.O.C. during 1971-72.	96
3894.	रेल-मार्ग जिनके लिये यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण आरंम्भ किये गये तथा पूरे किये गये	Railway Lines for which Traffic Survey were conducted and completed	97
3895.	पन बिजली के विकास हेतु पांच क्षेत्रीय बोर्डों की स्थापना	Setting up of Five Regional Boards for Development of Hydro-Electric Power.	98
3896.	पाग बाध के विस्थापितों को पुनः बसाने के बारे में "काल आफ सफरर्स" पोस्टर में लगाये गये आरोप	Charges levelled in Poster "Call of Sufferers" regarding Rehabilitation of Pong Dam Oustees. . . .	99
3897.	कण्दरौरी (हिमाचल प्रदेश) में रेल-हैड का निर्माण	Construction of Rail Head at Kandrori (H.P.).	99
3898.	कांगड़ा जिले में व्यास नदी के बाढ़ के पानी से भूमि का कटाव	Erosion of Flood Waters of River Beas in Kangra District.	100
3899.	संविधान के 24वें और 25वें संशोधनों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में लेखा याचिका पर भारत सरकार की ओर से पैरवी करने वाले व्यक्ति	Counsels appearing on behalf of Government on Writ Petitions against 24th and 25th Amendments to Constitution in Supreme Court.	100
3900.	सीटों/बर्थों के आरक्षण के मामले में भ्रष्ट तरीके अपनाने के लिये कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करना	Termination of Services of Employees for adopting Corrupt Practices in the Matter of Reservation of Seats/Berths .	101
3901.	गंडक परियोजना का जल	Water from Gandak Project	102
3902.	"4 मिलियन किलोवाट पावर लॉस्ट"	"4 m Kw Power Lost" .	102

			Page
3903.	एकाधिकार आयोग में सुनवाई के समय "झड़प"	"Clash" at Monopolies Commission hearing .	103
3904.	नागदा रेलवे स्टेशन पर 25 अप और 26 डाउन रेल गाड़ियों का रोका जाना	Halt of 25 Up and 26 Down trains at Nagda Railway Station	103
3905.	बिड़ला द्वारा गोआ में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Factory in Goa by Birla .	103
3906.	संसद् में संघ की भाषा में विधेयक पेश करना	Introduction of Bills in the Language of the Union in Parliament .	104
3907.	अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा का प्रयोग	Switch over to Official language from English	104
3908.	भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण में मिली सफलता	Achievements in Modernisation of Indian Railways .	105
3909.	ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ पर नियंत्रण	Control of Floods of Brahmaputra River.	106
3910.	ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर तक चलाना	Extension of Taj Express upto Gwalior..	106
3911.	मध्य प्रदेश में सतना में समेकित विद्युत विकास योजना के लिये धन	Funds for Integrated Power Development Scheme at Satna in M.P.	107
3912.	किउल से आगे भागलपुर होती हुई दोहरी लाइन	Double track beyond Kiul *Via* Bhagalpur .	107
3913.	मद्रास स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी में रेल के डिब्बों के उत्पादन के लिये आक्सीजन की सप्लाई में कमी	Lack of oxygen supplies for Production of Coaches at Integral Coach Factory, Madras	107
3914.	मार्टिन लाइट रेलवे लाइनों के स्थान पर ब्राड गेज लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिये समय सीमा निर्धारित करना	Time Limit for completing surveys for broad gauge lines in Areas formerly served by Martin Light Railways	108

3915.	राजधानी एक्सप्रेस में बंगाली समाचारों का प्रसारण	Broadcast of Bengali News in Rajdhani Express.	108
3916.	हावड़ा से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस के आने की समय-तालिका में परिवर्तन करना	Re-drawing Time Schedule of Arrival of Rajdhani Express from Howrah to Delhi.	109
3917.	सिंचाई परियोजनाओं के लिये केरल को धन	Funds to Kerala for Irrigation Projects.	109
3918.	उर्वरकों और रसायनों का उत्पादन कर रही विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies engaged in production of Fertilizers and Chemicals.	109
3919.	तमिलनाडु और केरल के मध्य सिरुवानी जल सम्बन्धी विवाद	Dispute on Siruvani Waters between Tamil Nadu and Kerala.	110
3920.	तमिलनाडु और मैसूर राज्यों द्वारा चालयार नदी के जल के सम्बन्ध में वार्ता	Discussion on Chaliyar Waters by States of Tamil Nadu and Mysore.	110
3921.	राज्यों में समुद्र से होने वाले भू-कटाव को रोकने की योजनाओं के लिये धन	Funds for Anti-Sea Erosion in States.	111
3922.	मेरठ स्टेशन के पार्सल क्लर्कों को दी गई चार्ज-शीट	Charge-sheets served on Parcel Clerks, Meerut Station.	111
3923.	दिल्ली के लिये उपनगरीय रेलवे परिवहन	Suburban Railway Transport for Delhi.	112
3924.	डीजल और पेट्रोल का राशन करना	Rationing of Diesel and Petrol.	112
3925.	तेल शोधन शालाओं का अधिकतम विकास	Maximum Development of Oil Refineries.	113
3926.	विवाहों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना	Compulsory Registration of Marriages.	113

3927. रनिंग स्टाफ और नान-रनिंग स्टाफ के श्रेणी IV के आवास के आवंटन के लिये पृथक-पृथक पूल — Separate Pools for Allotment of Type IV accommodation for running staff and non-running staff. 113

3928. अखिल भारतीय कर्मशियल क्लर्क संघ की मिराज शाखा द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के रवैये के खिलाफ विरोध प्रकट करना — Protest against the attitude of R.P.F. by Miraj Branch of All India Railway Commercial Clerks Association. 114

3929. अखिल भारतीय रेलवे कर्मशियल क्लर्क संघ द्वारा आन्दोलन छेड़ने का निर्णय लिया जाना — Decision to Launch agitation by All India Railway Commercial Clerks Association.

3930. बीकानेर, श्रीकोलायत फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर से होती हुई रेलवे लाइन से कान्डला को जोड़ने के लिये सर्वेक्षण — Survey to Link Kandla by Railway Line *via* Bikaner, Sri Kolayat, Phalodi, Jaisalmer and Barmer. 114

3931. बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) पर रंगमहल और पीलीबंगा स्टेशन के बीच रेलवे लाइन से संलग्न क्षेत्रों का ठेका/नीलामी — Contract/auction of Areas along Railway line between Rangmahal and Pilibangan Stations on Bikaner Division (Northern Railway). 115 115

3932. हैदराबाद और बंगलौर के बीच ब्रॉड गेज लाइन — Broad Gauge line between Hyderabad and Bangalore. 115

3933. राज्य विद्युत मंत्रियों की समिति का प्रतिवेदन — Report of Committee of State Power Ministers. 116

3934. विदेशों द्वारा कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के लिये तकनीकी सहायता अथवा सहयोग देना — Technical Aid or Collaboration in Coal-based Fertilizer Units by Foreign Countries. 116

3935.	मध्य प्रदेश में चूना उद्योग के लिए वैगनों की कमी	Wagon shortage for lime Industry in Madhya Pradesh.	117
3936.	मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्रों के लिए रेल लाइनें	Railway Lines for Mining Area of Madhya Pradesh.	117
3937.	भारतीय रेलवे में क्लेम ट्रेसरों तथा सहायक वाणिज्यिक इंसपैक्टरों को दावों के निपटाने का अधिकार	Powers of Negotiation of claims to claims Tracers and Asstt. Commercial Inspectors on Indian Railways.	118
3938.	वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर लिया गया निर्णय	Decision taken on the Report of the Committee on Uniforms.	119
3939.	अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में तृतीय श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्य भार	Work-load in III Class Booking Office, Ajmer Station (Western Railway).	119
3940.	पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों के कुछ पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Up-gradation of certain posts of Commercial Clerks (Western Railway).	120
3941.	अजमेर के अस्पताल में वरिष्ठ डाक्टरों को कनिष्ठ डाक्टरों से कम वेतन मिलना	Senior Doctors of Ajmer Hospital getting less Pay than Juniors.	121
3942.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा में पारेषण लाइनों को लगाने की स्वीकृति देना	Installation of Transmission Lines sanctioned in Orissa by R.E.C.	121
3943.	लखनऊ मंडल (उत्तर प्रदेश) में गार्ड 'सी' के पद पर पदोन्नति हेतु कोटा	Promotional Quota for Guard 'C' Lucknow Division (Northern Railway).	122
3944.	पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्षों का निर्माण	Construction of Retiring Rooms at Patna City Railway Station.	123
3945.	पटना सिटी रेलवे स्टेशन में सुविधाओं की व्यवस्था	Arrangements at Patna City Railway Station.	123
3946.	पटना सिटी रेलवे स्टेशन के निकट पुलिया संख्या 102 को सुधारना	Improving the condition of culvert No. 102 near Patna City Railway Station.	124

3947. पटना सिटी और पटना जंक-शन रेलवे स्टेशनों पर गन्दे प्रतीक्षालय	Dirty Waiting Rooms at Patna City and Patna Junction.	124
3948. पश्चिम रेलवे की कैरिज-शाप के श्रमिक द्वारा शिकायत	Complaint by Worker of Carriage shop, Western Railway.	125
3949. उड़ीसा में कोरापुट और मध्य प्रदेश में बस्तर के लिए रेलवे लाइन	Rail Link for Koraput in Orissa and Bastar in Madhya Pradesh.	125
3950. डी० बी० के० रेल लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of D.B.K. Railway Line.	126
3951. गांधीधाम से बरास्ता माण्डवी भुज/लाखपत तक बड़ी लाइन का विस्तार	Extension of Broad Gauge Line from Gandhi-dham to Bhuj/Lakhpat *via* Mandvi.	126
3952. पश्चिम रेलवे के सीकर-लोहारू मार्ग पर मोटर-कोच सेवा	Motor-Coach Service on Sikar-Loharu Track of Western Railway.	126
3953. राजस्थान में गैस, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की एजेंसियां	Gas, Petrol and Kerosene Oil agencies in Rajasthan.	127
3954. राजस्थान में मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योज-नायें	Rural Electrification Schemes sanctioned in Rajasthan.	127
3955. गंगा नदी के जल को राजस्थान के जिलों में ले जाने की योजना	Scheme to canalize Ganga Water to Districts of Rajasthan.	127
अ० ता० प्र० संख्या 1028 दिनांक 21-11-1972 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting reply to U.S. (Q) No. 1028 dated 21-11-1972.	128
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.	128
मिरांडा हाउस होस्टल की छात्राओं को तंग करने वाले अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की कथित अकर्मण्यता	Reported police inaction in apprehending culprits harassing inmates of Miranda House Hostel.	215

श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan.	215
श्री कृष्णचन्द्र पंत	Shri K.C. Pant.	216
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table.	130
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha.	131
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	131
26 वां प्रतिवेदन	Twenty-sixth Report.	131
संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	Union Territories Taxation Laws (Amendment) Bill—*Introduced.*	131
श्रमजीवी पत्रकारों आदि द्वारा हड़ताल के बारे में	*Re.* Strike by Working Journalists, etc.	132
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य (डा० कर्ण सिंह)	Statement *re.* Letter of Resignation by Minister of Tourism and Civil Aviation. (Dr. Karan Singh)	132 133
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1972-73	Supplementary Demands for Grants (General) 1972-73 .	
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	133
विनियोग विधेयक, 1973—पुर: स्थापित और पारित	Appropriation Bill, 1973—*Introduced and Passed.*	137
अनुदानों की मांगें (रेल), 1972-73	Demands for Grants (Railways), 1972-73.	138
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya.	138
श्री वी० बी० टरोडकर	Shri V.B. Tarodekar.	139
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta.	140
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे	Dr. Laxminarain Pandeya.	141
श्री मु० शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi.	142
विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1973 प्रस्तुत किया गया और पारित	Appropriation (Railways) Bill, 1973—*Introduced and passed.*	145
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1973-74	Demands for Grants (Railways), 1973-74	146
श्री दीनन भाट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	146

श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi .	148
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	202
श्री धर्मराव अफजलपुरकर	Shri Dharamrao Afzalpurkar. . .	203
श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari .	204
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	Shri Krishna Chandra Pandey	205
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody .	205
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	206
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade . .	207
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	208
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy. .	208
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	208
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	213
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम	Shri S.D. Somasundaram. .	214
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram .	215
उड़ीसा बजट, 1973-74 प्रस्तुत किया गया	Orissa Budget, 1973-74—*Presented.* .	210
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh. . . .	210
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उड़ीसा), 1972-73—विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Orissa), 1972-73—*Statement presented.*	211
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh.	211

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 20 मार्च, 1973/29 फाल्गुन, 1894 (शक)

Tuesday, March 20, 1973—Phalguna 29, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बज कर तीन मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at 3 minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answers to Questions

राज्यों को मोम के आवंटन का आधार

*383. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को मोम का कोटा किस आधार पर दिया जाता है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिये मोम का कितना-कितना वार्षिक कोटा निर्धारित किया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों को पैराफिन मोम का प्रारम्भ में आवंटन 1970 के दौरान इस उत्पादन की वास्तविक खपत के आधार पर किया गया था। तत्पश्चात् मोम की देशीय उपलब्धि बढ़ जाने से इस आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। पैराफिन मोम का 1973 का राज्य-वार आवंटन सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1973 के लिए पैराफिन मोम के आवंटन के बारे में विवरण पत्र

(आंकड़े मीटरी टनों में)

1.	दिल्ली	3142
2.	उत्तर प्रदेश	3483
3.	पश्चिमी बंगाल	9368
4.	बिहार	1521
5.	महाराष्ट्र	7995
6.	गुजरात	978
7.	हरियाणा	769
8.	आंध्र प्रदेश	769
9.	मध्य प्रदेश	769
10.	राजस्थान	615
11.	उड़ीसा	707
12.	पंजाब	697
13.	मैसूर	615
14.	तमिलनाडु	6150
15.	केरल	1255
16.	गोआ, दमन तथा दिऊ	202
17.	दादरा तथा नगर हवेली	40
18.	चण्डीगढ़	51
19.	पांडिचेरी	22
20.	हिमाचल प्रदेश	82
21.	जम्मू तथा कश्मीर	103
22.	असम	4920
23.	नागालैण्ड	718
24.	अरुणांचल प्रदेश	154
25.	मणिपुर	154
26.	त्रिपुरा	272
27.	मेघालय	769
28.	अन्दमान तथा निकोबार	20
29.	लक्काद्वीप	8.4
30.	मिजोरम	101
	टोटल	46449.4

श्री अनादि चरण दास : क्या उड़ीसा राज्य में विभिन्न ऐसे उद्योग हैं जो पैराफिन मोम पर निर्भर करते हैं और जो मोम की कम सप्लाई के कारण या तो बन्द कर दिये गये हैं या बन्द कर दिये जाएंगे ।

श्री देवकान्त बरुआ : उड़ीसा में ऐसे उद्योग हो सकते हैं जो मोम पर निर्भर हों परन्तु अन्य राज्यों में कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जो आकार में बड़े है और इसलिये उन्हें अधिक मोम की आवश्यकता होती है ।

श्री अनादि चरण दास : क्या उड़ीसा को निर्धारित कोटा समय पर नहीं मिलता है?

श्री देवकान्त बरुआ : उस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै : : विवरण में यह बताया गया है कि केरल को आवटित किया गया पैराफिन मोम केवल 1255 टन है । केरल उद्योग विभाग ने मोमबत्तियों के छोटे निर्माताओं के लिये पिछले वर्ष लगभग 5,000 टन दिये जाने का अनुरोध किया था परन्तु सरकार ने केवल 1255 टन आवंटित किया है । क्या सरकार कम से कम इस वर्ष इन लघु उद्योगों को बचाने की दृष्टि से अधिक मोम का आवटन करने पर के उनके अनुरोध पर विचार करेगी ?

श्री देवकान्त बरुआ : इस वर्ष हमारा मोम का कुल उत्पादन 46,000 टन है । इसका वितरण 1970 की खपत के आधार पर किया जाता है । और इसकी उत्पादन वृद्धि लक्ष्य के अनुसार नहीं हुई है ।

श्री डी० एन० तिवारी : विवरण से पता चलता है कि राज्यों को पैराफिन मोम के आवंटन में काफी असमानता है । जब कि आसाम को 4920 टन मिला है तो बिहार को केवल 1521 टन ही मिला है । क्या मंत्री महोदय यह बताना चाहते हैं कि बिहार में कोई मांग ही नहीं है और क्या यह भी बताना चाहते हैं कि इसके लिये क्षेत्र और जनसख्या की कसौटी अपनाने का विचार किया जा रहा है ।

श्री देवकान्त बरुआ : यह 1970 तक की खपत का प्रश्न है । डिग्बोई के चारों ओर उद्योग बन गये हैं क्योंकि आसाम का ही एक मात्र तेल शोधन कारखाना है जहां मोम बनाया जाता है । इसलिये वहां थोड़ी अधिक खपत होती है और यही बात कलकत्ता के लिये भी है । अन्य राज्यों में खपत उतनी नहीं होती है क्योंकि वहां पर उन्होंने बाद में उद्योग आरम्भ किये थे ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : किन-किन तेलशोधन कारखानों में मोम बनाया चाता है और क्या सरकार के हाथ में कोई ऐसी योजना है कि जिन तेल शोधन कारखानों में इस समय पैराफिन मोम का उत्पादन नहीं होता है वे भी पैराफिन मोम का उत्पादन करने लगे ।

श्री देवकान्त बरुआ : जी हां । इस समय जो एकमात्र तेल शोधक कारखादा पैराफिन मोम पैदा करता है वह डिग्बोई तेलशोधन कारखाना है । हम बरौनी में 'स्लक' मोम बनाने का प्रयास कर रहे हैं । हमारा विचार यह है कि बरौनी, हल्दिया और 'लुब आयल संयंत्र', बम्बई सहित कुछ अन्य तेल शोधक कारखानों में हमें मोम का उत्पादन करना चाहिये ।

SHRI K. N. Tiwary: May I know the total demand of all the States and how much is the shortage and by what time it is planned to make up the shortage?

Shri D. K. Borooah: There is not much demand because the wax allotted to the States last year have not been lifted by some of them.

Shri K. N. Tiwary: What is the demand?

श्री देवकान्त बरुग्रा : मांग उतनी ही है जितना उत्पादन होता है, हमें थोड़ा सा ग्रायात भी करना पड़ेगा परन्तु वह बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होगा ।

तेल-छिद्रण-उपकरणों का देश में निर्माण

*384. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटदूर छिद्रण कार्य के लिये स्वदेशी तकनीकी जानकारी से ड्रिलिंग प्लेटफार्म ग्रौर ग्रन्य छिद्रण उपकरणों का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्वदेश में ऐसे कौन-कौन से ग्रौर कितने-कितने उपकरण बनाये गये हैं; ग्रौर

(ग) ऐसे उपकरणों के ग्रायात पर कितनी धन राशि खर्च की गई है ग्रथवा करने का प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुग्रा) : (क) ग्रौर (ख) व्यधन के लिये एक ग्रचल प्लेटफार्म का देश में निर्माण किया गया था जिसके डिजाइन के लिये रूस से तकनीकी सहायता ली गई थी। खम्बात की खाड़ी में ग्रल्यावेट पश्चिम पर इसकी स्थापना की गई है। गहरे पानी में व्यधनकार्य करने में ग्रन्य इस्तेमाल के लिये, तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग दो सप्लाई नाव प्राप्त करने का विचार कर रहा है। इन सप्लाई नावों के निर्माण के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग ने विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड के साथ एक करार किया है। इन नावों के डिजाइन एक ग्रमरीकी कम्पनी से प्राप्त किये गये थे।

(ग) किसी प्लेटफार्म के ग्रायात किये जाने का प्रस्ताव नहीं है। 5,274 मिलियन येन की कीमत से येन ऋण के ग्रन्तर्गत जापान से एक सैल्फ प्रोपेल्ड, सैल्फ एलिवेटिंग मोबाइल ग्रपतटीय व्यधन प्लेटफार्म के ग्रायात किये जाने का प्रस्ताव है। करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख (25 फरवरी, 1971) को यह रकम 14.65 मिलियन ग्रमरीकी डालरों के बराबर था।

श्री के० मालन्ना : मंत्री महोदय द्वारा दिय गए उत्तर से कोई यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि देश को विदेशी प्रौद्योगिकी ग्रौर तकनीकी जानकारी पर ग्रधिक निर्भर करना पड़ता है। ग्रात्म-निर्भरता की दिशा में तट दूर खुदाई प्लेटफार्म में प्रयोग हेतु इस उपकरण को स्वदेशी ढंग से बनाने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ग्रौर यदि हां, तो उसका ब्यौरा ग्रौर ग्रनुमानित लागत क्या है?

श्री देवकान्त बरुग्रा : हम प्रौद्योगिकी की उन्हीं मदों में ग्रात्म-निर्भर हैं जिनका हमें ग्रनुभव है परन्तु तट दूर खुदाई का मामला ऐसा है जिसका हमें कोई ग्रनुभव नहीं है। ग्रतः जब तक हमारे लोग ग्रावश्यक विशेषता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमें थोड़े समय तक के लिये विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करना पड़ेगा।

जहां तक अलियाबेट के स्थित प्लेटफार्म का सम्बन्ध है, इसका 'डिजाइन' एक ठेके के अन्तर्गत रूस से प्राप्त किया गया था परन्तु प्लेटफार्म खड़ा करने का कार्य ऐसा था जिसमें हमारे इंजीनियरों ने भी भाग लिया था।

श्री के० मालन्ना : मेरा प्रश्न था कि क्या सर्वेक्षण किया गया है या नहीं और यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

श्री देवकन्त बरुआ : सर्वेक्षण किस बात का ?

श्री के० मालन्ना : स्वदेशी उपकरण बनाने के बारे में सर्वेक्षण।

श्री देवकान्त बरुआ : मेरे विचार से माननीय सदस्य का तात्पर्य अध्ययन से है । एक अध्ययन किया गया था और उस अध्ययन के आधार पर ऐसा पाया गया कि तट दूर खुदाई से सम्बन्धित इस विशेष उपकरण के मामले में हमारा कोई अनुभव नहीं है और इसलिये हमें इस विशेष उपकरण का आयात करना पड़ेगा।

श्री के० मालन्ना : क्या तट दूर खोज विकास तेल नीति में कोई विदेशी सहयोग भी है और यदि हां, तो उन विदेशों के नाम क्या हैं और तट दूर खुदाई से तेल की खोज और विकास में ऐसे सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

श्री देवकान्त बरुआ: अभी हम केवल बातचीत ही कर रहे हैं और हमने अभी तक किसी देश के साथ तट दूर खुदाई हेतु कोई करार नहीं किया है, केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का अपनी तरफ से जापान द्वारा हमारे लिये बनाये गये जापानी प्लेटफार्म के साथ सम्बन्ध है ।

Shri Jagannathrao Joshi: It is said in the part (c) of the reply that a platform is proposed to be imported from Japan, that platform was received here but due to some defects in its motor that was sent back and still that has not been returned by that country; may I know the daily losses being sustained and by what time it is likely to be received here and the reasons for the delay?

Shri D. K. Borooah: Some defects were found in the electric machine of the platform which was built and, therefore, we asked them we will take it only when it is perfectly alright. Then they modified that machine and its trial held recently has shown good performance. We are discussing about the specifications of the machine and until they give us in a perfect working condition, they will continue to give us a daily compensation of 4500 Dollar.

श्री बी० वी० नायक : चूंकि इस्पात, सीमेंट और उर्वरक के अतिरिक्त तेल भी हमारी महत्वपूर्ण मद है और हम तेल के मामले में सबसे कमजोर है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता, और चूंकि इसमें जो कुल राशि लगी हुई है वह 14 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तथा उत्पादन के इस संकटपूर्ण क्षेत्र में, जहा राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता आवश्यक है, हम प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये से अधिक का अशोधित तेल आयात करते रहते हैं तो जहां तक सामरिक प्रौद्योगिकी की इस मद का संबंध है, क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि सामान के आयात का निर्णय आत्म-निर्भरता के विचारात्मक आधार पर नहीं किया जायेगा ।

श्री देवकान्त बरुग्रा : जी, हां, हम ठीक वैसा ही कर रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : उत्तर से यह लगता है कि इस सम्बन्ध में हम जापानी तकनीकी जानकारी पर पूर्णतया निर्भर कर रहे हैं। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है कि तट दूर खुदाई के सम्बन्ध में हमारी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं और कौन-कौन से दूसरे साधनों से हम जापानी जानकारी पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं ?

श्री देवकान्त बरुग्रा : हम जापानी तकनीकी जानकारी पर पूर्णतया निर्भर नहीं हैं। हमने जापान से एक प्लेटफार्म खरीदा है जिसे जापान में कुछ अमरीकी विशेषज्ञों के सहयोग से हमारे लिये बनाया गया है।

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह सच है कि वशेषज्ञ सलाह के विरुद्ध अलियाबेट में की गई तट दूर खुदाई असफल हो गई है और वहां भारी खर्च पर जो प्लेटफार्म खड़ा किया गया था वह बेकार हो गया है ? क्या उस प्लेटफार्म को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री देवकान्त बरुग्रा : यह सच नहीं है कि अलियाबेट में खोज कार्य विशेषज्ञ की सलाह के विरुद्ध किया गया था। इसे विशेषज्ञ की सलाह पर किया गया था। दूसरे, यह स्थिर प्लेटफार्म है और अन्यत्र इसका प्रयोग इसे तोड़े बिना नहीं किया जा सकता।

श्रीमती माया राय : हमारे इंजीनियरों (बॉयज) को इस क्षेत्र में स्वदेशी ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

श्री देवकान्त बरुग्रा : उन्होंने प्लेटफार्म खड़ा करने और अलियाबेट में खोज करने के लिये रूसी विशेषज्ञों के साथ काय किया है। जहां तक इस नई मद का सम्बन्ध है, हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि हमारे इंजीनियरों को विदेशी विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रशिक्षण भी दिया जाये।

विदेशों से जेनरेटरों का खरीदा जाना

*385. **श्री भान सिंह भौरा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों से कितने जेनरेटर खरीदे गए ;

(ख) ये जेनरेटर किन-किन राज्यों को दिए गए ; और

(ग) क्या विदेशों से खरीदे गए पचास जेनरेटर पंजाब राज्य में अप्रयुक्त पड़े हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(क) और (ख) :

बोर्ड का नाम	संक्षिप्त विवरण	जिस देश से आयात होना है
पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	(1) 4400–4400 के० वी० ए० के डीजल उत्पादन सेटों के 4 यूनिट	सोवियत रूस
	(2) 1450–1450 के० वी० ए० डीजल उत्पादन सेटों के 5 यूनिट	चेकोस्लोवाकिया
	*(3) 1100–1100 के० वी० ए० डीजल जनित्र सेटों के 18 यूनिट	जर्मन गणराज्य
	**(4) मेसर्स गार्डन रोच वर्कशाप द्वारा निर्मित देशी डीजल इंजनों से युग्मन के लिए 700–700 किलोवाट के चार प्रत्यावर्तित (आल्टर्नेटर)	यूनाइटिड किंगडम
महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	कोराड्डी ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार के लिए 120 मेगावाट के बिजली बोर्ड 2 टर्बो जनित्र यूनिट	पोलैंड

(ग) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आयात किए गए 26 जनित्रों में से 20 पहले ही चालू किए जा चुके हैं। शेष छ: (3 सोवियत रुस से और 3 जर्मन गणतन्त्र से) स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं और उनके शीघ्र चालू होने की संभावना है।

एक सेट के लिए पुर्जे सोवियत रूस से हाल ही में प्राप्त हो गए हैं और शेष दो स्थापना के अंतिम चरणों में हैं। जर्मन गणतन्त्र से प्राप्त सेटों में से तीन सेट आधार दोषों के कारण चालू नहीं किए गए जा सके थे, जिन्हें अब ठीक कर लिया गया है। एक सेट में कुछ पुर्जे बदलने की भी आवश्यकता है।

श्री भान सिंह भौरा : मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने कुल संख्या के बारे में पूछा था। इसका मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है। सलाल परियोजना एवं मणिपुर को जो सैट स्थानान्तरित किए गए हैं वे केन्द्र द्वारा किए गए हैं अथवा राज्यों द्वारा तथा इन सैटों को स्थानान्तरित किए जाने के कारण क्या हैं ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है कि मैंने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। पंजाब ने कुल 27 सैट आयात किए थे जिसमें से एक सैट मणिपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री भान सिंह भौरा : मेरा प्रश्न केवल पंजाब से नहीं है अन्य सभी राज्यों से संबद्ध है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : पंजाब ने 27 सैट और महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड ने 2 सैट आयात किए हैं।

*एक सेट मणिपुर भेज दिया गया है।

**इसमें से दो-दो सेट सलाल परियोजना (जम्मू व कश्मीर) तथा मणिपुर सरकार को भेज दिए गए थे।

श्री भान सिंह भौरा : विवरण के अनुसार ऐसा नहीं है। ट्रिब्यून के सम्पादकीय तथा अन्य समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि पंजाब विद्युत बोर्ड ने 50 जैनरेटर आयात किए थे परन्तु वे अप्रयुक्त पड़े हैं क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : समाचार पत्रों में दी गई जानकारी ठीक नहीं है वस्तुत: केवल 26 जेनरटेर पंजाब ने आयात किए थे। वे 41 सैट वहां लगा रहे हैं। जिसमें से 15 सैट देश में ही तैयार किए गए हैं। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि इतने सैट आयात किए गए थे और वे अप्रयुक्त पड़े हैं। अधिकांश सैट चालू किए जा चुके हैं। 6 सैटों में खराबी थी उन्हें ठीक किया जा रहा है और शीघ्र ही उन्हें चालू कर दिया जाएगा।

श्री भान सिंह भौरा : क्या यह सच नहीं है कि पंजाब विद्युत बोर्ड के पास 50 जैनरटेर अप्रयुक्त पड़े हैं ? इस प्रकार की खबरें प्राप्त हुई हैं और यह सर्वविदित हैं। किसी ने इन खबरों का खंडन नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने विदेशों से आयात किए गए जेनरेटरों की संख्या के बारे में पूछा था।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : माननीय सदस्य जो स्थिति बता रहे हैं वह 6 मास पूर्व थी। लेकिन अब 30 देशी सैट चालू किए जा चुके हैं, 20 सैट आयात किए हैं इनमें से 6 सैट अभी चालू नहीं किए गए हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : ये सैट इतने महीने क्यों बेकार पड़े रहे और केवल बिजली का संकट आने पर ही उन्हें ठीक करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। यदि उन्हें उचित समय पर ठीक कर दिया जाता तो बिजली का संकट कभी न आता।

डा० के० एल० राव : संकट हो या न हो, उत्पादित बिजली का प्रयोग करना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही कुछ और अप्रयुक्त रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, मैं स्वयं नहीं जानता (व्यवधान) यह मशीने राज्य सरकारों के पास हैं। उनके अनुरोध पर यह सैट आयात किए गए थे। ये सैट एक जगह नहीं अपितु कई जगह लगाए गए हैं। जब भी हमें पता चला कि उन्हें अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है तो हमने जांच की और पता लगा कि कुछ सैट काम नहीं कर रहे हैं।

श्री जी० विश्वनाथन् : देश में बिजली के संकट को देखते हुए क्या सरकार के पास बिजली संकटग्रस्त राज्यों के लिए जेनरेटर आयात करने संबंधी कोई विस्तृत योजना है ?

डा० के० एल० राव : आम तौर पर इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ खास कारणों से ही आयात करने की अनुमति दी जाती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जेनरेटरों के प्रश्न में आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं किया गया है। क्या आंध्र प्रदेश को जेनरेटरों की आवश्यकता नहीं है अथवा उस राज्य ने इनकी मांग नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आंध्र प्रदेश अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में उलझा हुआ है।

श्री पी० जी० मावलंकर : विवरण में केवल पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू एवं काश्मीर तथा मणिपुर का उल्लेख किया गया है क्या जिन राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्होंने भी जेनरेटरों की मांग की थी और क्या उनकी मांगे अस्वीकार कर दी गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत सीमित है ?

डा० के० एल० राव : हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ने मांग की थी। उत्तर प्रदेश ने कुछ और मशीनों की मांग की थी। वह आयात की जा रही है, कुछ के लिए अनुमति दी गई है, कुछ के लिए नहीं। चूंकि प्रश्न आयात के बारे में था इसलिये उत्तर में उनको शामिल नहीं किया गया है।

श्री पी० जी० मावलंकर : गुजरात की क्या स्थिति है ?

डा० के० एल० राव : यदि विवरण में इस राज्य का नाम नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि इस राज्य ने मांग नहीं की है।

श्री पीलू मोदी : हमारे यहां मुख्यत: पानी से बिजली पैदा की जाती है। आए दिन मौसम की खराबियों को देखते हुए क्या सरकार का विचार पण बिजली के बदले तापीय बिजली का उत्पादम करने का है ?

डा० के० एल० राव : हमारे यहां 40 प्रतिशत पण बिजली तथा 60 प्रतिशत तापीय बिजली उत्पन्न की जाती है। इसके कई लाभ हैं। इस वर्ष कुछ अजीब घटना घटी है। कई जलाशय खाली हो गए हैं। ऐसी स्थिति 100 वर्ष पहले तक नहीं आई थी। पानी के लिए हमने 90 प्रतिशत उपलब्धता की योजना बनाई थी और हमने कई पूर्वोपाय भी किए थे। इस वर्ष इसका अच्छा परिणाम नहीं रहा है। पण बिजली परियोजनाएं केवल हिमालय अथवा पश्चिम घाटों में ही हैं। और हम किफायती दर से बिजली उत्पादन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

मुल्की नियम विरोधी आन्दोलन से प्रभावित आंध्र प्रदेश के बिजली घर

*387. **श्री पी० के० देव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में मुल्की नियम विरोधी आन्दोलन के दौरान हुई हिंसात्मक घटनाओं से बिजली घरों पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा था ;

(ख) क्या देख रेख और नियंत्रण के लिए बिजली घरों को अब सेना को सौंप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) आंध्र प्रदेश में मुल्की नियम विरोधी आन्दोलन के दौरान बिजली घरों को प्रभावित करने वाली हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। बरहाल, आंध्र क्षेत्र के कर्मचारी 6 से 11 जनवरी तक हड़ताल पर थे और तेलंगाना क्षेत्र के कर्मचारी 5 और 6 फरवरी को हड़ताल पर रहे। हड़तालों की अवधि में सेना के जवानों की सहायता ली गई थी और विभिन्न उत्पादन केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों की सुरक्षा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था

(ख) और (ग) ये विद्युत यूनिट सेना के जवानों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में नहीं रखे गए थे। सेना के जवानों की सहायता केवल उसी अवधि के लिए ली गई थी, जब कर्मचारी हड़ताल पर थे।

इस अवधि में किसी भी विद्युत प्रतिष्ठान को कोई क्षति नहीं पहुंची। आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों ने दो विभिन्न अवसरों पर हड़ताल की थी। जब आंध्र प्रदेश के कर्मचारी जनवरी मास के दौरान हड़ताल पर थे तब लेलंगाना के कर्मचारी काम कर रहे थे और तेलंगाना क्षेत्र से विद्युत आंध्र क्षेत्र को सप्लाई की गई थी। उस अवधि में सेना के जवानों को उप-केन्द्रों तथा उत्पादन केन्द्रों की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। बरहाल, उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं हो सका क्योंकि पर्यवेक्षक कर्मचारी भी हड़ताल पर थे। उस अवधि में उनको मुख्य रूप से विद्युत केन्द्रों की सुरक्षा का कार्यभार सौंपा गया था। इसी प्रकार, फरवरी, 1973 में जब तेलंगाना के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तब आंध्र प्रदेश में कर्मचारी काम कर रहे थे और विद्युत आंध्र क्षेत्र से तेलंगाना क्षेत्र को सप्लाई की गई थो। इस अवधि में भी सेना के जवानों ने उप-केन्द्रों के प्रचालन में यथासंभव सहायता की। परन्तु पर्यवेक्षक कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण, उत्पादन केन्द्रों का प्रचालन नहीं किया जा सका और इस अवधि में उन्होंने केवल सुरक्षात्मक व्यवस्था की थी।

श्री पी० के० देव : मुझे विवरण नहीं मिला है अत: अनुपूरक प्रश्न पूछना कठिन है।

श्री पीलू मोदी : अन्य सदस्यों को अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने चारों ओर देखा। कोई खड़ा नहीं हुआ।

नेपाल में पैट्रोलियम की सप्लाई और वितरण के बारे में भारतीय और नेपाली दलों की बैठक

*388. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री डी० पी० जडेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में पैट्रोलियम और मशीनी तेल की सप्लाई और वितरण के बारे में बातचीत करने के लिये हाल ही में भारतीय और नेपाली दलों की कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख). जी हां। नेपाल तेल निगम के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने, भारत से पैट्रोलियम तेल एवं लूब्रीकैण्टस उत्पादों के आयात को अन्तिम रूप देने और नेपाल में इन पदार्थो के अन्दरूनी वितरण एंव विपणन को हाथ में लेने के बारे में भारतीय और नेपाली दलों के बीच एक बैठक हुई थी। कई प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है और वे इस समय दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : हम नेपाल की सर्वांगीण उन्नति चाहते हैं और विशेषकर पैट्रो-रसायन के क्षेत्र में। इस बात को ध्यान में रखतें हुए क्या नेपाल ने किसी समस्या का ऐसा पहलू हमारे सामने रखा है जो हम स्वीकार न कर सके हों और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री डी० के० बरुग्रा : इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार ने निर्णय किया था कि सभी तेल उत्पादों का ग्रायात राज्य के नेपाली तेल निगम के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्णय किया था कि तेल उत्पादों का ग्रंदरूनी वितरण ग्रौर विपणन नेपाल तेल निगम द्वारा किया जाना चाहिए। ये निर्णय करने का उन्हें पूर्ण ग्रधिकार है। हम इन निर्णयों पर किसी भी तरह ग्रापति नहीं कर सकते।

श्री भोगेन्द्र झा : यह स्वागत योग्य बात है कि नेपाल इस मामले को ग्रपने हाथ में लेना चाहता है। क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने वितरण तथा ग्रन्य मामलों के बारे में ग्रपनी राय दी है ग्रौर क्या सरकार यह सोच रही है कि केवल भारतीय तेल निगम ही नेपाल सरकार से व्यापार करे, विदेशी तेल कम्पनियां नहीं।

श्री देवकान्त बरुग्रा : नहीं, नेपाल सरकार ने भारतीय तेल निगम, एस्सो, बर्मा शैल ग्रौर ग्रन्य विदेशी तेल कम्पनियों में कोई भेद नहीं किया है। वस्तुत: हमारा कुल योगदान 50,000 मीटरी टन है।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न यह है कि क्या हमने निर्णय किया है कि केवल भारतीय दल निगम ही नेपाल सरकार से व्यापार करे विदेशी तेल कम्पनियां नहीं।

ग्रध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसका उत्तर पहले दे दिया है।

श्री देवकान्त बरुग्रा : यह निर्णय करना नेपाल सरकार का काम है। उन्होंने इन तीनों विदेशी कम्पनियों से तेल लिया है।

इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हमें स्वयं कच्चे तेल की बहुत कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार विदेशों से किसी भी मूल्य पर तेल प्राप्त करना चाहती है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे हमारी विदेशी मुद्रा पर बोझ पड़ेगा। क्या हम इन उत्पादनों का नेपाल को निर्यात करेंगे। यदि हां, तो क्या हमें विदेशी मुद्रा में ग्रदायगी मिलने की सम्भावना है?

श्री देवकान्त बरुग्रा : नेपाल 50000 टन पैट्रोलियम उत्पादन खरीदता है। यह हमारी ग्रांतरिक खपत का 23% है। इस प्रकार यह हमारे देश पर कोई कुप्रभाव नहीं डालता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा ग्रभिप्राय विदेशी मुद्रा पर भार होने से है।

श्री देवकांत बरुग्रा : श्रीमान जी, यह तय हुग्रा है कि यदि नेपाल हमसे ग्रधिक तेल खरीदना चाहता है तो उसे हमें परिवर्तन योग्य मुद्रा देनी होगी। कुछ भी हो विदेशी मुद्रा में ग्रदा-यगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

Rise in Prices of various Chemicals and their scarcity in Market

*389. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the prices of various chemicals viz., caustic soda, citric acid, tautric acid, paraffin, glycerine and menthol have of late gone up considerably and often they are not available in the market;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the percentage by which the prices thereof have gone up since December, 1972?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायगी।

Dr. Laxminarayan Pandeya: Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister has just given a simple answer. The information could not be collected even with 21 days notice when caustic soda is not available in the market and glycerine and paraffin are not to be found even in Hospitals and even then it is stated that the information would be collected and placed on the table of the House. May I know if the Hon. Minister would take steps so that glycerine and paraffin is made available in the Hospitals and caustic soda is available in the market?

Shri D. K. Borooah: The hon. Member means that the retail prices of caustic soda have risen and this has even been published in Economic Times and we have asked the producers as to how its rates have been enhanced? We are investigating this matter.

Dr. Laxminarayan Pandeya: I had asked about the non-availability of Glycerine and paraffin even in Dispensaries. Would he give assurance that these would be made available?

Shri D. K. Borooah: Paraffin is not manufactured by any big concern. We have enquired from Savite and Company and they have written that they have not effected any price increase since December '72.

So far as Glycerine is concerned it is produced as a by-product of splitting up of fats and oils. This is also being investigated.

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार के पास प्रश्न में उल्लेख की गई वस्तुओं के प्रचलित मूल्यों के बारे में कोई जानकारी है कि क्या उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं और क्या उनकी कोई कमी है ?

श्री देवकान्त बरुआ : दोनों।

श्री भागवत झा आजाद : तब क्या हम समझें कि सरकार प्रचलित मूल्यों के बारे में जानकारी नहीं रखती है।

श्री देवकान्त बरुआ : हम जानकारी रखते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Notice for the question was given 21 days ago The Government is collecting information what does it mean?

श्री देवकान्त बरुआ : इन विशेष वस्तुओं के बारे में हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

Mr. Speaker: He has taken over the portfolio very recently.

श्री भागवत झा आजाद : मंत्रालय सदैव कार्यरत रहता है। भले ही मंत्री नए हैं। प्रश्नों की सूचना मंत्रालयों को दी जाती है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या यह सच नहीं है कि पैराफिन का वितरण बर्मा शैल द्वारा होता है तथा बर्मा शैल और उनके वितरकों ने उपभोक्ताओं के विरुद्ध गठजोड़ कर रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने उपयोगी सूचना दी है।

श्री एस० आर० दामनी : बढ़ते हुए मूल्यों के क्या कारण हैं ? क्या यह अपर्याप्त उत्पादन के कारण है ? सरकार उत्पादन बढ़ाने और मूल्य घटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री देवकान्त बरूआ : ठीक इसकी ही हम जांच कर रहे हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक अमरीकी फर्म को दो नावों का किराया दिया जाना

*392. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एक अमरीकी फर्म से ली गई दो सप्लाई नामों के किराये के लिए उसे 2400 डालर प्रति दिन की दर से दो मास से भुगतान कर रहा है जबकि इन नावों का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या अमरीका से बम्बई तक इन नावों को लाने के शुल्क के बतौर 7,500 डालर दिए जा चुके हैं और 35,000 डालर बाद में दिए जाने हैं ; और

(ग) सप्लाई नावें अपने देश में ही क्यों नहीं ली जा सकीं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 17 दिसम्बर, 1972 से एक अमरीकी फर्म को दो सप्लाई नावों के लिये किराए के रूप में प्रति-दिन 2400 डालरों (प्रति दिन 20 डालरों की छूट घटाकर) का भुगतान कर रहा है । इस में 20 प्रतिशत का भुगतान अपनों में किया जाना है । दोनों नावों में वे एक नाव का कुछ समय के लिये अल्पाकेट संरचना के अंचल अपतटीय प्लेटफार्म से माल उठाने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी नाव का इस्तेमाल नहीं किया गया है ।

(ख) दो नावों को अमरीका से बम्बई तक लाने के लिये करार के अनुसार 1.83 लाख डालरों की रकम का भगतान किया गया है ।

(ग) आयोग ने दो सप्लाई नावों के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पास एक आर्डर दिया था । इन नावों के 1974 के अन्त तक / 1975 के प्रारंभ में मिल जाने की आशा है । इस समय तक आयोग के पास इन 2 नावों को किराए पर लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं है ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड से भी टेंडर मंगवाए गये थे और यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा की गई पेशकश पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समय पर उत्तर नहीं दिया गया था ?

श्री देवकान्त बरुआ : हिन्दुस्तान शिपयार्ड पर दो जलपोतों के लिए आर्डर दिए गये थे परन्तु वे जलपोत 1974 अथवा 1975 में सप्लाई करेंगे । इस बीच जापानी प्लेटफार्मों के लिए हमें नावों की सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए इस अवधि में हमें सामग्री और तेल के परिवहन के लिए सप्लाई नावों की जरूरत होती है । इसके बिना तट दूर में और जापानी प्लेटफार्मों के लिये हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के टेंडर पर तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा समय पर उत्तर नहीं दिया गया था ।

श्री देवकान्त बरुग्रा : में ग्रापको यह नहीं बता सकता । परन्तु निश्चय ही हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने दो जलपोत तैयार करने स्वीकार किए थे जो कि वह बना रहे हैं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने बताया है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने दो जलपोत बनाने का प्रस्ताव दिया था परन्तु तैल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था ।

श्री देवकान्त बरुग्रा : हिन्दुस्तान शिपयार्ड इन दो जलपोतों को बना रहा है ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड इन दों जलपोतों को बना रहा है । परन्तु ग्रार्डर बहुत बाद में दिया गया था । क्या यह सच है कि ग्रार्डर टैंडरों की प्राप्ति के बहुत बाद दिया गया था ।

श्री देवकान्त बरुग्रा : उसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मंत्री महोदय ने बताया कि एक नाव का उपयोग माल के ढोने के लिए किया गया था ग्रौर उसका प्रतिदिन का किराया 960 डालर है । तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा ग्रमरीकी जलपोतों के किराये पर लेने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ग्रौर वे जलपोत क्यों नहीं उपयोग में लाए जा सके ? क्या मंत्री महोदय मामले की जांच करायेंगे ग्रौर इस दोषपूर्ण सौदे के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे ?

श्री देवकान्त बरुग्रा : में माननीय सदस्य की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि यह दोषपूर्ण सौदा था । जापानी प्लेटफार्म का ग्रार्डर दिया गया था । जोकि इस महीने ग्राना था । परन्तु क्योंकि इसका कार्य ग्रच्छा नहीं था ग्रतएव हमने कह दिया है कि हम इसे नहीं लेंगे । इस प्रकार जापानी फर्म हमें प्रतिदिन 5500 डालर क्षतिपूर्ति के रूप में देगी जोकि जलपोतों के किराये से कहीं ग्रधिक है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : में समझता हूं कि इसका यहां उल्लेख कर दिया जाना चाहिए था ।

श्री देवकांत बरुग्रा : समस्या यह है कि जापान से प्लेटफार्म की प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है । इस प्रकार हम उनका उस उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें मंगवाया गया है । परन्तु जैसा कि मैंने बताया कि हम उन्हें प्रतिदिन पर्याप्त भाड़ा दे रहे हैं, हमें जापानी फर्म से क्षतिपूर्ति के रूप में उससे ग्रधिक प्राप्त हो रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जबकि यह जरूरी हो गया था कि इन नावों को भाड़े पर लेने के लिए विदेशी स्रोतों का सहारा लिया जाये । में जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए विश्व-व्यापी टेंडर ग्रामंत्रित किए गये थे ग्रौर क्या इस विशेष ग्रमरीकी फर्म की दरें सबसे कम थीं ग्रथवा क्या विश्व-व्यापी टैंडर ग्रामंत्रित नहीं किए गये थे ।

श्री देवकान्त बरुग्रा : इसके लिये मुझे नोटिस चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निश्चय ही यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता है । इन नावों के भाड़े पर हम भारी रकमें व्यय कर रहे हैं । निश्चय ही उन्हें पता होना चाहिए कि क्या विश्व-व्यापी टेंडर आमंत्रित किए गये थे अथवा नहीं । यह कार्य कैसे चल रहा है ।

श्री देवकान्त बरुआ : नोटिस की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अपेक्षित जानकारी मेरे पास नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे बाद में दे सकते हैं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय ने बताया कि भाड़ा इन दो नावों के मूल्य से ज्यादा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी ऐसा होता है ।

श्री देवकान्त बरुआ : मैंने कहा था कि इन नावों का भाड़ा जापानी फर्म से हमें प्राप्त हो रही क्षतिपूर्ति से कम होगा । जब हमारे पास जापानी प्लेटफार्म आते हैं तभी हम इन नावों का उपयोग कर पाएंगे ।

दक्षिण मध्य रेलवे में मिरज में उपरि पुल का निर्माण

*400. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे की मिरज-कोल्हापुर लाइन पर मिजर में रेलवे उपरिपुल के निर्माण का कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ;

(ख) क्या उपरि-पुल तथा पहुंच सड़कों का निर्माण करने वाले संगठनों में प्रभावी तालमेल नहीं है ; और

(ग) दोनों कार्यों के साथ साथ पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) आशा है कि यह निर्माण कार्य 20–6–1974 तक पूरा हो जायेगा ।

(ख) और (ग) आवधिक समन्वय बैठकों और निर्माण-स्थल पर कार्य की प्रगति की समीक्षा के जरिये रेलों और राज्य सरकार के बीच प्रभावी समन्वय बना हुआ है ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : बताया गया है कि कार्य के जून 1974 तक समाप्त होने की संभावना है । क्या में मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि ठेकेदार के साथ किए गये करार में उपरी पुल के निर्माण कार्य के पूरे किए जाने की तिथि कौन सी थी और क्या ठेकेदार ने उस अवधि को बढ़ाने के लिए लिखा है ।

श्री एल० एन० मिश्र : समय बढ़ाए जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है । परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि कार्य की स्वीकृति 23 दिसम्बर को दी गई थी और कार्य 28 जनवरी को अर्थात एक महीने के भीतर आरम्भ हुआ था । राज्य सरकार ने भी कार्य प्रारम्भ कर दिया है । 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । आशा है कि यह जून 1972 तक पूरा हो सकेगा ।

श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार के बी और सी विभाग के साथ जोकि पहुंच-मार्ग का बाद में निर्माण कर रहा है प्रभावी समन्वय बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या नगर के छोर से उपरि पुल तक पहुंच-मार्ग बनाने में कोई बाध्य है ?

श्री एल० एन० मिश्र : : महाराष्ट्र राज्य और रेलवेज के प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति है । प्रत्येक तिमाही में उनकी बैठक समस्याओं के अध्ययन के लिए होती है । अभी तक पहुंच मार्ग के कार्य में कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

गुजरात के वनस्पति निर्माताओं द्वारा कमी की स्थिति पैदा करने के लिए सरसों की खरीद

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के वनस्पति निर्माता सरसों का परिष्कृत तेल बनाने के लिए सभी मंडियों से बड़ी मात्रा में सरसों खरीद रहे हैं और इस प्रकार सरसों के तेल के आधार में कमी की स्थिति पैदा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय का उत्तर सोद्देश्य होने की बजाय व्यवहार-कुशलता पूर्ण क्षणिक है । वनस्पति निर्माता वनस्पति तेल के निर्माण के लिए छोटे बीजों तथा बड़े बीजों वाले तिलहनों का उपयोग कर रहे हैं। क्या यह सत्य है कि 1 मार्च 1973 को गुजरात के वनस्पति निर्माताओं को 15 प्रतिशत सरसों के तेल का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के सरसों तेल मिलों, मूंगफली तेल मिलों तथा छोटे पैमाने के तेल-मिलों के दावों की उपेक्षा करके गुजरात के बनस्पति निर्माताओं को वनस्पति तेल के निर्माण के लिए रेपसीड–आयल, सरसों के तेल तथा परिष्कृत सरसों के तेल का उपयोग करने की अनुमति देने के क्या कारण है ? भारत सरकार के उक्त निर्णय के फलस्वरूप 25,000 लोग बेरोजगार हो गये हैं ।

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य की यह जानकारी गलत है कि हमने गुजरात में 15 प्रतिशत सरसों का तेल उपयोग करने की अनुमति दी है । पहली मार्च से हमने वनस्पति निर्माताओं को सरसों का तेल उपयोग करने की अनुमति तो दी है परन्तु कोई प्रतिशतता निश्चित नहीं की है । वह इसका उपयोग तो कर सकते हैं परन्तु मैं 1 मार्च के बाद के आंकड़े दे सकता हूं जिनके अन्तर्गत अब तक गुजरात में एक टन भी सरसों का तेल उपयोग में नहीं लाया गया है । हमें सभी वनस्पति कारखानों से सर्वाधिक विवरण प्राप्त होता है । 60 में 48 उत्पादन कारखानों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में उत्तर जोन के वनस्पति कारखानों ने कुल 311 टन तथा दक्षिण जोन के कारखाना ने कुल 97 टन सरसों का तेल खरीदा था किसी अन्य जोन में सरसों के तेल की कोई खरीद नहीं हुई है । इस प्रकार पश्चिम क्षेत्र जिसमें गुजरात आता है सरसों के तेल की कोई खरीद नहीं हुई है । मार्च के दूसरे सप्ताह में उत्तर जोन के चार कारखानों ने केवल 223 टन सरसों का तेल खरीदा है । यही इतना ही सरसों का तेल उपयोग में लाया गया है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया हैं। बनस्पति निर्माताओं को सरसों के तेल सहित रेपसीड तेल बड़े तिलहनों सोयाबीन तेल का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी गई हैं ?

प्रो० शेर सिंह : बनस्पति में हम 68 से 70 प्रतिशत मूंगफली का तेल का उपयोग करते हैं। पिछले मौसम में मूंगफली के उत्पादन में 16 से 17 लाख टन की कमी हो जाने के कारण गुजरात तथा महाराष्ट्र की ओर से यह मांग आई थी कि बनस्पति में मूंगफली के तेल का उपयोग कम कर दिया जाये क्योंकि वे मूंगफली के तेल का इसी प्रकार उपयोग करते हैं जैसे कि पूर्वी राज्यों में सरसों के तेल का उपयोग होता ह। हमने दिसम्बर में निर्णय लिया था। हमने बनस्पति में मूंगफली के तेल की मात्रा को घटा कर 50 प्रतिशत तक कर दिया था। विभिन्न जोनों में औसतन 50 प्रतिशत से अधिक मूंगफली के तेल के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। हमने यह सीमा निश्चित की है कि बनस्पति के निर्माण में मानव द्वारा सीधे प्रयोग में न लाये जाने वाले बिनौले के तेल का कम से कम 15 प्रतिशत उपयोग किया जाये। हमने न्यूनतम दर 15 प्रतिशत रखी हैं। फिर मूल्यों को स्थिर करने के लिए हम कुछ तेल का आयात भी कर रहे हैं। परन्तु यह भी केवल एक लाख टन ही होगा क्योंकि हमारे पास अधिक विदेशी मुद्रा नहीं हैं। फिर 'निजर' तेल जैसे अन्य तेलों का उपयोग भी 10 प्रतिशत तक हो रहा हैं। इस वर्ष सरसों की फसल बड़ी अच्छी हैं। पिछले वर्ष से वह 9 लाख टन अधिक हैं। इस लिए हमने सोचा कि यह सस्ता तेल है। हम बनस्पति का मूल्य भी नहीं बढ़ाना चाहते थे। अतः हमारे पास करने के लिये केवल तीन निकाय थे: (1) या तो बनस्पति के मूल्य बढ़ायें; या (2) मूल्यों को स्थिर करने के लिए अधिक तेल का आयात करें या (3) सस्ते तेलों के उपयोग की अनुमति दें। अब इस वर्ष सरसों के उत्पादन में 6 लाख टन की वृद्धि हो जाने से जिसका अर्थ है कि दो लाख टन सरसों का तेल अधिक उपलब्ध होगा। हम ने सोचा कि इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाये। हमने 5 या 10 प्रतिशत की कोई प्रतिशतता निश्चित नहीं की थी। वे लोग थोड़ी सी मात्रा में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसाकि मैंने कहा, पहले सप्ताह में लगभग 300 टन तथा दूसरे सप्ताह में भी 300 टन से कुछ अधिक तेल की खपत हुई है, यह बहुत थोड़ी मात्रा है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण से भी प्रकट है कि. . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बी० क० दासचौधरी : इस प्रश्न को पूछते हुए केवल एक शब्द कहना पड़ता है, मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण से भी यह प्रकट होता है कि बनस्पति के मूल्य कम नहीं हुए हैं, बल्कि बढ़े हैं, इसके बावजुद पश्चिम बंगाल में 25,000 लोग बेरोजगार हो गये हैं और मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने में उद्योगों को भी रेप-सीड की सप्लाई कम कर दी गई है ताकि बनस्पति-निर्माताओं को अधिक रैप-सीड दिया जा सके, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं क्या पश्चिम बंगाल के तेल-मिलो, के आयातित रैप-सीड की सप्लाई बढ़ा दी गई है, यदि नहीं तो इसके क्यय कारण हैं ?

प्रो० शेर सिंह : लगभग 25,000 धानियों को गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 6 लाख टन अधिक सरसों उपलब्ध होगी. . . (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया तर्क मत दीजिये।

प्रो० शेर सिंह : मिलों को पेराई के लिए अधिक सरसों उपलब्ध कराई जा रही है । फिर एक बात यह है कि जो रेप-सीड हम कनाडा से आयात कर रहे हैं, वह भी हम पश्चिम बंगाल को दे रहे हैं ।

श्री बी० के० दासचौधरी : कितना प्रतिशत ।

प्रो० शेर सिंह : तथा उनकी पेराई छोटी धनियों में हो रही है । हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं । वे भी जारी हैं । हम इन धनियों को भी रेप–सीड देते रहेंगे हमने उसे रोका तो नहीं है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : कितनी मात्रा में दे रहे हैं ? 6000 टन से घटाकर तो 2000 टन कर दिया गया है । क्या यह सच नहीं है । इसमें कमी करने के क्या कारण है ?

प्रो० शेर सिंह : गत वर्ष, क्योंकि सरसों का उत्पादन कम हुआ ना, इसलिये हम रेप-सीड अधिक उपलब्ध कर रहे थे । हमने उन्हें कनाडा से आयातित प्रतिमास 4000 टन रेप-सीड प्रदान किया है । परन्तु क्योंकि इस वर्ष सरसों की फसल बहुत अच्छी है, हम कनाडा से प्राप्त रेप-सीड के इस भाग को बनस्पति के निर्माण में उपयोग कर रहे हैं ताकि मूल्यों को स्थिर रखा जा सके क्योंकि हमारे पास आयातित तेल नहीं है और आयात कर के लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे वादविवाद का विषय मत बना लीजिये ।

श्री रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि बंगाल के तेल मिल गत एक वर्ष से भी ज्यादा से अभ्यावेदन दे रहे हैं तथा भारत सरकार से और आफिस सरसों के बीज तथा रेप–सीड देने की मांग कर रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि पश्चिम बंगाल में सरसों का तथा रेप-सीड के अभाव के कारण विशेष कर सरसों के तेल सहित सभी तेलों के मूल्य बढ़कर 5 रु० से 8 रु० प्रति किलोग्राम हो गये हैं ? कलकत्ता में इस समय यही भाव हैं । यदि मंत्री महोदय को ये दोनों तथ्य मालूम हैं तो क्या सरकार का विचार अधिक मात्रा में सरसों तथा रेप–सीपड सप्लाई करके सरसों के तेल के मूल्यों के कम करने का है अन्यथा कि सरकार ने कोई अन्य विकल्प सोचा है ?

प्रो० शेर सिंह : जैसा कि मैंने पहले कहा, अब की बार विशेष रूप से उत्पादन में वृद्धि होने से बड़ी मात्रा में सरसों उपलब्ध है । इसलिए अब अधिक सरसों का तेल उपलब्ध है । गत वर्ष के 14–15 लाख टन की तुलना में अब के वर्ष 20–21 लाख टन हैं , इस पर नियंत्रण भी नहीं है । अतः सरसों बाजार में खुली मिल रही है । मिल मालिक उसे खरीद कर पेर रहे हैं। रेप-सीड का कनाडा से आयात किया जाता है ; वह भी इन मिलों को उपलब्ध कराया जाता है और वह उसे पेरते हैं ।

श्री रानेन सेन : केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि सारे पूर्वी क्षेत्र में सरसों के तेल के क्या मूल्य हैं ?

प्रो० शेरसिंह : मैं आंकड़े देता हुं । 26 फरवरी, एक अधिसूचना जारी की गई थी । उस समय मूल्य 5750 रु० प्रति टन थे । इस मास की 15 तथा 16 तारीख को ये मूल्य 5350 रु० हो गये । अर्थात 400 रुपये प्रति टन घट गये ।

श्री भागवत झा आजाद : सारे पूर्वी क्षेत्र में मूल्य बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं ।

श्री पीलू मोदी : या तो मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं या फिर माननीय सदस्य। हमें सही उत्तर चाहिए ।

श्री रानन सेन : हर वर्ष में मूल्य बढ़े हैं ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या यह सही है कि बंगाल ग्रयिल मिल्स एसोसियेशन ने अधिक रेपसीड देने के लिए मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दिया है ? क्य उन्होंने मंत्री महोदय को अभ्यावूदन दिया है ? क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल की मन्डियों में सरसों के अभाव के बारे में भी कहा है ? मंत्री महोदय कहते हैं कि बहुत उत्पादन हुआ है, परन्तु क्या मैं सही तथ्य जान सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की मण्डी में इसकी कितनी मात्रा उपलब्ध है । उत्पादन की दर क्या है ?

प्रो० शेर सिंह : मुझे अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें वे कहते हैं कि : जब वनस्पति उद्योग को उपरोक्त मात्रा में आयातित बीज पहले ही दिये जा चुके हैं तब केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में अपनी टांग अड़ाने का निर्णय बड़ा आश्चर्यजनक है, इसके फलस्वरुप सारे भारत में गत दो सप्ताह में सरसों के मुल्य में 15 के 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई . . ."

यदि पत्र उन्होने हमें तथा संसद सदस्यों को भेजा है । यह अतिशियोक्ति है । सरसों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि नही हुई है । मैं आंकड़े दे चुका हूं . . (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें तो उपभोक्ता मूल्य जानने में रुचि हैं ।

प्रो० शेर सिंह : गत दो सप्ताह में मूल्यों में 400 रु० प्रतिटन की कमी हुई है . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह परचुन मूल्य बता रहे हैं और आप टनों में बात करते हैं । इस मतभेद में पड़ने से बेहतर यह है कि आप इसकी जांच करें और यदि आप समझे कि वह सही कह रहे हैं तो आप बाद में एक वक्तव्य दे दें इस से उस मतभेद में नष्ट होने वाला सभा का इतना समय बच जायेगा ।

श्री प्रिय रंजनदास मुशी : उन्होने मेरें प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या हमें मिल मालिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । हां' हमें मिला था और उनकी मांग यह है कि उन्हें पेरने के लिये और अधिक बीज मिलें और हम उन्हें रेयसीड उपलब्ध करा रहे हैं । हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई बेरोजगार न हो जाये सरसों तो उजलब्ध है और रेपसीड भी दे दिया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मिलों के लिये कनाडा से प्राप्त' रेंपसीड की मात्रा में कटौती या कमी कर दी गई है ? दूसरे क्या सच नहीं है कि 26 तारीख की अधिसूचना जारी होते हैं यह पता लगा कि सरसों के तेल का एक भाग वनस्पति निर्माताओं को दिया जायेगा और बाजार वालों मे यह निश्चय कर लिया कि सरसों तथा सरसों के तेल को गायब कर दिया जाये ताकि मूल्यों में वृद्धि हो; और यह भी सत्य नई हैं कि इसी के फलस्वरुप बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्रों में तेल के मूल्यों में 3 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई ?

प्रो० शेर सिंह : यदि वनस्पति निर्माताओं को कुछ रेपसीड दे भी दिया जाये, तो भी हम तेल मिल मालिकों को रैपसीड उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कोई बेकार न हो जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि आवंटन में कटौती की गई थी अथवा नहीं ?

प्रो० शेर सिंह : हम मिलों को आवंटन नहीं करते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह आयातित बीजों का आवंटन नहीं करते हैं ?

प्रो० शेर सिंह : हम राज्यों को आवंठित करते हैं मिलों को नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोटे में कमी की थी ?

प्रो० शेर सिंह : जी हां । 28 फरवरी को हमने उन्हें 2000 टन रेपसीड दिया . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितनी मात्रा की जगह ?

प्रो० शेर सिंह : 4000 के स्थान पर । हम सारी स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं और यदि सरसों के तेल के मूल्य बढ़े तो हम भी.....

कुछ माननीय सदस्य : मूल्य बढ़े हैं ।

प्रो० शेर सिंह : अब नई फसल आनी शुरू हो गई है और मूल्य में गिरावट आरंभ हो गई है ।

कुछ माननीय सदस्य : मूल्य घट नहीं रहे हैं।

प्रो० शेर सिंह : मैंने ये आंकड़े फायनेंशियल एक्सप्रैस से लिये हैं । हम सारी स्थिति की जांच कर रहे हैं । यदि सरसों के तेल में बढ़े तो हम सारी स्थिति पर विचार करके आपको रेपसीड दे सकते हैं या हम सरसों के तेल का उपयोग बन्द कर देंगे । हम सस्ता तेल प्रयोग में लायेंगे । हम सारी स्थिति की जांच कर रहे हैं यह देखने के लिये कि स्थिति के अनुसार रेपसीड आपको देना होगा या कि सरसों के तेल के उपयोग की अनुमति वापस लेनी पड़ेगी । हम जांच कर रहे हैं ।

Shri Shashi Bhushan: I want to know whether there are statistics regarding shortages. The Ministry of Agriculture also submit worng figures. I want to know whether any enquiry will be made in this matter? It is true that the Officers do not take pains to verify the rates and they send the prices to the Ministers without verification and so the Ministers have to cut a sorry figure here. I want that an enquiry should be conducted in this matter and the official guilty of submitting wrong report should be punished.

प्रो० शेर सिंह : उक्त आंकड़े 'फाइनेन्सल एक्सप्रेस' से दिये गये हैं । लेकिन मैं समस्त मामले की जांज करूंगा ।

Shri Krishna Chandra Pandey: Shri Sashi Bhushan has just stated that the Ministry of Agriculture always give wrong statement (interruptions)' I want that these words should be expunged from the proceedings.

Shri Shashi Bhushan: I have said about the statistics and not about the statement.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि फूटकलर मूल्य जानने के लिए मंत्री महोदय को कल अथवा परसो बाजार जाना चाहिये ।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री पर तेल के मूल्यके बारे में झूठे आंकडे, झूठे विवरण और झूठी रिपोर्ट देकर जान बूझकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाता हूं । इसके परिणामस्वरुप उन्हें यहां सदन में बेठने का अधिकार नहीं है और उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए । अभी दो दिन पूर्व पश्चिम बंगाल के मंत्री श्री काशी कांत मैत्री ने एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि पश्चिम बंगाल में 133 तेल मिलें

बन्द होने वाली हैं और सरकार राशन की दूकानों के माध्यम से सरसों के तेल की सप्लाई बन्द करने वाली है और इसके परिणामस्वरूप सरसों के तेल की समस्त राशन प्रणाली अस्तव्यस्त हो जायेगी। क्या यह सच है ? कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने पश्चिम बंगाल सरकार अथवा मंत्री को कोई सूचना दिये बिना पश्चिम बंगाल को 133 मिलों को सप्लाई के लिए दी जाने वाली 4,000 मैट्रिक टन अलसी में से 15 प्रतिशत बनस्पती निर्मातीओं को सप्लाई की जबकि कनाडा से प्रति मास आयात की जाने वाली 6,000 टन अलसी की सप्लाई वनस्पती निर्माणकर्ताओं को दी जाती है। क्या इसके परिणामस्वरूप मूल्य एक दम बढ गये हैं और राशन पद्धति समाप्त होने वाली है ? क्या यह बात रेलवे मंत्री की जानकारी में लाई गई है कि सरसों पर भाड़े की दर में वृद्धि किये जाने के परिणास्वरूप तेल और खली के मूल्य असमान्य रूप से बढेंगे और पश्चिम बंगाल के मूल्यो की स्पैधा न होने के कारण तेल उत्पादक को हानि होगी। मंत्री महोदय बहुत अच्छी फसल का कैसे उल्लेख कर रहे हैं। जब बहुत अच्छी फसल थी तब केवल 14,000 से 15,000 मैट्रिक टन का उत्पादन था और इस वर्ष उत्पादन 16,000 से 17,000 से अधिक नहीं होगा। अत: मंत्री महोदय किस आधार पर यह कहते हैं कि फसल अच्छी होगी जबकि तिलहन अभी बाजार में नहीं आया है। वह ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं कि अच्छी फसल को देखते हुये उन्होंने अलसी की सप्लाई वनस्पति उत्पादन के लिए कर दी ?

प्रो० शेर सिंह : मैं प्रश्नों के केवल कुछ भागों को समझ सका हूं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि मेने झूठा वक्तव्य दिया है। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं। मैंने जो कहा था वह उचित है और मैं उस पर कायम हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैंने यह नहीं कहा कि आप ने झूठा वक्तव्य दिया था मैंने यह कहा था कि आपका वक्तव्य गलत है। (**अन्तर्बाधाएं**)

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य कृपया मेरी बात करके मेरी बात सुने .... (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री महोदय की बात सुनें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सरसों का एक टिन 15 से 16 रुपये तक बेचा जा रहा है (**अन्तर्बाधाएं**)

प्रो० शेर सिंह : आप स्वम् अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे माननीय मित्र द्वारा दिये गये आंकडे कितने सत्य हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरसों का तेल 15 रुपये किलो बिक रहा है (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रति दो किलो टिन का मूल्य इतना है (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय की बात सुनें।

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने 15 रुपये किलो कहा है। कृपया रिकोर्ड देखिए।

Shri Krishna Chandra Pandey: Some of our friends are making very incorrect statement. It is Shameful.

Mr. Speaker: It is not proper for all of you to speak at the same time (interruption).

श्री एस० एम० बनर्जी : कोई व्यक्ति सुपर बाजार जाकर मालूम कर सकता है कि दो किलो के एक टिन का मूल्य 15 रुपये है

प्रो० शेर सिंह : मैंने फाइनेन्स एक्सप्रेस से आंकडे दिये थे । ये प्रति दिन के आंकडे हैं . . . **(अन्तर्बाधाएं)** मैं थोक मूल्य बता रहा हूं **(अन्तर्बाधाएं)** मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे किन साधनों से उक्त आंकडे प्राप्त हुए हैं । मैं इस बारे में फिर से जांच कराउगा और पता लगाउगा कि उक्त आंकडे ठीक हैं अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले आंकडों की जांच कर लें और सदन को फिर बता दें ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये हैं । मैंने अनेक प्रश्न पूछे थे । उन्हें कम से कम एक प्रश्न का उत्तर तो अवश्य देना चाहिए था ।

श्री एस० एम० बनर्जी: : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी अभी मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि कुछ मूल्य जो बताये गये हैं वे गलत हैं । इस बारे में एक विवाद उठ खड़ा हुआ है । हमने कोई मूल्य गलत नहीं बताये हैं । हमने कहा है कि सुपर बाजार और नार्थ ऐवेन्यू की मार्किट में भी कनोडिया के सरसों के दो किलो के टिनों का मूल्य 15.50 रुपये है । इसका मूल्य दो रुपये और बढ गया है । आप इस बारे में एक संसदीय समिति नियुक्त कर दीजिए । मैं एक टीन खरीदने और उसे आपके सामने अथवा सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं । मैं उसकी रसीद भी लाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

प्रो० समर गुह : मैंने तीन बहुत तत्संगत प्रश्न पूछे थे । मेरा पहला प्रश्न पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से सम्बन्धित था । मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि समस्त पश्चिम बंगाल में राशन व्यवस्था समाप्त होने जा रही है । तीसरा प्रश्न यह था कि माल भाड़े में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सरसों के तेल के मूल्यों में वृद्धि होगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बारे में जांच करेंगे ।

प्रो० शेर सिंह : मुझे पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री से टैलेक्स संदेश प्राप्त हुआ है । जिसमें उन्होंने कोई मूल्यों का उल्लेख नहीं किया हैं **(अन्तर्बाधाएं)** उन्होंने कहा है कि मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हो रही है । **(अन्तर्बाधाएं)** फिर उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि मिल मालिक बेरोजगार हो जायेगें । उन्होंने इन दो बातों का ही उल्लेख किया है । मैंने उनके टेलेक्स का अगले दिन या दो दिन बाद उत्तर दे दिया था और उन्हें लिखा था कि 1 मार्च के बाद अब मूल्य कम होने आरम्भ हो गये हैं **(अंतर्बाधाएं)** अपने उत्तर में यह भी उल्लेख किया है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं । लेकिन हमने इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है । हमने सरसों के तेल के प्रयोग की अनुमति दे दी है और हम इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि इसका मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । पूरे मामले की जांच कर रहे हैं । जहां तक मिल मालिकों के संघ का सम्बन्ध है मैंने मंत्री महोदय को लिखा है कि मैं पहले की भांति उन्हें कुछ अलसी चूर्ण बनाने के लिए उपलब्ध होगी और हम इस बात के कृतसंकल्प हैं कि वे बेकार न हो जाये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

पेट्रोलियम के विपणन के लिये भारतीय तेल निगम के नाम से एक अलग संस्था बनाने की आवश्यकता

*381. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम के विपणन के लिये भारतीय तेल निगम के नाम से एक अलग संस्था बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो पैट्रोलियम के विपणन को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के नियंत्रण में न रखने के क्या कारण हैं जैसा कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 के अधिनियम 43) में उल्लेख किया गया है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुवा) : (क) और (ख) इण्डियन आयल कम्पनी जो इण्डियन आयल कारपोरेशन के गठन के लिए, इण्डियन रिफाइनरीज लि०, के साथ बाद में में मिला दी गई थी, 30—6—59 को स्थापित हुई थी और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959, 18 सितम्बर, 1959 को लागू हुआ था । अतः सरकार ने शुरू शुरू में निर्णय लिया था कि तेल उत्पादों के विपणन (मार्केटिंग) एक अलग संगठन द्वारा किया जाना चाहिए और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्रारम्भ में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए ।

पैडा अयुतापल्ले (दक्षिण-मध्य रेलवे) में एक रेलवे पुल को उड़ाने का प्रयत्न किया जाना

*382. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक आंध्र की मांग करने वाले आन्दोलनकर्ताओं ने पैडा, आयुतापल्कै (दक्षिण-मध्य रेलवे) में एक रेलवे पुल को उड़ाने का प्रयत्न किया था ;

(ख) क्या वहां कुछ मालगाड़ियों पर भी पथराव किया गया था जिससे रेल कर्मचारियों को चोटें आईं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी हां, रिपोर्ट मिली है कि 25-2-73 को अलग आन्ध्र राज्य की मांग करने वाले कुछ व्यक्तियों ने मन्नवरम और पेद-अयदपल्लि के बीच पुल नं० 18 के नीचे भारी विस्फोटक रख दिये थे और उसे उड़ाने का प्रयास किया गया था । विस्फोट से पुल के दो स्लीपर पूरी तरह उड़ गये और चिनाई के काम को कुछ नकसान पहुंचा ।

(ख) 29—1—73 को पेद-अयटपल्लि और तेलप्रोलू के बीच बिना चौकीदार वाले एक समपार फाटक पर आन्दोलनकारियों ने माल गाड़ी नं० डब्ल्यू ई एस—31 पर पथराव किया लेकिन कोई घायल नहीं हुआ ।

(ग) रेलवे पुलिस, विजयवाड़ा ने 25-2-73 को हुई घटना के सम्बन्ध में भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 के साथ पठित भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 के अधीन एक अपराध सं० 76/73 दर्ज किया है। मामले की छानबीन हो रही है।

पेद-अयुटपल्लि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए केन्दीय रिजर्व पुलिस तैनात कर दी गई है। गन्नवरम और तेलप्रोलु के बीच के खण्ड पर केन्दीय रिजर्व पुलिस, रेलवे इंजीनियरिंग गैंग और रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारी गश्त लगा रहे हैं।

1971 के मध्यावधि निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट

*386. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने 1971 के निर्वाचनों के बारे में अपनी रिपोर्ट में राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों पर ऐसे गम्भीर आरोप लगाए हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा उनके मार्ग दर्शाने के लिये बनाई गई आचार संहिता को उन्होंने उपेक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) आयोग ने इस सामान्य टिप्पणी के सिवाय कि "ऐसी आचरण संहिता का बहुत कम व्यावहारिक महत्व है, क्योंकि कोई भी दल या उम्मीदवार निर्णायक समय अर्थात निर्वाचन के समय पर ऐसी आचरण संहिता में दिए गए नियमों और अनदेशों का पालन नहीं करता है", अपनी रिपोर्ट में किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के नाम का उल्लेख नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कमला बालान बांध का अगरघाट तक विस्तार

*390. **श्री रामभगत पस्वान** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कमला बालान और कोसी नदियों की बाढ से प्रति वर्ष हज़ारों एकड़ भूमि में खड़ी फसल नष्ट हो जाती हैं और लोग काफी समय तक बाढ़ के पानी से घिरे रहते हैं ;

(ख) क्या दरभंगा जिले के लोगों ने कमला बालान बीच को अगरघाट तक बढ़ाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) कोसी पर वर्तमान तटबंधों के नीचे का क्षेत्र कमला और बागमती नदियों की बाढ़ों से प्रभावित होता है। कमला बलान तटबंधों का दर्जिय तक निर्माण कर दिया गया है और उसके आगे विस्तार करने की आवश्यकता है। बिहार को राज्य सरकार ने अन्वेषण करने के पश्चात कमला

बलान के दायें तटबंध को दर्जिया से पुहिया ग्राम के निकट बागमती के बायें तटबंध के साथ मिलाने के हेतु विस्तार करने के लिए एक स्कीम तैयार की थी । केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग में इस स्कीम की जांच की गई थी । सुरक्षित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र में संभावित जल निकास कठिनाइयों और सामने वाले किनारे पर इसके कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 1972 में राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि दर्जिया के नीचे 16 किलोमीटर की लम्बाई में कमला नदी के दोनों ओर तटबंधों के विस्तार के लिए सबसे पहले एक स्कीम तैयार की जाए । आगे अनुसंधान करने के पश्चात् परिवर्तित स्कीम को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाना है ।

*391. **श्री राम प्रकाश :** क्या **रेल** मंत्री बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता के बारे में 20 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे स्वयंसेवी सहायता समिति के भूतपूर्व चेयरमैन के अपने कथित बिना टिकट यात्रा करने संबंधी छपे वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 25 जनवरी, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार के रूप में छपे रेलवे स्वयंसेवी सहायता समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष के बयान की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित अपने बयान में श्री साहू ने बताया है कि आरक्षण और टिकटों की मांग करने पर भी, उन्हें टिकट उपलब्ध नहीं किये गये । जब वे लोग बंम्बई सेंट्रल में गाड़ी में चढ़े तो उन्होंने कंडक्टर से अपने लिए टिकटों की मांग की । लेकिन उसने टिकट बनाकर नहीं दिया । श्री साहू के पास नं० 3963 पर 9–1–1973 को पहले दर्जे में श्री साहू के लिए और तीसरे दर्जे में श्रीमती साहू और उनकी दो पुत्रियों के लिए आरक्षण की मांग की गयी थी । आरक्षण की मांग करते समय पास नहीं दिखाया गया था क्योंकि उस समय बताया गया था कि पास श्री साहू के पास है जो उस समय किसी बैठक में भाग ले रहे थे । जब वे बंबई सेंट्रल में गाड़ी में चढ़े, तो शयनयान के चल टिकट परीक्षक को (न कि कंडक्टर को जैसी कि रिपोर्ट है) उनके परिवार की देखभाल करने के लिए कहा गया था । उससे उनके लिए टिकट बनाने के लिए नहीं कहा गया था ।

भारत में टायर बनाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*393. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भारत में प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अपनाने वाली कुछ टायर कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) क्या आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) आयोग ने जांच-पड़ताल निदेशक को, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत, प्राथमिक जांच-पड़ताल करने के निदेश दिये हैं, एवं निदेशक द्वारा जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में बैरा सियूल पनबिजली परियोजना के पूरा होने में विलम्ब

*394. **श्री विक्रम महाजन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बैरा सियूल पनबिजली परियोजना 1974 तक पूरी हो जाने की आशा थी, किन्तु अब उसके पूरा होने में विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) इस परियोजना की प्रथम यूनिट जो मूलतया 1974 में चालू होनी अनुसूचित थी, अब 1975 में चालू होने की आशा है।

(ख) पहुंच सड़कों, पुलों की कमी, दुष्कर स्थल और कार्य शर्तों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए कुशल अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में कठिनाई के कारण प्रारंभ में विलम्ब हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि वे पहुंच सड़कों तथा पुलों को शीघ्र पूरा करे ।

तलचर उर्वरक कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना

*395. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तलचर उर्वरक कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिये कोई आन्दोलन किया गया है ; और

(ख) इस कारखाने में, श्रेणीवार, उड़ीसा के कुल कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) तालचर में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किये गए उड़ीसा के लोगों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी—1	22
श्रेणी—2	13
श्रेणी—3	126
श्रेणी—4	72
	233

पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड को हुई हानि

*396. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में सरकार का कितना इक्विटी निवेश है ;

(ख) 31 मार्च, 1972 तक इस उपक्रम को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) यह उपक्रम कब तक संतुलन की स्थिति में आ जायेगी और लाभ दिखाने लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) 31 मार्च, 1972 तक 609.14 लाख रुपये।

(ख) 31 मार्च, 1972 तक 126.25 लाख रुपये।

(ग) सल्फर के आयात का आंशिक रूप से प्रतिस्थापन करना इस उपक्रम का उद्देश्य है और पाइराइट्स के मूल्य का निर्धारण सल्फर के मूल्य से सम्बद्ध करना पड़ेगा। विश्व मार्किट में सल्फर के वर्तमान मूल्य, जोकि बहुत कम है, पर उपक्रम का संतुलन की स्थिति में आना आसान नहीं हो पायेगा। तथापि, पाइराइट्स की खपत में वृद्धि हो जाने से इस उपक्रम को होने वाला घाटा उत्तरोत्तर कम हो जाना चाहिये।

कम्पनियों के अंशधारियों को मुआवजे का भुगतान

*397. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री कम्पनियों के अंशधारियों को मुआवजे का भुगतान करने के बारे में 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5584 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशधारियों के नेशनल फोरम की इस मांग पर इस बीच कोई निर्णय ले लिया गया है कि सरकार द्वारा कम्पनियों को अपने हाथ में लेने पर उन्हें दिया जाने वाला मुआवजा सीधे अंशधारियों को दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर गोखले) : (क) तथा (ख) किसी उद्योग अथवा उपक्रम का राष्ट्रीयकरण अथवा अधिकार में लिये जाने के उद्देश्य युक्त कोई विधान प्रारूपित करते समय, हिस्सेधारियों को प्रत्यक्ष मुआवजा देने के लिये कोई उपबन्ध जोड़ने का सुझाव, ध्यान में रखा जायेगा।

Supply of more Electricity to Industrialists than Agriculturists

†*398. **Shri Mahadeepak Singh Shakyas:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether under the prevailing system in India the industrialists are supplied with more electricity than the agriculturists; and

(b) if so, the reasons therefor?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b) Industries always consume more power than agriculture. In India the percentage used in industries and agriculture are respectively 67.2 and 10.6. With intensive rural electrification and energisation of tubewells, the agricultural consumption will increase. It is to be noted, however, that priority is given for agricultural needs and that the cut on agricultural pumping is less than the cut on industries in times of power shortages.

त्रिपुरा में तेल भण्डारों का अनुमान

*399. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के कुछ भागों में बड़ी मात्रा में तेल भंडार का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तेल भंडार की अनुमानित मात्रा कितनी है ; और

(ग) क्या इस बीच वहां खोज कार्य शुरू कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क), (ख) और (ग) अब तक किये गये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप त्रिपुरा में कई अनुकूल संरचनाएं पाई गई हैं। ये संरचनाएं कितनी मात्रा तक तेल युक्त होंगी ; इसका पता केवल तभी लगेगा जब इनका गहरे व्यधन से परीक्षण किया जायेगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इन संरचनाओं में से एक संरचना अर्थात् बारामुरा पर व्यधन प्रारंभ कर दिया है। बारामुरा में परिचालन कार्य अभी प्रगति पर है।

Facility for loading at stations between Newkatni and Sengrauli (Central Railway)

†3756. **Shri Rana Bahadur Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether no goods are accepted by the Central Railway for transportation by Rail from the station situated on the NEWKATNI-SENGRAULI line; and

(b) the time by which this facility will be available at the above stations?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) At present, goods are accepted for transport at Beohari, Khana Banjari, Joba and Saraigram stations on the Katni-Singrauli section. Opening of other stations on this section for goods traffic will be considered as soon as traffic demands at these stations so justify.

दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर एक जाली भ्रष्टाचार निरोधक सामाजिक संगठन का सक्रिय होना

3757. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर एक जाली भ्रष्टाचार निरोधक सामाजिक संगठन कार्य करता पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफतार किया गया तथा इस संगठन की कार्यप्रणाली क्या थी?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) एक व्यक्ति गिरफतार किया गया है। इस संगठन का काम यह था कि यह अपने छिपे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रेल अधिकारियों को धोखा देता था ताकि वे उसे बिना टिकट यात्रियों की जांच करने दें।

सिंदरी उर्वरक कारखाने में बिहार के लोगों को रोजगार देना

3758. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने में बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सिंदरी उर्वरक कारखाने में नियुक्ति तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31-12-1972 की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	बिहार राज्य से कर्मचारी
वर्ग II	261	56
वर्ग III	5060	3267

पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जापान से एक्रिल प्लांट का आयात

3759. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड का विचार जापान से 3.7 विलियन येन के मूल्य का एक्रिल संयंत्र मंगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्लांट की मुख्य बातें क्या है तथा इसे किस स्थान पर लगाया जायेगा तथा इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ; और

(ग) इस संयंत्र के लिये जापान की कितनी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होगी तथा प्रस्तावित एक्रिल प्लांट के लिये मशीनों और उपकरणों की कितनी आवश्यकता को स्वदेशी सूत्रों से पूरा किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संयंत्र 1.5 से 15 तक डेनियर रेंज सहित प्रतिवर्ष 12,000 मीटरी टन एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन कर सकेगा। देश में पहली बार यह फाइबर उत्पादित किया जायेगा तथा यह अंशतः आयातित ऊन का प्रतिस्थापन होगा। यह अन्य प्राकृतिक अथवा कृत्रिम फाइवरों के साथ मिलाया जा सकता है। यह संयन्त्र इण्डियन पैट्रो-केमिकल कारपोरेशन लि० के अधीन बड़ौदा में, गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के एक अनुप्रवाही यूनिट के रूप में स्थापित किया जायेगा और इस के 1973 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ग) जापान से तकनीकी जानकारी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(1) प्रक्रिया का पूर्णतया विस्तृत विवरण

(2) ताप एवं सामग्री शेष

(3) प्रोसैस एण्ड इंजीनियरिंग क्लो डायग्राम और उपकरण की विशिष्टियां तथा परियोजना के लिए सामग्री।

(4) रिएक्टर की प्रक्रिया डिजायन के लिए अपेक्षित डिजाइन दिया।

इस जानकारी में, टाउ से टाप का परिवर्तन, हाई शिकएवेल स्टैप्ल फाइबर और प्लांट के चालू होने के बाद 5 साल की अवधि के लिए प्रौद्योगकीय सुधारों के आदान-प्रदान के बारे में सूचना सम्मिलित है। इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स लि० कर्मचारिगण जापान में प्लांट के परिचालन, देख-रेख एवं मार्किट विकास में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सम्पूर्ण संयंत्र के लिए मशीनरी एवं उपकरण पर अनुमानित व्यय 10.3 करोड़ रुपये है; जिसमें से देशीय उपकरण पर लगभग 3 करोड़ रुपया व्यय होगा।

डिब्रूगढ़ कस्बे से रेलवे के वर्कशाप तथा जिला कार्यालयों का हटाया जाना

3760. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय डिब्रूगढ़ कस्बे में स्थिति वर्तमान वर्कशाप तथा रेलवे कार्यालयों को हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) और (ख) : 1-5-1969 से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर लागू मंडलीकरण का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी मंडल अधिकारियों के कार्यालय मंडल मुख्यालय में अवस्थित हों ताकि मंडल स्तर पर किया जाने वाला निर्णय समन्वित रूप से अविलम्ब किया जा सके अन्यथा इसमें विलम्ब होगा। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस समय डिब्रूगढ़ में स्थित कतिपय कार्यालय और उनके कमचारियों को अंततः लुमडिंग या तिनसुकिया के मण्डल मुख्यालयों को हटाना पड़ेगा। लेकिन डिब्रूगढ़ से रेलवे कारखाना हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई

3761. **श्री रंण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में सम्पूर्ण सिंचित भूमि की तुलना में मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) मध्य प्रदेश से सम्बंधित उन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की रूपरेखा क्या हैं जिन्हें पांचवी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं किया हैं ; और

(ग) मध्य प्रदेश से संबंधित उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो सोन जल विवाद के कारण अनिर्णीत हैं ;

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :

(क) वर्ष 1969-70 में' जिसके लिए अद्यतन कृषि संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र 1.47 मिलियन हैक्टेयर था' उस वर्ष देश में कुल सिंचित क्षेत्र 37.22 मिलियन हैक्टेयर था।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवी योजना के कार्यक्रमों को नहीं भेजा है। नई सिंचाई / वहुद्देश्यीय स्कीमें जो कि मध्य प्रदेश द्वारा प्रायोजित हैं तथा जिनकी स्वीकृति प्रतीक्षित है, निम्नलिखित हैं :—

वेसिन	परियोजना	अनुमानित लागत लाख रुपयों में	लाभ लाख रुपयों में
1	2	3	4
नर्मदा	वारगी	6623	3.30
	नर्मदासागर	11133	2.47
	ओंकरेश्वर	7730	2.65
	सुक्ता	632	0.16
सोन	वनसागर	12600	2.46
महानदी	हस्देव वांगो	5892	2.58
गोदावरी	अपर वेनगंगा	16.02	0.68

नर्मदा विवाद के निकट भविष्य में हल हो जाने की संभावना है, जिससे उस वेसिन में परियोजनाओं की स्वीकृति में सहायता मिलेगी। यह भी संभावना हैं कि सोन जल से संबंधित मतभेदो को राज्यों द्वारा निक भविष्यमेंलझा लिया जाएगा। अपर वेनगंगा परियोजना की स्वीकृति को गोदावरी जल विवाद संबंधी समझौता होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो कि अब एक न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णय के अधीन है। हस्देव (वांगों) परियोजना पर सितम्बर, 1972 में भेजी गई टिप्पणियों के विषय में राज्य के उत्तर प्रतिक्षित हैं।

———

Provision of water taps at Railway Stations of N.E. Railway

3762. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** रेल मंत्री be pleased to state:

(a) the number of Railway stations on North Eastern Railway where drinking water taps are not available; and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) There are 493 Stations on N.E. Railway where water taps are not provided.

(b) Drinking water taps are provided only at stations where piped water is available. At other stations alternative arrangements like hand-pumps, open wells, supply of water through tankers etc. are made.

Provision of water taps at Railway stations of Eastern Railways

3763. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway stations on the Eastern Railway where drinking water taps have not been provided; and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) There are 476 stations on Eastern Railway where water taps are not provided.

(b) Drinking water taps are provided only at stations where piped water is available. At other stations alternative arrangements like hand-pumps, open-wells, supply of water through tankers etc. are made.

Provision of water taps at Railway Stations of Western Railway

3764. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway stations on the Western Railway where taps for drinking water have not been provided; and

(b) the action proposed to be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) There are 593 stations on Western Railway where water taps are not provided.

(b) Drinking water taps are provided only at stations where piped water is available. At other stations alternative arrangements like hand-pumps, open wells, supply of water through tankers etc. are made.

Goods transported by Southern Railway

3765. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the quantity of goods transported by the Southern Railway during the last five months; and

(b) the revenue earned thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 7.64 million tonnes of revenue earning goods traffic was carried by Southern Railway during September 1972 to January 1973.

(b) Rs. 21.74 crores were earned thereby.

Dacoity in 341 UP Train between Olapur and Imli Stations on N.E. Railway

†3766. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether property worth over Rs. 50 thousands was looted in an armed dacoity in the 341-Up passenger train between Olapur and Imli Stations on Khagaria-Samastipur Branch line (N.E. Railway) as reported in the newspaper "Vishwa Mitra" dated the 12th February, 1973; and

(b) if so, the facts of the incident and whether the Railway Department will pay compensation for the property thus looted and if so, the criteria adopted for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) (i) On 12-2-1973 at 04.00 hours some unknown persons entered in 3rd class compartment No. ZFT 6553 of 341 Up train at Olapur Railway Station. When the train was in motion, they looted personal belongings of one Shri Arun Kumar Sinha of Monghyr and others at the point of pistol and dagger between Olapur and Imli Railway stations of N.E. Railway. The culprits got down at Imli railway station. Property consisting of watch, clothes, radio and cash worth Rs. 2,554/- was taken away. A photograph of 4 youngsters was found lying at the spot and has been taken over by the Police. One passenger named Dal Sagar Singh sustained, a dagger injury. The train had no escorts. The complainant Shri Arun Kumar Sinha has identified the photograph as that of the culprits G.R.P./Khagaria has registered a case vide crime No. 8 dated 12-2-1973 under section 395 IPC. So far none has been arrested.

(ii) No compensation is paid in such cases.

मध्य प्रदेश में वन सागर परियोजना के 'सिंचाई प्रपातों' में पन बिजली परियोजना की स्थापना

3767. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में वन सागर परियोजना के 'सिंचाई प्रपास' क्षेत्र में एक पनबिजली परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

(क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि जिसके अनुसार बनसागर परियोजना के अन्तर्गत "चचाय जल प्रपात" के नदी की और टोंस घाटी में एक विद्युत्-शक्तिकेन्द्र की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बनसागर स्कीन का विरोध किया है। तीनों राज्यों को स्वीकार्य प्रस्तावों को खोज करने संबंधों प्रयत्न जारी है तथा यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में इन राज्यों में एक समझौता हो जाएगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनें

3768. **श्री स० एम० सिद्दय्या :** : क्या **रेल** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :—

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में प्रत्येक रेलवे जोन में कौन-कौन सी रेल लाइनें बिछायी जानी हैं ;

(ख) नई रेल लाइनों के चयन की कसौटी क्या है ; और

(ग) क्या देश के औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में नई लाइनें बिछाने से प्रादेशिक असामनता कम हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) पांचवीं योजना में जो नयी लाइनें बनायी जायेंगी उनके बारे में निर्णय पांववीं योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय किया जायेगा जिस पर अभी काम हो रहा है ।

(ख) और (ग) वर्तमान नियमों के अधीन यदि नई•लाइनें सामरिक कारणों से अपेक्षित न हों, तो वे वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद होनी चाहिए जो परम्परागत प्रणाली द्वारा पूंजी निवेश पर 6.75 प्रतिशत और बट्टागत रोकड़ प्रवाह प्रणाली (discounted cash flow method) द्वारा 10 प्रतिशत का प्रतिफल दे सकें ? वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद होने की कसौटी पर प्राय: वहीं लाइनें खरी उतरती हैं जो भारी उद्योगों, खनिज तथा प्राकृतिक साधनों के दौहन, पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार आदि के काम आती हैं । लेकिन देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए अपेक्षित नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के वास्ते निम्नलिखिन आधार पर एक नयी नीति पर विचार किया जा रहा है :——

(i) लाइन के निर्माण की अवधि में और उसके पूरी हो जाने तथा यातायात के लिए खुल जाने के बाद कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक सामान्य राजस्व को लाभांश की दायिता से पूर्ण या आंशिक छूट ;

(ii) भूमि देकर और निर्माण-कार्य के लिए नि:शुल्क श्रम की व्यवस्था करके निर्माण की लागत कम करने में राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का सहयोग

(iii) नव निर्मित लाइन के लिए लागू किराये और माल भाड़े के ढांचे में उपयुक्त उर्ध्वगामी 'समायोजन, जिसे आम भाषा में प्रभार्य मील दूरी में स्फीति कहा जाता है ;

(iv) विछिन्न आधार पर किराया और माल भाड़ा लगाना ताकि मानक किराये और भाड़े की अधिक दूरी कम किराया वाली संरचना के विरुद्ध संतुलन बनाया जा सके ।

बंगलौर–चामराजनगर मीटरगेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदला जाना

3769. **श्री एम० एस० सिद्दय्या :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर चामराजनगर मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदला जायेगा ;

(ख) यदि हां' तो कब ; और

(ग) यदि नहीं' तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (ग) बेंगलूरु-चामराजनगर खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण हो रहा है । सर्वेक्षण का परिणाम मालूम होने पर और उसकी जांच पूरी होते ही अगली कार्रवाई की जायेगी ।

मैसूर राज्य में चिक्काहोल बांध की निर्माण लागत

3770. **श्री एम० एस० सिद्दय्या :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मैसूर राज्य के मैसूर जिले में चामराजनगर ताल्लूक में चिक्काहोल बांध की कुल निर्माण लागत कितनी है ;

(ख) क्या इसके निर्माण के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ;

(ग) क्या दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 को बांध के टूटने से हुई क्षति के वारे में राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

(क) चिक्काहोल स्कीम का निर्माण मैसूर सरकार द्वारा 97 लाख रुपये की लागत से किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ! सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था राज्यों द्वारा अपने बजटों में से अपनी समस्त विकास सम्बन्धी योजनाओं के ढांचे के अन्दर किया जाता है ।

(ग) और (घ) क्षति, जिसकी राज्य सरकार ने सूचना दी है निम्नलिखित है :—

मृत व्यक्तियों की संख्या	13
मृत पशुओं की संख्या	1282
प्रभावित फसली क्षेत्र	3720 हैक्टेयर
35 सिंचाई कार्यों, 44 संचार कार्यों तथा 3 विद्यालयों को हुई क्षति	37.29 लाख रुपये
कुल अनुमानित क्षति	256 लाख रुपये

Violation of Drug Price Control Order 1970 by Traders

3771. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the number of traders, who have violated the Drug Price Control Order, 1970 so far and the number of those convicted?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रेलवे कर्मचारियों के संघों को मान्यता तथा उनके पदाधिकारियों का स्थानान्तरण

3872. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारी संघ के लिए यह आवश्यक है कि वह रेलवे प्रशासन से मान्यता प्राप्त करने के लिये अपना पंजीकरण करवाए ;

(ख) यदि हां, तो प्रशासन द्वारा ए० आई० आर० एफ० तथा एन० एफ० आई० आर० को किस प्रकार मान्यता दी गई जब कि ये दोनों संघ पंजीकृत नहीं थे ; और

(ग) क्या किसी मान्यता प्राप्त संघ के पदाधिकारी का स्थानान्तरण करते समय सरकार को सम्बद्ध संघ से सहमति लेनी पड़ती है और सहमति न दिए जाने पर क्या महाप्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम होता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी हां ।

(ख) संघों की मान्यता के लिए इकाई क्षेत्रीय रेलवे है । आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे मैन क्षेत्रीय रेलों पर मान्यता प्राप्त यूनियनों के फेडरेशन है और उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर बातचीत की सुविधाएं दी गयी हैं ।

(ग) यूनियन की पूर्व सम्मति अपेक्षित नहीं है लेकिन मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी के स्थानान्तरण का प्रस्ताव सम्बन्धित यूनियन को बताना पड़ता है ताकि यूनियन या तो स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध प्राधिकारियों के पास अभ्यावेदन दे सके या यूनियन के सम्बन्धित अधिकारी का काम किसी और व्यक्ति को सौंप सके । स्थानान्तरण के बारे में निम्न स्तर पर मतभेद होने पर यूनियन उस मामले पर महाप्रबन्धक को लिख सकती है जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

तमिलनाडु राज्य के लिए लोक-सभा की सीटों की संख्या को पुनः 41 करने के लिए वहां के मुख्य मंत्री का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध

3773. श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु के मुख्य मंत्री ने केन्दीय सरकार से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु के लिए लोक सभा को आबंटित सीटों की संख्या पुनः 41 कर दी जाए, जैसा कि 1951 की जनगणना के अनुसार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्दीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :

(क) जी हां ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 81 और 82, जैसे वे इस समय हैं, किसी विशिष्ट वर्ष की जनगणना के आधार पर लोक सभा में स्थानों का निर्धारण अनुज्ञात नहीं करते हैं । इसके विपरीत, स्थानों का आबंटन प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर किया जाता है । तदनुसार 1971 की जनगणना के पश्चात संसद द्वारा दिसम्बर, 1972 में परिसीमन अधिनियम, 1972 पारित किया गया और तब से उस अधिनियम के अधीन परिसीमन आयोग बना दिया गया है । लोक सभा में स्थानों की संख्या जिसके लिए प्रत्येक राज्य हकदार है उस आयोग द्वारा निश्चित की जायगी । किन्तु, सरकार का यह प्रस्ताव अवश्य है कि लोक सभा में राज्यों से सीधे निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी जाए ।

ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाना

3774. **श्री समरगुह :**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम पश्चिम बंगाल और बंगलादेश के क्षेत्रों में बाढ़-नियंत्रण उपाय के रूप में तथा वहां नई सिंचाई और नौवहन सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने को वांछनीयता एवं व्यवहार्यता के बारे में कोई प्रारम्भिक अध्ययन कर लिया है ;

(ख) क्या इस मामले में बंगला देश सरकार से भी सलाह ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन और बंगलादेश सरकार के साथ इस सम्बन्ध में किये गये परामर्श का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

(क) से (ग) : ब्रह्मपुत्र को गंगा के साथ मिलाने का विचार राष्ट्रीय जल ग्रिड के व्यापक संकल्प का एक भाग है जिसके लिए अब तक कार्यालय अध्ययन किए गए हैं और जिसपर अभी आगे कार्यवाही की जानी है ।

U.N.'s Water Conference to be held in South America

†3775. **Shri Nawal Kishore Sharma:** Will the Minister of **Irrigation and Power** **सिंचाई और विद्युत मंत्री** be pleased to state:

(a) whether the U.N.'s Water Conference is to be held in South America;

(b) if so, the proposals for seeking help to remove the water scarcity in the country proposed to be presented by the Government of India in the said Conference; and

(c) the extent to which water problem would be solved particularly in Rajasthan as a result of the said Conference.

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Balgovind Varma): (a) The U.N. Committee on Natural Resources, which held its Third session in Delhi in February, 1973, has recommended to the Economic and Social Council that the next U.N. Water Conference be held in Buenos Aires (Argentina) in 1977.

(b) The major objective of the proposed Conference would be discussed comprehensively the problems raised by the growing water demands in relation to the constant stock of water. Its main purpose would be to provide indications for the formulation of water policies at National and International levels to cope with the possible future shortages.

(c) According to the proposed agenda, the Conference will also review and evaluate the known and predictable technologies for increasing the availability of water or decreasing the demand for it. Such a review is bound to help in solving the problems of arid and semi-arid regions of the World, including Rajasthan.

सतर्कता अधिकारियों के हस्तक्षेप की आशंका के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा पहल न किया जाना

3776. **श्री एस० एन० मिश्र :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विभिन्न अधिकारी और विशेषकर परियोजना अधिकारी इस आशंका के कारण अपेक्षित पहल और निर्णय नहीं कर रहे हैं कि आयोग के सतर्कता अधिकारी उनके कार्य में हस्तक्षेप करेंगे ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद भरने के लिए उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी सुप्रसिद्ध वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को नियुक्त करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) जी नहीं ।

श्रमिकों का दुरुपयोग और रेलवे सामग्री के बेचे जाने के बारे में शिकायत

3777. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 में एक संसद सदस्य से शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि श्रमिकों का दुरुपयोग किया जा रहा है और दिल्ली अस्पताल, उत्तर रेलवे के सफाई कर्मचारियों द्वारा रेलवे सामग्री बेची जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी हां ।

(ख) जांच पड़ताल की जा रही है ।

शकूरबस्ती, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के अनुपूरक बिल को रोकना

3778. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिसम्बर, 1972 में एक संसद सदस्य से ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि शकूरबस्ती, दिल्ली में (उत्तर रेलवे) सफाई कर्मचारियों का वर्ष 1955--65 के लिए गृह किराया भत्ते की अदायगी से सम्बन्धित अनुपूरक बिल सम्बन्ध प्राधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) :

(क) जी हां।

(ख) जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट में उचंत खाता (सस्पेंस अकाउंट) रखा जाना

3779. **श्री चन्द्र सैलानी :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को संसद सदस्यों की ओर से शिकायत मिली है कि भारतीय-उर्वरक निगम ट्राम्बे यूनिट में 20 लाख रुपये का उचंत खाता (सस्पेंस अकाउंट) रखा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के संक्षिप्त तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी हां ।

आंध्र प्रदेश तथा मैसूर के बहुत से डीलरों ने उनको सप्लाई किये गये उर्वरकों के लिए भुगतान नहीं किया था। क्योंकि रकमें एक लम्बे समय से बकाया थीं; निगम के निदेशक (उत्पादन एवं विपणन) ने सम्बन्धित अधिकारियों से इन बकाया रकमों की वसूली के लिए संभव तरीके ढूंढ़ने के लिए कहा। इस बारे में यह प्रतीत होता है कि अक्तूबर, 1972 के दूसरे सप्ताह में एक तरीका निकाला गया था जिसके अनुसार निगम भुगतान करने वाले डीलर को सिन्दरी के उर्वरक कारखाने से अमोनियम सल्फेट अथवा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट दे सकता था यदि वह क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा मैसूर की सप्लाई किये गये अमोनियम सल्फेट के लिए 4,000 रुपये प्रति वैगन और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के लिए 1,500 रुपये अथवा 1200 रुपये प्रति वैगन की दर से अपनी बकाया रकमें अथवा उनके अथवा कुछ भाग को साथ साथ देता रहे। तथापि ऐसे मामलों के बारे में जहां भुगतान न करने वाले डीलर में उर्वरक का व्यापार करना बन्द कर दिया हो अथवा बकाया रकमें दे पाने की स्थिति में न रहा हो, प्रतीत होता है कि एक वैकल्पिक पद्धति भी अपनाई गई है। इस विकल्प के अनुसार सप्लाई किसी ऐसे डीलर को भी की जा सकती है जो भुगतान न करने वाले डीलर की ऐसी बकाया रकमें अदा करने की पेशकश करता हो। ऐसे मामले में, इस प्रबंध के अन्तर्गत भुगतान न करने वाले डीलर का सप्लाई प्राप्त करने वाले डीलर को अपनी सहमति लिखित रूप में भेजनी पड़ेगी ।

जिस समय इस पद्धति की कानूनी और वित्तीय दृष्टि कोणों से जांच की जा रही थी, उसी समय बकाया रकमों की वसूली प्रारम्भ की गई प्रतीत होती है और इस प्रकार लगभग 13.00 लाख रुपये की रकम वसूल की गई थी। इस उक्त रकम को स्थगन खाते में रखा जा रहा है। दिसम्बर, 1972 में प्रबन्धकों को, ऐसे लेन देन की जानकारी हुई और जांच कार्य आरम्भ हो गया था जिसके आधार पर सम्बद्ध अधिकारियों को ऐसे लेन देन को तत्काल ही बन्द करने के निर्देश जारी किये गये थे। इसके

बाद, 24 फरवरी 1973 को प्रबन्धकों ने इस मामले की पूरी जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्योरो को भेजने का निश्चय किया और अब मामला ब्यूरो के परीक्षणाधीन है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के निलम्बित रहने तक, ट्राम्बे के निदेशक (उत्पादन और मार्केटिंग) और महा प्रबन्धक को शुरू में दो महीने की छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने ऐसा कर दिया है। इसी प्रकार ट्राम्बे के मार्केटिंग प्रबन्धक छुट्टी पर चले गये हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह भी बताने के लिए निवेदन किया गया है कि क्या जांच की सुविधा के लिए इस लेन देन से सम्बंधित कुछ अन्य अधिकारियों को भी छुट्टी पर जाने के लिए कहना चाहिये।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तट से दूर तथा भारत की जल-सीमाओं के अन्दर न्याय प्रदान करने की व्यवस्था

3780. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट से दूर किन्तु भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र के भीतर न्याय प्रदान करने की कोई व्यवस्था है ;

(ख) ऐसा न्याय प्रदान करने के लिए क्या मशीनरी है ;

(ग) क्या समुद्र पर मछुओं में परस्पर हुए बहुत से विवाद सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :

(क) 12 मीलों की राज्य क्षेत्रीय बेल्ट भारत राज्य-क्षेत्र का विस्तार मात्र है और भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत विधियां जल-प्रांगण को भी लागू होती हैं। भारत के न्यायालयों को जल प्रांगण में हुए अपराधों का विचारण करने और उनके लिए दण्ड देने की अधिकारिता प्राप्त है।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर भी (क) में दिए गए उत्तर में आ जाता है।

(ग) केरल, पाण्डिचेरी, गोवा मैसूर और महाराष्ट्र के तटों से लगे समुद्रों में गैर मशीनी नौकाओं, छोटी मशीनी नौकाओं के चालकों और मछली पकड़ने वाले बड़े जलयानों के चालकों के बीच कुछ झगडे होने के बारे में रिपोर्ट की गई हैं।

(घ) सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह मछली पकड़ने के क्षेत्रों को परिसीमित करने और सब प्रकार के जलयानों द्वारा मछली पकड़े जाने के कार्य को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ विधान बनाने के लिए सक्षम है। मामला विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में सोडा ऐश फैक्टरी की स्थापना

3781. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश के गुना जिले में सोडा ऐश फैक्टरी की स्थापना करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले में कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में गुना नामक स्थान पर सोडा-राख के विनिर्माण के लिए एक नये उपक्रम की स्थापना हेतु एक औद्योगिक लाइसेन्स की मंजूरी के लिए एक प्राइवेट पार्टी से एक प्रार्थना पत्र अक्तूबर, 1971 में प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रार्थना पत्र की सिफारिश की थी। योजना के तकनीकी मूल्यांकन के लिए नवम्बर, 1971 में तकनीकी विकास महा निदेशालय ने प्रार्थी को नई विषयों पर विस्तृत सूचना भेजने को कहा था। प्रार्थी ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी थी और अक्तूबर, 1972 में प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया गया था। पार्टी को यह परामर्श दिया गया था कि यदि वह चाहे तो नया प्रार्थना पत्र अतिरिक्त सूचना को एकत्र करने के बाद भेज सकती है। यदि, जब नया प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ तो उस समय लागू नीति के अनुसार उस पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

पोलीथीन के वितरण को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

3782. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या देश में पोलीथीन की भारी मांग है ;

(ख) क्या इसका वितरण स्वयं फर्मों द्वारा किया जाता है या किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा ;

(ग) यदि फर्मों द्वारा किया जाता है तो क्या सरकार का विचार पोलीथीन वितरण का सरकारीकरण करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पालीएथीलीन का वितरण निर्माताओं तथा उनके वितरकों द्वारा किया जाता है ।

(ग) और (घ) : जी नहीं । सरकार का इस माल के वितरण को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कमी को पूरा करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को प्रत्येक माल यानि थर्मोप्लास्टिकज् अर्थात् लो डैनसिटी पालीएथीलीन, हाइ डैनसिटी पालीएथीलीन और वी० बी० सी० का 5,000 मीटरी टन आयात करने का अधिकार दिया है। आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयात के बारे में ध्या संशोधन किए गए हैं। सप्लाई की स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है ताकि आवश्यक निवारण कदम उठाये जा सकें ।

पोलीथीन बनाने के लिए कच्चे माल का आयात

3783. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पौलीथीन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल का आयात किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से इसका आयात किया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) लो डेंसिटी पोलिथीलीन का निर्माण करने वाले दो यूनिटों तथा हाई डेंसिटी पोलिथीलीन का निर्माण करने वाले एक यूनिट में सामान्य रूप से देशीय कच्चे तेल का इस्तेमाल किया जाता है । हाल ही में देश में औद्योगिक एल्कोहल की कमी होने के कारण लो डेंसिटी पोलिथीलीन यूनिट जिसमें कच्चे माल के रूप में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, को आयात करने की इजाजत दे दी गई हैं । आयात सामान्य मुद्रा क्षेत्र से की जा रही है ।

तमिलनाडु में कदमपराई पछाड़ स्टोरेज हाईड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट

3784. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में कदमपराई पछाड़ स्टोरेज हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को राज्य को चौथी योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) योजना आयोग ने तमिल नाडु में कदमपराई पम्पित संचय जल विद्युत परियोजना को राज्य की चौथी योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृति दे दी है ।

(ख) पम्पित संचय स्कीम में 4 × 100 मैगावाट के पम्प टर्बाईन उत्पादन यूनिटों का सम्बद्ध स्टोरेज बांध, विद्युत टनल, टेल रेस टनल तथा अन्य संबंधित सुविधाओं सहित भूगत विद्युत शक्ति केन्द्र में प्रतिष्ठापन किया जाना सम्मिलित है ।

परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जाएगी – प्रथम चरण में सम्पूर्ण सिविल कार्य तथा 100 मैगावाट के दो यूनिटों का प्रतिष्ठापन सम्मिलित है तथा द्वितीय चरण में 100—100 मौगावाट के दो और यूनिटों का बढ़ाया जाना निहित है । परियोजना के 1978–79 में पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

परियोजना की संपूर्ण लागत जिसमें दो चरण सम्मिलित हैं, 3512.04 लाख रुपये होगी ।

राष्ट्रीय जल ग्रिड के विकास की जांच के लिए धन

3785. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीय जल ग्रिड के विकास से संबंधित जांच के लिए योजना आयोग ने धन की व्यवस्था कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल राशि कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिए अनुसंधानों को हाथ में लेने के प्रश्न पर योजना आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

टायरों में प्रयुक्त होने वाले नायलोन के धागे का निर्माण

3786. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) टायरों में प्रयुक्त होने वाले नायलोन के धागे की वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान उत्पादन पर्याप्त है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्तमान लाइसेंस कृत क्षमता प्रति वर्ष 6600 मीटरी टन है ; 1972–73 में 2400 मीटरी टन का उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ख) वर्तमान आवश्यकताओं का अनुमान प्रतिवर्ष 3500 मीटरी टन है जिसे लाइसेंस-कृत क्षमता के स्थापित किये जाने पर पूर्ण रूप से पूरा किया जायेगा ।

उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए बहरीन के साथ करार

3787. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने 11 फरवरी, 1973 को बहरीन में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये थ ;

(ख) क्या प्राकृतिक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए तथा बहरीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद संयंत्र के अतिरिक्त उत्पादन को खरीदने के लिए भारत बहरीन के साथ सहयोग करेगा ; और

(ग) क्या परियोजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के लिए किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन का दौरा किया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) फरवरी, 1973 में बहरीन में भारत के विदेश मंत्री के दौरे के अन्त में जारी किये गए संयुक्त वयान में यह सहमति व्यक्त की गई थी कि दोनों देश बहरीन में स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक गैस पर आधारित एक उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के लिये सहयोग देंगे, इस के अतिरिक्त यह भी सहमति हुई थी कि इस संयुक्त उद्यम से प्राप्त पूर्ण उत्पादन में से बहरीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात उत्पादन की बेशी मात्रा भारत द्वारा खरीदा जायगी ।

(ग) जी हां । संयुक्त बयान के अनुसरण में एक भारतीय शिष्ट मण्डल ने 3 और 4 मार्च 5, 1973 को बहरीन का दौरा किया था और इस सम्बन्ध में बहरीन के प्राधिकारियों के साथ बात चीत की थी ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश

3788. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसको अधिकतर धनराशि सरकारी वित्तीय संस्थाओं से आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख), सूचना संग्रहीत की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

पहले दस एकाधिकार-गृहों की आस्तियां

3789. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार पहले दस एकाधिकार औद्योगिक गृहों के लाभ की दरों और आस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है ?

विधि, न्याय एवम् कम्पनी कार्य राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण): एकाधिकार जांच आयोग द्वारा संस्थापित किये गये दस एकाधिकारी औद्योगिक गृहों के लाभ की दरें एवं आस्तियां, संलग्न विवरण-पत्र में दी गई हैं ।

क्र० सं०	गृह का नाम	1969–70 में 1967–68 में ऊपर आस्तियों में परिवर्तन की प्रतिशत	1969–70 से 1967–68 के ऊपर लाभ में कर के दिये जाने के पश्चात् परिवर्तन की प्रतिशत
1	2	3	4
1.	टाटा	12.5	12.2
2.	बिरला	10.5	38.7
3.	मार्टिन बर्न	0.5	311.1
4.	बांगुर	12.1	134.51
5.	ए० सी० सी०	15.0	39.9
6.	थापर	20.0	89.9
7.	साहू जैन	14.0	320.0
8.	बर्ड हेलगर्स	7.4	1967-68 में 57 लाख रुपये की हानि व्यय की, 1969-70 में एक करोड़ रुपयों का लाभ अर्जित किया ।
9.	जे० के० सिंधानियां	18.7	11.7
10.	सूरजमल नागरमल	(–) 0.1	प्रा० न०

प्रा० न०——अभी प्राप्य नहीं ।

(–) घटाव प्रदर्शित

उड़ीसा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में जाजपुर होकर जखापुरा से चंदावाली तक नई रेल लाइन

3790. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में दक्षिण-पूर्व रेलवे में जाजपुर और अराडी होती हुई जखापुरा में चंदावाली तक नई रेल लाइन बिछाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और इस लाइन पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खुर्द डिवीजन में 1973–74 में नए रेल स्टेशन खोलना

3791. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्द डिविजन में वर्ष 1973–74 के दौरान कितने नये रेल स्टेशन खोले जायेंगे; और

(ख) प्रस्तावित नये स्टेशनों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). : दक्षिण पूर्व रेलवे के खोरण मण्डल में निम्नलिखित स्टेशन खोलने का विचार है :–

1. मेरामडिलि और तालचेर स्टेशनों के बीच बुद्धपंक ।
2. तापंग और निराकारपुर स्टेशनों के बीच धौलीमुहान ।
3. वैरी और धानमण्डल स्टेशनों के बीच वैनितेनगढ़ ।
4. मंचेश्वर और भुवनेश्वर स्टेशनों के बीच वाफीबिहार ।
5. भुवनेश्वर और रेतांग स्टेशनों के बीच भीमकुण्ड ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जन-जातियों के न्यायाधीश

3792. **श्री भान सिंह भौरा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने न्यायाधीश हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित तीन न्यायाधीश हैं किन्तु अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई नहीं है ।

बुढ़लाडा रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के पूर्वं केबिन के निकट "लिफ्टिंग बंरियर" की व्यवस्था

3793. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-फिरोजपुर लाइन पर बुढ़लाडा स्टेशन के पूर्वी केबिन से 600 फुट के भीतर "लिफ्टिंग बैरियर" की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जी नहीं । यह समपार बुढ़लाडा — रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के परिचालनिक क्षेत्र से बाहर है ।

जिला भटिंडा और संगरूर में कोंकिग गैस की सप्लाई

3794. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गत दो वर्षों के दौरान भटिंडा और संगरूर के जिलों से कोकिंग गैस की सप्लाई के बारे में कोई मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या उक्त जिलों में कोकिंग गैस की सप्लाई के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सिलेण्डरों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित इस्पात और खाना पकाने की गैस दोनों की उपलब्धता सीमित है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय तेल निगम ने विभिन्न नगरों में सम्बद्ध महत्व एवं पूर्वानुमानित ग्राहकों की सम्भाव्यता के आधार पर 1973–74 तक विभिन्न नगरों में इण्डेन गैस के विक्रय का फैलाव करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं । भटिण्डा और संगरूर दोनों में वर्तमान ग्राहकों की सम्भाव्यता कई अन्य नगरों, जहां पर अभी इण्डेन गैस की बिक्री लागू होनी है, की तुलना में कम है । फिर भी भारतीय तेल निगम भटिण्डा में आगामी दो तीन वर्षों के दौरान इण्डेन गैस के प्रचलन पर विचार करती है । संगरूर के सम्बन्ध में कुछ बाद में विचार किया जायेगा ।

गुजरात में नलकूपों और पम्पिंग सेटों को बिजली देना

3795. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972–73 के लिए गुजरात में नलकूपों और पम्पिग सेटों को बिजली देने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वह लक्ष्य क्या था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) जैसा कि गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, वर्ष

1972–73 के दौरान गुजरात में 20,000 नलकूपों/पंपसेटों के उर्जित किए जाने का कार्यक्रम रखा गया था। इसके प्रति जनवरी, 1973 के अन्त तक 9,562 कपों का उर्जन किया गया है।

गुजरात में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिये स्वीकृति

3796. श्री डी० पी० जदेजा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुल सिंचित भूमि में गुजरात को सिंचित भूमि की प्रतिशतता क्या है;

(ख) गुजरात राज्य से सम्बन्धित उन मुख्य परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ग) नर्मदा जल विवाद के कारण गुजरात राज्य से सम्बन्धित कौन-कौन सी परियोजनाएं विचाराधीन हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) 1973–74 तक गुजरात में, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों की सिंचाई शक्यता के कुल फसली क्षेत्र के 18 प्रतिशत होने की आशा है। इसके अनुरूप अखिल भारतीय आंकड़े लगभग 27 प्रतिशत होने की आशा है।

(ख) और (ग) पिछले चार वर्षों में निम्नलिखित नयी बृहत् परियोजनाएं स्वीकृत की गयी :—

परियोजना का नाम	कुल लागत (लाख रुपयों में)	प्रति हजार हेक्टेयर में लाभ	स्वीकृति की तिथि
1. साबरमती (धरोई)	2500	36.85	जुलाई, 71
2. पानम	1067	21.87	जुलाई, 71
3. माही बजाजसागर (राजस्थान तथा गुजरात)	3136 (राजस्थान को तथा गुजरात को अतिरिक्त सप्लाई)	30.80	नवम्बर, 71
4. दामनगंगा	2440	46.58	दिसम्बर, 72

इन परियोजनाओं पर कार्य पांचवीं योजना में जारी रहेगा लगभग 595 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली सिपु परियोजना, जिससे 25304 हेक्टेयर की सिंचाई की जांएगी, निर्णय होने तक लम्बित है।

गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित बरोच सिंचाई परियोजना चरण-एक भारत सरकार द्वारा 1960 में स्वीकृत की गयी। इस परियोजना के आरम्भिक कार्य जब प्रगति पर थे तो राज्य-सरकार ने और अन्वेषण किए तथा उच्च नवगाम परियोजना प्रस्तावित की, जिस पर अन्य राज्यों द्वारा आपत्ति की गई।

नर्मदा जल विवाद के जल्दी ही भविष्य में हल हो जाने की संभावना है। जिसके पश्चात् उच्च नवगाम बांध परियोजना तथा राज्य सरकार द्वारा नर्मदा बेसिन में प्रस्तावित रामी मध्यम सिंचाई स्कीम को स्वीकृति देने के बारे में विचार किया जायेगा।

Delay in construction of Siaganj Railway Over-Bridge

†3797. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** रेल मंत्री be pleased to state:

(a) whether the work for the construction of Siaganj Railway over-bridge near Indore Railway station in Madhya Pradesh has been sanctioned; and

(b) if so, the reasons for delay in commencing the construction work?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

Construction of over-bridges at Railway crossings near Ratlam, Jaora, Mandasor and Neemuch Railway Stations

†3798. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** रेल मंत्री be pleased to state:

(a) whether people have been demanding the construction of over-bridges at Railway crossings near Ratlam, Jaora, Mandasor and Neemuch Railway stations in the Ratlam Division of the Western Railway since long;

(b) whether there is heavy rush of traffic there and the people have to wait for a long time for the opening of the level crossing gates there; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) There has been demand from the people for construction of over-bridges at Ratlam, Jaora and Mandasor.

(b) The traffic is heavy only at the two level crossings at Ratlam.

(c) Proposals for replacement of existing busy level crossings by road over/under bridges are required to be sponsored by the State Government/road authority together with an undertaking to bear their share of the cost. So far, the Madhya Pradesh State Government has sponsored only one proposal for replacement of a level crossing at Ratlam. They have been addressed by the Railway to furnish all necessary details before the proposal is finalised and included in Railway's Works Programme. Reply from the State Government is awaited.

The level crossings are provided with lifting barriers so as to reduce time for opening and closing of the level crossings.

Traffic staff working under officers concerned with Operating, Commercial and Safety Departments

†3799. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** रेल मंत्री be pleased to state:

(a) whether traffic staff who used to work previously under only one officer, namely, Divisional Traffic Superintendent, presently works under officers concerned with operating, commercial and safety;

689 (ai) LS.—4.

(b) whether this new arrangement has caused dislocation in the work an discontentment among employees; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) In Railways where the District system was prevalent, traffic staff used t work under one District officer. Where the Divisional system was in existence they used to work under two officers. Now all Railways have been divisionalise and another officer for dealing with Safety has been added.

(b) No.

(c) Does not arise.

समस्तीपुर से जयनगर (पूर्वोत्तर रेलवे) तक ब्राड गेज लाइन

3800. **श्री रामभगत पस्वान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर से जयनगर तक ब्राड गेज रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दरभंगा अथवा मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर-रक्सौल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए समस्तीपुर-दरभंगा खण्ड के सम्बन्ध में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इस आमान-परिवर्तन से सम्बन्धित रिपोर्टों की जांच की जा रही है और उनके अनुसार यह आमान-परिवर्तन अलाभप्रद है। रिपोर्टों पर सभी पहलुओं से विचार किये जाने के पश्चात् ही इस बदलाव के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

दरभंगा से जयनगर तक के खण्ड के आमान-परिवर्तन के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

'राज्य पेनल' का गठन करना

3801. **श्री रामभगत पस्वान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने हाल में 'राज्य पेनल' गठित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश पद क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सम्भवतः 'राज्य पेनल' से माननीय सदस्य का आशय संयुक्त राज्य स्तरीय समिति से है जिसमें (1) राज्य सरकारों (2) मान्यता-प्राप्त रेलवे ट्रेड यूनियनों और (3) रेल प्रशासन के प्रतिनिधि होते हैं और जो जनवरी, 1972 में प्रत्येक रेलवे पर चोरी और उठाईगीरी दूर करने के लिए बनाई गयी थी। इन समितियों के मुख्य कार्य ये हैं :—

(i) रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगीरी की समस्या का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने के लिए रेल कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना और उसे बनाये रखना।

(ii) चोरी और उठाईगीरी किस प्रकार की होती है, इस सम्बन्ध में निरन्तर अध्ययन करते रहना और इनके सम्बन्ध में सूचना देना तथा इनको प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए प्रशासन को आवश्यक उपाय सुझाना ।

मेरठ और दिल्ली के बीच बिजली की रेल गाड़ियां चलाना

3802. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ और दिल्ली के बीच विशेष रूप से दैनिक यात्रियों के लिए निकट भविष्य में बिजली की रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली की गाड़ियों की सेवा कब से प्रारम्भ की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली महानगर क्षेत्र के लिए अन्तः नगरीय और उपनगरीय यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए महानगर परिवहन योजना संगठन (रेलवे) द्वारा अभी व्यावहारिकता अध्ययन किया जा रहा है । इसकी रिपोर्ट मिल जाने और उनकी जांच हो जाने के बाद अपेक्षित काम की मात्रा के बारे में विनिश्चय किया जायेगा जिसमें बिजली गाड़ियां चलाना भी शामिल होगा ।

अमरीकी डालर के अवमूल्यन के कारण विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि करने की मांग और अशोधित तेल के आयात का सरकारीकरण

3803. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि की विदेशी तेल कम्पनियों की नई मांग का कारण अमरीकी डालर का अवमूल्यन है और क्या सरकार ने अमरीकी डालर के अवमूल्यन का भारत द्वारा आयात किये जाने वाले अशोधित तेल पर होने वाले प्रभाव का अनुमान लगा लिया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ख) विदेशी तेल शोधक कारखानों द्वारा मूल्यों में वृद्धि करने के बार बार और निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अशोधित तेल के आयात का सरकारीकरण करने का है जैसा कि शान्तिलाल शाह समिति ने सिफारिश की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अमरीकी डालर के हाल ही में अवमूल्यन के कारण विदेशी तेल कम्पनियों ने कच्चे तेल के मूल्य में कोई नई मांग नहीं की है । विश्व मुद्रा बाजारों में वर्तमान अस्थिर परिस्थितियों के स्थिरीकरण के पश्चात् ही अशोधित

तेल के आयात पर अमरीकी डालर के अवमूल्यन का पूर्ण प्रभाव यथार्थता की कुछ मात्रा सहित मूल्यांकित किया जा सकता है ।

(ख) विदेशी तेल कम्पनियों के साथ किये गये शोधनशाला करारों के अनुसार इन कम्पनियों को अपने निजी स्रोतों से अशोधित तेल के आयात का अधिकार प्राप्त है । जब तक वर्तमान शोधनशाला करारों का उचित रूप में संशोधन नहीं हो जाता है तब तक शान्तिलाल शाह समिति की सिफारिशों के अनुसार एक एकाकी एजेन्सी के लिए अशोधित तेल का आयात करना सम्भव नहीं होगा ।

ईराक द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई के बदले में ईराक में रेलवे लाइन के निर्माण में भारत का सहयोग

3804. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ईराक में 120 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन की सम्भाव्यता का अध्ययन करने और एक मीटर गैंज लाइन को स्टेण्डर्ड गेज में बदलने के लिए पेशकश की है ; और

(ख) क्या भारत उपरोक्त कार्य, ईराक द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई के लिए वस्तु विनिमय आधार पर करने को राजी हुआ है ; और यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त करार में भारतीय जानकारी और माल के निर्यात की आवश्यकता होगी, और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बगदाद से सेबा तक (404 कि० मी०) रेलवे लाइन के लिए पहले किये गये व्यावहारिकता अध्ययन के पूरक के रूप में सेबा को आकाशा को फास्फेट खदानों से मिलाने के लिए एक रेलवे लाइन (120 कि०मी० लम्बी) के सम्बन्ध में व्यवहारिकता अध्ययन करने तथा बगदाद-सेबा-अकाशा (524 कि०मी० मिली-जुली परियोजना के सम्बन्ध में आर्थिक अध्ययन करने के लिए ईराक सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ था । इराक सरकार को यह बता दिया गया था कि भारतीय रेलवे इस अध्ययन कार्य को उन्हीं शर्तों पर हाथ में लेने को तैयार है जिन पर कि बगदाद को सेबा से मिलाने वाली रेलवे लाइन के लिए पहले व्यावहारिकता अध्ययन किया गया था ।

एक यह अनुरोध भी प्राप्त हुआ है कि क्या भारतीय रेलवे इराक से कच्चे तेल की सप्लाई के बदले बगदाद से अरबिल तक की (लगभग 427 कि०मी०) वर्तमान मीटर लाइन को मानक आमान में बदलने और उसके साथ बगदाद में और उसके आस-पास के पुलों सहित सहायक लाइनों के निर्माण तथा बगदाद ईस्ट स्टेशन के सुधार आदि का कार्य भी कर सकती है । सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ग) इस कार्य के लिए भारतीय रेलों के पास आवश्यक विशेषज्ञ एवं जानकारी है । यदि यह काम भारतीय रेलों को सौंपा जाता है तो इस परियोजना के लिए अपेक्षित पटरियां, गर्डर, चल-स्टाक, सिगनल उपकरण उपस्कर आदि का निर्यात भी किया जा सकेगा ।

दामोदर घाटी निगम में जन सम्पर्क अधिकारी

3805. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दामोदर घाटी निगम में कोई जन सम्पर्क अधिकारी है ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम में कोई मुख्य सूचना अधिकारी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जन सम्पर्क का कार्य कौन कर रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम में कोई मुख्य सूचना अधिकारी नहीं है। जन सम्पर्क अधिकारी का पद इसके पदधारी की सेवा निवृत्ति हो जाने के परिणामस्वरूप इस समय में खाली है। जब तक नए जन-सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, निगम द्वारा मुख्यालय में कार्य को एक अन्य अधिकारी को सौंप दिया गया है।

तलचर उर्वरक कारखाने के अध्यक्ष के रूप में एक उड़ीसावासी की नियुक्ति

3806. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तलचर उर्वरक कारखाने के अध्यक्ष के रूप में किसी उड़ीसा वासी की नियक्ति करने का है ;

(ख) क्या कार्मिक विभाग का प्रमुख 'उड़िया' है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी स्थानीय व्यक्ति की नियुक्ति करने का है ; और

(ग) परियोजना कब तक पूरी की जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस प्रकार के उच्च पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाती हैं और इनका चयन उस राज्य, जिसमें परियोजना स्थापित की जाती है, के व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता।

(ख) इस समय तलचर परियोजना के कार्मिक विभाग का एक प्रमुख एक वह अधिकारी है जो उड़ीसा का रहने वाला है।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार कारखाने में 1975 के मध्य तक उत्पादन शरू हो जाने की आशा है।

उड़ीसा में भीमकुण्ड परियोजना के स्थापना-स्थल को निश्चित करने के लिये एक इंजीनियर की नियुक्ति किया जाना

3807. **श्री देवेन्दर सतपथी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से एक इंजीनियर नियुक्त करने के लिए कहा है, जो भीमकुण्ड परियोजना के स्थापना-स्थल का निर्धारण करने में राज्य सरकार को सहायता करेगा, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि भीमकुण्ड बांध के स्थान निर्धारण के संबंध में निर्णय करने के लिए केंद्र से इंजीनियरों का एक दल वैकल्पिक स्थलों का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाए। उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया गया था कि पहले दोनों स्थलों नामशः नोआपाड़ा तथा बलिजोरी की सापेक्ष अर्थ-व्यवस्था का प्राक्कलन और जलमग्न होने वाले क्षेत्र का ब्यौरा तैयार किया जाए। राज्य सरकार से यह सूचना प्राप्त हो गई है और उस पर राज्य के अधिकारियों केसाथ विचार विमर्श भी किया जा चुका है। दल वियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों के विक्रय से लाभ

3808. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार व्यापार निगम द्वारा आयातित 'बल्क' औषधियों का वितरण इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त औषधियों के नाम क्या है ; और

(ग) इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स को गत तीन वर्षों में उक्त औषधियों के विक्रय से कितना लाभ हुआ ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग): जी हां राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित निम्नलिखित ओषधियां इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स को वितरित की जाती हैं :—

(1) स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट

(2) टेट्रासाइकलीन, वेस/एच सी एल

(3) सल्फाडिमिडाइन

(4) एन्लेजिन

(5) विटामिन वी 1, एच सी एल/मोना-नाइट्रेट

(6) विटामिन बी-2

(7) सल्फागुनीडाइन

(8) फौलिक एसिड

(9) फनोबारबीटोन

(10) पाइपराजीन हक्साहाइड्रेट

इन ग्रौषधियों सहित उनके निजी उत्पादन का वितरण ग्राई डी पी एल के मार्किटिंग प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। यह योजना केवल 1970–71 से लागू हुई थी। देशीय सामग्रियों के लिये ग्रधिसूचित मूल्य ग्रौर एकत्रीकृत (पूल्ड) मूल्य के बीच विभिन्नता की प्रतिपूर्ति के लिए ग्रनुमति देने के बाद स्वयं को शामिल करते हुए देशीय उत्पादनकर्ताग्रों को, 1970–71 ग्रौर 1971–72 वर्षों के दौरान ग्रोंषधियों के व्यापार में मार्किटिंग डिवीजन की लाभप्रदत्ता निम्नप्रकार प्राप्त हुई थी :—

1970–71	हानि 18.87 लाख रुपये
1971–72	हानि 66.57 लाख रुपये

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज द्वारा ई० फोस्टर एण्ड कम्पनी से एक फर्म को खरीदना ग्रौर उसके इक्वटी पूंजी निवेश में हुई वृद्धि

3809. **श्री के० एस० चावडा :** क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ग्लेक्सो लेवोरेटरीज ने ई० फोस्टर एण्ड कंपनी से एक चालू फर्म कब खरीदी तथा कितने रुपये में ;

(ख) उनका प्रारंभिक ईक्विटी पूंजी निवेश कितना था तथा ईक्विटी निवेश कितना है ; ग्रौर

(ग) क्या ईक्विटी पूंजी निवेश में यह वृद्धि विदेशों से गये निवेश के द्वारा हुई है ग्रथवा देश में कमाए गये लाभ से ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 13 नवम्बर, 1924 को मैसर्स ग्लैक्सो लेवोरेटरीज एच० जे० फास्टर एण्ड कंपनी लि० के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई थी। 1 मार्च 1950 को कंपनी का नाम ग्लैक्सो लेवोरेटरीज (इण्डिया) लि० में बदला गया था।

(ख) प्रारंम्भिक साम्य पूंजी 1.5 लाख रुपये थी जब कि वर्समान साम्य पूंजी 720 लाख रुपये है।

(ग) इस देश में ग्रर्जित लाभों से विदेशी साम्य पूंजी में वृद्धि हुई है। क्या कोई नया निवेश भी विदेश से लाया गया था ; इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है।

दूषण के कारण बिजली बन्द होना

3810. **श्री वाई० ईश्वर रेडडी :** क्या **सिंचाई ग्रौर विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ नगरों में दूषण के कारण बिजली बन्द हो गई थी। ग्रौर

(ख) यदि हां, किन किन स्थानों पर इस कारण बिजली बन्द हुई ?

सिंचाई ग्रौर विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) ग्रौर (ख) जी, हां। दूषण से कई बार तटीय क्षेत्रों में ग्रौर बम्बई, तारापुर ग्रौर ट्राम्बे जैसे नगरों में बिजली बंद हो जाती है।

Conversion of Barabanki-Samastipur Metre Gauge Line into Broad Gauge

3811. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have given their approval for the conversion of Barabanki-Samastipur metre gauge line on N.E. Railway into broad gauge line; and

(b) if so, the date from which this work will start, the total expenditure to be incurred on conversion of the line and the reasons for delay in starting this work?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Yes.

(b) This conversion project was sanctioned on 25-4-1972 at an estimated cost of Rs. 46.34 crores. Work on this project has already commenced and it is progressing according to schedule. It is expected to be completed in 1977.

ब्यास और रावी के पानी के भाग पर पंजाब और हरियाणा में विवाद

3812. **श्री मख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने व्यास और रावी के पानी के विभाजन पर पंजाब और हरियाणा के विवाद को तय कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्यत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) व्यास परियोजना के परिणामस्वरुप, भूतपूर्व पंजाब को मिलने वाले अतिरिक्त जल की पंजाब और हरियाणा में आवंटन करने के संम्बध में अभी तक कोई निणय नहीं लिया गया है। दोनों राज्यों के लिए संतोष-जनक न्यायसंगत हल ढूडने के प्रत्यन किए जा रहे हैं।

गढ़वा और डाल्टनगंज स्टेशनों को वैगनों की सप्लाई

3813. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में गढ़वा और डाल्टनगंज रेलवे स्टेशनों को कितने बैगन सप्लाई किये गये ;

(ख) इन स्टेशनों पर कितने बैगनों की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्टेशनों को प्राथमिकता देकर वैगन सप्लाई करने का है और यदि नहीं, नो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) दिसम्बर, 1972, जनवरी, 1973 और फरवरी, 1973 के दौरान गढ़वा और डालटनगंज स्टेशनों को सप्लाई किये गये मालडिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :—

महीना	गढ़वा	डालटनगंज
दिसम्बर, 1972	71	243
जनवरी, 1973	30	292
फरवरी, 1973	18	247

(ख) इन स्टेशनों पर अपेक्षित मालडिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :—

महीना	गढ़वा	डालटनगंज
दिसम्बर, 1972	257	1226
जनवरी, 1973	231	984
फरवरी, 1973	205	532

(ग) जी नहीं ; गढ़वा और डालटनगंज स्टेशनों पर प्रेषण के लिए निम्न प्राथमिकता वाला यातायात आता है जिसमें अधिकांशतः इमारती लकड़ी, बांस, बीड़ी की पत्तियां और दूसरे बन्य उत्पादन होते हैं । फिर भी, लदान में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं ।

राष्ट्रव्यापी अभियान

3814. श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जनवरी, 1972 को उन्होंने रेलवे में चोरी आदि को रोकने के लिये एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था ;

(ख) यदि हां, तो तब से अब तक कितने मामले प्रकाश में आये, वे किस प्रकार के थे तथा उनमें कितने रुपये का माल अन्तर्गस्त था ; और

(ग) पिछले कलेण्डर वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कितने कम अथवा अधिक हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग): नीचे की तालिका में 1971 और 1972 के वर्षों के दौरान बुक किये गये परिषणों की चोरी/उठाईगीरी के दर्ज किये गये मामलों की संख्या और संबंधित माल का मूल्य दिखाया गया है :—

वर्ष	दर्ज किये गये मामलों की संख्या	संबंधित सम्पत्ति का मूल्य (रुपये)
1971	40,337	1,87,13,994
1972	44,914	1,70,78,934

यद्यपि बेहतर रजिस्ट्रेशन के अभियान के कारण दर्ज किये गये मामलों की संख्या बढ़ गयी थी, लेकिन 1971 की तुलना में 1972 में कम मूल्य का सामान चोरी हुआ ।

अनाज और दालें, चीनी, लोहा और इस्पात, कपड़ा और कोयला वे मुख्य वस्तुएं हैं जिनकी चोरी और उथाईगीरी हुई।

जम्म और कश्मीर द्वारा पांचवी योजना के लिए भेजी गई सिंचाई योजनायें

3815. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने राज्य में पांचवीं योजना में चालू करने के लिए कोई सिंचाई योजनाएं भेजी हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; तथा उनका अनुमानित व्यय क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने योजनाओं की स्वीकृति दे दी है ?

सिंचाई और विद्यत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जम्मु और काश्मीर सरकार से एक वृहद् और दो मध्यम परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। उनके ब्यौरें निम्नलिखित हैं :—

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाख हैक्टेयर में लाभ
1. रावी नहर	2800.00	0.533
2. मुनावर तवी लिफ्ट् सिंचाई स्कीम	115.67	0.02
3. बनिमूला	87.67	0.025

(छ) इन स्कीमों पर कार्यवाही की जा रही है।

गुलबर्गा में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें

3816. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) जिला गुलबर्गा के लिए कितनी मध्यम सिचाई परियोजनाए स्वीकृत की गई हैं और कितनी इस समय चल रही हैं ; और

(ख) दिसम्बर, 1972 से अब तक उन में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

सिंचाई और विद्यत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) गुलवर्ग जिले में हाथीकोनी मध्यम सिंचाई स्कीम निर्माणाधीन हैं।

(ख') केद्र के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

Implementation of Ramganga Multipurpose Project

†3817. **Shri Narendra Singh Bisht:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the present position in regard to implementation of Ramganga Multipurpose Project and the names of the areas to be irrigated by as also the names of areas which will be supplied power by it;

(b) the number of employees of all categories in this project giving their number, Category-wise and how many of them are local persons; and

(c) whether the number of local persons is less than what it should be according to the criteria fixed under Government orders; and if so, the reasons therefor and the steps Government propose to take in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Varma): (a) The Ramganga Barrage has been completed in all respects except for the installation of gates which is in progress. The river training works have also been nearly completed. The feeder channel is also complete along with Kho Barrage including installation of gates. The work on main dam, saddle dam, chute spillway, borrow areas for processing plant etc., are in progress. Water is likely to be stored in the reservoir by June 1974 and the entire irrigation works are likely to be completed by June 1975 First, second and third generating units are expected to be commissioned by December, 1974, May, 1975 and September, 1975 respectively. The water will be utilised in Lower Ganga Canal System for irrigation. The districts of Etah, Mainpuri, Farrukhabad, Etawah, Kanpur and Allahabad will be benefitted. The power station will feed the Western Grid of the State.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

New Railway Lines and conversion of Metre Gauge into Broad Gauge Lines in Uttar Pradesh

3818. Shri Narendra Singh Bisht: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of the new Railway lines laid, narrow gauge lines converted into metre gauge and metre gauge lines converted into broad gauge lines in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan;

(b) the names of the new Railway lines propose to be constructed in Uttar Pradesh during Fifth Five Year Plan; and

(c) whether any special programme is proposed to be undertaken to connect beautiful places in hilly areas with planes by Railways at the earliest and if so, the outlines thereof and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) One new rail link, *viz.* Singrauli-Obra (57 Kms.; BG), mostly falling in Uttar Pradesh, was completed and opened to traffic in the Fourth Plan period in the State.

(b) Railway development is not envisaged on any Statewise or regionwise concepts but on considerations of overall national interests. Moreover proposals for new lines to be taken up in the Fifth Plan have not yet been finalised. It will therefore be difficult to say which new lines will be constructed in the State in the Fifth Plan period.

(c) Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, it will be difficult to consider such proposals in the near future.

विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायपीठ बन्द करना

3819. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों के विभिन्न न्यायापीठों को बन्द करने के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) विधि आयोग ने विद्यमान न्यायपीठों को समाप्त करने की कोई विशेष सिफारश नहीं की है किन्तु अपनी चौथी और चौदहवीं रिपोर्टों में विधि आयोग ने उच्च न्यायालय को न्यायपीठों में विभाजित करने के विरुद्ध मत प्रकट किया है। राज्यों के पुनर्गठन और अन्य ऐतिहासिक कारणों से कुछ उच्च न्यायालयों की न्यायपीठ बनानी पड़ी थी। ऐसी न्यायपीठों को बन्द करना ठीक नहीं होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान से दूर के किसी स्थान पर न्यायपीठ स्थापित करने के किसी नए प्रस्ताव पर विचार करते समय विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को करमुक्त करना वेतन देना

3820. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के करमुक्त वेतन देने का है ;

(ख) क्या न्यायाधीशों के बिना आय कर काटे वेतन देने सम्बन्धी प्रस्ताव के कानूनी पहलुओं पर सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क), (ख) और (ग ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ?

टुंडला, शिकोहाबाद और फर्रुखाबाद और कानपुर से कन्नौजिया और फर्रुखाबाद के बीच गाड़ियों का समय पर चलना

3821. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टुंडला, शिकोहाबाद और फर्रुखाबाद और कानपुर से कन्नो और फर्रुखाबाद के बीच रेलवे सेवा की बिगडती हुई दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इन लाइनों पर कितने प्रतिशत गाडियां समय पर नहीं चलीं ; और

(ग) इन लाइनों पर तेज रफ्तार और समय से गाडियों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेल प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद-शिकोहाबाद/टूण्डला और कानपुर से कन्नौज तथा फर्रुखाबाद खण्ड परसवारी गाड़ियों का समय-पालन बहुत संतोषजनक नहीं रहा है, 1971 और 1972 में गाड़ियों के देरसे चलने का प्रतिशत क्रमशः 20 से लगभग 60 और 3 से लगभग 30 प्रतिशत रहा है। इन खण्डों पर इन गाड़ियों के समय-पालन पर निगरानी रखने वाले तंत्र के काम में कड़ाई बरती जा रही है। समय-पालन पर खतरे की जंजीर खींचने से सम्बन्धित मामलों का प्रभाव कम से कम करने के लिए कुछ गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरण को नाकाम कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

3822. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अवर न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में ऐसा स्थानान्तरण कब और किस न्यायालय में किया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान किसी भी अवर न्यायाधीश का उसी हैसियत में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण नहीं हुआ। तथापि तीन अवर न्यायाधीशों की अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के रूप में नियुक्तियां की गई ? एक मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 19-3-1969 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अन्य दो मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की क्रमशः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्ति से संबंधित है। प्रथम नियुक्ति 25-1-1971 से और द्वितीय नियुक्ति 18-3-1972 से की गई थी।

गैर-सरकारी बिजलीघरों का राष्ट्रीयकरण

3823. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के गैर-सरकारी बिजलीघरों के प्रबन्ध के राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) अपने उत्पादन केन्द्र रखने वाले उपक्रमों के सहित प्राइवेट विद्युत् आपूर्ति उपकरणों को सरकारी अधिकार में लेने पर विचार किया गया था और यह फैसला किया गया है कि फिलहाल इस प्रकार के उन उपक्रमों

को सरकारी अधिकार में लेना राज्यों पर छोड़ दिया जाए जैसाकि वे आवश्यक समझें। तदनुसार राज्यों को सलाह दे दी गई है और उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया है कि इस ध्येय की प्राप्ति के लिए अगर कोई कठिनाई अनुभव करते हैं तो केन्द्रीय अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन के लिए सुझाव दें।

ज़ोनवार नई रेलगाड़ियां चलाया जाना

3824. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों में, जोनवार, कितनी नई रेलगाड़ियां चलाई हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला और इनमें से कितनी गाड़ियां सूखाग्रस्त क्षेत्रों में थीं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1971–72 और 1972–73 (फरवरी, 73 तक) में जितनी नयी अनुपनगरीय गाड़ियां चलायी गयीं या जिनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया उनकी रेलवे-वार कुल सख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	गाड़ियों की संख्या जो नयी चलायी गयीं/ जिनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया
मध्य	16
पूर्व	6
उत्तर	26
पूर्वोत्तर	20
पूर्वोत्तर सीमा	16
दक्षिण	22
दक्षिण-मध्य	22
दक्षिण-पूर्व	8
पश्चिम	8

(ख) नयी गाड़ियां चलायी जाने के कारण नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के आंकडे मंडल-वार या रेलवे-वार अलग से नहीं रखे जाते, क्योंकि अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी कुल कार्यभार की पर्याप्त वृद्धि होने पर ही दी जाती है न कि विशेष रूप से एक-एक गाड़ी के आधार पर। नयी गाड़ियां चलाये जाने के परिणामस्वरूप सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती क्योंकि यह बात गाड़ियों के चालन क्षेत्र और शेडों तथा डिपुओं के मुख्यालयों के स्थान पर निर्भर करती है।

मध्य रेलवे में नष्ट होने वाली वस्तुओं पर भाड़ा लिया जाना

3825. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री माल पर कम वसूल की गई बकाया राशि के बारे में 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5041 के उत्तर के संबंधमें यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में अलग-अलग 1 अप्रैल, 1970 से 15 जुलाई, 1971 के बीच नष्ट होने वाली वस्तुओं के कितने पार्सल बुक किये गये;

(ख) क्या सरकार ने प्रश्न के (क) भाग से सम्बन्धित सभी वस्तुओं पर कम वसूल की गई धनराशि का पता लगाया है ; और यदि हां, तो मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि का पता लगाया गया; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है जिन्होंने गलत आदेश जारी किये थे, जैसा कि उक्त प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में बताया गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) प्रभार्य पार्सल दर मान 4 की बजाय दर मान 5 में नश्य वस्तुओं को बुक करने पर मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों पर जो अवप्रभार लगाये गये उसकी रकम इस प्रकार है :

मंडल का नाम	अवप्रभार की रकम रु०
(i) झांसी	969.70
(ii) भुसावल	933.30
(iii) जबलपुर	35.20

बकाये की ये रकमें वसूल की जा चुकी है ।

(ग) कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न करने का विचार है । गलती रेल प्रशासन द्वारा सुधार ली गई थी ।

गुजरात में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

3826. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए उपलब्ध पर्याप्त अवसरों का लाभ उठाने के लिए सरकार का विचार गुजरात राज्य तथा वहां की जनता की सहायता से सम्बन्धित दृष्टिकोण अपनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) और (ख) गुजरात में कोयाली नामक स्थान पर 4.3 मिलियन मीटरी टन की क्षमता की एक तेल शोधनशाला पहले ही काम कर रही है । यह शोधनशाला अंशलेश्वर एवं उत्तर गुजरात में तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को साफ कर रही है । इस क्षेत्र में पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इस शोधनशाला की क्षमता को 7.3 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार करने का प्रस्ताव है । इस विस्तार में देशीय कच्चे तेल के अतिरिक्त आयात किये गये अशोधित तेल को साफ करना निहित है । आयातित कच्चा तेल कच्छ की खाड़ी में एक अवतट अन्तिम स्टेशन पर प्राप्त किया जायेगा और एक पाइप लाइन के माध्यम से कोयाली तक भेजा जायेगा । यह प्रस्ताव है कि बड़ी लाइन से कोयाली तक एक ब्रांच लाइन

बनाई जाए, जो मथुरा शोधनशाला तक आयातित तेल को पहुंचायेगी। शोधनशाला की विस्तार परियोजना पर 28.08 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें 7.67 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा अंश होगा। यह परियोजना भारतीय तेल निगम द्वारा कार्यान्वित की जायेगी और निगम गुजरात सरकार को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्राप्त करेगा।

गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण

3827. **श्री अरविन्द एम० पटेल:**
श्री वेकारिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलेवार कुल कितने गांवों में बिजली लगाई गई ; और

(ख) चौथी योजना के अन्त तक कुल कितने गावों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) गुजरात में 18,584 ग्रामों में से 31-1-1973 तक 5151 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं। इन ग्रामों का जिलेवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :--

बुलसर	305
सूरत	349
डांग्स	22
वडौंच	278
बडौदा	495
पंचमहल	194
कैरा	548
अहमदाबाद	267
	64
साबरकन्था	328
मेहसाना	183
कच्छ	203
राजकोट	345
सुरेन्द्रनगर	154
भावनगर	246
अमरेली	198
जामनगर	197
जूनागढ़	401
कुल	5,151

(ख) चतुर्थ योजना अवधि के अन्त तक गुजरात में लगभग 5840 ग्रामों के विद्युतीकृत होने की आशा है।

Alternative Rail Route for going from Allahabad to South India

3828. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have examined the possibility of laying an alternative Rail route for going from Allahabad to the South; and

(b) if so, the progress made in the matter so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

Memorandum by Daily Passengers Union, Patna

3829. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a memorandum was submitted to him by the Daily Passengers Union when he was on tour in Patna; and

(b) if so, the contents thereof and Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) A memorandum containing proposals as given in Annexure 'A' attached has been received from the General Secretary, Daily Passengers Association, Patna and the same is being examined.

विवरण

(1) Opening of halt station at Rajindra Nagar,

(2) Booking and exit facilities towards the Southern side of Patna Junction,

(3) Extension of Buxar/Delhi Express to Patna Jn.,

(4) More local trains between Arrah & Mokameh,

(5) Representation in DRUCC, Dhanapur,

(6) Stoppage of 40 Dn. Janta Express at Khusrupur,

(7) Stoppage of 13 Up at Gulzar Bagh,

(8) Stoppage of Toofan Express at Futwah,

(9) Stoppage of Patna Express at Gulzar Bagh,

(10) Stoppage of Patliputra Express at Patna City and Barh,

(11) Stoppage of Danapur Fast Passenger at Rampur Dumra and Athmal Gola,

(12) Removal of distance restrictions in 11 Up/12 Dn. upto Mokameh Junction,

(13) Remodelling of Khusrupur Railway Station,

(14) Replacement of old rakes with new ones in local trains,

(15) Expenses on public amenities in Dhanbad Division for the year 1973/74 may be granted,

(16) Provision of retiring room at Bakhtiyarpur,

(17) Due share in matter of amenities to the stations of Bihar, and

(18) Connection of 389 Up|395 Up and 396 Dn.|390 Dn. at Patna Junction.

Memorandum submitted by All India Ministerial Staff Association at Patna

3830. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the All India Railways Ministerial Staff Association had submitted any memorandum to him during his visit to Patna;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes; the Danapur Branch had submitted a memorandum.

(b) The points raised in the memorandum are unification of scales of pay of clerks grade I and II and increase in the percentage of promotional quotas of ministerial staff.

(c) The Government will take necessary action when the report of the Third Pay Commission, which was appointed to enquire into the salary structure and service conditions of the Central Government employees, is received and considered.

श्रेणी I और II के क्लर्कों का काम

3831. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मन्त्री रेलवे के लेखा कार्यालयों में श्रेणी I और II के क्लर्कों के वेतनमानों को मिलाने के बारे में 12 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लेखा कार्यालयों में श्रेणी I और II के क्लर्कों समेत केन्द्रीय सरकार के समस्त कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का प्रश्न तृतीय वेतन आयोग के विचाराधीन है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी०–69/पी एस–5/टी पी /1 दिनांक 30 अक्तूबर, 1972 के द्वारा 1 नवम्बर, 1972 से सभी श्रेणी 'डी' के ट्रेन एक्जामिनरों को श्रेणी 'सी' में पदोन्नत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं जबकि सारा मामला वेतन आयोग के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 1–4–66 से गाड़ी परीक्षकों का संवर्ग पुनर्गठित किया गया था और सीधी भर्ती से आये हुए सभी व्यक्तियों को 205–280 रु० के वेतनमान में रख दिया गया था और ऐसे कर्मचारियों को छोड़ दिया गया था जो 180–240 रु० के ग्रेड में कारीगरों की श्रेणी से पदोन्नत होकर आये थे। नीचे के पदों से पदोन्नत हुए 180–240 रु० के ग्रेड वाले गाड़ी परीक्षकों द्वारा याचिका दायर करने पर, भेदभाव बरतने के आधार पर रेलवे बोर्ड के इन आदेशों को सर्वोच्च कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इस निर्णय के परिपालनार्थ उन सभी गाड़ी परीक्षकों

को जो 1–4–1966 को 180–240 रु० के ग्रेड में काम कर रहे थे 205–280 रु० के वेतनमान में कर दिया गया। बाद में चल कर इसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जो गाड़ी परीक्षक 1–4–1966 से पहले पदोन्नत हुए थे वे 205–280 रु० के वेतनमान में रहे और जो इसके बाद नीचे के पद से पदोन्नत हुए उन्हें 180–240 रु० का वेतनमान मिला। मुख्य रूप से इसी असमानता को दूर करने के लिए सभी गाड़ी परीक्षकों को 205–280 रु० के वेतनमान में कर दिया गया। इस प्रकार गाड़ी परीक्षकों का मामला अन्य कोटियों से भिन्न है।

पूर्वोत्तर रेलवे में चिकित्सीय प्रयोगशाला का तकनीशियन कोर्स के डिप्लोमाधारी कर्मचारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन कोर्स के सर्टिफिकेट धारियों को समान वेतनमान देना

3832. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सीय प्रयोगशाला, तकनीशियन कोर्स में डिप्लोमा प्राप्त है और उन्हें किस तिथि से कौन-सा वेतनमान दिया गया है ;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन कोर्स में सर्टिफिकेट प्राप्त हैं, उनके विषय क्या थे और उन्हें किस तिथि से कौन-सा वेतनमान दिया गया और क्या ये कर्मचारी खाद्य पदार्थ और जल परीक्षण करने की योग्यता रखते हैं ; और

(ग) क्या दोनों कर्मचारियों के वेतनमान एक जैसे हैं; और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को उच्च वेतनमान न दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि उन्हें अतिरिक्त योग्यता के आधार पर भर्ती किया गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोचीन तेलशोधक कारखाने का विस्तार

3833. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेलशोधक कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के द्वितीय चरण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) विस्तार कार्यक्रम के दौरान सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए क्या उपाय किए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोचीन शोधनशाला की शोधन क्षमता को प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन से प्रतिवर्ष 3.3 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ाने के विस्तार कार्यक्रम में प्रगति हो रही है

और इसके जून, 1973 तक मुकम्मल हो जाने की आशा है। एक करोड़ रुपये से थोड़े से कम के विदेशी मुद्रा अंश सहित विस्तार परियोजना पर 5.7 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। विस्तार का प्रक्रिया डिजाइन फिल्लिपस पैट्रोलियम कं० द्वारा प्राप्त किया गया था और निर्माणकार्य का ठेका टेण्डरों के आधार पर मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। विस्तार योजना के साथ-साथ शोधनशाला में तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन के लिए भी सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। एल पी जी के निर्माण तथा बोतलें भरने की सुविधाओं पर 42 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ख) विस्तार कार्य मुख्य ठेकेदार के रूप में इंजीनियर्स लि० द्वारा किया जा रहा है और छोटे ठेकेदारों की संख्या बहुत बड़ी है। विस्तार कार्यक्रम के लिए मजदूर इन ठेकेदारों के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं जो उनके कल्याण के जिम्मेवार हैं। अतः विस्तार के कार्यक्रम में लगाए गए कर्मकारों के कल्याण के लिए कोचीन शोधनशाला के प्रबन्धकों अथवा सरकार द्वारा कोई विशेष उपाय नहीं अपनाये गए हैं। कोचीन शोधनशाला के कर्मचारियों की उपलब्ध परिवहन, कैंटीन आदि की सामान्य कल्याणकारी सुविधाएं और कर्मचारियों, जो भविष्य में विस्तृत शोधनशाला को चलाने के लिए भर्ती किए जायेंगे, को भी उपलब्ध होगी।

केरल में बिजली की कमी

3834. **श्री बयालार रवि :**
श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1973–74 की वार्षिक योजना में बिजली के विकास के लिए कितना धन रखा गया है और इसमें केन्द्र ने कितनी सहायता दी है ;

(ख) इस अवधि में राज्य में कुल कितनी बिजली के उत्पादन की आशा है तथा वास्तविक मांग की तुलना में वह कितनी अधिक अथवा कम है; और

(ग) इस संबंध में केरल के मन्त्री से उनकी क्या चर्चा हुई थी तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) 1973–74 की वार्षिक योजना के लिए केरल में विद्युत् विकास हेतु 21 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था है। इस वर्ष के दौरान राज्य को 40.25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है, जिसमें विद्युत परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता का हिस्सा शामिल है।

(ख) 1973–74 के दौरान केरल में प्रतिष्ठापित क्षमता 622 मैगावाट हो जाएगी। ऊर्जा का उत्पादन लगभग 2460 मिलियन यूनिट होने की सम्भावना है। मांग 430 मैगावाट होने का अनुमान है, जो 2415 मिलियन यूनिट की वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप है।

(ग) इड्डीकी समीक्षा बोर्ड की 5 जनवरी, 1973 को हुई बैठक में यह उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार से मांगी गई 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उस समय उपलब्ध कर दी जाएगी, जब वास्तविक व्यय 10.5 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है।

बांदा में जाली रसीद प्रस्तुत करके रेलवे को धोखा देकर माल छुड़ा लिया जाना

3835. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अक्टूबर, 1972 को बांदा से जाली रसीद प्रस्तुत करके रेलवे को धोखा देकर आवाजाही में 22,000 रुपये का माल छुड़ा लिया गया था;

(ख) क्या धोखे का पता दिसम्बर, 1972 में चला था; और

(ग) क्या दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी तक किसी के गिरफ्तार किये जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है । बांदा की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 के अन्तर्गत अपराध संख्या 110/72, दिनांक 18–12–72 का मामला दर्ज किया है और जांच-पड़ताल की जा रही है ।

संसद् द्वारा पारित विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

3836. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संसद द्वारा पारित विधियों का संविधान में मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में अनुवाद करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय संसद द्वारा पारित विधियों का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया जाता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीनीतिराज सिंह चौधरी) : (क) संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) के अधीन तारीख 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति द्वारा किए गए अपने आदेश में जारी निर्देशों के अनुसरण में गठित राजभाषा (विधायी) आयोग को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य केन्द्रीय अधिनियमों, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों के, राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषाओं में, अनुवाद के लिए व्यवस्था करना है । केन्द्रीय अधिनियमितियों का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आयोग द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के अभिकरणों की मार्फत करवाया जाता है । आयोग केन्द्रीय अधिनियमितियों का भी हिन्दी में अनुवाद करता है । हिन्दी में अनुवाद राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) (क) के अनुसरण में राष्ट्रपति के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं ।

(ख) इस समय हिन्दी के अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियमितियों के अनुवाद आसामी, बंगला गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगू और उर्दू में भी तैयार किये जाते हैं यह भी प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्रीय अधिनियमितियों का कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया जाए ।

बिजली उत्पादन करने हेतु भू-तापीय क्षेत्रों के निर्धारण के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की भारत यात्रा

3837. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन हेतु भू-तापीय क्षेत्रों के निर्धारण के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने भारत की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द बर्मा) : (क) भू-ताप विद्युत् परियोजनाओं के लिए उपस्कर विशिष्टियां तैयार करने तथा क्षेत्रीय अनुसन्धान-कार्यों की योजना बनाने में सहायता करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ वर्तमान में भारत में हैं।

(ख) अन्वेषण किए जाने वाले प्रत्याशित क्षेत्र मख्यतः हिमालय के उत्तर-पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट तथा बिहार के भाग हैं ।

शोधन क्षमता में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा बचाने के लिये शोधक कारखाने को चालू करने की तिथि को आगे बढ़ाना

3838. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम ऑर रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम संशोधन सम्बन्धी टास्कफोर्स ने पांचवीं योजना के अन्त तक शोधन-क्षमता को 430 लाख टन तक बढ़ाने की योजना आयोग से सिफारिश की है; और

(ख) क्या उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए तेल शोधक कारखाने को चालू करने की तारीख को आगे बढ़ाने की भी सिफारिश की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तेल शोधन के लिए गठित कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना के दौरान शोधनशालाओं के परिचालन के लिए एक समय प्रभाजिक कार्य-क्रम का सुझाव दिया है । इस मन्त्रालय में किये गये अध्ययन से पता लगा है कि विदेशी मुद्रा में बचत की राशि पर्याप्त होगी यदि कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तावित कुछ शोधन शालाओं के परिचालन कार्यक्रम में प्रगति होती है ?

जम्मू तथा कश्मीर में विद्युत् उत्पन्न करने वाले संसाधनों का उपयोग

3839. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार मिले हैं कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य में विद्युत उत्पादन करने वाले साधन अप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से समुपयोजन के योग्य, जम्मू और कश्मीर में 60 प्रतिशत लोड अनपात पर 3.6 मिलियन किलोवाट को जल-विद्युत शक्यता में से कुल 0.3 मिलियन किलोवाट शक्यता का इस समय चल रही तथा निर्माणाधीन स्कीमों द्वारा विकास किया जायगा। जबकि राज्य में जल-संसाधनों के विकास को उद्देश्य अब तक मुख्य रूप से राज्य की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना था, परन्तु अब समूचे उत्तरी क्षेत्र के लाभ के लिए इसमें तीव्रता लाई जा रही है।

मध्य रेलवे के कनिष्ठ सर्वेक्षकों की वरीयता सूची

3840. **श्री अटलबिहारी बाजपेयी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में कार्य कर रहे कनिष्ठ सर्वेक्षकों की कोई वरीयता सूची नहीं हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सूची कब बनाई गई थी तथा इसे कर्मचारियों में कब परिचालित किया गया था;

(ग) क्या कुछ सर्वेक्षकों की वरीयता उनकी नियुक्ति से सात वर्ष बाद निर्धारित की गई है जिससे उन्हें भारी आर्थिक हानि हुई है; और

(घ) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मैद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). वरिष्ठता सूची 12–4–1958 को तैयार करके परिपत्रित कर दी गयी थी। चूंकि 1956 के बाद सहायक सर्वेक्षकों के संवर्ग में कोई भर्ती नहीं की गयी, इसलिए उसके बाद कोई नयी वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(ग) और (घ) यद्यपि सर्वेक्षकों का इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है, तथापि 22 प्रशिक्षु सहायक नक्शानवीसों को जिनके लिए पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं, इस शर्त पर सर्वेक्षक के रूप में समाहित किया गया था कि रिक्ति निकलते ही उन्हें सहायक नक्शानवीस के संवर्ग में ले आया जायेगा और उनकी वरिष्ठता नक्शानवीस संवर्ग में ही बनाये रखी गयी थी। बाद में जब सर्वेक्षकों के संवर्ग को निर्माण-कार्य संवर्ग में मिला दिया गया तो इन कर्मचारियों को इनके अनुरोध पर, समुचित प्रशिक्षण देने के बाद सहायक निर्माण निरीक्षकों के रूप में समाहित कर लिया गया।

दक्षिण में सड़क परिवहन को सहायता

3841. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण में सड़क-परिवहन को सहायता अथवा धन देने की रेलवे की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सरकार (रेलें) राज्य सड़क परिवहन निगमों में वित्तीय दृष्टि से जो भाग लेती है वह इस विचार से नहीं कि निगम किसी क्षेत्र विशेष में अवस्थित है, बल्कि परिवहन के दोनों साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत ही वह ऐसा करती है। जिन निगमों में उनके (रेलों) द्वारा पूंजी की व्यवस्था की गयी है वे नीचे दिये गये हैं:—

(1) आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
(2) असम एवं मेघालय राज्य सड़क परिवहन निगम
(3) बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम
(4) गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम
(5) केरल राज्य सड़क परिवहन निगम
(6) मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
(7) महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम
(8) मंडी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम
(9) मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम
(10) उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम
(11) पेप्सू सड़क परिवहन निगम
(12) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम।

केन्द्रीय सरकार (रेलें) का उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लि०, जो एक त्रि-पक्षीय संयुक्त स्टाक कम्पनी है, में भी हिस्सा है।

रायपुर जिले में महानदी पर बांध का निर्माण

3842. **श्री शशि भूषण** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री रायपुर जिले में महानदी पर बांध के निर्माण के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6727 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना पर निर्माण कार्य इस बीच शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और

(घ) क्या चरण एक तथा दो के अनुमानों का पुनरीक्षण किया गया है और यदि हां, तो किस हद तक और इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : महानदी जलाशय स्कीम चरण-एक को योजना आयोग ने नवम्बर, 1971 में स्वीकृति दे दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राथमिक निर्माण-कार्य पहले ही पारित कर दिए हैं।

(ग) परियोजना के 1976 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने चरण एक के सम्बन्ध में कोई संशोधित अनुमान नहीं भेजे हैं। परियोजना के चरण-दो के लिए विस्तृत अनुमान अभी मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त होने हैं ?

वैगनों का गलत गन्तव्य स्थानों को भेजा जाना

3843. **श्री देवेन्दर सिंह गारचा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'इण्डियन एक्सप्रेस' दिनांक 24 फरवरी, 1973 में "100 वैगन्स लास्ट डेली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन वैगनों का समुचित उपयोग किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) माल डिब्बे असम्बद्ध न हों तथा गलत स्थानों पर न पहुंच जायें, इसकी रोकथाम के लिए रेल प्रशासन हर सम्भव उपाय कर रहा है। कुछ उपाय इस प्रकार हैं :--

(1) इस आशय की हिदायतें फिर से जारी कर दी गयी हैं कि माल डिब्बों के लेबल नीली पेंसिल से साफ अक्षरों में लिखे जायें और भेजने वाले तथा पाने वाले स्टेशनों के नाम बड़े अक्षरों में लिखे जाने चाहिए।

(2) रेलों को हिदायत दी गयी है कि यदि उसी स्टेशन के लिए बुक किये गये माल डिब्बों की संख्या 20 से अधिक हो तो भेजने वाले और पाने वाले स्टेशनों के नाम लेबल पर छाप दिये जाने चाहिए।

(3) रेलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बन्द माल डिब्बों के दरवाजों के भीतरी पेनल पर लेबल चिपका दिये जायें और खुले माल डिब्बों के दोनों तरफ दरवाजों के हैंडिल पर लेबल बांध दिये जायें।

(4) रेलों को इस आशय की हिदायतें दी गयी हैं कि निशान और लेबल लगाने के बारे में दी गयी हिदायतों पर अमल किया जाता है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(5) एक संगणक योजना शुरू की गयी है जिसमें बहुत दिनों पहले भेजे गये माल डिब्बों और असम्बद्ध माल डिब्बों का तालमेल मिलाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश ऐसे माल डिब्बों जो लेबल के अभाव में या न पढ़े जा सकने वाले लेबलों के कारण असम्बद्ध हो जाते हैं या गलत स्थानों पर पहुंच जाते हैं, वे बाद में सम्बद्ध हो जाते हैं और परेषिती को सुपुर्द कर दिये जाते हैं।

केरल में तेल की खोज

3845. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के बारे में केरल में कुछ नई सम्भावनाएं उत्पन्न हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कहां ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ?

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा केरल में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं को मंजूरी

3846. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास केरल की अनेक बढ़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी हेतु पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के कारण क्या क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा निम्नलिखित स्कीमों पर की गई टिप्पणियों के उत्तर राज्य से प्रतीक्षित हैं :--

वृहत् परियोजनाएं :--

1. वाणासुर सागर
2. तिरुनेल्ली

मध्यम परियोजनायें : --

1. अत्ताप्पादी
2. नूलपुझा
3. मनजात
4. थेनदार

निम्नलिखित परियोजनाओं पर दी गई टिप्पणियों पर राज्य सरकारों द्वारा दिये गये उत्तर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में संवीक्षाधीन हैं :--

वृहत् परियोजना :

इदामलयार

मध्यम परियोजनाएं--

कारापुझा
केरल भवानी (टेल रेस समुपयोजन)

केरल में कल्लाडा सिंचाई परियोजना का निर्माण

3847. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कल्लाड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कल्लाड़ा सिंचाई परियोजना में पारापार में एक चिनाई बांध और ओटाक्कल में बायों तथा दायों तट नहरों सहित एक पिक-अप वोयर का निर्माण परिकल्पित है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 45 करोड़ रुपये है। अब तक लगभग 3.4 करोड़ रुपये व्यय हुआ है। पारापार में बांध की नींव खुदाई का कार्य नदी की लगभग 60.96 मीटर चौड़ाई को छोड़ कर, जिसके मध्यम से अब बहाव का व्यपवर्तन किया जाता है, पूरा हो गया है। आर० एल० 65.532 (नदी तक का स्तर आर० एल० 60.96 मीटर) तक बांध के एक बांध भाग का निर्माण शुरू किया गया है जिसमें से लगभग 15 प्रतिशत पूरा हो गया है और शेष को 1973–74 के अन्त तक पूरा करने का कार्यक्रम है। शीर्ष नियामकों को छोड़ कर आटाक्कल में पिक-अप वोयर का कार्य पूर्ण हो गया है। दायों तट नहर के पहले दो किलोमीटर की लम्बाई का, जिसमें शीर्ष नियामक भी शामिल हैं, वर्तमान, क्यूलोन शैनकोट्टाह सड़क के साथ-साथ, रेखांकन हो गया है। व्यपवर्तन सड़क पर कार्य चल रहा है और इसके 1973 में पूर्ण होने की सम्भावना है। दक्षिण तट नहर के पहले 16 किलोमीटर की लम्बाई के लिए विस्तृत अधिकार और प्राक्कलन तैयार हो गए हैं और इस पर कार्य शीघ्र शुरू किये जाने की सम्भावना है।

दिल्ली से कोचीन और मंगलौर जाने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस के दिल्ली से मंगलौर पहुंचने के समय में कमी

3848. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से कोचीन और मंगलौर जाने वाली हाल ही में चलाई गई "जयन्ती जनता एक्सप्रेस' गाड़ी दिल्ली से अपनी प्रथम यात्रा में अधिकांश स्टेशनों पर समय से पहले पहुंची थी ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके पहुंचने के समय में और कमी करने की सम्भावना पर विचार करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) पहली बार 132 अप नई दिल्ली–एरणाकुलम/मंगलूर जयन्ती जनता एक्सप्रेस कुछ स्टेशनों पर समय से पहले पहुंच गई थी। इसके चालन की समीक्षा करते से पता चला है कि झांसी-इटारसी खण्ड पर इंजीनियरी समय छूट का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया था और कुछ स्टेशनों पर सवारी डिब्बों की जांच आदि के लिए अधिक समय की भी आवश्यकता है अतः, इस गाड़ी को और तेज चलाना इस समय व्यावहारिक नहीं है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाया जाना

3849. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में केरल सरकार द्वारा राज्य ; कौन कौन सी नई रेलवे लाइनें बिछाने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विचार करने के लिए केरल राज्य सरकार से नयी लाइनों के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन राज्य सरकार ने पहले (1967 में) लिखा था कि मैसूर-तेल्लिचेरी लाइन को पांचवीं योजना में शामिल किया जाये। इस लाइन के सर्वेक्षण से पता चला कि यह लाइन अत्यधिक अलाभप्रद होगी और इससे रेलवे को भारी आवर्ती हानि होने की सम्भावना है।

Strength of RPF in Madhya Pradesh

3850. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees of the Railway Protection Force in Madhya Pradesh; and

(b) the total amount of expenditure incurred on them during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 2,796.

(b) Rs. 1,88,89,757.00 (Approx.)

Increase in Working Hours of Staff of Bhopal Railway Station (Central Railway)

†3851. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Central Railway has increased the working hours of its employees at Bhopal Station from 8 hours to 12 hours; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

Construction of Sukta Dam in Madhya Pradesh

3852. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have approved the proposal in regard to construction of Sukta Dam in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the progress made so far and the time by which it would be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) The Sukta Project, as earlier proposed by the Government of Madhya Pradesh, had been estimated to cost Rs. 632 lakhs. In 1969, the State Government intimated that the project proposals were being modified. The modified report has not so far been received from the State Government.

(b) Does not arise.

Visit of Minister of I & P to Irrigation Projects of M.P.

3853. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether he inspected some irrigation projects of Madhya Pradesh during 1972 and if so, the names thereof;

(b) whether he had also discussions with the representatives of the Government of Madhya Pradesh in regard to implementation of certain irrigational schemes of Madhya Pradesh during 1972 and if so the nature thereof;

(c) whether Government of Madhya Pradesh have requested him for granting them assistance for completing some of the irrigational projects; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) and (b). The Minister of Irrigation and Power did not have the opportunity of inspecting irrigation projects in Madhya Pradesh in the year 1972.

(c) and (d) No request has been received during 1972 from the Government of Madhya Pradesh for special central assistance for any irrigation project. However, the question of accelerating the construction of some selected irrigation schemes in the country, including the Tawa Project in Madhya Pradesh, which are capable of yielding significant additional benefits in the near future, is being looked into by the Planning Commission.

मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियमें का उल्लंघन

3854. **श्री के० लकप्पा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के बारे में गत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) पिछले तीन वर्षों के मध्य, कम्पनी की फैक्ट्री के पास रहने वाले ग्रामीणों से, कम्पनी के विरुद्ध कुछ शिकायतों का उल्लेख करते हुए, केवल एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। शिकायतों की जांच की गई थी और यह पाया गया कि कम्पनी की तरफ से, कम्पनी अधिनियम, 1956 के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

3855. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री डी० पी० चन्द्रगौडा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी तट पर एक नई शोधनशाला, जो पांचवीं योजना की परियोजनाओं में से एक होगी, स्थापित किये जाने के एक प्रस्ताव पर सरकार इस समय विचार कर रही है ?

संकटग्रस्त उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की जांच

3856. **श्री एस० एम० संजीवी राव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन आफ कास्ट एकाउंटैंटस आफ इण्डिया ने केन्द्रीय सरकार से उन कम्पनियों की वित्तीय स्थिति की जांच करने का अनुरोध किया है जो अचानक ही संकटग्रस्त हो गई हैं और सरकार से सहायता की मांग कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) एसोसियेशन आफ कास्ट एकाउंटैंट्स आफ इण्डिया से कम्पनी कार्य विभाग को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर का पूरा होना

3857. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री नेपाली क्षेत्र में कोसी नहर के पूरा होने के बारे में 20 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के सर्वेक्षण तथा जांच कार्य पूरा करने, भूमि अर्जित करने तथा खुदाई का कार्य शुरू करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा पांचवीं योजना में जो 2,500 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है उससे पांचवीं योजना के अन्त तक इस परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित होगा ;

(ग) क्या केन्दीय सरकार द्वारा इस परियोजना को अपने हाथ में लेने और इसको यथासंभव शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव है जिससे यह पांचवीं योजना अवधि से आगे न जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) बिहार सरकार ने यह सूचित किया है कि समय-समय पर तैयार की जाने वाली शक्यता के समुपयोजन में समय के विलम्ब को रोकने के लिए उन्होंने बिहार में पश्चिमी कोसी नहर के कुछ अंश के निर्माण को दो पूर्ण–निर्धारित चरणों में हाथ में लेने का निर्णय किया है । प्रथम चरण के अन्तर्गत भारत नेपाल सीमा से कमला-बलान तक का भाग तथा द्वितीय चरण में कमला-बलान से अन्तिम सिरे (टेल एंड) तक का भाग है ।

मुख्य नहर के लिए भारत नेपाल सीमा से कमला-बलान क्रासिंग तक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य पूर्ण हो चुका है और वितरण-प्रणाली के लिए यह सर्वेक्षण तथा अन्वेषण प्रगति पर हैं। इस 'रीच' की अन्वेषण रिपोर्ट जून, 1973 तक तैयार होने की संभावना है । कमला-बलान से अंतिम सिरे तक की द्वितीय 'रीच' में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण भी प्रगति में हैं। इसके अन्वेषण की रिपोर्ट यथाशीघ्र तैयार की जायेगी ।

अन्वेषण रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पश्चात् भूमि के अधिग्रहण के प्लानों के लिए आवश्यक तैयारी की जाएगी ।

बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए संशोधित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रथम रीच का कार्य 1976-77 तक पूर्ण होने की आशा है तथा द्वितीय रीच का कार्य 1975-76 में शुरू करने का प्रस्ताव है तथा 1978–79 अर्थात पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा किया जायेगा।

(ख) बिहार सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी कोसी नहर के बिहार में पड़ने वाले भाग के निर्माण के लिए 2500 लाख रुपये का प्रावधान का सुझाव दिया है, जिसको अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । बहरहाल पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नहर के सभी पहलुओं को पूर्ण करने के लिए धनराशि प्रर्याप्त नहीं होगी ।

(ग) और (घ) इस परियोजना का कार्य केन्दीय सरकार द्वारा आरम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है' क्योंकि तैयार की गई अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार इसके कार्यान्वियन के लिए समर्थ है ।

कमला नदी के तटबन्धों का विस्तार

3858. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री कमला नदी के बांधों को बढ़ाये जाने के बारे में 20 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयनगर से आगे कमला नदी के तटबंधों को बढ़ाने की समस्त परियोजना नेपाली क्षेत्र में आती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं इस परियोजना के लिए वित्त तथा इसके निष्पादन को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जयनगर से मिंचिया तक कमला के तटबंधों का प्रस्तावित विस्तार नेपाल क्षेत्र में है ।

(ख) इस स्कीम की केन्द द्वारा वित्तीय व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह मूल तथा बिहार के क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है; बाढ़ सुरक्षा कार्य राज्य योजना का एक अंग होते हैं जिसके निमित्त केन्दीय सम्यता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और ये किसी विशेष स्कीम या विकास क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती ।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ की मान्यता बहाल करना

5859. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ की मान्यता के बारे में 20 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक संघ, रजिस्ट्रार, कानपुर ने यूनियन का पुनः पंजीकरण कर दिया है जब कि पटना में रजिस्टर्ड इसके एक अंग को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी, 1973 को विरोधी अंग द्वारा दायर मामले को बर्खास्त करते हुए मामले को निपटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कानपुर में रजिस्टर्ड यूनियन की मान्यता बहाल कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कानपुर और पटना में मजदूर संघ के पंजीकरण की स्थिति वही है जैसी कि 20-2-1973 के अतारांकित प्रश्न 110 के उत्तर में बताई गयी थी ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि हाल ही में मिली है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कमटौल और जोगियारा के बीच मुरैठा और जयनगर तथा खजौली के बीच कोराहिया पूर्वोत्तर रेलवे पर हाल्ट बनाने की मांग

3960. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में कमटौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच मुरैठा और जयनगर तथा खजौली स्टेशनों के बीच कोराहिया पर काफी समय से 'हाल्ट' बनाने की मांग की जा रही है और स्थानीय लोगों तथा संसद सदस्य ने मिट्टी का पूरा काम बिना किसी खर्च के स्वयं करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इन प्रस्तावों पर फिर से विचार किया गया था लेकिन वित्तीय दृष्टि से इनका औचित्य नहीं पाया गया ।

मैसूर के नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा फैक्ट्री की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

3861. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के नार्थ कनारा जिला में स्थित कास्टिक सोडा फैक्टरी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है ;

(ख) सोडा ऐश का निर्धारित वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) साधारण नमक के रूप में कच्चे माल की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) कास्टिक सोडा . . . 33,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष

(ख) हाइड्रोक्लोरिक एसिड . . 10,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष
तरल क्लोरीन . . . 16,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष

उत्पादित हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम ट्रिपोलीफास्फेट को तैयार करते के लिए प्रयुक्त किया जायेग

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सोडा राख लाइसेन्स मे उल्लिखित उत्पादन का एक मद नहीं है ।

(ग) औद्योगिक लाइसेस के लिए प्रार्थना-पत्र में फर्म द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 60,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष ।

Trains cancelled as a result of Agitation and Disturbances in various parts of the Country

†3862. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Railways** रेल मंत्री be pleased to state:

(a) the number of Railway trains cancelled in each month as a result of strikes and disturbances in various parts of the country during the last three months;

(b) the minimum and maximum period for which the trains were cancelled; and

(c) the names of the passenger trains cancelled?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Increase in Railway Fare and Freight

3863. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Railways** रेल मंत्री be pleased to state the extent to which Railway fare and freight have increased during the last three years, year-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): A statement is attached.

[Placed in the Library. *See* No. LT-4538|73]

689 (ai) LS.—6.

Nature of facilities provided to Third Class Passengers

3864. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Railways रेल मंत्री** be pleased to state the nature of facilities provided to Third Class passengers during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): The nature of facilities provided to third class passengers during the last 3 years include the provision of new waiting halls, improvements/extension of existing waiting halls, opening of additional booking counters, drinking water supply arrangements at stations, lights and fans in waiting halls, Retiring Rooms, provision of additional third class sleeper coaches on trains and introduction of more Janata trains.

पश्चिम बंगाल में 1972 में हुए विधान सभा के निर्वाचनों का कूट चालित होना

3865. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 1972 में हुए विधान सभा के निर्वाचनों के बड़े पैमाने पर कूटचालित किए जाने के आरोप की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आरोप को गलत ठहराया गया है ; और

(ग) क्या जांच की रिपोर्ट की एक ति सभा-पलट पर रखी जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत के पांचवें साधारण निर्वाचन 1971–72 के बारे में अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए पांचवें साधारण निर्वाचन 1972 के संबंध में निर्वाचनों के कूटचालित किए जाने के आरोप की विस्तार-पूर्वक चर्चा की है । वह इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कीं निर्वाचनों के कूटचालित किए जाने का आरोप 'बारीकी से जांच करने के बाद निराधार पाया गया है । रिपोर्ट की प्रति 27 फरवरी, 1973 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी ।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद पश्चात् बोनस सम्बन्धी मामले पर विचार

3866. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों ने रेलवे कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है कि बोनस के प्रश्न पर वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात विचार किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन पर मान्यता प्राप्त फैडरेशन की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

दिल्ली में बिजली की कमी के बारे में मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक

3867. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बिजली की भारी कमी के मामले पर चर्चा करने के लिए फरवरी, 1973 में दिल्ली में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के विद्युत और सिंचाई से संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) उत्तरी क्षेत्र में विद्युतकी कमी से संबधिनअधिकारियों और मंत्रियों को कोई उच्च-शक्ति प्राप्त बैठक फरवरी, 1973 में दिल्ली में नहीं हुई है। बहरहाल, स्थिति की निगरानी रखी जा रही है।

भारतीय तेल निगम का विस्तार

3868 **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान भारतीय तेल निगम का विस्तार किया जायेगा ;

(ख) क्या इस बारे में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय तेल निगम के प्रस्तावों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(क) विपणन प्रभाग :

बिक्री के बढ़े हुए कारोबार को सभालने के लिये विपणन प्रभाग को आवश्यक वितरण तथा स्टोरेज तथा फुटकर बिक्री केन्द्रों, उपभोक्ता पम्पों आदि परिचालन सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा। पांचवीं योजना अवधि के दौरान इस पर पूंजीगत व्यय का 57 करोड़ रुपये का अनुमान है। यह पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान 48.3 मिलियन किलौ लिटर की पूर्वानुमानित बिक्री पर आधारित है। यह भारतीय तेल निगम की लगभग 75 प्रतिशत की पूर्वानुमानित मार्किट साझदारी के अनुरूप है।

(ख) **शोधनशाला तथा पाइपलाइन प्रभाग :**

पांचवीं योजना के दौरान शोधनशाला तथा पाइपलाइन प्रभाग के लिए 239.28 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का अनुमान है। पांचवी योजना के दौरान कुल लागत तथा पूर्वानुमानित व्यय का परियोजनावार ब्यौरा इस प्रकार है :

	अनुमानित लागत	पांचवी योजना के दौरान अनुमानित व्यय
	(करोड़ रुपये में)	
बरौनी शोधनशाला में 1.2 मिलियन मीटरी टन आयातित कच्चे तेल का शोधन	7.60	4.10
गुजरात शोधनशाला में 3 मिलियन मीटरी टन का विस्तार	28 08	26.73
उत्तर पश्चिम शोधनशाला परियोजना (नई परियोजना) (6 मिलियन मीटरी टन तक)	96.80	91.45
सालाया कोयाली उत्तर पश्चिम क्रूड ग्रायल पाइपलाइन जिसमें कच्चे तेल के उतारने तथा स्टोर करने की सुविधाएं शामिल हैं (1200 किलोमीटर)	120.00	117.00

युवा चार्टर्ड एकाउन्टेंटों से ज्ञापन

3869. **श्री रानेन सेन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंग चार्टर्ड एकाउटैंट्स फोरम ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मुख्य मांगें की गई है ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) भारत के प्रधान मंत्री को दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 को भेजा गया एक ज्ञापन, कम्पनी कार्य विभाग में प्राप्त हुआ था ।

(ख) इस ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नांकित दुष्टिकोण प्रस्तुत किये है :—

(1) शास-प्राप्त लेखापालों की राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के पदों पर नियुक्ति ;

(2) कुछ शास-प्राप्त लेखापालों की एकाधिकारी प्रक्रियायें, एवं शास-प्राप्त लेखापालों की कुछ थोड़ी सी फर्मों के हाथों में लेखा परीक्षा के कार्य का संकेन्द्रण,

(3) भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापाल के परामर्श से, सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की रीति में परिवर्तन ;

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधन के मांग द्वारा लेखा-परीक्षा के क्षेत्र की वृद्धि ;

(5) भारतीय शास-प्राप्त लेखापाल संस्थान के कार्य-कलापों की समीक्षा के लिये सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन ;

(6) शास-प्राप्त लेखापालों की सरकारी विभागों में नियुक्ति ;

(7) सहभागिता अधिनियम के संशोधन के मार्ग द्वारा फर्मों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिये सांविधिक प्राविधान 1 एवं,

(ग) यह ज्ञापन कम्पनी कार्य विभाग में 24 फरवरी, 1973 को प्राप्त हुआ था। इस ज्ञापन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

3870. **श्री रानेन सेन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेटस के इस समय कितने सदस्य हैं ;

(ख) सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व क्या हैं।

(ग) इन्स्टीट्यूट के लिए वित्त का प्रबन्ध किस प्रकार होता है और इसके विशिष्ट कृत्य क्या हैं ; और

(घ) क्या इस इन्स्टीट्यूट के प्रशासनिक ढांचे और कृत्यों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) 1 फरवरी, 1973 को इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटैंटस की सदस्य संख्या 13,079 थी।

(ख) सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व शास-प्राप्त लेखापाल अधिनियम और उसके तद् अन्तर्गत बने विनियमों द्वारा शासित किये जाते हैं। क्रमशः विनियम 167 और 9 और शास-प्राप्त लेखापाल अधिनियम की अनुसूचियों के साथ पठित अधिनियम की 2(2) और 6 धाराओं पर विशेष ध्यानाकर्षित किया जाता है।

(ग) इंस्टीट्यूट के कृत्यों को शास-प्राप्त लेखापाल अधिनियम की धारा 15 में अंकित किया गया हैं। इंस्टीट्यूट का वित्तीय प्रबन्ध उसके सदस्यों और शास-प्राप्त लेखापाल पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा एकत्रित शुल्क द्वारा किया जाता है।

(घ) इंस्टीट्यूट के प्रशासनिक ढांचे और कृत्यों में परिवर्तन निरन्तर। किया है और जो उचित परिवर्तन आवश्यक होते हैं, समय-समय पर कर दिये जाते हैं।

वोडरा और बारसाट में तेल की ड्रिलिंग

3871. **श्री रानेन सेन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने बोडरा और बारसाट में तेल की ड्रिलिंग के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में हाल ही के वर्षो में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है :

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा मतदान में कूट चाल

3872. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'पेट्रियट' दिनांक 18 फरवरी, 1973 में 'रिगिंग आफ पोल बाई सी० पी० एम० प्रवूड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) : 18 फरवरी, 1973 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित प्रैस रिपोर्ट पर सरकार का घ्यान गया है । उच्च न्यायालय ऐसा फोरम है, जिसके समक्ष ऐसे मामले को लाया जा सकता है । और उसने एकमात्र निर्वाचन-याचिका (गोविन्द चटर्जी बनाम सन्त श्री चट्टोपाघ्याय और अन्य) में, जो 1972 में पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन के संबंध में फाइल की गई थी, तारीख 16 फरवरी, 1973 के अपने आदेश में निर्वाचनों के कूट चालित होने का उल्लेख नहीं किया है ।

Conversion of Metre Gauge Line into Broad Gauge on North Eastern Railway

†3873. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme to convert all the metre gauge lines into broad gauge lines in the country and particularly those in North Eastern Railway; and

(b) if so, the outlines of the scheme in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b); Wholesale conversion of metre gauge lines to broad gauge cannot be considered at present in view of the huge investment involved (over Rs. 2,000 crores) and severe dislocation to traffic that it would create during the execution

of the project. However, a perspective plan for the conversion to broad gauge of about 3200 kms. of some of the arterial high density metre gauge routes in the country, to be implemented in the next 10 to 15 years at a cost of Rs. 230 crores, has been prepared. The following metre gauge sections of the North Eastern Railway find a place in this programme:

(i) Varanasi-Bhatni-Gorakhpur.

(ii) Barabanki-Gonda-Gorakhpur.

(iii) Bhatni-Barauni-Katihar.

(iv) Samastipur-Raxaul (*via* Muzaffarpur or *via* Darbhanga).

Conversion of about 1661.29 Kms. of metre gauge lines to broad gauge included in the perspective plan at an estimated cost of Rs. 121 crores has already been sanctioned, including conversion of Barabanki-Samastipur M.G. section (603.89 Kms., cost Rs. 46 crores) of the North Eastern Railway.

Difficulties faced by the non-English-speaking people on account of laws being in English

3874. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether about 90 per cent of the population of the country know Hindi or other regional languages;

(b) whether all the Central and the State laws are in English; and

(c) if so, the scheme formulated by Government to provide justice to the non-English-speaking people?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) It is true that a vast majority of the population of the country know Hindi or other regional languages.

(b) and (c) Under article 348 of the Constitution, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative texts of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State shall be in the English language. However, under section 5(1) of the Official Languages Act, 1963, a translation in Hindi published under the authority of the resident in the Official Gazette shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi. Authoritative texts in Hindi of 185 Central Acts have already been published under the authority of the President in pursuance of section 5(1)(a) of the Official Languages Act, 1963. The Government of India have also made arrangements for the translation of the Central Laws into various regional languages in collaboration with the State Governments concerned.

Clause (3) of article 348 of the Constitution provides that where the legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the State or any Ordinances promulgated by the Governor of the State, a translation of the same in the English language published under the authority of the Governor of the State in the Official Gazette of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language. In pursuance of this provision, the laws enacted by the Legislatures in the States of Bihar, Madhya Pradesh,

Rajasthan and Uttar Pradesh are in the Hindi Language, which is the official language of these States. As regards the non-Hindi-speaking States, the States of Assam, Andhra Pradesh, Gujarat, Jammu and Kashmir, Kerala, Maharashtra, Mysore, Orissa, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal have not yet adopted the official languages of the respective States as the languages of their Legislatures. Though the legislatures of these States continue to have their enactments in English, translations of these enactments in the official languages of the States are published for the benefit of the general public.

Under article 348(2) of the Constitution, the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings of the High Court having its principal seat in that State. Section 7 of the Official Languages Act, 1963 which *inter alia* incorporates the above provision of the Constitution, provides that as from the appointed day or any day thereafter, the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi or the official language of the State, in addition to the English language, for the purposes of any judgement, decree or order passed or made by the High Court for the State. Under the provisions of this Section, on the recommendations of the State Government, the President has authorised the use of Hindi, in addition to the English language, for purposes of the judgment, decree or order passed or made by the Allahabad, Rajasthan and Patna High Courts.

The Government of India are also publishing two monthly law journals in Hindi, namely, Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika and Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika containing reportable judgments of the Supreme Court and the High Courts for the benefit of the public, members of the Bar, Law students etc. The Government has also started a scheme for production of standard law text books in Hindi for students of LL.B. classes and for the translation in Hindi of Law books which have acquired the status of legal classics.

गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

3875. **श्री वेकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं,

(ख) अब तक कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई जा चकी है, और

(ग) शेष स्टेशनों पर कब तक बिजली लगा दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 799

(ख) 351

(ग) 6 स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिए मंजूरी दे दी गयी है और 5 स्टशनों पर बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है और 46 स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिए राज्य बिजली बोर्ड से बातचीत चल रही है तथा शेष 391 स्टेशनों के निकट बिजली सप्लाई उपलब्ध न होने के कारण इन स्टेशनों पर बिजली लगाने का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता ।

पांचवीं योजना में उर्वरक कारखाने लगाना

3876. **श्री वेकारिया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में देश में कितने उर्वरक कारखाने लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इनमें से कोई कारखाना गुजरात में भी लगाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1978–79 तक मांग के अनुमानित स्तर को पूरा करने के लिए पांचवीं योजना अवधि के दौरान उन परियोजनाओं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों अथवा निर्माण की प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं; के अतिरिक्त लगभग 12/13 उर्वरक कारखानों को स्थापित करना पड़ेगा ।

(ख) और (ग) पांचवीं योजना के दौरान सम्भाव्य स्थानों, जहां पर अतिरिक्त उर्वरक क्षमता को स्थापित किया जा सकता है, के बारे में इस समय अध्ययन कार्य जारी है । इन अध्ययनों में गुजरात राज्य में कुछ स्थलों का अध्ययन भी सम्मिलित है ।

बिहार के गया जिले में मोहना जलाशय योजना की जांच-पड़ताल

3877. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने बिहार के गया जिले में मोहना जलाशय योजना सम्बन्धी जांच-पड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने बताया है कि मोहाने नदी पर एक जलाशय स्कीम के लिए अनुसन्धान अभी चल रहे हैं और इनके अक्तूबर, 1973 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । परियोजना की रिपोर्ट के दिसम्बर, 1973 तक तयार हो जाने की सम्भावना हैं ।

गया जंकशन के निकट करीमगंज और डंहला मुहल्ला के बीच ऊपरी पुल बनाना

3878. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता की सुविधा के लिए गया जंकशन के निकट करीमगंज और डंहला मुहल्ला के बीच एक ऊपरी पुल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पैट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकना

3879. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में वद्धि करने की नई मांग के फलस्वरूप पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य वद्धि को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) क्योंकि अपुंज शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के अधिकतम विक्रय मूल्य, सरकार द्वारा वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं; भारत में विदेशी तेल कम्पनियों सहित सभी शोधन करने वाली कम्पनियां जो आयातित अशोधित तेल को साफ करती हैं; ने कच्चे तेल के मूल्य में वद्धि की पातपूर्ति के लिए उत्पादों के मूल्यों में वद्धि की मांग की है । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार की नावड़ा जिले की अपर सिकरी जलाशय योजना

3880. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नावड़ा जिले को अपर सिकरी जलाशय योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार इसे चौथी पचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय थे उपमंत्री (श्री बाल गोविद वर्मा) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने बताया है कि नवादा जिले में अपर सीकरी जलाशय स्कीम के अनुसन्धान कार्य के दिसम्बर, 1973 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । परियोजना रिपोर्ट जून, 1974 तक तैयार हो जाने की आशा है । इस स्कीम को राज्य सरकार की पांचवीं पचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है तथा इस पर कार्या-वयन वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

तमिलनाडु में तापीय बिजली घर लगाने के लिये स्थान

3881. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिए सर्वोत्तम स्थान का पता लगाने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति ने छानबीन की है या करेगी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस तापीय बिजलीघर के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा के बारे में कोई निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में ताप-विद्युत् केन्द्रों के लिए स्थलों का अनुसन्धान करने हेतु कोई समिति नियुक्त नहीं की है ।

शारावती और कोठागुडम विद्युत् परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब

3882. **श्री आर० पी० उलगनम्बी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारावती और कोठागुडम विद्युत् परियोजनाओं को चालू करने में काफी विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं या किए जाएंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ग) शारावती तथा कोठागुडम विद्युत् परियोजनाओं के चालू होने में लगभग एक वर्ष का विलम्ब हो गया है । कोठागुडम पर सन्यन्त्र और उपस्कर की सप्लाई तथा सिविल कार्यों में भी देरी हुई है । शारावती पर देशी विनिर्माताओं द्वारा सन्यन्त्र और उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब हुआ है ।

जो विद्युत् परियोजनाएं निर्माण के उन्नत चरण में हैं उनकी प्रगति का निरन्तर निरीक्षण किया जा रहा है और इन परियोजनाओं के लिए सन्यन्त्र तथा उपस्कर की शीघ्रतापूर्वक सप्लाई करने के लिए उपाय किए गए हैं ।

नेवेली बिजली परियोजना

3883. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली परियोजना पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो परियोजना पर कितना कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) परियोजना के निर्धारित समय पर पूरा न होने के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीबाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग): नेवेली ताप-विद्र्युत् परियोजना का अंतिम चरण जिसमें 100–100 मेगावाट की दो यूनिटें सम्मिलित हैं, 1969–70 में पूरा हो गया था ।

व्यास सतलुज लिंक परियोजना

3884. **श्री आर० भी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना पूरी हो गई है :

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरी हो जाएगी :

(ग) विलम्ब के क्या कारण है ; और

(घ) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जो परियोजना को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं;

(ख) परियोजना के 1974 में पूर्ण होने की आशा है;

(ग) परियोजना जून, 1974 में पूर्ण होनी अनुसूचित है । बहरहाल, निम्नलिखित कारणों से कुछ देरी हो सकती है ;

(1) कठिन तथा अप्रत्याशित टन्नलिंग परिस्थितियां

(2) उपस्करों तथा सामग्री को उपलब्धता में विलम्ब ; और

(3) बिजली कटौतियां

(घ) इस परियोजना पर कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

Wagons for Timber Trade in Madhya Pradesh

3885. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether timber trade in Madhya Pradesh has been adversely affected due to non-availability of required number of wagons; and

(b) if so, the action taken by his Ministry to meet the trade's demand for wagons?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b): Traffic in timber normally moves under the lowest priority class 'E' and hence, there is some delay in meeting the demands in areas where higher-priority traffic also originates. However, loading has been stepped up and during the period from August 1972 to January 1973, a total number of 8,589 wagons were loaded with timber as compared to 7,949 wagons loaded during the corresponding period of 1971-72. Efforts will continue to be made to clear this traffic as expeditiously as possible.

Additional Financial Assistance for Power generation in Madhya Pradesh to meet Power requirements of Central Government Establishments

3886. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether any additional financial assistance is being given for additional power generation in Madhya Pradesh for meeting the power requirements of the establishments of Central Government there; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) and (b): No financial assistance is being given to Madhya Pradesh outside the State Plan for meeting the power demands of Central Government establishments in the State.

उत्तर रेलवे के मुख्यालय, बड़ौदा हाउस में हुई वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों के लिये दक्षता रोध परीक्षा

3887. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ोदा हाउस नई दिल्ली के कुछ वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों को 19 जून और 20 जून 1972 को दक्षता रोध परीक्षा के लिये बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों को परीक्षा में सन्दर्भ पुस्तकों से नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या 19 जून, 1972 की परीक्षा की अवधि घोषित करके दोनों पेपरों की परीक्षा 20 जून, 1972 को ली गई थी ; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस गलत फहमी के कारण अधिकारीगण सन्दर्भ पुस्तकों का इस्तेमाल करते पाये गये कि ऐसी पुस्तकों के इस्तेमाल की अनुमति है। जांच करने के बाद जब मालूम हुआ कि यह ठीक नहीं है तो 19-6-1972 को ली गयी 'परिवहन' सम्बन्धी परीक्षा रद्द कर दी गयी। 'परिवहन' सम्बन्धी लिखित परीक्षा 20–6–1972 को फिर से ली गयी। 'वाणिज्य' सम्बन्धी लिखित परीक्षा उसी दिन अर्थात् 19–6–1972 को 14.30 बजे से ली गयी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते के पिण्डों और पट्टियों की चोरी

3888. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या रेल मंत्री मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते के पिण्डों और पट्टियों की चोरी के बारे में 25 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जांच की जा रही है और जांच पूरी हो जाने के बाद दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये कुओं की संख्या

3889. **श्री राजदेव सिंह** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सितम्बर, 1972 के अन्त तक 982 कुएं खोदे थे ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने कुओं से तेल प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या आयल इन्डिया लिमिटेड ने भी कुछ कुएं खोदे हैं : और

(घ) यदि हां, तो इसके द्वारा खोदे गए कुओं में से कितने कुओं से तेल प्राप्त हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उनमें से 520 कुएं तेल युक्त पाये गये हैं ।

(ग) और (घ) सितम्बर, 1972 तक आयल इंडिया लिमिटेड ने 323 कुओं का व्यधन किया जिनमें से 238 कुएं तेल युक्त पाये गये हैं ।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के रिक्त पद

3890. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेड-वार और डिवीजन-वार स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और उन्हें कब तक भरा जायगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण, दक्षिण-मध्य, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम रेलों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है । पूर्वोत्तर रेलवे से संबधित सूचना इकटठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी । रिक्तियों को यथासम्भव शीघ्र भरने के लिय आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4539/73]

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सिगनल स्टाफ, द्वारा ब्रेक डाउन ड्यूटी करने बर उन्हें दैनिक भत्ता न दिया जाना

3891. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री रेलवे में ब्रैक डाउन भत्ते के स्थान पर दैनिक भत्ता दिए जाने के बारे में 29 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3,941 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन के सिगनल स्टाफ द्वारा ब्रेक-डाउन ड्यूटी देने के लिये दैनिक भत्ते के सभी दावों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हा, तो क्यों ; और

(ग) क्या भुगतान न करने के लिय जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिलम्ब तथा स्थान शुल्क को छोड़ने के बारे में अधिकारियों के अधिकार

3892. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्तर के अधिकारियों अर्थात डिवीजनल, जोनल, और सैंट्रल द्वारा वर्ष 1970–71 और 1972 के लिये वर्ष-वार, पृथक-पृथक विलम्ब और स्थान शुल्क की कितनी कुल राशि छोड़ी गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस आशय की रिपोर्ट मिली हैं कि अधिकारी, व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके विलम्ब और स्थान शुल्क छोड़ देते हैं और यदि हां, तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के वित्तीय वर्षो में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा छोड़ी गयी विलम्ब-शुल्क और स्थान-शुल्क रेलवे की राशि संलग्न विवरण में बतायी गयी है । प्रत्येक मण्डल में प्रत्येक कोटि के अधिकारी द्वारा छोड़ी गयी राशि के आंकड़े, प्रत्येक मामले में शुल्क छोड़ने के कारणों सहित, नहीं रखे जाते । विलम्ब-शुल्क और स्थान-शुल्क को छोड़ने के पूरे अधिकार क्षेत्रीय रेलों को दे दिये गये हैं और इन अधिकारों का उपयोग रेलव बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता ।

सामान्यतः, निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करते हुए, विलम्ब-शुल्क और स्थान-शुल्क पूर्णतः या अंशतः छोड़ दिया जाता है :—

(i) देय भाड़े और स्थान-शुल्क या विलम्ब-शुल्क की तुलना में माल की किस्म और उसका मूल्य ;

(ii) माल को हुई क्षति या खराबी की मात्रा ;

(iii) माल की सुपुर्दगी लेने में देरी के कारण और परिशमनकारी परिस्थतियां यदि कोई हों ; और

(iv) क्या वे परिस्थितियां जिनमें स्थान-शुल्क और विलम्ब-शुल्क लगा वास्तव में परेषक या परेषिती के काबू से बाहर थीं, और क्या उसने विलम्ब को रोकने के लिए उपयुक्त पूर्वोपाय किये ।

(ख) कुछ शिकायते मिली हैं, जिनमें ये आरोप लगाये गये हैं कि अधिकारियों ने व्यापारियों से मिलकर विलम्ब-शुल्क और स्थान-शुल्क को छोड़ दिया । जब भी एसी शिकायतें मिलती हैं, तो उनकी जांच की जाती है और जांच के परिणाम के अनुसार आवश्यक कारवाई की जाती है ।

विवरण

1969–70, 1970–71 और 1971–72 में क्षेत्रीय रेलों द्वारा छोड़े गये विलम्ब शुल्क और स्थान-शुल्क की राशि :

			(हज़ार रुपयों में)
रेलवे	1969–70	1970–71	1971–72
मध्य	78,26	75,55	1,05,60
पूर्व	82,85	89,48	1,33,83
उत्तर	77,02	78,76	1,17,74
पूर्वोत्तर	7,18	14,16	12,93
पूर्वोत्तर सीमा	18,30	20,66	17,88
दक्षिण	47,35	36,67	38,25
दक्षिण-मध्य	25,52	44,47	39,42
दक्षिण-पूर्व	33,07	41,96	51,55
पश्चिम	40,60	44,34	51,41
जोड़	4,10,15	4,46,05	5,68,61

वर्ष 1971–72 के दौरान भारतीय तेल निगम की बिक्री और लाभ में वृद्धि होना

3893. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या वर्ष 1971–72 के दौरान भारतीय तेल निगम की बिक्री और लाभ में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1969–70 के बाद भारतीय तेल निगम की बिक्री तथा इसके मुनाफों में हुई वृद्धि की सीमा का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

	1969–70	1970–71	1971–72
(i) बिक्री (मिलियन किलोलीटरों में)	10.46	11.61	13.68
(ii) मुनाफे (करोड़ रुपयों में)			
(क) मूल्य ह्रास तथा ब्याज के बाद परन्तु कर व्यवस्था से पहले लाभ	20.41	15.77	36.94
(ख) मूल्य ह्रास तथा ब्याज और कर व्यवस्था के बाद लाभ	20.41	15.77	31.94

वर्ष 1972–73 के लये 15.70 मिलियन किलोलीटरों के विक्रय लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1972 तक वास्तविक बिक्री 11.02 मिलियन किलोलीटर थी। वर्ष के अन्त तक यह आशा है कि चालू वर्ष के विक्रय लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। बढे हुये कारोबार को पूरा करने के लिये निगम देश भर में अपनी स्टोरेज, देख-रेख तथा वितरण सुविधाओं में धीरे-धीरे वृद्धि कर रहा है।

रेल मार्ग जिनके लिये यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण आरम्भ किये गये तथा पूरे किये गये

3894. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे द्वारा किन-किन प्रस्तावित रेल मार्गों के लिये यातायात परिमाण या यातायात एवं इंजीनियरिंग सर्वेक्षण आरम्भ किये गये थे और पूरे किये गये ;

(ख) कौन-कौन से मार्ग वित्तीय आधार पर लाभप्रद और अलाभप्रद पाये गये ;

(ग) क्या किन्हीं कारणों से वित्तीय आधार पर अलाभप्रद कुछ लाइनें भी मंजूर की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक लाइन की मोटी रूप रेखा क्या है और इनमें से प्रत्येक को किस आधार पर और कब-कब मंजूर किया गया है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4540/73]

पन बिजली के विकास हेतु पांच क्षेत्रीय बोर्डों की स्थापना

3895. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पन बिजली के विकास हेतु देश में पांच क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक क्षेत्र में किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों को सूचना दे दी गई है और यदि हां, तो क्या उन्होंने इस योजना के बारे में अपनी सहमति दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) राज्य विद्युत प्रणालियों को क्षेत्रीय ग्रिडों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से, देश को निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में बांटा गया है :—

उत्तरी क्षेत्र : इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्य तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

पश्चिमी क्षेत्र : इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के राज्य तथा गोवा, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

दक्षिणी क्षेत्र : इसमें आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिलनाडु के राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

पूर्वी क्षेत्र : इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के राज्य तथा दामोदर घाटी निगम प्रणाली सम्मिलित है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र : इसमें असम, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्डों का गठन किया गया है और इस समय सलाहकारी समितियों के रूप में हैं।

विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से देश में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता चौथी योजना के अन्त में लगभग 20 मिलियन किलोवाट से बढ़कर पांचवीं योजना के अन्त में लगभग 40 मिलियन किलोवाट हो जाने की संभावना है। इतने व्यापक विकास-कार्यक्रम तथा वृहद विद्युत् केन्द्रों और विद्युत प्रणालियों के समेकित प्रचालन द्वारा किफायती विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करने की ज़रूरत के सम्बन्ध में, बिजली सप्लाई उद्योग, जिसमें क्षेत्रीय बिजली बोर्डों को विद्युत का उत्पादन का कार्य सौंपा जाना सम्मिलित है, का नए संगठन में पुनर्निमाण करने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्यों से उपयुक्त समय पर सलाह ली जाएगी।

पोंग बांध के विस्थापितों को पुनः बसाने के बारे में "काल आफ सफरर्स" पोस्टर में लगाये गये आरोप

3896. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अध्यक्ष, आस्टोज सफरर्स जन सभा, पोंग बांध क्षेत्र मंगवाल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा "काल आफ सफरर्स" शीर्षक के अन्तर्गत निकाले गये पोस्टर की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पोस्टरों में लगाये गये आरोपों और उसमें की गई शिकायतों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) पोस्टर में उठाये गये प्रश्नों पर यथोचित ध्यान दिया जा रहा है । जलाशय क्षेत्र में अर्जित भूमि और सम्पत्ति का यथावत मुआवजा दिया जा रहा है । 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि पहले ही बांटी जा चुकी है । उस साल जुलाई तक शेष भूमि अर्जित करने तथा मुआवजा देने का प्रस्ताव है ।

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मध्य कतिपय विचार-भिन्नता के कारण विस्थापितों को राजस्थान ले जाना स्थगित रहा था । इनको अभी हाल में हल कर दिया गया है और आवंटन कार्य पहले से ही आरम्भ कर दिया गया है । विस्थापितों का जाना, 13 तारीख से शुरू होना अनुचित है । इस वर्ष जुलाई तक 7000 विस्थापितों का पुनर्वास करने का प्रस्ताव है ।

कण्दरौरी (हिमाचल प्रदेश) में रेल-हैड का निर्माण

3897. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कण्दरौरी (हिमाचल प्रदेश) में जलन्धर-पठानकोट रेलवे लाइन पर मालगाड़ियों से माल उतारने के लिये रेल-हैड बनाने का प्रस्ताव है जिसका उपयोग हिमाचल प्रदेश कर सके ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का सार क्या है तथा यह रेल-हैड कब तक बन जाएगा ; और

(ग) क्या इस योजना की क्रियान्विति में देर होने की सम्भावना है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : मण्डल अधीक्षक, उत्तर रेलवे, फीरोजपुर को 1970 में हिमाचल प्रदेश सरकार से एक पत्र मिला था जिसमें

कण्दरौरी में माल यातायात के लिए आधे मील लम्बी साइडिंग की व्यवस्था के लिए कहा गया था । रेल प्रशासन ने राज्य सरकार से अपनी आवश्यकताओं का ब्यौरा देने के लिए अनुरोध किया था लेकिन अभी तक राज्य सरकार से यह ब्यौरा नहीं मिला है । ऐसी स्थिति में रेलवे द्वारा इस मामले में आगे की गई कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

कांगड़ा जिले में व्यास नदी के बाढ़ के पानी से भूमि का कटाव

3898. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले की डेहरा तहसील के डेहरा नगर में व्यास नदी के दाहिने किनारे पर स्थित भूमि तथा भवनों के व्यास नदी के बाढ़ के पानी से भूमि-कटाव, पोंग बांध के पानी और वर्षा के कारण ढह जाने का खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार, व्यास बांध परियोजना के महाप्रबन्धक और इस परियोजना के पुनर्वास तथा बन्दोबस्त उपायुक्त के पास कांगड़ा जिले की डेहरा तहसील के डेहरा नगर के निवासियों ने कोई अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अभ्यावेदनों की जांच कर ली गई है और चिन्ता का कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Counsels appearing on behalf of Government on Writ Petitions against 24th and 25th Amendments to Constitution in Supreme Court

3899. **SHRI M. C. DAGA:** Will the Minister of **LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS** be pleased to state:

(a) the names of counsels appointed to place Government's case on writ petitions filed against the 24th and 25th Amendments to the Constitution which are at present before the Supreme Court;

(b) the amount of honoraria decided to be paid to them by Government; and

(c) the amount paid to them so far?

The Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Shri H. R. Gokhale): (a) There are si xWrit Petitions which are being heard as regards 24th and 25th Amendments to the Constitution by the Supreme Court of India and the names of the counsel engaged on behalf of the Union of India in this behalf are as under:—

1. Shri Niren De—Attorney General.
2. Shri L. N. Sinha—Solicitor General.
3. Shri D. P. Singh—Sr. Advocate.
4. Shri M. K. Ramamurthy—Sr. Advocate.

5. Shri S. N. Prasad—Standing Counsel for Union of India.
6. Shri G. L. Sanghi—Standing Counsel for Union of India.
7. Shri R. H. Dhebar—Advocate.
8. Shri Ram Panjwani—Advocate.
9. Miss Sumitra Chakravarti—Advocate.
10. Shri R. N. Sachthey—Government Advocate.
11. Shri B. D. Sharma—Additional Government Advocate.
12. Shri S. P. Nayar—Deputy Government Advocate.

(b) No honorarium is payable to the counsel. Only fee is payable which is as under:

1. Shri Niren De—Rs. 800/- per day per case.
2. Shri L. N. Sinha—Rs. 800/- per day per case.
3. Shri D. P. Singh—To be decided.
4. Shri M. K. Ramamurthy—To be decided.
5. Shri S. N. Prasad—Rs. 450/- per day per case.
6. Shri G. L. Sanghi—Rs. 450/- per day per case.
7. Shri R. H. Dhebar—To be decided.
8. Shri Ram Panjwani—Rs. 300/- per day per case.
9. Miss Sumitra Chakravarti—Rs. 300/- per day per case.
10. Shri R. N. Sachthey—No amount is payable to him as he is a Government Advocate.
11. Shri B. D. Sharma—No amount is payable to him as he is a Government Advocate.
12. Shri S. P. Nayar—No amount is payable to him as he is a Government Advocate.

Termination of services of Employees for adopting corrupt practices in the matter of Reservation of Seats/Berths

3900. **Shri M. C. Daga**: Will the Minister of **RAILWAYS** be pleased to state:

(a) whether people have to face great difficulty in getting their seats/berths reserved in the Railways and on a number of occasions the Railway employees resort to corrupt practices in this matter; and

(b) the number of Railway employees whose services have been terminated during the last three years for committing irregularities in the matter of reservation?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Passengers do experience difficulties particularly during periods of rush in getting seats/berths reserved as the demand for reservation outstrips the accommodation available in important trains. Complaints of railway employees resorting to corrupt practices in the matter whenever received are investigated and in proved cases, severe action is taken against the staff concerned.

(b) One.

Water from Gandak Project

3901. Pandit D. N. Tiwary: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether after 3rd December, 1973 the water from Gandak project has not gone beyond Saran (Seewan) District up to which it had come on the aforesaid date;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) if it has gone further, the extent to which it has gone; and

(d) the acreage of land for which water will be made available for irrigation during the present sowing season?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) to (c). The Government of Bihar have stated that the water from Saran Canal of Gandak Project has been supplied upto Seewan district from 3rd December, 1972, as only area within the district is ready to receive irrigation.

(d) The Government of Bihar have created a potential for irrigating 50,000 acres during the present sowing season.

"चार मिलियन किलोवाट पावर लॉस्ट"

3902. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान स्टण्डर्ड" कलकत्ता संस्करण में '4 मिलियन किलोवाट पावर लॉस्ट' शीर्षक के अन्तर्गत से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 'हिन्दुस्तान स्टण्डर्ड' में प्रकाशित रिपोर्ट में पारेषण और वितरण में 3-4 मिलियन किलोवाट की अनुमानित हानि को निर्दिष्ट किया गया है ।

पारेषण, परिणमन और वितरण में हानियों को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्युत के पारेषण हेतु ऊर्जा-खपत भी इसमें शामिल है और यह हानि अधिकांशतः अपरिहार्य हैं। बहरहाल, सावधानीपूर्वक आयोजन और डिजाइन द्वारा तथा पर्याप्त पारेषण सुविधाओं की व्यवस्था से इन हानियों को कम किया जा सकता है । अधिकांशतः अधिक हानियां कुछ मामलों में बिना मीटर की सप्लाई से और दूर-दूर तक बिखरे ग्रामीण विद्युत भारों के कारण भी होती है । अतः अधिक हानियां मुख्यतः कृष्य क्षेत्रों में होती है । ये हानियां पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत ही कम हैं क्योंकि वहां ग्रामीण और कृषि भार अधिक नहीं है ।

विद्युत् कारक (फैक्टर) में सुधार द्वारा हानियों को कम करने के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समकालिक कण्डेंसरों और कैपिसिटरों को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है । यह धन प्रश्न ऐसे प्रतिष्ठापनों और अतिरिक्त लाइनों के निर्माण के लिए और वर्तमान लाइनों को सुदृढ़

करने के निमित्त है । इस समस्या की जांच करने के लिये इंजीनियरों की एक समिति नियुक्त की गई है । विद्युत अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर भी क्षेत्रीय परीक्षण कर रहा है और आंकड़े उपलब्ध हो जाने के पश्चात विभिन्न राज्यों में हानियों को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय किए जाएंगे ।

एकाधिकार आयोग में सुनवाई के समय "झड़प"

3903. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 1973 के 'इकोनोमिक टाइम्स' के पृष्ठ एक पर "क्लेश ऐट एम० आर० टी० पी० हियरिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) यह प्रैस रिपोर्ट एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा प्रयोग को पुन: जांच एवं रिपोर्ट के लिए संदर्भित एक प्रस्ताव से सम्बन्धित है । आयोग ने अभी केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

Halt of 25 UP and 26 DOWN Trains at Nagda Railway Station

3904. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether 25 Up and 26 Down trains do not halt at Nagda Railway station and the passengers of Nagda for Bombay and Delhi have to go to Ratlam.

(b) whether the said trains halt at Shamgarh, a smaller station than Nagda, and if so, the reasons therefor;

(c) whether the attention of his Ministry has been drawn to this problem several times by Members of Parliament as well as the citizens; and

(d) if so, whether his Ministry proposes to provide halt for the said trains at Nagda and if so, the time by which a decision would be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d) No. 25|26 Bombay New Delhi|Amritsar A.C.|Paschim Express trains, not scheduled to stop at Nagda station, stop at Shamgarh station mainly for operational requirements. Though suggestions have been received for stoppage of these trains at Nagda, it has not been found justified as alternative fast services are already available in 3$4 Frontier Mails, 19/20 Dehradun Express and 23|24 Janta Express at Nagda for passengers travelling towards Bombay and Delhi.

बिड़ला द्वारा गोवा में उर्वरक कारखाने की स्थापना

3905. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला द्वारा गोवा में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावित योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर आरम्भ में कुल कितनी पूंजी लगेगी ; और

(ग) इससे अनुमानतः कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गोवा में उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और परीक्षण परिचालन प्रगति पर है ।

(ख) 56.55 करोड़ रुपये ।

(ग) उक्त उर्वरक कारखाने के चालू होने पर उसमें लगभग 580 व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा

संसद् में संघ की भाषा में विधेयक पेश करना

3906. श्री एस० सी० सामन्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ की राज-भाषा में विभिन्न विधेयकों को संसद् में पेश करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और संसद् में विभिन्न प्रस्ताव तथा विधेयक हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में पेश करना कब तक सम्भव हो जायेगा

(ग) क्या हिन्दी में केन्द्रीय विधान तैयार करने के लिये उपयुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कोई योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं :

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). कर्मचारियों को केन्द्रीय विधान के हिन्दी में प्रारूपण के लिये प्रशिक्षण देने के बारे में ऐसी कोई स्कीम तो नहीं है, किन्तु जब केन्द्रीय विधान के हिन्दी में प्रारूपण की आवश्यकता हो जायेगी तब राजभाषा (विधायी) आयोग के प्रारूपण कार जो विधि और हिन्दी में प्रमुख रूप से प्रवीण है और जो संसद् में पुरःस्थापित विधेयकों और उसके द्वारा पारित अधिनियमों का इस समय हिन्दी में अनुवाद कर रहे हैं केन्द्रीय विधान का हिन्दी में मूल प्रारूपण कार्य कर लेंगे ।

अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा का प्रयोग

3907. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि रेलवे में अधिकांश काम, जिसमें प्रयोगकर्ताओं के साथ पत्र व्यवहार भी शामिल है, अंग्रेजी में किया जाता है जब कि अधिकांश प्रयोगकर्ता अंग्रेजी भली प्रकार नहीं जानते ;

(ख) प्रशासनिक कर्मचारियों सहित रेलवे के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी आती है और क्या रेल कर्मचारियों को हिंन्दी सिखाने की कोई योजना चालू है ; और

(ग) संघ की राजभाषा, या विभिन्न जोनों में बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में काम काज आरम्भ करने के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय का क्या कार्यक्रम है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहमन्द शफी कुरेशी): (क) रेल कर्मचारियों द्वारा अपना काम हिन्दी में किये जाने पर कोई रोक नहीं है। जहां तक जनता के साथ पत्र व्यवहार का सम्बन्ध है, हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में दिया जाता है ।

(ख) (i) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ii) रेल कर्मचारियों को गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के आधीन और उसके अनुसार हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय द्वारा बनायी गई नीति और कार्यक्रम को अपनाता है और उसका अनुपालन करता है।

भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण में मिली सफलता

3908. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अन्य देशों में रेलों के विकास का अध्ययन करने के लिए कोई सैल है ताकि आधुनिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे और उन्हें भारतीय रेलों में लागू करने के लिए सरकार को सलाह दी जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उस सैल ने क्या-क्या सफलता प्राप्त की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल मन्त्रालय में इस तरह का कोई विशेष कक्ष नहीं है। लखनऊ स्थित अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन जो कि इस मंत्रालय का सम्बन्ध कार्यालय है, रेल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले सभी नये-नये कामों से सम्पर्क रखता है और अन्य रेल प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली नवीनतम पद्धतियों और परिष्कृतियों की निरन्तर समीक्षा करने के साथ-साथ भारतीय रेलों में भी उन्हें लागू करने की आर्थिक व्यावहारिकता का अनुमान लागाने का प्रयास करता है।

(ख) इस संगठन द्वारा किये जाने वाले कार्य का ही यह परिणाम है कि भारतीय रेलें रेल-पथ उपस्कर के अभिकलप , निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के सभी पहलूओं, पुलों, रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और मालडिब्बों के सम्बन्ध में अब आत्मनिर्भर हैं। केवल अत्यन्त परिष्कृत कर्षण और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के मामले में ऐसा नहीं हैं। इनसे सम्बन्धित जानकारी का उत्तरोत्तर विकास किया जा रहा है।

ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ पर नियंत्रण

3909. **श्री तरुण गोगोई :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं और करने का विचार है ;

(ग) क्या राज्य सरकार और उस राज्य से निर्वाचित संसद् सदस्यों ने इस आशय के कई अभ्यावेदन भेजे हैं कि वह बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में पिछले 18 वर्षों के दौरान अनेक बाढ़ सुरक्षा कार्य कार्यान्वित किये गये हैं। इनमें लगभग 2900 किलोमीटर के बाढ़ तटबन्ध और 700 किलोमीटर निकास जलमार्ग शामिल हैं, जिनसे लगभग 6.3 लाख हेक्टेयर की सुरक्षा की व्यवस्था हुई है। नगर सुरक्षा की 40 स्कीमें भी कार्यान्वित की गई हैं जिनमें डिब्रूगढ़, गोहाटी, गोलपाड़ा तथा नवगांग की स्कीमें महत्वपूर्ण हैं। आगे भी कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग इस समय घाटी में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने के काम मे लगा हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने के प्रस्ताव को केन्द्र ने स्वीकार कर लिया है और इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर तक चलाना

3910. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज ऐक्सप्रेस को, जो आगरा तक जाती है, ग्वालियर तक चलाये जाने की मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित विस्तार औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

मध्य प्रदेश में सतना में समेकित विद्युत विकास योजना के लिये धन

3911. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र में समेकित विद्युत विकास की योजना के लिए 1973–74 की योजना में आवश्यक धन देने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र में विद्युत विकास के लिए राज्य योजना से बाहर 1973–74 में किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा रही है ।

किउल से आगे भागलपुर होती हुई दोहरी लाइन

3912. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किउल उसे आगे बरास्ता भागलपुर लूप लाइन पर दोहरी लाइन बिछाने का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी में रेल के डिब्बों के उत्पादन के लिये आक्सीजन की सप्लाई में कमी

3913. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी में आक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण रेल के डिब्बों के निर्माण पर विपरित प्रभाव पड़ा है ।

(ख) यदि हां, तो इससे रेल के डिब्बों के निर्माण पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ;

(ग) रेल के डिब्बों का निर्माण जारी रखने के लिए सरकार आक्सीजन की सप्लाई नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कारखाने को किस प्रकार की और कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । फरवरी और मार्च 1973 के महीनों में तरल आक्सीजन की सप्लाई में कमी होने के फलस्वरूप सवारी डिब्बों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) इन महीनों में 30—35 सवारी डिब्बों के खोल बनाने लायक पुर्जो और सब-असेंबलियों का उत्पादन कम हुआ । चालू लाइन रेलों को फालतू पुर्ज़ों की सप्लाई पर भी भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(ग) आक्सीजन की सप्लाई सप्लाईकर्ताओं अर्थात् इंडियन आक्सीजन लि० और एसियाटिक आक्सीजन लि० को बिजली की उपलब्धता पर निर्भर है । इन फर्मों को मिलने वाली बिजली में कटौती करने के कारण आक्सीजन की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । इन दो फर्मों को बिजली सप्लाई करने की जिम्मेवारी तामिलनाडु राज्य सरकार की है जिसने इन दो फर्मों को बिजली की कटौती में अब कुछ ढील दी है । सवारी डिब्बा कारखाने ने भी अपने कोटे में से कुछ बिजली इन दोनों फर्मों को देना स्वीकार किया है ताकि हर महीने तरल आक्सीजन की सामान्य सप्लाई का 80–85 प्रतिशत सप्लाई किया जा सके । इस संबंध में सवारी डिब्बा कारखाना इन फर्मों और राज्य बिजली बोर्ड के साथ निकट का सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

(घ) फरवरी, 1973 में आक्सीजन की कम और अनिश्चित सप्लाई होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि अधिक समय लेने वाले सामग्री संसाधन के वैकल्पिक साधन अपनाये जायें ताकि आक्सीजन पर कम निर्भर होना पड़े । इसके कारण पुर्जों और असेम्बलियों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । सवारी डिब्बा कारखाने में डिब्बा खोल के निर्माण के लिए समय चक्र तीन महीना रखा गया है । फरवरी, मार्च, 1973 में आक्सीजन की कमी का प्रभाव मार्च से मई, 1973 तक खोलों के कम उत्पादन में प्रकट होगा । खोलों के उत्पादन में कमी का प्रभाव अप्रैल, मई और जून, 1973 में सुसज्जित सवारी डिब्बों के उत्पादन में कमी लायेगा जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है ।

मार्टिन लाइट रेलवे लाइनों के स्थान पर ब्राड गेज लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिये समय सीमा निर्धारित करना

3914. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में जहां मार्टिन लाइट रेलवे की गाड़ियां चलती थीं ब्राड गेज लाइन बिछाने के लिए इंजीनियरी तथा यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा कर लिये जाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) आशा है, सर्वेक्षण का काम अक्तूबर, 1973 तक पूरा हो जायेगा ।

राजधानी ऐक्सप्रेस में बंगाली समाचारों का प्रसारण

3915. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद् सदस्यों ने यह मांग की है कि राजधानी एक्सप्रेस में बंगला भाषा में भी समाचारों का प्रसारण किया जाये, विशेष रूप से जब यह पूर्वी प्रदेश से होकर गुजरती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । एक संसद् सदस्य से ।

(ख) आकाशवाणी से हिन्दी और अंग्रेजी में किये जाने वाले समाचार-प्रसारण की वर्तमान प्रणाली को यात्रियों ने पसन्द किया है । राजधानी एक्सप्रेस में प्रादेशिक समाचार-प्रसारण का प्रस्ताव नहीं है ।

हावड़ा से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस के आने की समय-तालिका में परिवर्तन करना

3916. **श्री समर गुह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा से दिल्ली को आने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के उपनगरों में सदैव अपने निर्धारित समय से लगभग एक घण्टा पहले पहुंच जाती है ;

(ख) क्या नई दिल्ली में निर्धारित समय पर पहुंचने के लिये यह गाड़ी अपनी गति धीमी कर देती है ; और

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली पहुंचते समय गाड़ी द्वारा अपनी गति धीमी कर देने से होने वाले अनावश्यक विलम्ब को रोकने के लिए क्या सरकार का विचार राजधानी एक्सप्रेस के नई दिल्ली पहुंचने के सयम में परिवर्तन करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । फिर भी, इंजीनियरी सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण दिल्ली क्षेत्र में 101 राजधानी एक्सप्रेस की गति धीमी कर दी जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिये केरल को धन

3917. **श्री बरके जार्ज :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टीयाडो पंबा पेरियार घाटी, चितूरपुजा, कन्हीरपुन्ना, पद्मासी और कलाहूडा की सिंचाई परियोजनाओं को चालू रखने के लिए केरल राज्य सरकार को अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). केरल सरकार समय-समय पर यह अनुरोध करती रही है कि उन्हें उनके राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य के योजना ढांचे से बाहर विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाये । देश में चुनी हुई वृहद् सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें केरल की कुछ सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं और जिनके शीघ्रतापूर्वक निर्माण से अगले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के निर्माण में सहायता मिल सकती है, को विशेष सहायता देने का प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है ।

उर्वरकों और रसायनों का उत्पादन कर रही विदेशी कम्पनियां

3918. **श्री बरके जार्ज:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री उर्वरकों और रसायनों का उत्पादन कर रही विदेशी कम्पनियों के बारे में 12 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4076 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । कुछ समय पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने विदेशी नियंत्रित कम्पनियों का विनियमन अधिनियम के सेक्शन 18ए हेतु श्रेणी वर्गीकरण करने का प्रयास किया था । ऐसी कम्पनियों की, जो उर्वरक तथा रासयन उत्पादन कार्य में लगी हुई हैं, एक सूची प्राप्त कर ली गई है । उन कम्पनियों की जो उर्वरक तथा रसायन (औषधों तथा पैस्टीसाइड्स के अतिरिक्त) निर्माण कार्य में लगी हुई है तथा जिनसे पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय संबंधित हैं, स्थापित तथा उपयोग की गई क्षमता की सूचना के बारे में एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4541/73]**

तमिलाडु और केरल के मध्य सिरूवानी जल सम्बन्धी विवाद

3919. **श्री बरके जार्ज** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तमिलनाडु और केरल के बीच उत्पन्न सिरूवानी जल संबंधी विवाद इस बीच निपटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं । केरल सरकार ने सूचना दी है कि दोनों राज्य सरकारों के बीच आगे और विचार विमर्श किये जाने की संभावना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु और मैसूर राज्यों द्वारा चालियार नदी के जल के सम्बन्ध में वार्ता

3920. **श्री बरके जार्ज** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और मैसूर राज्यों के बीच चालियार नदी के जल, विशेषकर पंडियार, पुन्नपुआ योजना के बारे में कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं और क्या निर्णय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि पंडियार पुन्नपुझा स्कीम के सम्बन्ध में उनके तथा केरल सरकार के बीच 23 तथा 24 फरवरी, 1973 को विचार-विमर्श हुआ था । विचार-विमर्श के दौरान तमिलनाडु ने वैकल्पिक स्कीमों का प्रस्ताव रखा था जो केरल के लिए सिंचाई और विद्युत की नियमित सप्लाई यथा-अनुसार मात्रा में सुनिश्चित करेंगी तथा इसके साथ-साथ तमिलनाडु को 9 टी० एम० सी० जल के परीवर्तन करने में समर्थ बायेंगी और यह भी बताया है कि केरल सरकार ने इन कल्पना स्कीमों की व्यवहार्यता पर विचार करने का आश्वासन दिया है ।

राज्यों में समुद्र से होने वाले भू-कटाव को रोकने की योजनाओं के लिये धन

3921. **श्री बरके जार्ज** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में समुद्र से होने वाले भू-कटाव को रोकने की योजनाओं के लिए कुछ धन देने के लिए सरकार सहमत हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना धन दिया गया और कितने धन का उपयोग किया गया ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). समुद्र-कटाव विरोधी कार्य राज्य योजना के बाढ़ नियंत्रण कार्यों का भाग हैं, जिनके लिए, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में, इन्हें किसी विशेष स्कीम अथवा विकास-शीर्ष से सम्बद्ध किये बिना, दी जाती है। बहरहाल, आवश्यक समुद्र-कटाव विरोधी कार्यों को आरम्भ करने के लिए 1970-71 के दौरान केरल राज्य को सरकार की योजना के बाहर 20 लाख रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत की गई थी।

समस्या के महत्व तथा केरल में समुद्र-कटाव विरोधी कटाव के उपायों के शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वियन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति दी है ताकि राज्य सरकार चार करोड़ रुपये वार्षिक के कार्यक्रम को पूरा कर सके। यह सहायता राज्य योजना में 1972–73 के लिए 1.3 करोड़ तथा 1973-74 में 1.5 करोड़ रुपये के प्रावधानों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए दी जायेगी।

मेरठ स्टेशन के पार्सल क्लर्कों को दी गई चार्ज शीटें

3922. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ शहर स्टेशन में इस समय कार्य कर रहे कुछ पार्सल क्लर्कों (ग्रेड 205—280 रुपये) को सतर्कता विभाग की रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 1972 में कदाचारों, लापरवाही से काम करने और उचित देखभाल न करने के लिए चार्ज-शीट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासन ने इन चार्ज-शीटों पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). दिल्ली मण्डल में केवल एक पार्सल क्लर्क 205--280 रु० के वेतनमान में है जो इस समय मेरठ सिटी में मुख्य पार्सल क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा है। 1972 वर्ष के दौरान उसके खिलाफ पर्यवेक्षण में ढिलाई और काम में लापरवाही बरतने के दो अलग-अलग मामलों में मामूली दण्ड देने के लिए कार्रवाई की गयी थी। एक मामले में एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड इस पार्सल क्लर्क को दिया गया है। दूसरे मामले का भी शीघ्र ही फैसला किये जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के लिये उपनगरीय रेलवे परिवहन

3923. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली की बढ़ती हुई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपनगरीय रेलवे परिवहन के विकास पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या रेलवे अभिसमय समिति द्वारा इस बारे में की गई सिफारिशों पर भी सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली महानगर क्षेत्र के लिए परियोजित उपनगरीय और अन्तःनगरीय परिवहन की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित उपायों की जांच करने और उनके सम्बन्ध में सिफारिशें करने हेतु महानगर परिवहन परियोजना संगठन (रेलवे) द्वारा पहले ही सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) रेलवे-अभिसमय समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

डीजल और पैट्रोल का राशन करना

3924. **श्री राम सहाय पांडेय** :
श्री शशि भूषण :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डीजल और तेल की व्याप्त कमी के परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सप्लाई उचित मूल्य पर करने के लिये सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल का राशन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी नहीं। बिजली की भारी कमी, सूखे इत्यादि, कुछ क्षेत्रों में परिवहन में हुई अव्यवस्था, विश्व मार्किट से आयात में हुई कठिनाइयों से विशेष रुप से डीजल तेल की मांग में हुई असमान्य वृद्धि के कारण यद्यपि पिछले दो महीनों के दौरान देश के कुछ भागों में कुछ छुट-पट कमियां हुई थीं तो भी इन उत्पादों की सामान्य उपलब्धि देश की सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये पर्याप्त है। तथापि, मांगों में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये आगामी कुछ महीनों में इन उत्पादों की उपलब्धि में और वृद्धि करने के लिये हाल ही में कुछ विशेष कदम भी उठाये गये है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

तेलशोधनशालाओं का अधिकतम विकास

3925. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल शोधनशालाओं के अधिकतम विकास को सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): देश में नौ शोधनशालाएं अर्थात् 5 सरकारी क्षेत्र और 4 गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। बरौनी, कोचीन शोधनशालाओं के अलावा सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी शोधनलशालाओं ने अपनी स्थापित क्षमता के अतिरिक्त क्रूड थ्रूपुट प्राप्त कर लिया है। बिजली की सप्लाई में बारम्बार बाधाएं एवं अन्य कारणों के कारण कोचीन शोधनशाला की उत्पाद क्षमता (थ्रूपुट) में मामूली गिरावट आई। देशीय कच्चे तेल की सप्लाई में प्रतिबन्धों के कारण बरौनी शोधनशाला अपनी (स्थापित) क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रही है। बरौनी में देशीय असम क्रूड के अतिरिक्त आयातित कच्चे तेल को साफ करने की एक योजना प्रगति पर है।

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पांचवी योजना के अन्त तक 43 मिलियन मीटरी टन के स्तर कत शोधनशाला क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों में हल्दिया में 2.4 मिलियन मीटरी टन की क्षमता को शोधनशाला को चालू करना कोचीन एवं कोयाली शोधनशालाओं का विस्तार और असम में पोंगईगांव और उत्तर प्रदेश में मथुरा आदि पर नई शोधनशालाओं की स्थापना निहित है।

विवाहों का अनिवार्य राजस्ट्रीकरण

3926. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र विवाह की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिए विवाहों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रनिंग स्टाफ और नान-रनिंग स्टाफ के श्रेणी–4 के आवास के आवंटन के लिये पृथक-पृथक पूल

3927. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रनिंग स्टाफ और नान-रनिंग स्टाफ के लिये श्रेणी–4 के आवास के आवंटन के लिये पृथक-पृथक पूल हैं ;

(ख) डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट अजमेर ने सम्बन्धित आदेशों का उल्लंघन करके रनिंग स्टाफ के पूल से श्रेणी–4 के क्वार्टरों का नान-रनिंग स्टाफ को आवंटन किया है ;

689 (ai) LS.—8.

(ग) क्या आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और अन्य मान्यताप्राप्त संघों ने इन आवंटनों को रद्द करने के लिये महाप्रबन्धक को तार देकर इस बारे में विरोध किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी हां । इन पूलों के बनाये जाने से पहले कुछ रनिंग कर्मचारी जो इस टाइप के क्वार्टरों के हकदार नहीं थे इस तरह के क्वार्टरों में रह रहे थे । हाल में सेवा निवृत्ति के बाद एक ड्राइवर ने टाइप 4 का एक क्वार्टर खाली किया है जो कि उसके कब्जे में था और वह उसके लिए हकदार नहीं था । उपर्युक्त क्वार्टर के बदले टाइप–3 का एक क्वार्टर अनिवार्य रनिंग कर्मचारियों के पूल में अन्तरित कर दिया गया था और इस तरह अनिवार्य रनिंग कर्मचारियों के पूल में कोई हानि नहीं हुई ।

(ग) और (घ). इन एसोसिएशनों से मण्डल अधीक्षक अजमेर को विरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाली होने वाले क्वार्टर सम्बन्धित कर्मचारियों को ही आवंटित हो, अनिवार्य रनिंग कर्मचारियों और गैर-अनिवार्य रनिंग कर्मचारियों— दोनों के लिए अलग-अलग प्रतीक्षा सूचियां बनायीं जाती हैं ।

अखिल भारतीय कर्माशियल क्लर्क संघ की मिराज शाखा द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के रवैये के खिलाफ विरोध प्रकट करना

3928. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के रवैये के खिलाफ जनवरी, 1973 के दौरान अखिल भारतीय कर्मशियल क्लर्क संघ की मिराज शाखा ने एक तार भेजा है और एक पुस्तिका जारी की है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मशियल क्लर्क संघ के महासचिव ने उन को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) . अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन के महा मंत्री से एक पत्र मिला है जिसके साथ उल्लिखित पुस्तिका संग्लन है ।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है ।

अखिल भारतीय रेलवे कर्माशियल क्लर्क संघ द्वारा आन्दोलन छेड़ने का निर्णय लिया जाना

3929. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जनवरी, 1973 को धनबाद में हुई अपनी बैठक में अखिल भारतीय रेलवे कर्मशियल क्लर्क संघ की केन्द्रीय कार्यकारी समिति ने अपनी मांगों के पूरा न होने की स्थिति में आन्दोलन छेड़ने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Survey to link Kandla by Railway Line via Bikaner, Shrikolayat, Phalodi, Jaisalmer and Barmer

3930. Shri Panna Lal Barupal: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under consideration to conduct a survey to link Kandla by a Railway line *via* Bikaner, Shrikolayat, Phalodi, Jaisalmer and Barmer; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

Contract/auction of Areas along Railway Line between Rangmahal and Pilibangan Stations on Bikaner Division (Northern Railway)

3931. Shri Panna Lal Barupal: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a demand has been made to give on contract or auction away bushes standing on the side of Railway line between Rangmahal and Pilibangan Stations in Bikaner Division of Northern Railway for grazing cattle affected by famine;

(b) whether these bushes were sold in auction and if so, the period of notice given by the Railways and the place and time of auction and the names of persons who made bid for it as also the amount of bid at which it was auctioned; and

(c) whether the public fallow land near the said Railway stations was also given for cultivation during 1970-71 and 1971-72 and if so, the name of the person to whom this land was given and the amount received by Government from him?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Modh. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) Yes. The auction of bushes was arranged at Suratgarh on 10-1-1973 by giving 15 days notice. As no bidder turned up, it was postponed for 17-1-1973. On 17-1-1973 S/Shri Patram, Rawat Ram and Jetha Ram attended the auction as bidders. The highest bid of Rs. 85/- was accepted.

(c) No Railway land near the said Railway station has been given for cultivation during 1970-71 and 1971-72.

हैदराबाद और बंगलौर के बीच ब्राड गेज लाइन

3932. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और बंगलौर को ब्राड गेज लाइन से मिलाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बंगलूर से धर्मावरम तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और धर्मावरम से गुन्तकल्लू तक समानान्तर बड़ी लाइन बनाने का काम पहले से ही जारी है। गुन्तकल्लू से सिकन्दराबाद तक नयी बड़ी लाइन बनाने के लिए यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी भी दे दी गयी है और सर्वेक्षण हो रहा है। रिपोर्ट मिलने पर और उसकी जांच पूरी होते ही इस लाइन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

राज्य विद्युत् मंत्रियों की समिति का प्रतिवेदन

3933. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री एन० डी० तिवारी की अध्यक्षता में बनाई गई राज्य विद्युत् मंत्रियों की समितियों के निदेश पद क्या हैं ;

(ख) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ; और

(ग) यह प्रतिवेदन सरकार को मिल जाने के बाद क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) मंत्रियों की समिति के विचारार्थ विषयों की जानकारी नीचे दी जाती है :—

(1) पांचवीं योजना में समय-आबद्ध विद्युत् उत्पादन के कार्यक्रम की पूर्ति करने के लिये विद्युत् उपस्कर की सप्लाई के लिये स्वदेशी क्षमता की पर्याप्तता को निर्धारित करना।

(2) मुख्य उपस्कर के साथ समन्वित रूप में सम्बद्ध उप-प्रणालियों के अभियंत्रण और सप्लाई के लिये निर्माताओं की क्षमता की जांच करना।

(3) विद्युत उत्पादन के कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवहार्यता तथा परियोजना की तैयारी से सम्बन्धित क्षमता के तौर से परियोजना संगठनों की तैयारी और कार्यक्रम के अनुरूप निष्पादन की जांच करना।

(4) विद्युत योजना के सुधार तथा उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिये उपायों का सुझाव देना।

(ख) समिति के मई, 1973 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है।

(ग) रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में प्राप्य होगी।

विदेशों द्वारा कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के लिये तकनीकी सहायता अथवा सहयोग देना

3934. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के लिये तकनीकी सहायता अथवा सहयोग देने की पेशकश की है ;

(ख) कोयले पर आधारित कारखानों की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या सरकार कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में सन्तुष्ट है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रामागुंडम तथा तालचर में स्थित कोयले पर आधारित दो संयंत्रों के लिये मैसर्स कोपर्स एण्ड लुर्गी (पश्चिमी जर्मनी) और मैसर्स मोंटेडिसन (इटली) के साथ प्रक्रिया जानकारी सम्बन्धी करार किये गये हैं।

(ख) डिजाइन एवं इंजीनियरिंग का बहुत सारा कार्य मुकम्मल हो गया है। कारखाने के क्षेत्र तथा इहाते की दीवार का भूमि कार्य लगभग पूरा हो गया है। संयंत्र तथा संयंत्र के अतिरिक्त इमारतों के सिविल कार्यों में प्रगति हो रही है। संयंत्र तथा मशीनों के मुख्य भाग के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

(ग) जी हां।

मध्य प्रदेश में चूना उद्योग के लिये वैगनों की कमी

3935. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वैगनों की कमी के कारण मध्य प्रदेश में चूना उद्योग संकटग्रस्त हो रहा है ; और

(ख) वैगनों की नियमित सप्लाई करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). चूने का पत्थर मुख्यतः मध्य रेलवे के जबलपुर मण्डल में स्थित मध्य प्रदेश के स्टेशनों से भेजा जाता है। चूने का पत्थर भेजने के लिये माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। 1 अक्तूबर, 1972 से 10 मार्च, 1973 तक की अवधि में 15,878 माल डिब्बों में चूने का पत्थर लादा गया जब कि 1971-72 की इसी अवधि में 12,585 माल डिब्बों में चूने का पत्थर लादा गया था।

मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्रों के लिये रेल लाइनें

3936. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) इस बारे में प्रस्ताव का सारांश क्या है और इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). डल्ली-राजहरा से दातेवाड़ा/जगदलपुर तक बड़ी लाइन का यातायात सर्वेक्षण हाल में ही पूरा हुआ है और इस समय

रेलवे बोर्ड द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इस बीच इस लाइन के लिये विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मालूम होने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

भारतीय रेलवे में क्लेम ट्रेसरों तथा सहायक वाणिज्यिक इन्स्पैक्टरों को दावों के निपटाने का अधिकार

3937. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में अधिकारियों, इन्सपेक्टरों और क्लेम ट्रेसरों के लिये दावों की क्षतिपूर्ति का प्रश्न हल करने तथा उनके निपटाने के लिये अधिकार-सूची बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या क्लेम ट्रेसरों तथा सहायक वाणिज्यिक इन्सपेक्टरों को आम तौर पर दावों के मूल्य को ध्यान में रखे बिना उनके निबटान का कार्य सौंपा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग). क्षतिपूर्ति के दावों के निपटारे और भुगतान के लिये अधिकारों का प्रत्यायोजन इस प्रकार है :—

पद नाम	अधिकारों की अनुसूची
महाप्रबन्धक	पूर्ण अधिकार
मुख्य वाणिज्यक अधीक्षक	10,000 रुपये तक
उपमुख्य वाणिज्य अधीक्षक	5,000 रुपये तक
वरिष्ट वाणिज्य अधिकारी	2,000 रुपये तक
सहायक वाणिज्य अधिकारी	1,000 रुपये तक
चुने हुये महत्वपूर्ण स्टेशनों के स्टेशन मास्टर/दावा निरीक्षक	100 रुपये तक

क्लेम ट्रेसरों को किसी दावे का निपटारा करने का अधिकार नहीं है। किसी दावे के सम्बन्ध में बातचीत के लिये अधिकारों की कोई अनुसूची नहीं है। निरीक्षकों और कभी-कभी क्लेम ट्रेसरों को दावों के सत्यापन के लिए नियुक्त किया जाता है। दावा निपटान अधिकारियों के विशिष्ट आदेशों के अन्तर्गत, कुछ मामलों में बिना पूर्वाग्रह और किसी तरह की वचनबद्धता के बिना दावेदारों से निपटारे की शर्तें प्राप्त करने के लिये निरीक्षकों/ट्रेसरों को भी नियुक्त किया जाता है। निपटारे की शर्तों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में विनिश्चय वही प्राधिकारी करता है जो दावे को मंजूर करने में सक्षम हो।

(घ) ऊपर बतायी गयी स्थिति को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर लिया गया निर्णय

3938. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को वर्दी सप्लाई करने के बारे में सुझाव देने हेतु रेलवे प्रशासन द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों की इस बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विनिश्चय किया गया है ।

अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में तृतीय श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्यभार

3939. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री धर्म गज सिंह :

क्या **रेल मंत्री** अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में तृतीय श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्य भार के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर स्टेशन से आरम्भ होने वाली अथवा गुजरने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी ; अलग-अलग, प्रतिदिन तीसरी श्रेणी की शायिकाओं और स्थानों के लिए आरक्षण हेतु कितने कोटे का आवंटन किया गया है ;

(ख) रेलवे प्रशासन ने रेलवे में आरक्षण क्लर्कों की व्यवस्था करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये हैं ;

(ग) तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए कुल कितने आरक्षण क्लर्क और मापदंड के अनुसार कितने क्लर्कों की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि इनकी संख्या में कोई कमी है, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को सरकार कैसे पूरा करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है । इसके अलावा, तीसरे दर्जे के आरक्षण के लिए अलग से आरक्षण क्लर्कों की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

अजमेर में तीसरे दर्जे के लिए आवंटित आरक्षण कोटा

गाड़ी न०	तीसरा दर्जा	
	शायिकाएँ	सीटें
69 अप ए०आई०आई०—के०एन०डब्ल्यू (3 टियर)	54	34
	10 (रतलाम तक)	
,, ए०आई०आई०—काचेगुडा (3 टियर)	64	
14 डाउन ए०आई०आई०—डी०एल०आई (2 टियर)	9	17
	7 (जयपुर तक)	31 (जयपुर तक)
71 अप ए०आई० आई—के० एन० डब्ल्यू (3 टियर)	64	—
32 डाउन ए०आई० आई० — डी० एल० आई०	12	16
6 डाउन ए०आई०आई० — ए० एफ०	8	—
6 डाउन ए०आई०आई — ए० एफ० 2 (टियर)	16	48
		17 (के.एन.बी.)
2 डाउन ए०आई०आई०—डी० एल० आई०	6	16 (2 टियर)
		12 (स्लिपकोच)
3 अप ए० आई०आई०—डी०एल०आई०	6	—
ए०आई०आई०—के० यू० (बराबर 3 टियर)	24	32
ए०आई०आई०—ए०डी० आई०	—	17 (स्लिपकोच)
		16 (2 टियर)
15 अप ए०आई०आई—यू०डी०	6	—
ए०आई०आई०—के०एन० डब्ल्यू०	6	—
5 अप ए०आई०आई०—जी०आई०एम० (2 टियर)	16	48

पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों के कुछ पदों का दर्जा बढाया जाना

3940. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री धर्म गज सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक ने 9 नवम्बर, 1971 के अपने पत्र संख्या ई/261/3/39 के द्वारा पश्चिम क्षेत्र में वाणिज्यक क्लर्कों के कुछ पदों का दर्जा बढाने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे के मंडल अधीक्षकों ने इन आदेशों को क्रियान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त आदेश के जारी होने के पूर्व तथा पश्चात् प्रत्येक मंडल में अलग-अलग उच्चतम ग्रेड वाले पदों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(घ) प्रत्येक मंडल में आदेशों को किन तिथियों से लागू किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (ख) (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना पश्चिम रेलवे से मगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अजमेर के अस्पताल में वरिष्ठ डाक्टरों को कनिष्ठ डाक्टरों से कम वेतन मिलना

3941. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री धर्मगज सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में पश्चिम रेलवे सहायक शल्य चिकित्सकों का दर्जा बढा दिया गया था तथा उनके पद का नाम सहायक चिकित्सा अधिकारी कर दिया गया था और डाक्टरों को यह विकल्प दिया गया था कि वे सहायक चिकित्सा अधिकारी के नए ग्रेड या तो 1 जनवरी, 1966 से अथवा अपने आगामी वेतन वृद्धि की तिथि से लें ;

(ख) क्या ऐसे डाक्टरों को, जिन्होंने अपना विकल्प अपनी भूल वेतन वृद्धि की तिथि से दिया है, उन्हे कनिष्ठ डाक्टरों से कम वेतन मिल रहा है जिन्होंने 1 जनवरी, 1966 से अपना विकल्प दिया था ;

(ग) इसके क्या कारण है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) डाक्टरों का वेतन निर्धारण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) (ग) और (घ) स्नातक सहायक सर्जनों को 350–900 रुपये के संशोधित वेतन-मान में लाने से पहले उन्हे यह विकल्प देने का अवसर दिया था कि या तो वे 1–1–1966 से अथवा नियम 2019 (मू०नि० 23) स्था० 11 के अन्तर्गत संशोधन से पूर्व के अपने वेतन मान में अगली या उस के बाद की वेतन वृद्धि की तारीख से, जो भी उन्हें लाभप्रद हो, संशोधित वेतनमान के अन्तर्गत आ सकते हैं। नियम 2019 (मू० नि० 23) स्था 11 के अन्तर्गत एक बार दिया गया विकल्प माना जाता है। उक्त नियम के अन्तर्गत विकल्प का लाभ देने के बाद, यदि कोई व्यक्ति अपने विकल्प के कारण बाद में कम वेतन पाता है तो ऐसे मामले में कुछ नहीं किया जा सकता।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा में पारेषण लाइनों को लगाने की स्वीकृति देना

3942. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा में पारेषण लाइनों को लगाने के लिये कितनी योजनाओं को अब तक स्वीकृति दी है तथा उस में कितनी लागत आएगी; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत कौन से जिले आते हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 289.01 लाख रुपये की ऋण सहायता से उड़ीसा में बोलनगीर, कालाहन्डी, गंजम, बालासौर, कटक तथा मयूरभंज जिलों में विशेष प्रेषण तथा वितरण लाइनों को प्रतिष्ठापित करने के लिए अभी तक स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की है ।

लखनऊ मंडल (उत्तर प्रदेश) में गार्ड "सी" के पद पर पदोन्नति हेतु कोटा

3943. **श्री धर्मगज सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में ट्रेन क्लर्कों, टिकट क्लक्टरों, टी० टी० आई०, सहायक स्टेशन मास्टरों, ब्रेकमैनों, कोचिंग क्लर्कों और माल क्लर्कों की प्रत्येक श्रेणियों के लिये गार्ड ग्रेड (सी) पद पर पदोन्नति हेतु कितना कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) उत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल में गत तीन वर्षों के दौरान गार्ड ग्रेड (सी) के कुल कितने पद रिक्त हुए हैं ;

(ग) इस अवधि के दौरान उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित श्रेणियों के कितने कर्मचारियों को गार्ड ग्रेड (सी) के पद पर पदोन्नत किया गया है ; और

(घ) इस संबंध में यदि किसी श्रेणी में त्रुटि पाई गई है तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इसको दूर करने के लिए तथा उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) रेलवे बोर्ड के इस आशय के एक निदेश का अनुपालन करते हुए कि कम से कम 31 प्रतिशत रिक्तियां गाड़ी क्लर्कों को दी जानी चाहिए, ग्रेड 'सी' के गार्ड के रूप में पदोन्नति के लिए विभिन्न कोटियों के लिए निर्धारित कोटा अलग-अलग रेलों पर भिन्न-भिन्न है । उत्तर रेलवे के अलावा अन्य रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी । उत्तर रेलवे ने इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कोटा निर्धारित किया है :—

	प्रतिशत
(i) गाड़ी क्लर्क	31
(ii) वाणिज्यिक कर्मचारी	20
(iii) यार्ड कर्मचारी	$16\frac{2}{3}$
(iv) ब्रेक्समैन	10

शेष स्थान सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।

सहायक स्टेशन मास्टर और चल-टिकट परीक्षक ग्रेड 'सी' के गार्ड के रूप में पदोन्नति के पात्र नहीं है ।

(ख) 36

(ग) गाड़ी कर्लक . .	16
वाणिज्यिक कर्मचारी	6
यार्ड कर्मचारी . . .	6
ब्रेक्समैन .	कोई नहीं

(घ) उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण कोई ब्रेक्समैन पदोन्नत नहीं किया जा सका । इसी प्रकार वाणिज्यिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित कोटे को भरने में थोड़ी कमी थी । गाड़ी क्लर्कों की पदोन्नति द्वारा यह कमी पूरी कर दी गयी है ।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्षों का निर्माण

3944. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्षों का निर्माण किया रहा जा है और यदि हां, तो कितते कमरे और सामान्य शायनागार निर्माणाधीन है; और

(ख) उनका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (घ) जी हां । दो विस्तर वाला एक विश्रामालय और 4 विस्तर वाला एक शानागार निर्माणाधीन है ।

(ख) आशा है यह काम 6 महीने के अन्दर पूरा हो जायेगा ।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर पुविधाओं की व्यवस्था

3945. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सिटी रेलव स्टेशन पर पूछताछ अथवा स्वागत कक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है और यदि हां, तो क्यों नहीं है, और

(ख) क्या वहां कार, रिक्शा और तागों को खड़ा करने के लिए कोई समुचित स्थान नहीं हे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) पटना शहर स्टशन पर एक पूछताछ एवम आरक्षण कार्यालय की व्यवस्था है ;

(ख) मोटर गाड़ियां, रिक्शे और तांगे खड़े करने के लिए पटना शहर स्टेशन पर स्थान की व्यवस्था है।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन के निकट पुलिया संख्या 102 को सुधारना

3946. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सिटी रेलवे स्टेशन के पश्चिम में स्थित पुलिया संख्या 102 बहुत ही खराब हालत में है यहां तक कि सारा वर्ष वहां पर पानी और कीचड़ जमा रहता है और डिवीजनल कार्यालय, दानापुर ने इसे सुधारने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ख) क्या उपरोक्त पुलिया संख्या 102 को, जिसे "छटंकी का पुल" कहां जाता है, चकई, भन्डई, बरिया मिरचा-मिरची के हजारों ग्रामीण इस्तेमाल करते हैं और यह एक बड़ा आम रास्ता है ; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन का विचार उपरोक्त पुलिया में एक दो "मैन होल" बनाने का है जिससे कि इसमें पानी और कीचड़ जमा न हो ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) वह पुलिया एक खुला नाला है। पुल की संरचना अच्छी हालत में है। वहां भी, खुला नाला होने के कारण वर्षा के मौसम के बाद जल निकास पर गंदला पानी और कीचड़ हो सकता है ;

(ख) वर्षा न होने पर यार्ड के पार जाने के लिए काफी संख्या में स्थानीय व्यक्ति इस निकास का उपयोग करते हैं लेकिन इस प्रकार का आवागमन अनधिकृत है क्योंकि यह पुल नाले के जल निकास के लिए है न कि उप-मार्ग है ;

(ग) जी नहीं।

पटना सिटी और पटना जंकशन रेलवे स्टेशनों पर गन्दे प्रतीक्षालय

3947. **श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटना सिटी और पटना के जंकशन रेलवे स्टेशनों प्रतीक्षालय गन्दे और अस्वास्थ्यकर होते हैं ;

(ख) क्या विश्राम कक्षों का आरक्षण प्रत्येक यात्री से एक रुपया फालतू लेकर किया जाता है और क्या चौकीदारों का इसमें कथित हाथ होता है, और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी नहीं

(ख) इस तरह की कोई शिकायत या रिपोर्ट नहीं मिली है ;

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे की केरिज शाप के श्रमिक द्वारा शिकायत

3948. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अजमेर (राजस्थान) से प्रकाशित "नव ज्योति" दिनांक 18 जनवरी, 1973 के हिन्दी संस्करण में पश्चिम रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा फोरमैन की सहायता से 26 वीं वर्कशाप के प्रत्येक कर्मचारी से 6 रुपये के हिसाब से जबरन वसूली करने के वारे में कैरिज शाप के एक श्रमिक की शिकायत की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो छंटनी का सारांश क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के मामले की समय पर सूचना देने में असफलता पर सरकार का अपने अधिसूचना विभाग के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) अजमेर से प्रकाशित "नव ज्योति" के हिन्दी संस्करण में एक गुमनाम पत्र छपा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि यूनियन द्वारा लिए गए मतदान के सम्बन्ध में जबरदस्ती चन्दा लिया गया था।

(ख) जब मामले की जांच-पड़ताल की गई तो जबरदस्ती चन्दा लिए जाने के सम्बन्ध में कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं मिली और एक भी कर्मचारी ने कदाचार का आरोप नहीं लगाया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में कोरापुट और मध्य प्रदेश में बस्तर के लिये रेलवे लाइन

3949. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कोरापुट और मध्य प्रदेश में बस्तर जैसे अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में रेल सम्पर्क स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) उड़ीसा में कोरापुट और मध्य प्रदेश में बस्तर पहले से ही रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है ;

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता। लेकिन बस्तर जिला में डल्ली-राजहरा से दतिवाड़ा जगदलपुर तक बड़ी लाइन के लिए हाल ही में यातायात सर्वेक्षण पूरा किया गया है और रेलवे बोर्ड अभी रिपोर्ट की जांच कर रहा है। इस बीच इस लाइन के लिए विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण के परिणामों का पता चल जाने के बाद ही इस प्रस्ताव पर आगे और विचार किया जायेगा।

डी० बी० के० रेल लाइन का विद्युतीकरण

3950. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० बी० के० 'रेल लाइन का विद्युतीकरण शीघ्र ही पूरा हो जायेगा और;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युतीकरण के पश्चात् इस लाइन पर यात्री एवं माल गाड़ियां चलेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वास्तेरु किरंदुल खंड (डी० बी० के० रेलवे लाइन) के बिजलीकरण का काम 1975–76 में किसी समय पूरा हो जाने का अनुमान है।

(ख) जब इस खंड के बिजलीकरण का काम पूरा हो जायेगा तभी इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

गांधी धाम से बरास्ता माण्डवी भुजा/लाखपत तक बड़ी लाइन का विस्तार

3951. **डा० महीपत राय मेहता:** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीधाम से बरास्ता माण्डवी भुज तक और लाखपत तक बड़ी लाइन के विस्तार के लिये सर्वेक्षण प्रतिवेदन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस अकाल-ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को सोद्देश्य रोजगार देने के लिए मिट्टी हटाने से संबंधित कार्य प्रारम्भ करने का सोच रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सभी दृष्टि से जांच पूरी हो जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

Motor Coach Service on Sikar-Loharu Track of Western Railway

3952. **Shri S. N. Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a motor coach used to run from Sikar to Loharu (Western Railway) in the morning hours and from Loharu to Sikar in the evening hours even before 1947;

(b) whether the traffic has now increased since then and there is no Railway facility available for journey on this track from Sikar to Loharu in the morning hours and from Loharu to Sikar in the evening hours; and

(c) if so, whether Government propose to start a shuttle train on this track to provide traffic facility so that the passengers in this region may get rail connections at Loharu at noon for Bikaner and Delhi and in the evening for Jaipur, Sawai Madhopur, Ahmedabad etc.?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) One pair of rail motor coach used to run between Loharu and Sikar prior to 1947.

(b) and (c) There is at present no traffic justification for the introduction of an additional train on the Sikar-Loharu section as the accommodation provided in the existing two pairs of trains is not being fully utilised on the section.

Gas, Petrol and Kerosene oil agencies in Rajasthan

3953. **Shri S. N. Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of the places in Rajasthan where Gas, Petrol and kerosene oil agencies have been set up by Indian Oil Company in 1972-73; and

(b) the names of the places where new agencies are proposed to be sanctioned in the year 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh): (a) and (b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Rural electrification schemes sanctioned in Rajasthan

3954. **Shri S. N. Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the names of schemes sanctioned by the Central Government for the electrification of villages in Jhunjhunu District of Rajasthan under the Rural Electrification scheme and the names of the schemes on which survey is being conducted and the time by which the work regarding the sanctioned scheme would start and also the present stage of the survey?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): The rural Electrification Corporation has sanctioned in November, 1972 one scheme report of Rajasthan State Electricity Board for loan assistance of Rs. 53.542 lakhs, aiming at electrification of 68 villages, energisation of 1020 pumpsets and power connections to 165 small-scale and agro-industries in Khetri and Chirawa Tehsils of Jhunjhunu District. This scheme is phased for completion in four years.

As intimated by Rajasthan State Electricity Board, the work on the scheme is likely to start by April, 1973. So far, no other scheme for sanction by Rural Electrification Corporation is under preparation by the Board for electrification of Jhunjhunu District.

Scheme to canalize Ganga water to district of Rajasthan

3955. **Shri S. N. Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether there is a scheme to canalize the Ganga waters to Alwar, Jhunjhunu, Churu in the Eastern and Northern Districts of Rajasthan and the scheme is being surveyed; and

(b) if so, the present stage thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The Engineers of Rajasthan State have sent an outline proposal to the Ganga Flood Control Commission envisaging diversion of 40,000

cusecs of Ganga waters to serve Rajasthan areas. Uttar Pradesh engineers have stated that there is no proposal under their consideration to divert the waters of the Ganga. They have stated that after construction of the proposed dams and a left bank canal to irrigate dry areas in Bijnor, Moradabad and Budaun districts, the Ganga waters at Hardwar will fall short of their own requirements.

At the time of investigation of National Water Grid, possibilities of inter-basin transfer of water without affecting the irrigation requirements of any State will be studied with necessary hydrological and topographical surveys.

21-11-72 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1028 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement correcting reply to USQ No. 1028, dated 21-11-72

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : 21-11-1972 को लोक सभा में श्री ईश्वर चौधरी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1028 के भाग (ग) के उत्तर में निम्नलिखित सूचना दी गयी थी :—

"पिछली ठेका दरों की तुलना में, जनता लेबर को-आपरेटिव सोसाइटी, कानपुर के लिये कानपुर माल गोदाम की लदाई-उतराई के ठेके में 29 प्रतिशत और फजलगंज सहित जुही यानान्तरण और माल गोदाम के ठेके में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।"

उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के भाग (ग) का सही उत्तर इस प्रकार है :—

"पिछली ठेका दरों की तुलना में, जनता लेबर को-आपरेटिव सोसाइटी, कानपुर के लिये कानपुर माल गोदाम की लदाई-उतराई के ठेके में 32 प्रतिशत और फजलगंज सहित जुही यानान्तरण और माल गोदाम के ठेके में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।"

4-12-1972 को राज्य सभा में इसी तरह के एक प्रश्न का उत्तर देते समय इस भूल का पता लगा था। सत्यापन के बाद पता चला कि सही संख्या 32 प्रतिशत है। असावधानीवश यह भूल हुई थी। भूल सुधार में विलम्ब के लिए खेद है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, I have a point of order so far as this calling attention is concerned. It was addressed to Home Minister for reply as this is the matter of law and order situation. Education Minister will not give proper reply. Therefore the Home Minister should reply to it.

अध्यक्ष महोदय : इसे शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया था, क्योंकि बैलट के अनुसार प्रथम और दूसरे सदस्य ने इसे शिक्षा मंत्री के नाम भेजा था। अब यह सदस्यों पर निर्भर करता है कि अब क्या इसे गृह मंत्री के पास भेजा जाए। हमें गृह मंत्री महोदय की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) :इस पर मध्याह्न पश्चात् विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री दोपहर के 1 बजे आयेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, Sir, just see the wording of this Calling Attention:

"अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की अकर्मण्यता से उत्पन्न स्थिति...."

इसमें शिक्षा मंत्री कहां से आ गये ?

अध्यक्ष महोदय : हमने इस सदन में कई बार स्पष्ट कर दिया है कि हम माननीय सदस्य के संकेत को देखते हैं। सदस्य जिस मंत्रालय के नाम भेजते हैं वह उसी मंत्रालय को भेज दी जाती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : किन्तु जब यदि विषय और मंत्रालय में कुछ सन्देह हो जाता है तो सदस्य को बता देना चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप बैलट कैसे करते हैं। यदि एक ही प्रकार के विषय का मामला दो मंत्रालयों को भेजा जाता है तो आपको अपना विवेक प्रयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले सदस्य का संकेत या निर्देश देखते हैं और अन्य सदस्यों की उन्हीं के साथ मिला दिया जाता है। ऐसा ही हम करते रहे हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपका सचिवालय इसे गृह मंत्रालय को क्यों नहीं भेज देता है? उनको भी तो सावधानी बरतनी चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (South-Delhi): Sir, the statement of Education Minister has been circulated. Will the Home Minister's statement be also circulated? There will be two views before the House.

Mr. Speaker: We will take up this calling attention at 5.00 P.M.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, it should be taken up at 4.00 P.M. It is a very serious matter and it will take more time.

Mr. Speaker: Orissa Budget will be introduced at 4.30 P.M.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): अध्यक्ष महोदय आप तो जानते हैं कि श्रमजीवी पत्रकारों ने मजूरी बोर्ड के बारे में सारे देश में हड़ताल कर रखी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। आपको उचित समय पर बुलाया जायेगा।

श्री पीलू मोदी: डा० कर्णसिंह के त्यागपत्र के बारे में ससंदीय प्रथा का उल्लंघन किया गया है। जिसके बारे में मैंने आपको लिखा भी था। उन्होंने यहां आकर वक्तव्य दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वह काफी विलम्ब से मिला था। मैंने उसे देखा भी नहीं है। मैं इसे देखूंगा।

689(ai) LS—9.

श्री पी० जी० मावलंकर : यदि किसी सदस्य द्वारा गलती या भूल से नोटिस गलत मंत्री के नाम भेज दिया गया हो तो क्या लोक सभा सचिवालय उसे सम्बद्ध मंत्री को नहीं भेज सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यदि हम ऐसा करते हैं तो कभी-कभी मंत्री आपत्ति उठाते हैं। कभी-कभी तो सदस्य पहले ही मंत्री से मिल लेते है और मंत्री सहमत हो जाता है। उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाता है जिसकी सूचना हमारे कार्यालय को नहीं होती है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : पहले संसद् में यह प्रथा थी कि इस प्रकार के नितान्त तकनीकी मामलों पर आपका सचिवालय सही मार्गदर्शन करता था।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में तो यह स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री के नाम दिया गया था।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री पीलू मोदी : डा० कर्णसिंह ने अपने वक्तव्य में त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की थी, इसके लिये उन्होंने प्रधान मंत्री की अनुमति ले ली थी। सामान्य संसदीय प्रथा के अनुसार मंत्री अपना त्यागपत्र स्वीकृत होने के पश्चात् ही वक्तव्य देता है। किन्तु चूंकि जब डा० कर्णसिंह ने प्रधान मंत्री से अनुमति लेकर त्यागपत्र देने से पूर्व अपना वक्तव्य दिया है, अतः डा० कर्णसिंह को एक अन्य वक्तव्य देना चाहिए। जिसमें उनको यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी स्थिति को क्यों बदला।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री): मैं आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1956 की धारा 70 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जी०ओ०एम०एस०संख्या 397 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो आंध्र प्रदेश के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड (नियुक्ति और काउन्सल को फीस की अदायगी) नियम, 1968 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4537/73]

राज्य सभा से सन्देश

Message from Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 12 मार्च, 1973 को अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में श्री सुखदेव प्रसाद के उपमंत्री नियुक्त किये जाने के कारण रिक्त हुये स्थान पर एक सदस्य को निर्वाचित करने के सम्बन्ध में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और श्री कल्याणचन्द, सदस्य, राज्य सभा का, जो उक्त समिति के सदस्य चुने गये हैं, नाम भेजा है ।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

26वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन से, जो 16 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन से, जो 16 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संघ राज्यक्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

Union Territories Taxation Laws (Amendment) Bill

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहिसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्यक्षेत्र में कतिपय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्यक्षेत्र में कतिपय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री एफ० एच० मोहिसिन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्रमजीवी पत्रकारों आदि द्वारा हड़ताल के बारे में
Re. Strike by Working Journalists, etc.

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : प्रक्रिया नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत मैं सदन में निम्नलिखित मामला उठाता हूं और अनुरोध करता हूं कि सम्बद्ध मंत्री इस विषय पर एक वक्तव्य दें।

> "महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता आदि के पुनरीक्षण के लिये तीसरे वेतन बोर्ड के लिये अपने मामले पर दबाव देने हेतु आज देश पर्यन्त श्रमजीवी पत्रकारों की सांकेतिक हड़ताल ।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन क्या आप श्रम मंत्री से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिये कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मामला उनके पास भेज दूंगा ।

श्री हरिकिशोर सिंह (पुपरी) : धनबाद में खान विस्फोट के बारे में एक वक्तव्य दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य
Statement Re. Letter of Resignation by Minister of Tourism and Civil Aviation

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 16 तारीख को सदन में मैंने अपने उस पत्र के कुछ अंश पढ़े थे जो प्रधान मंत्री को भेजा गया था । इस पत्र पर निर्णय करने का प्रधान मंत्री को अधिकार था । 18 तारीख को प्रधान मंत्री ने मुझे बताया कि वह मेरा त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर रही हैं। उनकी इच्छा के सम्मान में मैं अपने वर्तमान पद पर सेवा करता रहूंगा ।

एवरो के सम्बन्ध में हमने उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय कर लिया है। अगले दिनों में मैं इसका ब्यौरा बता दूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, there should be debate on Avros before the matter goes for investigation.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में विचार करूंगा ।

श्री जी० विश्वनाथन् (वांडीवाश) : आपने उस दिन जो कुछ कहा था उसे वापस लेना पड़ेगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इसमें प्रक्रिया की बात उठती है। उस दिन आपने वक्तव्य देने की अनुमति दी थी। यह वक्तव्य समय पूर्व दिया गया। सम्भवतया प्रधान मंत्री ने उनका त्यागपत्र स्वीकार न करने की सूचना नहीं दी थी। सदन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। जनता इसका मूल्य देती है। पिछली बार इस विषय पर हुई चर्चा पर हमने समय बर्बाद किया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : (बेगुसराय) : में प्रक्रिया सम्बन्धी एक अन्य प्रश्न उठाता हूं। क्या अब से यह सदन की सामान्य प्रक्रिया होगी कि जब किसी मंत्री के त्यागपत्र पर विचार किया जा रहा हो तो वह सदन में वक्तब्य दे सकता है। यदि प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त न की गई होती तो मंत्री ने वक्तब्य न दिया होता।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1972-73
..Supplementary Demands for Grants (General) 1972-73

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० के० गणेश अपना उत्तर जारी रखें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश : रक्षा सेवाओं के लिए राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए, और बंगला देश की सहायता के लिए अच्छी खासी राशि नियत की गई है। ऋणों के लिए ब्याज तथा अन्य शुल्कों के अतिरिक्त राज्यों के उन करों के भाग में जो केन्द्र ने उनकी ओर से लगाये हैं काफी वृद्धि हो गई है। भारतीय खाद्यान्नों की खरीद के लिए खाद्य निगम के नियतन में भी वृद्धि हुई है। उर्वरको को खरीद के लिए खनिज में भी वृद्धि हुई है। उर्वरकों की खरीद के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम को अधिक राशि निय की गई है। न तो लिगनाइट कारपोरेशन को साथ पूजीं निवेश के लिए तथा भारतीय उर्वरक निगम को गैर कोकिंग कोयला खानों पर व्यय करने के लिए अधिक राशि नियत की गई है।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए क्रियान्वयन विभाग बनाने के बारे में कहा गया है। वित्त मंत्रालय में यह विभाग खोल दिया गया है। यह विभाग शीघ्रता से आयोग के प्रति-वेदन पर विचार करेगा।

जहां तक प्रेस स्वामित्व के विघटन की बात है, इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। अखबारी कागज के सम्बन्ध में सर्वोच्चय न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख कर इस पर चर्चा हुई है।

जहां तक पेंशन भोगियों का मामला है, इस बारे में मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं। पेंशन भोगियों के मामले पर उस समय विचार किया जायेगा जब सरकार सेवामुत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन आर्डर तथा पेंशन लाभ के प्रश्न पर नर्णय कर चुकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदन की स्वीकृति के लिये मांगें पेश करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान में आपका ध्यान 18 मार्च, 1973 के पैट्रियट में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि "विश्व खाद्य पदार्थ कार्यक्रम का सड़ा हुआ दुग्ध चूर्ण घी, निर्धनों को बेचा गया है"। यदि मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है तो वह हमें सूचित करें। अशिक्षित निर्धनों को ऐसी सामग्री सप्लाई की गई है।

श्री के० आर० गणेश :- इस समय इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : में एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। आपके प्रस्ताव को मत विभाजन के लिये रखने से पहले में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन में ज्ञानपूर्ति नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : संख्या गिनी जा रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : जब सत्तारूढ़ दल इतनी बड़ी राशि स्वीकृत कराने जा रहा है तब उसका यह दायित्व हो जाता है कि वह देखे कि सदन में गणपूर्ति हो।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में गणपूर्ति हो गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1972–73 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Supplementary Demands for Grants for the year 1972-73 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
	(रक्षा मंत्रालय)	
1.	रक्षा मंत्रालय	5,49,000
2.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-स्थल सेना	1,53,65,00,000
3.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-नौसेना	4,11,50,000
4.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय–वायु सेना	27,71,20,000
5.	रक्षा सेवाएं-निष्क्रिय	3,00,00,000
	(शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय)	
7.	शिक्षा	5,26,50,000
	(विदेश मंत्रालय)	
10.	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	80,00,00,000
	(वित्त मंत्रालय)	
11.	वित्त मंत्रालय	47,78,000
14.	निगम कर आदि सहित आय पर कर	1,30,00,000
18.	टकसाल	13,38,000
20.	अफीम के कारखाने और क्षारयुक्त पदार्थों के निर्माण-कार्य	1,42,00,000
22.	राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	1,05,00,00,000
	(कृषि मंत्रालय)	
27.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगी	1,000
29.	कृषि विभाग	16,21,00,000
31.	सहकारिता विभाग	93,78,000
	(*विदेश व्यापार मंत्रालय)	
33.	विदेश व्यापार	6,83,13,000
34.	निर्यात–प्रधान उद्योग	30,76,000

*अब वाणिज्य मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
	(गृह मंत्रालय)	
37.	गृह मंत्रालय	88,000
38.	मंत्रिमंडल . . .	14,21,000
40.	पुलिस	10,23,28,000
41.	जनगणना . . .	19,15,000
45.	दिल्ली	4,94,86,000
46.	चण्डीगढ़	1,82,89,000
47.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह .	1,47,55,000
48.	अरुणाचल प्रदेश . . .	2,15,87,000
	(सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय)	
57.	सूचना तथा प्रचार	56,00,000
	(विधि और न्याय मंत्रालय)	
64.	विधि और न्याय मंत्रालय . . .	1,000
	(पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)	
66.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय . . .	2,53,92,000
	(नौवहन और परिवहन मंत्रालय)	
70.	सड़कें	2,39,44,000
73.	पत्तन	2,81,00,000
	(इस्पात और खान मंत्रालय)	
75.	इस्पात विभाग	7,35,73,000
76.	खान विभाग . . .	8,57,41,000
	(निर्माण और आवास मंत्रालय)	
82.	निर्माण और आवास मंत्रालय . .	1,000
83.	लोक निर्माण कार्य . .	14,38,20,000
	(परमाणु ऊर्जा विभाग)	
86.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा नाभिकीय शक्ति योजनाएं .	2,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	(संचार मंत्रालय)	रुपए
89.	डाक और तार कार्यसंचालन व्यय . . .	2,86,87,000
90.	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की वापसी . . .	12,08,67,000
	(संसदीय कार्य विभाग)	
95.	संसदीय कार्य विभाग	90,000
	(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)	
96.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग . . .	1,000
	(पूर्ति विभाग)	
99.	पूर्ति विभाग	2,97,000
	(रक्षा मंत्रालय)	
104.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	5,92,00,000
105.	रक्षा मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	15,30,000
	(वित्त मंत्रालय)	
113.	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम .	15,55,07,000
	(कृषि मंत्रालय)	
114.	अन्न और उर्वरकों की खरीद	67,55,17,000
115.	कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	1,000
	(*विदेश व्यापार मंत्रालय)	
116.	*विदेश व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	11,000
	(गृह मंत्रालय)	
118.	संघ राज्य क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय . . .	41,45,000
	(औद्योगिक विकास मंत्रालय)	
120.	औद्योगिक विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	1,000

*अब वाणिज्य मंत्रालय ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	(पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)	
125.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	21,99,89,000
	(नौवहन और परिवहन मंत्रालय)	
126.	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	7,48,90,000
	(इस्पात और खान मंत्रालय)	
129.	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	36,97,01,000
	(निर्माण और आवास मंत्रालय)	
132.	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	3,00,00,000
133.	दिल्ली पूंजी परिव्यय	45,70,000
	(संचार मंत्रालय)	
136.	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	1,000

विनियोग विधेयक

Appropriation Bill, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1972–73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1972–73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री के० आर गणेश: में प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 1972–73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय :–प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।"

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the enacting formula and the title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों को अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1972-73

Demands for Grants (Railways) 1972-73

अध्यक्ष महोदय :—अब हम वर्ष 1972-73 के लिए रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगें लेंगे। इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : —रेलवे बजट पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। रेलवे बजट में प्रत्येक वर्ष रेलवे बोर्ड के व्यय के लिए बहुत बड़ी राशि निर्धारित की जाती है। यह राशि यहां से बचाकर अन्य ठोस कार्यों पर व्यय की जा सकती है। रेलवे बिना रेलवे बोर्ड के भी ठीक प्रकार से चल सकती है। अतः रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि रेल मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे। रेलवे बोर्ड के लिए बहुत बड़ी सामग्री खरीदी जाती है और उसे भंडार में रख दिया जाता है। इतनी बड़ी राशि को निश्चल बना देना उचित नहीं है। किराये तथा भाड़े में निरन्तर वृद्धि की जा रही

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English Translation of the Sheet delivered in Bengali.

है। मेरे विचार से रेलवे में भाप चालित इंजनों के स्थान पर डीजल तथा बिजली से चलने वाले इंजनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि ये इंजन तेज चलते हैं तथा दीर्घ काल तक टिकाऊ रहते हैं। भापचालित इंजन वातावरण को दूषित करते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तिलहनों के भाड़े में बहुत अधिक वृद्धि की गई है। कलकत्ता की तेल मिलों को बिहार, आसाम, उड़ीसा से तिलहन मंगाने के लिए बहुत अधिक भाड़ा देना पड़ता है। तेल मंगाने पर भाड़ा कम पड़ता है। क्योंकि 3 क्विंटल तिलहन से 1 क्विटल तेल निकलता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पूर्वी क्षेत्र की तेल मिलों को उत्तर भारत की तेल मिलों से अनुचित प्रतिस्पर्धा लेनी पड़ेगी। अतः इस भाड़े की इस वृद्धि में कमी की जानी चाहिए।

दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे के इंजन कर्मचारियों ने कुछ दिन पहले एक आन्दोलन किया था। यह आन्दोलन वापिस ले लिया गया और एक समझौता हो गया था। परन्तु अभी भी बहुत से कर्मचारियों के विरुद्ध मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

जब यह आन्दोलन वापिस लिया गया था तब रेलवे मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध विचाराधीन सब मामले वापिस ले लिए जायेंगे और किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जायगा। अतः मैं नये रेलवे मन्त्री को इन विचाराधीन मामलों को वापिस लेने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहूंगा सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवा के पूरे लाभों सहित बहाल किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में मार्टिन बर्न रेलवे को पुनः चलाने के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसको पुनः चलाने के बारे में ठोस आश्वासन दिया जाना चाहिए। बी० डी० आर० रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए। पुरुलिया–हावड़ा के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

Shri V. B. Tarodekar (Nanded): The Prime Minister had stated in her speech in Aurangabad that Manmad-Mudkhed meter gauge line would be converted in broad gauge. But nothing has been mentioned in this statement about it.

Nanded is a backward district adjacent to Andhra Pradesh. There is a great unrest in Nanded district due to this statement and the people of that district are preparing themselves for an agitation. I will request the Railway Minister to reconsider this matter and make a statement in this regard immediately.

Manmad—Purna line should be extended upto Mudkhed. A direct train should run between Marakwara and Nanded, which is an important place for Sikh pilgrims.

The train between Sikandrabad and Nizamabad should be extended upto Purna.

Another platform should be constructed at Nanded.

The train between Purna and Adilabad should be extended upto Chandrapur. Nanded is a backward area of Marathwara. As this train goes *via* Nanded, coal and iron can be supplied to that area of Marathwara by this train.

Several industries are being commissioned there. But facilities of coal and other amenities are not available there. Extending of this train upto Chandrapur, will be greatly helpful in developing that part of Marathwara.

There are no waiting room or other facilities available after Manmad on meter gauge line. Demands have been made in this regard several times, but nothing has been done in this direction up till now. If these demands are not met Manmad should be excluded from South Central Zone and it should be included in Central Zone.

Marathi speaking T.T.I. should be kept in trains passing through Marathwara.

There are no light or drinking water facilities available on this line. The Government should look into this matter.

The demand to construct a railway station at Ghanora has not been met so far. Nanded is a very big business centre but there are no facilities there.

Taking into consideration the feelings of the people of Manmad-Mudkhed line should be converted into broad gauge line.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अनुपूरक मांग संख्या 4 में सरकार ने पुलिस पर किये गये खर्च की राज्य सरकारों से वापसी की मांग की है । इस बारे में मैं सभा का ध्यान हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में हिमगिर में की गई कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं। हिमगिर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 26 तारीख को गोली चलाई थी परिणामस्वरूप दो श्रमिकों की मृत्य हो गई और एक श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गया था । इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच का कार्य सुन्दरगढ़ के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को सौंपा गया था । इस प्रकार की जांच में किसी को भी विश्वास नहीं होगा । मुझे रेलवे कर्मचारियों से इस बारे में अनेक बार तार प्राप्त हुए हैं जिनमें मांग की गई है कि इस मामले की जांच के लिये कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना चाहिये था ।

एक अन्य मामले में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रांची के निकट मरी में रेलवे संघ कर्मचारियों के कुछ पदाधिकारियों को बिना कारण गिरफ्तार किया गया । मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में गिरफ्तार किये गये अधिकारियों को छोड़ दिया जाये और उनके विरुद्ध मामले वापिस ले लेने चाहिये अन्यथा गाड़ियों के पुनः अस्त-व्यस्त होने की पूरी सम्भावना है ।

समस्त बिलासपुर डिवीजन के मजदूरों ने अपने साथियों के मारे जाने के विरोध में तत्काल हड़ताल आरम्भ कर दी है । बम्बई हावड़ा लाइन 24 घंन्टे बन्द रही । क्या सरकार यह चाहती है कि एक ऐसे संघ को, जो मजदूरों के हितों और अधिकारों की रक्षा करता है और जो उन की कठिनाइयों और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, दबाया जाय अथवा समाप्त कर दिया जाये ?

सरकार की इस एक प्रकार की दमन की नीति से उक्त संघ टूटने वाला नहीं है बल्कि इसमें सरकार की उस नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी और वे इसका अपने ही तरीके से उत्तर देंगे हम नहीं चाहते कि गाड़ियों का चलना रोका जाये लेकिन यदि सरकार की यही नीति रहेगी तो और कोई चारा नहीं है ।

गोली चलाने की घटना की उचित व्यक्ति द्वारा न्यायिक जांच की जानी चाहिये जांच के हित में संबद्ध अधिकारी को तुरन्त मुअत्तिल किया जाना चाहिये ।

कोयला खान मालिक विभिन्न आधारों पर रेलवे को बेचे जाने वाले कोयले के मूल्य में वृद्धि की मांग करते रहे हैं और कुछ वाद विवाद के बाद वे एक समझौते पर पहुंच जाते हैं जिसके अन्तर्गत कोयले का मूल्य बढ़ जाया करता है । सरकार को अब इस प्रथा को छोड़ देना चाहिये और प्रत्येक महीने कोयले के मूल्य को नहीं बढ़ाना चाहिये।

मांग संख्या 9 दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों को दिये जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने के सम्बन्ध में है । लेकिन क्या मंत्रालय इन दुर्घटनाओं के कारणों की पूरी जांच करता है ?

रेलवे आयुक्त ने रेलवे में की गई सुरक्षा व्यवस्था की अपनी प्रतिवेदन में कड़ी आलोचना की है । उन्होंने ड्राइवर की सतर्कता तथा स्पीडो मीटर की जांच के लिये अपने प्रतिवेदन में अनेक सुझाव दिये हैं ।

लोको संग चल कर्मचारियों के काम के घंटों की समस्या बहुत पुरानी है । इस सम्बन्ध में अनेक आन्दोलन भी हुए हैं लेकिन अभी तक इस मामले का कोई संतोषजनक हल नहीं निकाला गया है ।

1948–49 के बीच बहुत बड़ी संख्या में रेलवे के स्थायी कर्मचारियों को बिना किसी आरोप के निकाल दिया गया था । रेलवे से इन मामलों पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि उनके मामलें पर सहानुभूतिपूवक विचार किया जाना चाहिये और उन्हें पुनः काम पर लगा दिया जाना चाहिये ।

मार्टिन बर्न लाइट रेलवे के कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें पूर्वी और दक्षिण-पूर्व रेलवे में काम पर लगा दिया जायेगा । लेकिन 80 से 90 प्रतिशत कर्मचारियों को देश की विभिन्न जोनों में तित्तर बित्तर कर दिया गया है । जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी परिवार सम्बन्धी, उनके बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं ।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair.)

अतः उनको दिये गये आश्वासनों के अनुसार उन्हें पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में नियुक्त किया जाना चाहिये ।

तीसरे दर्जे के किराये में वृद्धि से दोनों सदनों के सदस्य असंतुष्ट हैं । माननीय मंत्री ने भले ही यह आश्वासन दिया है कि इस किराये की वृद्धि से सामान्य जनता पर अधिक भार नहीं पड़ेगा लेकिन यह सच है । इससे सामान्य जनता पर बहुत बोझ पड़ा है । सामान्य जनता पर भार डाले बिना राजस्व की प्राप्ति के और भी अनेक उपाय थे ।

Shri Laxminarain Pandeya (Mandsaur): In case the Railway Administration has made a proper scheme there was not any necessity of putting most of these supplementary demands.

We expect some good work from Railway Board. It should create efficiency in railway administration. But it is not so. Railway Board require some reformation.

It has been brought to the notice of the Railway Minister several times that trains have to be cancelled on Western rail route due to floods. Some permanent measures should be found out to avoid loss to railways by floods.

Demand No. 10 relates to the welfare of the staff. Unfortunately, the railway administration do not give much attention towards the welfare of its staff. No facilities are given to the workers working on the Loco Shed in Ratlam Division on Western line. At least canteen facilities should be provided to them.

The work of electrification should be done with tremendous speed so that all may be benefited. The work of electrification on Bombay—Baroda line has been started. But this work has to be stopped on the plea that the railway line was low and it should be raised by two feet. This should have been considered before starting electrification work on this line. An enquiry should be held in this matter.

There is a heavy traffic on Guna—Maksi line. It is very helpful in taking coal. But no attention has been paid for making improvement on this line.

Attention has not been paid to convert Agra—Ujjain and Gwalior—Bhind narrow gauge lines to broad gauge lines. Taj Express should be extended upto Gwalior.

Speed of the trains on Ajmer—Khandwa line should be increased Besides this, there should be punctuality in running trains.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : रेलवे बोर्ड के कार्य में सुधार करने का उल्लेख किया गया है। सरकार का सदैव ही यह प्रयत्न रहता है कि रेलवे बोर्ड सुचारू ढंग से काम करे।

रेलवे मंत्रालय का यह काम है कि वह यह देखें कि रेलवे बोर्ड द्वारा सरकार की नीतियों का पालन किया जा रहा है। इस बात में कोई दो मत नहीं हो सकते कि अन्ततः मंत्रालय अपने कार्य के लिये संसद् के प्रति उत्तरदायी होता है।

माननीय सदस्यों ने रेल की पटरियों की हालत में सुधार करने पर बल दिया है। इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि डीजल से गाड़ियां चलाना अधिक लाभदायक हैं और भाप की अपेक्षा बिजली से गाड़ियां चलाना डीजल से भी अधिक लाभदायक हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि सामान्यतया उच्च घनत्व वाली लाइनों पर बिजली से गाड़ियां चलाई जाये। चौथी योजना के अन्त तक भारतीय रेलों में बिजली से चलाई जाने वाली रेलों की दूरी, जो 31 मार्च, 1972 को 3952 किलो मीटर थी, वह अब बढ़कर 4365 किलोमीटर हो जायेगी।

देश में बिजली की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में रेलों को बिजली नहीं मिल रही है अतः वह अपने जैनरेटर सैट लगाने पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक मार्टिन बर्न रेल के कर्मचारियों को काम देने का प्रश्न है, उन्हें भारतीय रेलवे में काम पर लगा दिया जायेगा। लेकिन इस मामले में कठिनाई यह है कि विभिन्न कार्मिक संघ हमें ऐसा नहीं करने देते।

यदि यूनियन सहमत हो जायेंगी तो हमें वैसा करने में कोई संकोच नहीं होगा। हम यूनियनों से लगातार अनुरोध करते रहे हैं कि वे लोगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दें परन्तु वे ऐसा नहीं कर रहीं हैं। जैसाकि अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि जिन लोगों को सेवाओं से निकाल दिया

गया था उस बारे में जांच समिति द्वारा जांच किये जाने के बाद भी कुछ लोगों को सेवाओं में नहीं लिया गया है इस सम्बन्ध में मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जिनको सेवाओं की जांच कर ली गई है उन्हें भारतीय रेलवे की सेवाओं में ले लिया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने समन्वय के बारे में एक बात उठाई है ....

अभी अभी श्री दीनेन भट्टाचार्य ने पूछा है कि मार्टिन बर्न रेलवे के 50 व्यक्तियों को अभी तक सेवाओं में नहीं लिया गया है इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस विशेष रेलवे के समाप्त हो जाने से जितने भी लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें भारतीय रेलवे में सेवाओं में लिया जायेगा । उनमें से अधिकांश को सेवाओं में ले लिया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने रेल मंत्रालय और इस्पात और खान मंत्रालय के बीच समन्वय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । कोयला-खानों के सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण के बाद रेलवे अधिकारियों और कोयला खान मालिकों के बीच बातचीत हुई है और मुझे सूचना मिली है कि रेलवे बोर्ड के सदस्य (यांत्रिकी), सदस्य (परिवहन) और वित्त आयुक्त तथा कोयला-खानों के महा अभिरक्षक के बीच बैठक हुई हैं । यह सुनिश्चित करना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य हो गया है कि रेल प्रशासन और खनन प्रशासन के बीच गहन समन्वय हो ।

रेलवे में पुलिस पर व्यय और हिमगिरि में हुई घटना का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है । रेलवे में पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । रेलवे सुरक्षा बल रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए है । हम ऐसी प्रणाली तैयार करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि राज्य पुलिस और रेलवे पुलिस में समन्वय हो ताकि पुलिस प्रभावी रूप से कार्य कर सके और उठाईगीरी, चोरी बिना टिकिट यात्रा रोकी जा सके और यात्रियों की जान माल की भी सुरक्षा की जा सके ।

श्री बसंत साठे (अकोला) : यदि वे रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए होते हैं तो आन्ध्र में करोड़ों रुपये की रेलवे की सम्पत्ति नष्ट कर दिये जाने के क्या कारभ हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं इस पर आ रहा हूं ।

हिमगिरि की घटना के सम्बन्ध में, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जब समझाने से और शारीरिक बल प्रयोग से भी नियंत्रण नहीं किया जा सका तो गोली चलानी पड़ी । गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का कमांडिंग आफिसर राज्य सरकार का अधिकारी होता है । राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट स्तर की जांच का आदेश दे दिया है अतः अभी मैं कुछ कहूं वह उचित नहीं होगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : 'साउथ ईस्टर्न रेलवे मेन्स युनियन' के महा सचिव श्री एन० सी० राय चौधरी को गिरफ्तार किया गया हथकड़ियां पहनाई गई और कमर में रस्सी डालकर पुलिस की हिरासत में लिया गया । वह अपराधी नहीं थे । यह कुछ असाधारण बात है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे सुरक्षा बल के पास किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की शक्ति नहीं है । रेलवे के अहाते अथवा उससे बाहर किये गये किसी अपराध पर राज्य पुलिस ही कार्यवाही कर सकती हैं । यह सब राज्य पुलिस द्वारा किया गया है । समूचा रेलवे संगठन एक परिवार के रूप में समझा जायेगा और यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है होगा कि किसी भी कर्मचारी को हमारी पुलिस अथवा राज्य पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये ।

जहां तक यूनियनों के बारे में नीति का सम्बन्ध है, रेलवे ने दो यूनियनों को मान्यता दे रखी है और यह सत्य है कि विभिन्न यूनियन आपस में मिलकर एक ही यूनियन बना लें।

जहां तक रेलवे में बनी हुई अन्य यूनियनों का सम्बन्ध है, हमारी यह नीति है कि कोई भी कर्मचारी शिकायत तो कर सकता है परन्तु उन पर बातचीत केवल मान्यता-प्राप्त यूनियन के साथ ही की जा सकती है और सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से दो यूनियनों को मान्यता मिली हुई है।

कुछ लाईनों को बढ़ाने और कुछ नई लाइनें बिछाने के बारे में कहा गया है और भारतीय रेलवे में ऐसा कार्य सदैव होता रहता है। जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो नई लाइनों के प्रश्न को हाथ में लिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): The employees of the diesel-shed at Ratlam had to go on strike and hunger strike for their demands but their demands have not been accepted. The hon. Minister should consider this matter seriously.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं उसकी जांच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1972-73 मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Supplementary Demands for Grants (Railways) 1972-73 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशी
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड . . .	3,61,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	1,80,56,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण . . .	18,23,21,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी . . .	1,21,45,000
7	संचालन व्यय—परिचालन ईंधन	4,35,27,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	5,70,65,000
9	संचालन व्यय-विविध व्यय	2,35,47,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण . .	74,76,000
12	सामनय राजस्व को लाभांश	3,48,76,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	77,65,01,000
16	पेंशन प्रचार—पेंशन निधि	92,76,000
17	सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसपर ब्याज का भुगतान-विकास निधि	31,80,000

विनियोग (रेल) विधेयक--1973
APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL—1973

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री एल० एन० मिश्र को ओर से प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तिय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हुं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय चाहे मेरी बातों का उत्तर दें या न दें परन्तु मैं उनसे एक बात केबारे मेंनिवेदन करना चाहता हूं । बोनस की अदायगी के लिए रेलवे कर्मचारियों की मांग है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम अगले विषय पर चर्चा करें तो आप कुछ कह सकते हैं । यह समय इस बात के लिए उपयुक्त नहीं है ।

अब प्रश्न है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972–73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड वार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2, Clause 3, The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1973–74

Demands for Grants (Railways), 1973-74

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1973-74 के लिये बजट (रेल) की अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य खड़े हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना नाम नहीं दिया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे की मांगे सभा के समक्ष हैं । इस चर्चा के लिए सात घंटे रखे गये हैं कई कटौती प्रस्ताव आये हैं । जो सदस्य सभा में उपस्थित हैं, वे जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें उनकी संख्या 15 मिनट के अन्दर बताएं और उन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कटौती प्रस्तावों का सम्बन्ध रेलवे बोर्ड के कार्यकरण से भी है । रेलवे बोर्ड को बने रहना देना कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसके सदस्य एक महीने के लिए जितना वेतन और अन्य लाभ लेते हैं वह चतुर्थ श्रेणी के 400 कर्मचारियों के एक वर्ष के वेतन के बराबर होता है । इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड अंग्रेजों द्वारा चालू किया गया था ।

रेलवे के सभी जोनों में जितने रिक्त स्थान हैं उन्हें भरा जाना चाहिए और रेलवे के अस्थाई तथा नैमित्तिक कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

रेलवे के कर्मचारियों को बोनस न दिये जाने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता क्योंकि रेलवे वाणिज्यिक आधार पर चलती है और अधिनियम में संशोधन हो गया है कि यदि कोई संस्थान वाणिज्यिक संस्थान है तो चाहे उसे मुनाफा हो या घाटा, इसके मालिक के लिए यह आवश्यक है कि वह कुल वार्षिक अर्जन का न्यूनतम 8.33 प्रतिशत अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में अदा करे ।

मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन आने के बाद वह इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं । वेतन आयोग तो वेतनमानों और अन्य मामलों के बारे में निर्णय करेगा और बोनस ऐसी राशि होती है जो एक कर्मचारी को एक संस्थान में एक वर्ष तक काम करने के बाद मिलती है अत: मन्त्री महोदय को इन दोनों प्रश्नों को मिलाना नहीं चाहिए और इन पर अलग-अलग रूप से विचार करना चाहिए ।

श्री एल० एन० मिश्र द्वारा रेल मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने से पूर्व मैंने हावड़ा अम्ला और हावड़ा-सियाखला सैक्शन में मार्टिन रेलवे को पुन: खोलने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया था। अब वे ये सोच रहे हैं कि उस क्षेत्र में ब्राड गेज लाइन बिछाई जा सकती है या नहीं। रेल मंत्रालय का कहना है कि लाइट रेलवे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं है और उसने जांच बिठाई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ब्राड गेज लाइन बिछाना संभव है या नहीं। शायद यह संभव हो परन्तु इस कार्य में कई वर्ष लग जायेंगे। दो दिन पहले के 'स्टेट्स मैन' में एक स्तम्भ लेखक ने लिखा था कि इस लाइन पर भूमि का अधिग्रहण करने में रेलवे को बहुत कठिनाइयां होगीं अत: इस आश्वासन में लोगों का विश्वास नहीं है। मंत्री महोदय मार्टिन लाइट रेलवे की परिसम्पतियों को नियंत्रण में लेकर क्यों नहीं इस लाइन को जैसी भी यह है चालू कर देते हैं ?

जी० टी० रोड वाले हिस्से में बहुत से रेलवे फाटक हैं जिनमें से सीरमपुर क्षेत्र में एक ऐसा फाटक है जिस पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। हर बार सरकार यही दलील देती है कि यदि राज्य सरकार 50 प्रतिशत लागत उठा ले तो वहां ऊपरी पुल अन्डर ब्रिज अथवा फलाई-ओवर बनाया जा सकता है। राज्य सरकार ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। कम से कम सीरमपुर क्षेत्र में एक फलाई-ओवर बनाने के बारे में रेलवे को उत्तरदायित्व ले लेना चाहिए।

मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि 20 किलोमिटर तक तृतीय श्रेणी के किराये में वृद्धि से छूट रहेगी। परन्तु वह यह छूट सीजन टिकट यात्रियों को क्यों नहीं देते ? सभी साधारण वर्गों के हजारों लोग रोजाना यात्रा करते हैं। यदि यह छूट सीजन टिकट यात्रियों को दी जाये तो बम्बई, कलकत्ता दिल्ली, मद्रास और अन्य स्थानों के लोग लाभान्वित होंगे।

एक अन्य बात जिस पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि तृतीय श्रेणी में थ्री टायर में आरक्षण के मामले में वास्तविक यात्री, जो दस दिन पहले से पंक्ति में खड़े रहते हैं आरक्षण नहीं करा पाते हैं और अन्य लोग उसी गाड़ी के लिए उसी दिन किसी न किसी चालाकी से आरक्षण करा लेते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार होता है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ एजेन्ट हैं जो दलाल कहलाते हैं वे आस-पास घूमते रहते हैं और ग्राहक फंसाते रहते हैं। सरकार को ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिससे इस भ्रष्टाचार की रोकथाम की जा सके और बिना कठिनाई के वास्तविक यात्रियों को आरक्षण मिल सके।

मैंने अपने कटोती प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव उपनगरीय सेक्शनों, विशेष कर हावड़ा-सियालदाह सेक्शन में गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में प्रस्तुत किया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वह मुझे बम्बई में चलने वाले ई० ऐम० यू० डिब्बों और हावड़ा-सयालदाह सेक्शन में चलने वाले ई० एम० यू० डिब्बों की संख्या को दर्शाने वाले तुलनात्मक आंकड़े दें क्योंकि मैं जानता हूं कि कलकत्ता की अपेक्षा बम्बई में उनकी संख्या अधिक है।

तारकेश्वर तीर्थ स्थान है और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि तारकेश्वर शाखा में दोहरी लाइन हो। पूर्वी रेलवे के बंदेल-कटवा सेक्शन में भी दोहरी लाइन होनी चाहिये।

बांकुरा दामोदर लाइन नैरो-गेज लाइन है । इसे ब्राड-गेज लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये और यदि हो सके तो इस लाइन को बारदोमन और तारकेश्वर तक बढाया जाना चाहिये ।

श्री **अर्जुन सेठी** (भद्रक) : रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में संकेत दिया है कि 1973-74 में बांसपानी-जखुपुरा रेल लाइन का सर्वेक्षण किया जायेगा । उन्होंने यह भी संकेत दिया कि किसी नई परियोजना पर विचार किया जा सकता है यदि वार्षिक ट्रेफिक लगभग तीस लाख टन हो । इस लाइन का विस्तृत इंजीनियरिंग-कम-ट्रेफिक सर्वेक्षण 1963-64 में किया गया था । रेलवे ने दो वर्ष पूर्व तालचेर-बिमलगढ -कोरा-ब्रासपानी लाइन का विस्तृत ट्रेफिक-कम-इजीनियरिंग सर्वेक्षण किया था । अतः बजट भाषण में पुनः यह उल्लेख करना व्यर्थ है कि पहली बार सर्वेक्षण किया जायेगा ।

मंत्री महोदय को पता है कि इस्पात और खान मंत्रालय तथा उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में मलंगटोली लोह अयस्क, सुकिन्दा, निकल निक्षेप और सरकपल्ली सीसा निक्षेपों को निकालने का निर्णय किया था । यदि रेल मंत्रालय इस लाइन को शीघ्र ही बनाने के लिए कदम उठाये तो अच्छा हो । यह पिछड़ा क्षेत्र है और जखुपुरा से बांसपानी तक नई रेल लाइन बनाने से दइतारी खानों से जो लोह-अयस्क सड़क परिवहन से अन्यत्र भेजा जाता है वह अधिक सस्ते में भेजा जा सकेगा ।

यह ध्यान में आया है कि उड़ीसा में बालासोर जिले में नीलगिरि फाटक पर एक कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया जा रहा है ।

रेल मंत्री को चाहिये कि वह रेलवे के अधिकारियों के बहकावे में न आये क्योंकि वे पुराने रिकार्ड देख कर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह लाइन लाभप्रद नहीं होगी ।

भूतपूर्व रेल मंत्री श्री पाई ने भद्रक से भुवनेश्वर तक शटल गाडी देकर हमें लाभान्वित किया है जिस के लिये मैं उनका आभारी हूं ।

भद्रक रेलवे औषधालय में इस समय दो डाक्टर कार्य कर रहे हैं । रेल मंत्री महोदय को वास्तविक बातों के बारे में पता नहीं चल पाता है क्योंकि वे रेलवे के अधिकारियों द्वारा बताई गई बातों पर विचार करते हैं । इन दो डाक्टरों में से एक डाक्टर गाड़ी के यात्रियों को देखता है तो दूसरा 1068 परिवारों को जो वहां पर रहते हैं, देखता है । यह मानवीय ढंग से संभव नहीं है कि एक डाक्टर इतने आदमियों को देख सके । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और वहां के लोगों के लिये कुछ करें ।

खुर्दा रोड डिवीजन में पिछले दस वर्षों से बहुत से गेंगमेंन कार्य कर रहे हैं परन्तु उन्हें अभी तक नैमित्तिक श्रमिक ही समझा जाता है । खड़गपुर डिवीजन के कुछ गेंगमैनों को स्थाई घोषित कर दिया गया है । क्यों न खुर्दा डिवीजन के कर्मचारियों को स्थायी बना दिया जाये ?

भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री हनुमतैया ने कहा था कि 1972 में हावड़ा से वालटेयर तक एक फास्ट गाडी चलाई जायेगी परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नही किया गया है ।

भद्रक रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों को रहने के लिये बहुत छोटे मकान दिये गये हैं परन्तु उनमें रसोई और शोचालय मिले जुले अथवा अलग नहीं हैं । मंत्री महोदय इन सब बातों के लिए कुछ करें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	1	श्री जगदीश भट्टाचार्य	रेलवे में प्रशासन में उच्च अधिकारियों की भरमार रोकने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	2	श्री सरोज मुखर्जी	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में विफलता।	,,
,,	3	श्री श्याम प्रसाद भट्टाचार्य	दक्षिण-पूर्व रेलवे में मौरीग्राम स्टेशन की दशा तत्काल सुधारने में असफलता।	,,
,,	4	,,	उत्तर रेलवे के बिजनौर स्टेशन पर प्रथम श्रेणी विश्राम-गृह को बनाए रखने में असफलता।	,,
,,	5	,,	लम्बी दूरी वाली रेलगाड़ियों में धूल रोकने वाली खिड़कियाँ लगाने में असफलता।	,,
,,	6	,,	लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में भोजन की व्यवस्था में सुधार करने में असफलता।	,,
,,	7	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के उपनगरीय क्षेत्रों में रेल कर्मचारियों को नगर भत्ता देने में असफलता।	,,
,,	8	,,	मार्टिन बर्न्स हावड़ा-अम्ता और हावड़ा-शियाखला लाइट रेलवे को पुन: चलाने में विफलता।	,,
,,	9	,,	रेल क्रासिंग सड़कों और स्टेशन के साथ की सड़कों में सुधार करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
,,	10	श्री श्माम प्रसाद भाट्टाचार्य	हावड़ा स्टेशन पर ई० एम० यू० कोच के दैनिक गाड़ियों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	11	,,	लम्बी यात्रा वाले यात्रियों की आरक्षण सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करने में असफलता।	,,
,,	12	,,	भारतीय रेलों के नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा की सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने में असफलता।	,,
,,	14	श्री जगदीश भट्टाचार्य	खड़गपुर-आढ़ा लाइन पर एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने में असफलता।	,,
,,	15	,,	खड़गपुर से आढ़ा तक विद्युत गाड़ी चलाने में असफलता।	,,
,,	16	,,	विष्णुपुर से आरामबाग तक नई रेल लाइन खोलने में असफलता।	,,
,,	17	,,	हावड़ा से आसता तक मार्टिन रेलवे को अपने हाथ में लेने में असफलता।	,,
,,	18	,,	बाकुरा से दामोदर नदी तक बड़ी लाइन ले जाने में असफलता।	,,
,,	32	,,	रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता।	,,
,,	33	,,	स्टेशन मास्टरों के पदों तक रेलवे कर्मचारियों के वेतनमानों में सुधार करने में असफलता।	,,
,,	34	,,	आकस्मिक कर्मकारों की सेवा की दशा में सुधार करने में असफलता।	,,
,,	35	,,	कर्मकारों का मनमाने ढंग से स्थानान्तरण और श्रमिकों द्वारा अपने आन्दोलन समाप्त करने के बाद भी उन्हें कार्य पर आने की अनुमति न देना।	,,

,,	36	श्री सरोज मुखर्जी	उच्चाधिकारी प्रधान प्रशासन सम्बन्धी व्यय कम करने और उस धन को नई लाइनों के निर्माण में लगाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	41	,,	पूर्व रेलवे के हावड़ा मण्डल में उन यात्रियों के साथ, जो अपनी जायज़ शिकायतें चार यात्री संघों के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं, अच्छे सम्बन्ध रखने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	42	,,	यात्री संघों के साथ नियमित रुप से सम्बन्ध बनाए रखने में पूर्व रेलवे प्रशासन की असफलता।	,, ,,
,,	43	,,	रेल कर्मचारियों, विशेषकर राजधानी एक्सप्रैस के रनिंग कर्मचारियों की शिकायतों के प्रति, जिन्हें कुछ संसद् सदस्यों द्वारा ध्यान में लाया गया है, प्राधिकारियों की घोर उदासीनता।	,,
,,	44	,,	हावड़ा मण्डल में विद्यमान चार रेल यात्री संघों के प्रतिनिधियों के प्रति पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों का कठोर व्यवहार।	,,
,,	45	,,	शीर्ष प्रशासन की कुल लागत को कम करके आधा करने की आवश्यकता।	,,
,,	46	,,	दो राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियों (नई दिल्ली-हावड़ा और नई दिल्ली-बम्बई) के रसोइयों, बैरों, परिचालकों और कैंटीन मैनेजरों को प्रति माह विशेष भत्ता देने में असफलता।	,,
5	49	श्री जगदीश भट्टाचार्य	खुर्दा से पुरी तक दोहरी लाइन बिछाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये।
,,	50	श्री सरोज मुखर्जी	रेल सम्पत्ति के रख-रखाव और माल डिब्बे तोड़ने वाले तथा चोरों के विरूद्ध उचित निगरानी रखने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
5	52	श्री जगदीश भट्टाचार्य	दक्षिण पूर्व रेलवे के बांकुरा स्टेशन पर पहले दर्जे के यात्रियों के लिए एक अच्छा प्रतीक्षालय बनाने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
,,	53	श्री सरोज मुखर्जी	सभी रेलों में यात्रा के दौरान पहले दर्जे तथा तीसरे दर्जे के शयनयानों में बत्तियों, पंखों, चटकनियों, टट्टियों तथा पानी की टंकियों को सही हालत में रखने में प्राधिकारियों की विफलता।	,,
,,	54		तीसरे दर्जे के यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं देने में विफलता।	,,
6	55	,,	विभिन्न रेलों पर विशेषकर दक्षिण पूर्व रेलवे में हजारों नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी बनाने में विफलता।	,,
,,	56	,,	पूर्व रेलवे में हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों को, जिन्हें विद्युतीकरण के अपने कार्य को समाप्त करने के बाद में बेरोजगार बना दिया जाता है, नौकरियों में खपाने में विफलता।	,,
,,	57	,,	भारतीय रेलों के विभिन्न जोनों में मरम्मत और अनुरक्षण विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों तथा श्रमिकों के भत्तों में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
2	60	श्री जगदीश भट्टाचार्य	रेवले ट्रांजिट में माल की चोरी को रोकने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।

,,	61	,,	लम्बी दूरी की गाड़ियों के लिए रेलवे टिकटों की चोर बाजारी को रोकने में विफलता ।	,,
,,	62	,,	रेल कार्यालयों में स्टेशनरी की बर्बादी और चोरी को रोकने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	63	,,	ट्रांजिट के दौरान गुम हुए, क्षति पहुंचे अथवा चोरी गये समान के लिए तुरन्त पर्याप्त मुआवजा देने में विफलता ।	,,
9	64	,,	रेल दुर्घटनाओं में हताहत यात्रियों को शीघ्र तथा पर्याप्त मुआवजा देने में असफलता ।	,,
,,	65	,,	रेलवे द्वारा संचालित जलपान व्यवस्था की किस्म और सेवा में सुधार करने में असफलता ।	,,
10	67	श्री सरोज मुखर्जी	भारतीय रेलों के चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
13	68	,,	पश्चिम बंगाल में गुप्तीपाड़ा सड़क क्रासिंग और धतरीग्राम सड़क क्रासिंग के निकट पूर्वी रेलवे में बन्देल-खटवा लाइन पर ऊपरी-पुल बनाने में असफलता ।	,,
,,	69	,,	रेलवे संस्थान, प्रतीक्षालयों, प्लेटफार्मों के नवीकरण और पर्याप्त साइडिंग लाइनों की व्यवस्था समेत कटवा जंकशन के समस्त रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण में असफलता ।	,,
,,	70	,,	बर्दवान और दुर्गापुर के बीच पूर्वी रेलवे में पारज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने में असफलता ।	,,
,,	71	,,	पाथरादंगा स्टेशन (सियालदह डिविजन पूर्वी रेलवे) का नाम बदल कर गोवा स्वतंत्रता–संग्राम के शहीद के नाम पर नित्यानन्द शाह स्टेशन रखने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
13	72	श्री सरोज मुखर्जी	चलती कारों और ट्रकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हावड़ा और बर्दवान (हावड़ा डिवीडन पूर्वी रेलवे) के बीच जहां ग्रांड ट्रंक रोड रेलवे लाइनों को काटती हैं, पांच ऊपरी पुल बनाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	73	,,	सभी यात्री गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए रोशनी, पंखे और शौचालयों को बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	74	,,	सभी क्षेत्रीय रेलों में छात्रों को अब दिये जाने वाले रियायती भाड़े में और कमी करने की आवश्यकता ताकि आधे-सिंगल भाड़े में वे दुगनी यात्रा कर सकें।	,,
,,	75	,,	समस्त देश में विशेष तौर पर छात्रों को और आमतौर पर दैनिक यात्रियों को जो अपनी सेवाओं के लिए रेल यात्रा करते हैं किसी भी मेल, एक्सप्रैस अथवा यात्रीगाड़ी में, जितनी भी कम यात्रा उन्हें करनी हो, यात्रा करने की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,
,,	76	,,	पूर्वी रेलवे में पूर्वी रेलवे के सियालदह और हावड़ा डिवीजन में उपनगरीय रेलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	77	,,	अपने दैनिक कार्य के लिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली नगरों में आने वाले उन दैनिक यात्रियों के लिए जो उपनगरीय रेलों से यात्रा करते हैं भाड़े में कमी करने में असफलता।	,,
,,	78	,,	दक्षिण पूर्वी रेलवे पर खड़गपुर से आसनसोल तक विद्युत गाड़ियां चलाने में असफलता।	,,

,,	79	,,	पश्चिम बंगाल में बांकुरा और दुर्गापुर को मिलाने वाली एक नई लाइन बनाने में असफलता ।	,,
,,	80	,,	पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में मार्टिन रेलवे का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने तथा उसका पुर्ननिर्माण करने में असफलता ।	,,
,,	81	,,	पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर से आरामबाग तक एक नई रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	,,
,,	82	,,	पूर्वी रेलवे में बर्दवान जंकशन से होती हुई कटवा और बांकुरा को मिलाने वाली बड़ी लाइन बनाने में असफलता ।	,,
,,	83	,,	पूर्वी रेलवे में बर्दवान, हावड़ा मुख्य लाइन पर बी०डी०आर० को बोइंगची स्टेशन से मिलाकर और बी० डी० आर० को बड़ी लाइन में परिवर्तित करके एक नई लाइन बनाने और इस प्रकार पश्चिम बंगाल में रैना और जमालपुर थानों में प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों को आपस में मिलाने में असफलता ।	,,
,,	85	,,	पूर्वी रेलवे में बन्देल से बढहरवा तक रेलवे लाइनों में बिजली की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	86	,,	पूर्वी रेलवे में बन्डेल–बढहरवा रेलवे लाइन को दौहरी लाइन में परिवर्तित करने में असफलता ।	,,
1	184	श्री डी० के० पंडा	राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास के अनुरूप रेलवे के समुचित आयोजन में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
2	193	,,	उड़ीसा में जरबापुर और बांसपानी रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य आरम्भ करने तथा उसे पूरा करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	194	श्री डी० के० पंडा	चूंकि गोपालपुर एक बन्दरगाह के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिये उड़ीसा में गोपालपुर से बरहामपुर, अस्क, भांजानगर और फूलबजी से होते हुए बलनगीर तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिये शीघ्र सर्वेक्षण करने की आवश्यकता और आदिवासी क्षेत्रों में व्यापार का विकास करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये कर दिये जायें ।
,,	195	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय को कलकत्ता से उड़ीसा में भुवनेश्वर ले जाने की आवश्यकता।	,,
,,	196	,,	उड़ीसा में परालांखीमिदी-गुणपुर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र परिवर्तित करने की आवश्यकता।	,,
4	199	श्री आर० बी० बड़े	पश्चिम रेलवे की अस्थाई सिविल इंजीनियरों को स्थाई करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
6	201	,,	पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद से भूपाल तक रेल गाड़ियां चलाने, जैसाकि गत वर्ष चलती थीं, में असफलता।	,,
14	204	,,	खंडवा से दोहद (पश्चिम रेलवे) तक एक नई लाइन बनाने में विफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	205	,,	महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित क्षेत्र को राहत देने हेतु मनमाड से इंदौर तक बरास्ता धुलिया, शिरपुर एक नई लाइन बिछाने में विफलता।	,,

1	238	श्री भोगेन्द्र झा	पूर्वोत्तर रेलवे के सभी कर्मचारियों को, जो पांच वर्षों से अधिक समय से सेवा में हैं, स्थायी करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	239	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिविजन में जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच कोराहिया में एक नया हाल्ट खोलने की आवश्यकता ।	,,
,,	240	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिविजन में कामतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच मुराइया में एक नया हाल्ट खोलने की आवश्यकता ।	,,
,,	241	,,	पूर्व रेलवे में राजेन्दपुर हाल्ट को राजेन्द पुल के उत्तरी छोर के और अधिक दक्षिण की ओर ले जाने की आवश्यकता ।	,,
,,	242	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिविजन में कामतौल स्टेशन पर बिजली तथा पूछताछ टेलीफोन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	243	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुल डिविजन में दरभंगा स्टेशन के उत्तर में पहली फाटक पर एक उपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	244	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिये 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	245	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिविजन में सकरी स्टेशन के पहले फाटक पर एक उपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	246	,,	पूर्व तथा पूर्वोत्तर रेलवे में हावड़ा और समस्तीपुर स्टेशनों के बीच एक नई एक्सप्रैस गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	247	,,	नई दिल्ली और समस्तीपुर स्टेशनों के बीच एक मिथिला मेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	248	श्री भोगेन्द्र झा	103 अप और 104 डाऊन को मोका मेह् स्टेशन पर रोकने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	249	,,	जयनगर–पालेजा घाट तथा दरभंगा–पालेजाघाट डिब्बों में लम्बी बर्थों वाले स्लीपरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	262	डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	कुछ स्टेशनों पर सहायक स्टेशन मास्टरों को आवास सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।	,,
,,	263	,,	तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	264	,,	रेल कर्मचारियों की बोनस की मांग स्वीकार करने में असफलता।	,,
,,	265	,,	नैमित्तिक मजदूरों की सेवा की शर्तें तथा उनके वेतनमान निर्धारित करने में असफलता।	,,
,,	266	,,	रेलवे कर्मचारियों की आवास समस्या हल करने में असफलता।	,,
,,	267	,,	रेल प्रशासन में अदक्षता दूर करने में असफलता।	,,
,,	268	,,	रेल गार्डों की कठिनाइयों को हल करने में असफलता।	,,
,,	269	,,	रेलवे प्रशासन में हिन्दी के प्रति बर्ती जाने वाली उपेक्षा दूर करने में असफलता।	,,
,,	276	श्री राजदेव सिंह	शाहगंज और सुल्तानपुर के बीच एक नई रेलवे लाइन खोलने और बनाने की आवश्यकता।	,,

5	277	डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	पश्चिम रेलवे पर मीटर गेज गाड़ियों में नए शयनयानों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	278	,,	विभिन्न स्टेशनों पर और रेल डिब्बों में भी तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	279	,,	पश्चिम रेलवे के मन्दसौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिये निकास संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	280	श्री राजदेव सिंह	उत्तर रेलवे के फैजाबाद–वाराणसी सैक्शन पर पिन्ड्रा हाल्ट स्टेशन पर रोशनी प्लेट फार्म पर शेड, पेय-जल और पहुंच सड़क की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
6	281	,,	कर्मचारियों के वर्ष भर होने वाले स्थानान्तरणों को रोकने के और इस प्रकार भारी धनराशि की बचत करने में बोर्ड की असफलता।	,,
15	297	डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	पश्चिम रेलवे के इन्दौर दोहाद रेलवे लाइन बनाने में विलम्ब।	,,
,,	298	,,	पश्चिम रेलवे के अजमेर-खण्डवा सैक्शन में एक मेल गाड़ी आरम्भ करने में असफलता।	,,
,,	299	,,	रतलाम, इन्दौर और मन्दसौर रेलवे स्टेशनों के निकट रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता।	,,
,,	300	,,	रेलों में चोरों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता।	,,
,,	301	,,	अजमेर–खण्डवा (पश्चिम रेलवे) मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने में विलम्ब।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	302	श्री रानेन सेन	रेल कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में आवासों का निर्माण करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	303	,,	गाड़ियों में लूट, डकैती और छीना–झपटी रोकने में विफलता ।	,,
,,	304	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में सियालदह–बनगांव लाइन पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने में विफलता ।	,,
,,	305	,,	सतबेरिया पर, जो पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में बनगांव और गोपालनगर स्टेशनों के बीच स्थित है, एक हाल्ट/झंडी स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	306	,,	हावड़ा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ-साथ बंगला में भी घोषणा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	307	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में डोवरस और उत्तर बंगाल में गाड़ियों के संचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
13	308	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में दमदम छावनी और बनगांव के बीच दोहरी लाइन बिछाने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपये कर दी जाये ।
,,	309	,,	पश्चिम बंगाल में उपनगरीय क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का निर्माण करने तथा पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल में बशीरहाट और बनगांव रेलवे स्टेशनों को मिलाने की आवश्यकता ।	राशि में स 100 रुपये घटा दिये जायें ।
1	348	डा० लक्ष्मी नारायण पांण्डेय	पश्चिम रेलवे में गरोट रेलवे स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था करने में विलम्ब।	,,

,,	349	,,	पश्चिम रेलवे में गरोट स्टेशन पर रेलवे विभाग द्वारा रेल यात्रियों के लिए टैलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने में विलम्ब ।	,,
,,	350	,,	इन्दौर से बड़ौदा तक बरास्ता कुक्सी, अदीराजपुर और छोटा उदयपुर एक नई रेल लाइन बिछाने में विफलता ।	,,
,,	351	,,	नीमच से बड़ी सांदड़ी तक और रतलाम से डूंगरपुर तक नई रेल लाइने बिछाने में विफलता ।	,,
,,	352	,,	पश्चिम रेलवे में मंदसौर, जावरा, नीमच और शामगढ़ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उचित प्लेटफार्म शेडों के निर्माण, में विलम्ब ।	,,
,,	353	..	पश्चिम रेलवे के चल टिकट परीक्षकों की मांगों को स्वीकार करने में विलम्ब ।	,,
,,	356	,,	रेल प्रशासन में हिन्दी के प्रति उपेक्षा को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	357	,,	छात्रों तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यात्रा को सस्ता करने में विफलता ।	,,
,,	358	,,	लम्बी यात्रा के लिए तृतीय श्रेणी के यात्रियों को आरक्षण प्राप्त करने में होने वाली असुविधाओं को दूर करने में विफलता ।	,,
,,	359	श्री डी० के० पण्डा	बानगेरोपोसो–तालावंध सैक्शन को, जिसे यातायात के लिए बन्द कर दिया गया है, पुनः चालू करने की आवश्यकता ।	,,
2	360	,,	नवपद–गुनपुर शाखा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	,,

689(ai) LS—11.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	361	श्री डी० के० पंडा	रुपसा–तालाबंध शाखा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	362	,,	नवपद–गुनपुर रेल लाइन का रुजागडा तक विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	363	,,	रुपसा–तालाबन्ध रेल लाइन का रायरंगपुर तक विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	364	,,	दक्षिण पूर्व रेल (डी० बी० के० लाइन) में कोटावाल्सा किरेन्दरुल लाइन पर कोरापुर जिले में स्थित अल्मोनियम संयंत्र, कैल्सियम कारबाइड संयंत्र, अखबारी कागज संयंत्र तथा कास्टिकसोडा कारखानों के कच्चे माल तथा तैयार माल को लाने ले जाने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	,,
,,	365	,,	तालचेर–बिमलगढ़ रेल लाइन का निर्माण, जिसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण वर्ष 1970 में पूरा हो गया था, शीघ्र करने की आवश्यकता ।	,,
4	366	डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	सामान्य प्रशासन पर बढ़ते हुए खर्च को रोकने में असफलता ।	,,
,,	367	,,	सभी रेलवे कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं देने में विलम्ब ।	,,
6	368	,,	रेल आवागमन में माल उतारने में लापरवाही तथा पश्चिम रेल में नागदा जंकशन और रतलाम जंकशन पर माल को काफी लम्बी अवधि तक पड़े रहने देने की लापरवाही ।	,,

,,	369	,,	पश्चिम रेल में मंदसौर, नीमच, जावरा तथा अकौट जैसे छोटे स्टेशनों पर थोड़े लदानों के लिये माल डिब्बे सप्लाई करने में विफलता ।	,,
,	370	,,	रेल दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों को राहत देने में विलम्ब तथा विफलता ।	,,
1	405	श्री भोगेन्द्र झा	रेल बोर्ड को समाप्त करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	406	,,	गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्मिक संधों का प्रतिनिधि स्वरूप निर्धारित करके इन कार्मिक संधों को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	416	,,	पूर्वोत्तर रेल में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को विश्राम देने तथा उनके छुट्टी जाने पर काम करने हेतु क्षेणीवार नियुक्तियां करने के लिये रेल बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	417	,,	गडहरा–बरौनी (पूर्वोत्तर रेल) के वाहनान्तरण कलर्कों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।	,,
,,	418	,,	समस्तीपुर डिवीजन सवारी डिब्बों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये दक्ष क्षेणी में और अधिक पदों की मंजूरी देने तथा पदों के पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता ।	,,
,,	419	,,	पूर्वोत्तर रेल में छुट्टी पर गये कर्मचारियों के स्थान पर काम करने वाले टी० टी० ई० की पदोन्नति करने की आवश्यकता ।	,,
,,	420	,,	पूर्वोत्तर रेल में समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए जयगनर तक बड़ी लाइन को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	421	श्री भोगेन्द्र झा	समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए निर्मली तक बड़ी लाइन बढ़ाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
	422	,,	पूर्वोत्तर रेल में गोरखपुर और इज्जतनगर के लगभग 2500 खलासियों की मांगों को स्वीकार करके उनके (पदनाम के अनुसार कार्य) को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
	423	,,	गोरखपुर, समस्तीपुर और इज्जतनगर (पूर्वोत्तर रेल) के सभी स्थानापन्न कुशल खलासियों को कुशल खलासियों के रूप में स्थायी करने की आवश्यकता ।	,,
,,	424	,,	पूर्वोत्तर रेल मजदूर संध के कार्यकर्ताओं के गोरखपुर से इज्जतनगर में स्थानान्तरण के आदेशों को वापस लेने में असफलता ।	,,
,,	425	,,	पूर्वोत्तर रेल के समस्तीपुर डिवीजन में लोकों संगचल कर्मचारियों के लिये रेल बोर्ड के निर्णय के अनुसार मुख्यालय पर 16 घंटे का विश्राम सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,
,,	426	,,	पूर्वोत्तर रेल के समस्तीपुर डिवीजन में कमतौल, जोगीयारा, बेगुसराय, टेघरा, बछावड़ा, डालसिंह सराय, टेकटर, खजोली, जयनगर और राज नगर स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	427	,,	समस्तीपुर डिवीजन पूर्वोत्तर रेल मजदूर संघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध बरखास्तगी के आदेश वापस लेने की आवश्यकता ।	,,

,,	428	,,	पडहरा, पूर्वोत्तर रेल के कैरिज खलासियों और क्रेन खलासियों के विरुद्ध निलम्बन के आदेश वापस लेने की आवश्यकता ।	,,
,,	429	,,	एक अप और दो डाउन गाड़ियों में दरभंगा से लखनऊ और गोहाटी तक एक प्रथम तथा तृतीय श्रेणी डिब्बा जोड़ने की आवश्यकता ।	,,
,,	430	,,	लोको यार्ड, कैरिज और सिगनल विभागों में चीनी आक्रमण के दौरान 1962 में वर्दियों के मामले में की गई कटौती को वापस लेने की आवश्यकता ।	,,
,,	431	,,	पूर्वोत्तर रेल में बरौनी–गडहरा क्षेत्र के 47 कर्मचारियों के निलम्बन की अवधि को सवेतन छुट्टी मानने की आवश्यकता ।	,,
,,	466	डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	कर्मचारियों के बहुमत वाले रेल कर्मचारी कार्मिक संघों को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	467	,,	रतलाम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल रेल कर्मचारियों के बच्चों की संख्या के अनुसार खोलने में असफलता ।	,,
,,	468	,,	झालावार रोड से चम्बल बांध (गांधी सागर बांध) तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने में विलम्ब	,,
,,	469	,,	माल डिब्बों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित माल डिब्बा निर्माण कारखाने खोलने में विलम्ब ।	,,
,,	470	,,	रेल गाड़ियों को समय पर चलाने में असफलता ।	,,
,,	471	,,	नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने में विलम्ब ।	,,
,,	472	,,	उन कर्मचारियों के मामलों पर जिन्होंने विभिन्न कार्मिक संघों की गतिविधियों में भाग लिया है, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने में विलम्ब ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	473	डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	गत भारत पाक युद्ध में मारे गये या घायल हुए रेल कर्मचारियों को पर्याप्त मुआवजा अथवा पेन्शन देने में विलम्ब ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाएं
,,	474	,,	नागदा और बिरलाग्राम, (पश्चिम रेल) के बीच एक ऊपरी पुल बनाने में विलम्ब ।	,,
,,	475	,,	देश के पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का निर्माण करने में विलम्ब ।	,,
,,	476	,,	उज्जैन आगर नैरोगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता ।	,,
2	477	,,	रतलाम डीजल शैड के कर्मचारियों को सामान्य सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	478	,,	रतलाम डीजल शैड कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने में विलम्ब ।	,,
,,	479		रतलाम डीजल शैड का विस्तार करने में विलम्ब	,,
,,	480	,,	नीमच लोको शैड का विस्तार करने में विलम्ब । (सांकेतिक)	,,
6	481	,,	अहमदाबाद-भोपाल रेल गाड़ी को भोपाल तक न चलाने से यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने में विलम्ब ।	,,
,,	482	,,	10 वर्ष से अधिक समय से सेवारत कर्मचारियों को स्थाई करने में विलम्ब ।	,,

,,	483	,,	गुना मक्सी रेल लाइन का निर्माण करने में विलम्ब ।	,,
1	484	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेल में मेहवल स्टेशन तक एक पहुंच मार्ग बनाने में असफलता	,,
,,	485	,,	पूर्वोत्तर रेल में पिपरा स्टेशन तक के पहुंच मार्ग को पक्का मार्ग बनाने में असफलता	,,
,,	486	,,	पूर्वोत्तर रेल के उन सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने 3 वर्ष से अधिक की सेवा की है, स्थायी बनाने में विफलता ।	,,
,,	487	,,	पूर्वोत्तर रेल में चकिया स्टशन पर कर्मचारियों के मकानों को आधुनिक बनाने में असफलता ।	,,
,,	488	,,	पूर्वोत्तर रेल में चकिया स्टेशन पर सभी कर्मचारियों को आवास सुविधाएं देने में असफलता ।	,,
,,	489	,,	पूर्वोत्तर रेल में चकिया स्शटेन के पूर्व में मिडल स्कूल और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच एक गुमटी का निर्माण करने में असफलता ।	,,
,,	490	,,	रेल बोर्ड में नौकरशाही को रोकने में असफलता ।	,,
,,	491	,,	रेल कर्मचारियों की मांगों के प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाने में विफलता ।	,,
,,	492	,,	पूर्वोत्तर रेल में नरकटियागंज के उत्तरी छोर पर एक ऊपरी पुल बनाने में विफलता ।	,,
,,	493	,,	पूर्वोत्तर रेल में सुगौली जंक्शन पर एक शैड का निर्माण करने में असफलता ।	,,
,,	494	,,	पूर्वोत्तर रेल में नरकटियागंज जंक्शन पर काम कर रहे सभी रेल कर्मचारियों को आवास सुवधाएं देने में विफलता ।	,,
,,	495	,,	पूर्वोत्तर रेल में चकिया स्टेशन पर एक शैड का निर्माण करने में विफलता ।	,,

मांग सख्या	कटौती प्रस्ताव सख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	496	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेल में चकिया रेल स्टेशन के पूर्व में कन्या हाई स्कूल तक एक पहुच मार्ग बनाने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
,,	497	,,	पूर्वोत्तर रेल में पिपरा, मेहवल और मोतीपुर स्टेशनों पर चाय के स्टाल खोलने में विफलता ।	,,
,,	498	,,	पूर्वोत्तर रेल में मेहसी रेल स्टेशन से राष्ट्रीय राजपथ तक एक पहुंच मार्ग बनाने गें असफलता ।	,,
,,	499	,,	पूर्वोत्तर रेल में मुजफ्फरपुर जक्शन पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आवास की सुवधाएं देने में विफलता ।	,,
,,	500	,,	पूर्वोत्तर रेल में बगहा से आगे नारायणी नदी पर पुल का पुनर्निर्माण करने में विफलता ।	,,
,,	501	,,	पूर्वोत्तर रेल में यात्रियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने में विफलता ।	,,
,,	502	,,	पूर्वोत्तर रेल में मेहसी स्टेशन पर एक शैड का निर्माण करने में विफलता ।	,,
,,	503	,,	पूर्वोत्तर रेल में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को आधुनिक निवास स्थान देने में विफलता ।	,,
,,	504	,,	पूर्वोत्तर रेल में सुनौली जंकशन पर एक अच्छा प्रतीक्षालय बनाने में असफलता।	,,

,,	505	,,	पूर्वोत्तर में रेल में मेहवल और पिपरा स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों की स्थिति सुधारने में विफलता	,,
,,	506	,,	पूर्वोत्तर रेल में मेहवल रेल स्टेशन पर बिजली की लाइन की व्यवस्था करने में विफलता।	,,
1	507	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में चकिया स्टेशन पर माल गोदाम का विस्तार करने में अफसलता	,,
,,	508	,,	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा की मांगों को स्वीकार करने में असफलता।	,,
,,	509	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में गदरा में हड़ताल में भाग लेने के कारण निलम्बित किए गए कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता।	,,
,,	510	,,	रेलवे प्रबंध में सब रेल कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करने में विफलता	,,
,,	511	,,	पूर्वोत्तर रेलवे तथा अन्य रेलों में फैली नौकरशाही को रोकने में असफलता।	
,,	512	,,	उच्च रेल अधिकारियों और निम्न आय वाले रेल कर्मचारियों की आय में विषमता को दूर करने मे विफलता।	,,
,,	513	,,	रेलवे में बोनस भुगतान अधिनियम को क्रियान्वित करने में विफलता।	,,
,,	514	,,	रेलवे प्रशासन द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा को मान्यता दिलाने में विफलता।	,,
2	515	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में हाजीपुर से सिगोली बरास्ता लालगंज, साहब गंज, केसरिया तथा गोविन्दगंज तक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने में विफलता।	,,
,,	516	,,	पूर्वोतर रेलवे में छपरा से मोतीहारी तक एक सीधी नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने में विफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का आधार	कटौती की राशि
,,	517	श्री कमल मिश्र मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे पर मेहसी से ती सीतामढ़ी तक एक नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
,,	518	,,	तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए जल बिजली और शौचालय सुविधाओं में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
8	519	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर तक चलने वाली रात्रि गाड़ियों में बिजली की सुविधा प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	520	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर लखनऊ से मुजफ्फरपुर तक बिजली चालित गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
10	521	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के चतुर्थ श्रेणी रेल कर्मचारियों को आवास सुविधायें देने में असफलता ।	,,
,,	522	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के नरकटियागंज जंक्शन और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर काम करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए रेल प्रशासन द्वारा एक हाई स्कूल खोलने में असफलता ।	,,
,,	523	,,	रेलवे संगचल कर्मचारियों को मकान भत्ता तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	524	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर जंक्शनों के रेल कर्मचारियों के लिए अस्पतालों में और अधिक विस्तरों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,

”	525	”	पूर्वोत्तर रेलवे के सुगोली जंकशन के रेल कर्मचारियों के लिए भोजनालय की व्यवस्था करने में असफलता ।	”
”	526	”	रेल कर्मचारियों को उचित चिकित्सा सुविधायें देने में असफलता ।	”
”	527	”	तीसरी और चौथी श्रेणी के रेल कर्मचारियों की वर्दियों में सुधार करने में असफलता ।	”
	528		तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में वर्दी उपलब्ध करने में असफलता ।	”
14	529	”	पूर्वोत्तर रेलवे पर समस्तीपुर से रक्सौल तक बरास्ता मुजफ्फरपुर एक बड़ी लाइन बनाने में असफलता ।	”
”	530		पूर्वोत्तर रेलवे में नरकटियागंज से गोरखपुर तक बरास्ता बगहा एक रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	”
6	531	श्री दीनेन भट्टाचार्य	बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम के अनुसार सभी रेल कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस देना आरम्भ करने की आवश्यकता ।	”
”	532	”	सभी रेलों में सभी रिक्त पदों को भरने और इस सम्बन्ध में नैमित्तिक तथा अस्थायी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	”
9	533	”	सभी यात्रियों के लिए विशेषकर रात्रि में पूर्ण सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	”
13	534	”	सभी रेलों की रेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में और अधिक तृतीय श्रेणी त्रिशायी शायिकाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	
”	535	”	सभी यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए सभी रेलों में शायिकाओं के आरक्षण के सम्बन्ध में भली भांति जांच करने की आवश्यकता ।	”

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का आधार	कटौती की राशि
13	536	श्री दीनेन भट्टाचार्य	सभी उपनगरीय सेक्शनों में तृतीय श्रेणी के मासिक और सीजन टिकटों का किराया कम करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
,,	537	,,	सीरामपुर (पूर्व रेलवे) पर जी० टी० रोड रेल फाटक पर एक "फ्लाई ओवर" बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	538	,,	सिओराफूली से तकेश्वर तक वर्तमान इकहरी लाइन के बजाय दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	539	,,	कोननगर के उत्तर की ओर नीचे के पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता।	,,
,,	540	,,	पूर्व रेल की एच० बी० कोर्ड रेल लाइन पर और तीन-तीन अप और डाउन गाडियां चलाने की आवश्यकता।	
,,	541	,,	पूर्व रेल के हावडा-बान्डेल और सियालदह-नैहाटी सेक्शन में और अधिक ई० एम० यू० गाडियां चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	542	,,	पूर्व रेल के बान्डेल-कटवा सेक्शन में और अधिक रेल गाडियां चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	603	श्री रामावतार शास्त्री	परियोजना भत्ता दिये जाने के बारे में गढ़हराबरौनी क्षेत्र के हड़ताली कर्मचारियों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में असफलता।	,,
,,	604	,,	पूर्वोत्तर रेल के बरौनी जंक्शन के प्रतीक्षालय बैरों की वर्दियां देने में असफलता।	,,
,,	605	,,	पूर्वोत्तर रेल के लोको और कैरेज विभागों तथा कर्मशालाओं फायरमैन श्रेणी 'क' फायरमैन श्रेणी 'ख' ड्राइवरों, लोको शंटरों और कुशल फिटरों के रिक्त पदों को भरने में असफलता।	,,

"	606	"	रेल दावा निवारक समिति की सिफारिश के अनुसार भारतीय रेलों के यानान्तरण शैड कर्मचारियों को यानान्तरण शैड भत्ता देने में असफलता।	"
"	607	"	पूर्वोत्तर रेल के रेल कर्मचारियों को और गार्डों, टिकट निरीक्षकों, सहायक स्टेशन मास्टरों, यार्ड कर्मचारियों और अन्य संचालन कर्मचारियों जैसे अनिवार्य कर्मचारियों को वर्दियां देने में असफलता।	"
"	608	"	पूर्वोत्तर रेल पर बरौनी जंक्शन के रेल क्वाटरों में शौचालयों की और बिजली तथा पानी की नियमित सप्लाई की व्यवस्था में असफलता।	"
"	609	"	पूर्वोत्तर जोन में वाणिज्यिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण टी० आर० कर्मचारियों को अनावश्यक दण्ड से बचाने और यानान्तरण शैडों पर वाणिज्यिक नियमों का पालन कराने में असफलता।	"
"	610	"	गड़हरा हड़ताल, प्रदर्शनों और अन्य श्रमिक संघ कार्यवाहियों के सिलसिले में पूर्वोत्तर रेल मजदूर संघ (ए० आई० टी० यू० सी०) के श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के उत्पीड़न को समाप्त करने में असफलता।	"
"	611	"	गड़हरा बपौनी के पूर्वोत्तर तथा पूर्व रेल कर्मचारियों को 1971 में हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण 33 दिन की अवधि के लिए वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाएं देने में असफलता।	"
	612	"	गड़हरा और बरौनी के उन कर्मचारियों को, जो 1971 में 33 दिन की हड़ताल के सिल सिले में निलम्बित हुए थे, निलम्बन अवधि के वेतन के अन्तर का भुगतान करने में असफलता।	"
"	613	"	पूर्वोत्तर रेल के समस्तीपुर डिवीजन में 'बी' श्रेणी के गार्डों के बहुत दिनों से रिक्त पड़े पदों को भरने में असफलता।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावक का आधार	कटौती की राशि
1	614	श्री रामावतार शास्त्री	टिकट निरीक्षण कर्मचारियों के जीवन की ड्यूटी के दौरान रक्षा में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
,,	615	,,	भारतीय रेलों के सभी कैरेज, सिगनल, यार्ड, और क्रेन कर्मचारियों को ठंडी और गर्म वर्दियां देने की असफलता।	,,
,,	616	,,	समस्तीपुर डिवीजन के वृद्ध नैमित्तिक श्रमिकों के स्क्रीनिंग परीक्षण का परिणाम प्रकाशित करने में असफलता।	,,
,,	617	,,	गड़हरा के डम्प साइडिंग के वृद्ध कर्मचारियों को जो 1960 और 1961 से काम कर रहे हैं, स्थायी बनाने में असफलता।	,,
,,	618	,,	समस्तीपुर डिवीज़न में कैरेज कर्मचारियों के साक्षरता कार्य तथा स्थानापन्न कार्य को समाप्त करने में असफलता और उन्हें पूर्व उत्तर जोन में पदोन्नति के अवसरों से वंचित रखना।	,,
,,	619	,,	पूर्वोत्तर जोन में कैरेज और लोको विभागों में वैगनों और इंजिनों के लिए पर्याप्त स्टोर, सामग्री और मरम्मत करने के लिए उपकरणों की सप्लाई करने में असफलता।	,,
,,	620	,,	पूर्वोत्तर रेल पर बरारीघाट के जलीय कर्मचारियों को और सिगनल विभाग के फालतू कर्मचारियों को दूसरी उपयुक्त नौकरियां देने में असफलता।	,,
,,	621	,,	पूर्वोत्तर रेल पर गड़हरा रेल अस्पताल में विकृति विज्ञानी की व्यवस्था करने में असफलता।	,,

,,	622	,,	पूर्वोत्तर रेल में पुश्नचर्या की परीक्षा समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	623	,,	पूर्वोत्तर रेल में, विशेषकर मन्सीसहरसा और मन्सी-कटिहार सेक्शन में गाड़ियों में यात्रियों के सामान की चोरी को रोकने में असफलता।	,,
,,	624	,,	पूर्वोत्तर रेल पर रेल सुरक्षा बल के लिए विश्राम तथा रात्रि ड्यूटी भत्ते के भुगतान की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	625	,,	पूर्वोत्तर जोन पर समस्तीपुर डिवीजन में इरेक्शन खलासी से इरेक्शन सेरोंग की और इरेक्शन सेरांग से इरेक्शन मिस्त्री को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने में असफलता।	,,
,,	626	,,	पूर्वोत्तर रेल पर यानान्तरण शैडों में 5 वर्ष से अधिक सेवा होने पर भी यानान्तरण क्लर्कों (सामान) को गुडस क्लर्कों के पद देने में असफलता।	,,
,,	627	,,	पूर्वोत्तर रेल के थाना बीहरपुर, मन्सी और सहरसा के कैरेज कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी निश्चित करने में असफलता।	,,
,,	628	,,	पूर्वोत्तर रेल के समस्तीपुर डवीजन में कैरेज फिटरों, गाड़ी निरीक्षकों, रिपैकरों, ग्रीजरों, हेमरमेनों, वैल्डरों, और पेन्टरों के रिक्त पदों को भरने में असफलता।	,,
,,	629	,,	ट्रेड टैस्ट के योग्य होने के लिए, खलासी की ड्यूटी के लिए समय-सीमा निश्चित करने की आवश्यकता।	,,
,,	630	,,	हाई स्कूल पास खलासियों और फिटरों को गाड़ी निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति देने के लिए भारतीय रेलों में प्रशुक्षु गाड़ी निरीक्षकों की भर्ती रोकने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का आधार	कटौती की राशि
1	631	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वोत्तर जोन में समस्तीपुर डिवीजन में गाड़ी क्लर्कों को गार्ड श्रेणी 'ग' के रूप में पदोन्नत करने तथा उनके कोटे को भरने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	632	,,	पूर्वोत्तर रेल में बरौनी के कर्मचारियों को बाढ़ की अवधि के लिये क्वार्टर के किराये की प्रतिपूर्ति करने में असफलता।	,,
,,	633	,,	भारतीय रेलों में संगचल कर्मचारियों के लिये 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करने में विफलता।	राशि-घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	634	,,	भारतीय रेलों में चौकीदारों के लिये 8 घन्टे की ड्यूटी लागू करने में विफलता।	,,
,,	635	,,	भारतीय रेलों में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की सेवायें नियमित करने में असफलता।	,,
,,	636	,,	रेलों में लगातार कई वर्षों तक काम करने के बाद भी वैकल्पिक श्रमिकों को नियमित करने में विफलता।	,,
,,	637	,,	रेलवे में उच्च अधिकारी प्रधान प्रशासन को समाप्त करने में विफलता।	,,
,,	638	,,	रेलवे में नौकरशाही को समाप्त रकरने में विफलता।	,,
,,	639	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में विफलता।	,,
,,	640	,,	रेल कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने में विफलता।	,,
,,	641	,,	रेलवे कर्मचारियों की वर्दियों में चीनी हमले के बाद की गई कटौती को समाप्त करने में असफलता।	,,

"	642		भारतीय रेलों में एक कार्मिक संघ बनाने में असफलता ।	"
"	643	"	भारतीय रेलों में टिकट निरीक्षक कर्मचारियों को संगचल कर्मचारी घोषित करने में असफलता ।	"
"	644	"	भारतीय रेलों में अधिकारियों को दी जाने वाली सैलूनों तथा सैलूनों जैसी अन्य सुविधाओं को समाप्त करने में विफलता ।	"
"	645	"	पटना अथवा दानापुर में रेल सेवा आयोग का पूर्णकालिक कार्यालय स्थापित करने में असफलता ।	"
"	646	"	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में रेल सेवा आयोग, जिस का कार्यालय कटिहार में हो, बनाने की आवश्यकता ।	"
"	647	"	पूर्वोत्तर सीमा तथा अन्य रेलों में निजी ठेका पद्धति को समाप्त करने और विभागीय खान-पान व्यवस्था आरम्भ करने में विफलता ।	"
"	648	"	रेल कर्मचारियों को पर्याप्त आवास सुविधा देने में असफलता ।	"
"	649	"	भारतीय रेलों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटाने में असफलता ।	"
"	650	"	भारतीय रेलों की कर्मशालाओं में कर्मचारियों की भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने में विफलता ।	"
			(सांकेतिक)	
"	651	"	पूर्वोत्तर रेलवे हाई स्कूल, गडहरा में प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त स्थानों तथा पर्याप्त संख्या में शिक्षकों और पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।

669(ai) LS—12.

माँग संख्या	कटौती प्रस्तावक संख्या	प्रस्ताव का नाम	प्रस्ताव का आधार	कटौती का राशि
,,	652	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वोत्तर रेलवे में नरकटियागंज, इज्जतनगर और वाराणसी में रेलवे हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें
,,	653	,,	भारतीय रेलों में चल टिकट परीक्षकों को 'रनिंग रूम' की सुविधा देने की आवश्यकता ।	,,
,,	654	,,	पूर्वोत्तर जोन में यानान्तरण लिपिकों को गार्ड ग्रेड 'सी', माल लिपिकों तथा क्लेम ट्रेसरों के रूप में पदोन्नति के अवसर प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	655	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में 130–212 रुपये के वेतनमान में चल टिकट परीक्षकों के लिये छुट्टी आरक्षण पदों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	656	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में लोको मैकेनिकल कैरेज एण्ड वर्कशाप में कुशल फिटरों के मदों का पुनर्वर्गीकरण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	657	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के रेल कर्मचारियों के वेतन बिलों में से बिजली लगाने पर हुये खर्च की कटौती पूरी हो जाने पर भी इस कारण की जा रही कटौती को बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
,,	658	,,	पूर्वोतर रेलवे में 'ए' ग्रेड के चल टिकट परीक्षकों के पदों की व्यवस्था करने में विफलता ।	,,
,,	659	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में यार्ड कर्मचारी वर्ग में से उप मुख्य यार्ड मास्टरों और एरिया कंट्रोलरों के पदों को भरने में विफलता ।	,,
,,	660	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में इंजनों में निर्धारित और मानक आकार का कोयला सप्लाई करने में विफलता ।	,,

,,	661	,,	पूर्वोत्तर जोन में समस्तीपुर मंडल के रेलवे अस्पतालों में एक्सरे तक ीशनों (रेडियोलोजिस्ट) के पर्याप्त पदों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	662	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर माल गाड़ि ों में 'समाल क्वीक ट्रांजिट ड्यूटी' देने वाले गार्डों को समेकित संगचल भत्ता देने में विफलता ।	,,
,,	663	,,	फंजूल खर्चा को रोकने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	664	,,	रेलगाड़ियों में सफाई, बिजली तथा पीने के पानी की कमी ।	,,
,,	665	,,	मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड द्वारा संचालित रेलों का अधिग्रहण करने में विफलता ।	,,
,,	666	,,	बिहार में फतुआ–इस्लामपुर और अराह–साहसराम लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
,,	667	,,	वेतनमान निर्धारित करने तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण करने की दोषपूर्ण पद्धति ।	,,
,,	668	,,	तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सुविधाओं की कमी ।	,,
,,	669	,,	मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में विफलता ।	,,
,,	670	,,	देश में रेलों के समुचित विकास के लिये एक योजना बनाने में विफलता ।	,,
,,	671	,,	रेलवे में सभी कैंटीनों को विभागीय आधार पर चलाने में विफलता ।	,,
,,	672	,,	रेलवे में क संघ बनाने अथवा अन्य महासंघों, कार्मिक संघों तथा एशोसियेशनों को मान्यता देने में विफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का आधार	कटौती की राशि
1	673	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे में उठाईगीरी तथा चोरी को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	674	,,	रेलवे बोर्ड के नौकरशाह ढांचे में परिवर्तन करने में असफलता ।	,,
,,	687	,,	दक्षिण रेल में 7,000 से अधिक रेल कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान सम्बन्धी आदेशों को वापस लेने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं ।
,,	688	,,	पूर्व रेल में दानापुर और साहिबगंज के 340 रेल कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान सम्बन्धी आदेशों को वापस लेने में असफलता ।	,,
,,	689	,,	गैर-मान्यता प्राप्त एसोसियेशनों और कार्मिक संघों से ज्ञापन प्राप्त करने तथा उनके प्रतिनिधि मण्डलों से बातचीत करने के लिए भारतीय रेलों के महाप्रबन्धकों और अन्य अधिकारियों को अनुदेश देने में असफलता ।	,,
,,	690	,,	परियोजना भत्ते के मामले को लेकर गड़हरा पर 1971 में हुई 33 दिन की शान्तिपूर्ण हड़ताल में भाग लेने के कारण 300 से अधिक रेल कर्मचारियों और उसके नेताओं के विरुद्ध न्यायालयों में चलाये गये मुकदमों को वापस लेने में असफलता ।	,,
,,	691	,,	बरौनी उर्वरक परियोजना में 20 किलोमीटर के अन्दर अन्य स्थानों के तथा बरौनी–गड़हरा के रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने में असफलता ।	,,
,,	692	,,	आल इंडिया रेलवे एम्प्लाईज कान्फिड्रेशन (अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ) को रेल कर्मचारियों के सबसे बड़े प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	,,

,,	693	,,	आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स ऐसोसियेशन को भारतीय रेलों में काम करने वाले स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	694	,,	इंडियन रेलवे लोको मैकेनीकल स्टाफ ऐसोसियेशन को भारतीय रेलों में काम करने वाले लोको मैकेनीकल कर्मचारियों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	695	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिये रेलवे में वातानुकूलित तथा पहले दर्जे को समाप्त करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाएं
,,	696	,,	भारतीय रेलों में भोजनयानों की व्यवस्था बनाये रखने और सामान्य यात्रियों की सुविधा के लिये उन गाड़ियों में भी जिन में इस समय ऐसी व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	697	,,	भारतीय रेलों में अखिल भारतीय रेल अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (आल इंडिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन) को अनुसचिवीय कर्मचारियों के प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता देने में विफलता ।	राशि घटा कर 100 रुपया कर दी जाए ।
,,	698	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में पूर्वोत्तर रेल मजदूर संघ (नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन) को कर्मचारियों के प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता देने में विफलता ।	,,
,,	699	,,	उत्तर रेलवे में उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ (नार्दर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन) को कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने में विफलता ।	,,
,,	700	,,	अखिल भारतीय सवारी तथा मालडिब्बा कर्मचारी परिषद् (आल इंडिया कैरज एण्ड वैगन स्टाफ कौसिल) को मान्यता देने में विफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का आधार	कटौती की राशि
1	701	श्री रामावतार शास्त्री	अखिल भारतीय गाड़ी परीक्षक कल्याण समिति (आल इंडिया ट्रेन एक्सामिनर्स वेलफेयर कमेटी) को मान्यता देने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 100 रुपया कर दी जाए।
,,	702	,,	अखिल भारतीय सिगनल तथा दूरसंचार कर्मचारी संघ (आल इंडिया सिगनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसियेशन) को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
,,	703	,,	अखिल भारतीय वाणिज्यिक कर्मचारी संघ (आल इंडिया कर्मशियल स्टाफ एसोसियेशन) को मान्यता देनें की आवश्यकता।	,,
,,	704		भारतीय रेल निरीक्षक कर्मचारी संघ (इंडियन रेलवे चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन) को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
,,	705	,,	अखिल भारतीय गार्ड परिषद (आल इन्डिया गार्ड कौंसिल) को मान्यता देनें की आवश्यकता।	,,
,,	706	,,	अखिल भारतीय संगचल कर्मचारी संघ (आल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन) को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
,,	707	,,	माल तथा पार्सल लादने और उतारने की वर्तमान ठेका प्रणाली को समाप्त करने और इस कार्य के लिये नियमित रोजगार की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	708	,,	रेलवे में कार्य की ठेका प्रणाली को समाप्त करने तथा मरम्मत और निर्माण कार्य को विभागीय आधार पर करने की आवश्यकता।	,,

"	709	"	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये उचित और निष्पक्ष प्रक्रियायें अपनाने की आवश्यकता ताकि इस समय हो रही गलत भर्ती को रोका जा सके ।	"
"	710	"	स्थानान्तरण और पदोन्नति के लिये निश्चित और उचित नीति निर्धारित करने और पक्षपात तथा भ्रष्टाचार के द्वारा की गई अस्थायी पदोन्नतियों को रद्द करने की आवश्यकता ।	"
"	711	"	भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही, जो कम से कम सेवा से बर्खास्तगी की सजा हो, करने की आवश्यकता ।	"
"	712	"	रेल कर्मचारियों को उन के अधिकारों और विशेषाधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाने के लिये प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	"
"	713	"	सभी रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करने में विफलता ।	"
"	714	"	बरौनी से मुगलसराय और मुगलसराय से बरौनी तक एक सीधी यात्री अथवा शटल रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	"
"	715	"	गया से पटना तक एक ऐसी गाड़ी चलाने की आवश्यकता जो रास्ते में सभी स्टेशनों पर खड़ी हो और मध्याह्न-पूर्व 6 बजे पटना पहुंचे ।	"
"	716	"	पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने की आवश्यकता ।	"
"	717	"	अखिल भारतीय अध्यापक संघ और सांस्कृतिक संगठनों, जिनमें इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन भी शामिल है, के सदस्यों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें देने की आवश्यकता ।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	718	श्री रामावतार शास्त्री	विभिन्न रेलों को नियमानुसार कोयला देने में विफलता ।	राशि घटा कर 100 रुपये कर दी जाये ।
,,	719	,,	रेलों पर कोयले की उठाईगिरी तथा बर्बादी को रोकने में विफलता ।	,,
,,	720	,,	रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुये रेल कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिकर देने में विफलता ।	,,
,,	721	,,	भारतीय रेलों में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	722	,,	सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान में अनियमिततायें तथा अनुसुचित बिलम्ब ।	,,
,,	723	,,	जमालपुर रेल वर्कशाप से पीतल के तथा अन्य कीमती उपकरणों की उठाई-गीरी को रोकने में विफलता ।	,,
,,	724	,,	जमालपुर रेल वर्कशाप में होने वाली चोरियों में रेल अधिकारियों की सांठ-गांठ ।	,,
,,	725	,,	गैर-मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने की आवश्यकता ।	,,
,,	726	,,	गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर कर्मचारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को रेल प्रबन्ध तथा प्रशासन व्यवस्था में शामिल करके उसे लोकतंत्री रूप देने में विफलता ।	,,

,,	733	,,	भारतीय रेलों में ठेका-श्रम प्रणाली समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	734	,,	उन श्रमिकों को, जो 5 से 20 वर्ष तक की अवधि से ठेकेदारों के अधीन कोयला लादने-उतारने का काम कर रहे हैं, स्थायी बनाने में असफलता ।	,,
,,	735	,,	रेलों में कोयला और राख लादने-उतारने के काम में ठेका-श्रम प्रणाली समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	736	,,	भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद सहारनपुर लाइट रेल आरम्भ करने में असफलता ।	,,
,,	737	,,	नैमित्तिक तथा एवजी रेल कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधायें देने में असफलता ।	,,
,,	738	,,	संसद सदस्यों से लिये जाने वाले विश्राम-गृहों का किराया कम करने की आवश्यकता ।	,,
,,	739	,,	अधिकारियों के श्रमिक विरोधी रवैये और रेल अस्पताल, धनबाद की दुर्व्यवस्था के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
,,	740	,,	धनबाद रेल अस्पताल कार्मिक संघ के पदाधिकारियों को परेशान करने की नीति ।	,,
,,	741	,,	भारतीय रेलों में उच्चाधिकारियों के वेतन कम करने में असफलता ।	,,
,,	742	,,	तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों को पर्याप्त तथा कीमती औषधियां तथा अन्य चिकित्सा-सुविधायें देने में असफलता ।	,,
,,	743	,,	रेल बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित भ्रष्टाचारी तरीकों को रोकने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	744	श्री रामावतार शास्त्री	रेल विश्रामगृहों का किराया कम करने की आवश्यकता।	राशि घटा घटा कर 100 रुपये कर दी जाए
"	745	"	परिवहन की बाधा दूर करने हेतु पटना में मीठापुर रेल फाटक पर एक पक्का ऊपरी-पुल बनाने में असफलता।	"
"	746	"	पूर्व रेल पर पटना जंक्शन स्टेशन का नाम बदलकर पाटलीपुत्र करने में असफलता।	"
"	747	"	पटना सिटी स्टेशन का नाम बदलकर पटना साहेब रख ने में असफलता।	"
"	748	"	रेल बोर्ड की श्रम-विरोधी नीति को समाप्त करने में असफलता।	"
"	749	"	भूतपूर्व रेल-मन्त्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा द्वारा चलाये गये दस-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और उसे पूरा करने में असफलता।	"
"	750	"	रेलों में भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची को रोकने में रेल कर्मचारी समन्वय समिति धनबाद के साथ सहयोग करने में असफलता।	"
"	751	"	रेल अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अपने निवास-स्थानों पर घरेलू काम करवाना और उनकी सेवाओं का दुरुपयोग करना।	"
"	752	"	रेल संरक्षण बल की माल डिब्बे तोड़ने वालों के साथ सांठगांठ।	"
"	753	"	रेल सम्पति की चोरी और माल डिब्बों की तोड़फोड़ में उच्चाधिकारियों की मिलीभगत।	"

,,	754	,,	मुगल सराय, गया, धनबाद, जमालपुर, पटना, हावड़ा, बरौनी, गड़हरा, कटिहार, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, सोनपुर, फूलवाड़ी, शरीफ और न्योरा में दिन-दहाड़े माल डिब्बों की तोड़फोड़ को रोकने में असफलता ।	,,
,,	755	,,	पूर्वोत्तर रेल में सोनपुर में मंडल अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	756	,,	भारतीय रेलों में कोच परिचारकों की न्यायोचित मांगों को पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	757	,,	भारतीय रेलों के बारे में प्रशासनिक सुधार के आयोग प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	758	,,	डी० ए० आर० कार्यवाही के बिना रेल कर्मचारियों की 18 महीने की निरन्तर स्थानापन सेवा के बाद उनके प्रत्यावर्तन को रोकने के बारे में रेल बोर्ड के परिपत्र को क्षेत्रीय रेलों द्वारा कार्यान्वित किये जाने में असफलता ।	,,
,,	759	,,	रेल के माल डिब्बों के आवंटन में कदाचार रोकने में असफलता ।	,,
,,	760	,,	वचन दिये जाने के बावजूद जमालपुर में मंडल मुख्यालय स्थापित करने में असफलता ।	,,
,,	761	,,	पूर्व रेलवे में पटना से गया तक दोहरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
,,	762	,,	कियूल से फरक्का होते हुए कलकत्ता तक दोहरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,

मांग सख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	763	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेल में दानापुर में अक्तूबर और नवम्बर, 1971 के महीनों की अन्तरिम सहायता की राशि कर्मचारियों की भविष्य निधि के खाते में जमा कराने में असफलता ।	राशि घटा कर 100 रुपये कर दी जाए।
,,	764	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेल पर पांडु और कटिहार में बसंत मेलों का आयोजन करने में रेल कर्मचारियों, धन और सामग्री के दुरुपयोग को रोकने में असफलता ।	,,
,,	765	,,	पूर्व रेल पर दानापुर (खागौल) में काम करने वाले और रहने वाले रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने में असफलता ।	,,
,,	766	,,	मापदण्ड के अनुसार कार्यभार निश्चित करने में असफलता और रेल कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक काम लेना :	,,
,,	767	,,	उन रेल कर्मचारियों को, जिनका वर्ग ही समाप्त कर दिया गया है, दूसरी नौकरिया देने की आवश्यकता ।	,,
,,	768	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेल में कटिहार में उच्चाधिकारियों को उनके नौकरशाही तथा कर्मचारी-विरोधी आचरण के कारण स्थानान्तरित करने में असफलता ।	,,
,,	769	,,	लोकों कोयला खलासियों को रेल कर्मचारी मानने की आवश्यकता ।	,,
,,	770	,,	श्रेणी 1 और 2 के क्लर्कों के वेतनमानों को उनकी एक जैसी ड्यूटी होने के कारण 130—300 रुपये से एक ही वेतनमान में मिलाने में असफलता ।	,,

"		"		
"	771	"	पूर्व रेल के दानापुर रेल स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल को चौड़ा करने में असफलता ।	"
"	772	"	पूर्व रेल के दानापुर (खगौल) स्टेशन पर विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता ।	"
"	773	"	रेलों में सभी रिक्त पदों को भरने तथा उन पदों पर अस्थायी तथा स्थानापन्न कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता ।	"
"	774	"	कटिहार रेल स्टेशन पर ऊपरी पुल को आम रास्ता बनाने की अनुमति देने की आवश्यकता क्योंकि यह पुल इसी प्रयोजन के लिए बनाया गया था ।	"
"	775	"	पूर्वोत्तर रेल के थाना बीहपुर रेल स्टेशन पर एक ऊपरी-पुल बनाने की आवश्यकता ।	"
"	776	"	रेल कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीड़न के मामले तथा उनके स्थानान्तरण, निलंम्बन, नौकरी से हटाए जाने, बर्खास्तगी और उनके विरुद्ध पुलिस के मामले वापस लेने में असफलता ।	"
"	777	"	रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियां कार्यान्वित की जाने में असफलता ।	"
"	778	"	लोको शैडों में मैकेनिकल कर्मचारियों के पदों को वर्गोन्नत करने के बारे में शंकर शरण अधिकरण की सिफारिशें कार्यान्वित करने में असफलता ।	"
"	779	"	दुर्घटनाओं को रोकने के लिये लोको शैडों में काम करने वाले मैकेनिकल कर्मचारियों के 25 प्रतिशत पदों को वर्गोन्नत करने के बारे में दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने में असफलता ।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	780	श्री रामावतार शास्त्री	चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय रेलों के पांच वर्ष से अधिक सेवा वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रूप में पदोन्नत करने में असफलता ।	राशि घटा कर 100 रुपये कर दी जाएं
,,	781	,,	लोको निरीक्षकों को डीजलीकरण के कारण स्टीम पक्ष से डीजल पक्ष में नौकरियों में लगाने में असफलता ।	,,
,,	782	,,	स्टीम लोको के वरिष्ठ निरीक्षकों की डीज़ल पक्ष में पदोन्नति करने में उपेक्षा और डीज़ल पक्ष के कनिष्ठ निरीक्षकों की पदोन्नति रोकना ।	,,
,,	783	,,	लोको शेडों में फैक्टरी अधिनियम लागू करने में असफलता ।	,,
,,	784	,,	उत्तरी रेल, नई दिल्ली के मंडल कार्यालय में आशलिपिकों के लिये छुट्टी आरक्षण पदों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	785	,,	'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन के कारण कर्मचारियों को दण्ड देने का रेल प्रशासन का गैरकानूनी कृत्य ।	,,
,,	786	,,	आवास आवंटन के लिये आशुलिपिकों को अनिवार्य कर्मचारी मानने में असफलता ।	,,
,,	787	,,	दिल्ली स्थित रेल कार्यालयों में जुलाई, 1947 से पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को रेल क्वाटर देने में असफलता ।	,,
,,	788	,,	भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों में रेल की भूमि वितरित करने में असफलता ।	,,

,,	789	,,	रेल बोर्ड के निर्णय के अनुसार, जैसा कि लोको संगचल कर्मचारियों के मामले में किया गया है, डीजल और स्टीम निरीक्षकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	790	,,	लोको शैडों में इंजिनों की मरम्मत के लिये लोको कर्मचारियों को आवश्यक सामग्री देने में असफलता ।	,,
,,	791	,,	लोको मैकेनिकल कर्मचारियों को वर्दियां देने में असफलता ।	,,
,,	792	,,	लोको शैडों में पुराने औजारों और संयंत्रों के स्थान पर आधुनिक औजार और संयंत्र लाने में असफलता ।	,,
,,	793	,,	मापदण्ड के अनुसार, जिसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है, लोको शैडों में निरीक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	794	,,	राज्याध्यक्ष पंचाट की सिफारिशों के अनुसार, काम के निर्धारित घंटों के बाद समयोपरि भत्ता देने में असफलता ।	,,
,,	795	,,	पूर्व रेल के नेवरा स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा उठाने की आवश्यकता ।	,,
,,	796	,,	पूर्व रेल के नेवरा स्टेशन पर लकड़ी का ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	797	,,	पूर्व रेल के नेवरा स्टेशन पर पार्सल कार्यालय के लिये भवन बनाने में असफलता ।	,,
,,	798	,,	मसौरही पर पानी की टंकी से तरेगना स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	799	,,	पूर्व रेल की पटना—गया लाइन पर बिना टिकट यात्रा रोकने में असफलता ।	,,
,,	800	,,	पूर्व रेल के बेहटा स्टेशन से विक्रम, पालीगंज, अरवाल और कुरथा होते हुए जहानाबाद तक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती की आधार	कटौती की राशि
1	801	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेल पर दानापुर डिवीजन के एवजी रेल कर्मचारियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटा कर 100 रुपये कर दी जाये
,,	802	,,	पूर्व रेल की मुख्य लाइन मुगलसराय से आसनसोल तक विद्युतीकरण करने में असफलता ।	,,
,,	803	,,	पटना रेल डाक सेवा कार्यालय के सामने स्टेशन पर शैड बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	804	,,	पटना जंक्शन स्टेशन के उन प्लेटफार्मों पर, जहां से रेल गाड़ियां गया और रांची के लिये चलती हैं, शैड बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	805	,,	पटना जंक्शन रेल स्टेशन पर गन्दी बस्तियां हटाने में असफलता ।	,,
,,	806	,,	पटना के राजेन्द नगर स्टेशन पर यात्री गाड़ियों के लिये हाल्ट की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	807	,,	दिल्ली से पटना होते हुए हावड़ा तक और इसी मार्ग पर वापसी के लिये सप्ताह में दो बार के स्थान पर तीन बार डीलक्स गाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	808	,,	राजधानी एक्सप्रैस को सप्ताह में दो बार पटना होते हुए, जो पटना पर भी रुके, चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	809	,,	दिल्ली से समस्तीपुर तक एक जयन्ती जनता गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	810	,,	पटना से गया होते हुए धनबाद तक एक सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,

,,	811	,,	पटना से रांची और रांची से पटना के लिये दिन में एक तेज गति वाली रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	812	,,	दक्षिण बिहार एक्सप्रैस को पटना सिटी रेल स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	813	,,	बीहटा स्टेशन से डाल्टनगंज तक एक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	814	,,	पूर्व रेल पर राजगीर से जहानाबाद तक, बरास्ता एकपंगारसराय, एक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	815	,,	राजगीर से गया तक एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
,,	816	,,	पूर्व रेल के दानापुर स्टेशन से डाहरी-आन-सोन तक नहर के साथ-साथ एक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	817	,,	पूर्व रेल के बंकाघाट स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	818	,,	पूर्व रेल के फुलवारी शरीफ रेल स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊचा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	819	,,	रेल गाड़ियों में भीड़-भाड़ को रोकने में विफलता ।	,,
,,	820	,,	पूर्व रेल के दानापुर (खगौल) स्टेशन पर रेल हाई स्कूल को वर्गोन्नत कर उसे एक कालेज बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	821	,,	रेल-प्रशासन द्वारा खगोल नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	822	श्री रामवतार शास्त्री	पूर्व रेल की पटना—गया लाइन को दोहरी लाइन में बदलने में विफलता।	राशि घटा कर 100 रुपये कर दी जाये।
,,	823	,,	पूर्व रेल की पटना—गया लाइन पर परसां, पोठाही, नदवां, नदौल और तारेगना स्टेशनों पर शैडों और पीने के पानी की व्यवस्था करने में विफलता।	,,
,,	824	,,	पूर्व रेल के गुलजारबाग स्टेशन के दोनों ओर शैडों का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	825	,,	कार्यभाग तथा उत्तरदायित्व के अनुसार लोकों स्टेटिक्स कर्मचारियों का वेतनमान निश्चित करने की आवश्यकता।	,,
,,	826	,,	सभी स्टेटिक्स कर्मचारियों को वर्दियां देने की आवश्यकता।	,,
,,	827	,,	स्टीम शैड़ों के धूम्रां वाले और गंदे वातावरण में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने की आवश्यकता।	,,
,,	828	,,	रेलों में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद कमचारियों को स्थायी बनाने और 6 महीने तक नैमित्कि कर्मचारी के रूप में काय करने के बाद उनकी सेवा को नियमित करने की आवश्यकता।	,,
,,	829	,,	स्टेटिक्स कर्मचारियों के लिये समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	830	,,	अवरुद्ध क्षेणियों के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

,,	831	,,	डीजल शैडों की तरह लोको शैडों में ए० एल० एफ० पद मिस्त्रियों को देने की आवश्यकता ।	,,
,,	832	,,	लोको शैड में मशीनों की मरम्मत के लिए मशीन शाप के लिये और डिवीजन वार 'मिल राइट गैंग' के लिए अलग सेक्शन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	833	,,	बी० टी० एम० पद को समाप्त करने तथा वर्तमान सभी बी० टी एम० कर्मचारियों को पदोन्नति करने की आवश्यकता ।	,,
,,	834	,,	बी० एन० सी० और एफ० आई० सी के लिये जाब राइटर की आवश्यकता ।	,,
,,	835	,,	रेल कर्मचारियों को लम्बी यात्रा पर जाने के लिये तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में जाने के लिये अग्रिम यात्रा भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	836	,,	इंजिनों की मरम्मत के लिये औजार और सामग्री देने में असफलता ।	,,
,,	837	श्री पी० जी० मावलंकर	सभी रेल गाड़ियों में तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	,,
,,	838	,,	समस्त देश में यात्री तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में तीसरी श्रेणी में त्रिशायिका और द्विशायिका की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	839	,,	रेल स्टेशनों पर स्वच्छ भोजन और ठंडे तथा ताजा पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	840	,,	रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ को प्रभावी ढंग से कम करने की दृष्टि से विभिन्न एक्सप्रेस गाड़ियों में, विशेष कर लम्बी यात्रा वाले मार्गों पर, तीसरी श्रेणी के और अधिक डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
,,	841	श्री गो० जी० मावलंकर	यात्रियों के लिये, पूछताछ, टिकट खरीदने और टिकटों के आरक्षण के लिये सभी महत्वपूर्ण रेल स्टेशनों पर और अधिक खिड़कियों की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये।
,,	842	,,	विभिन्न गाड़ियों में और स्टेशनों पर और विशषकर उन क्षेत्रों में जहां चोरी, आक्रमण और हत्या की घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, सुरक्षा गार्डों और पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	843	,,	रेल कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता।	,,
,,	844	,,	रेलों में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने की आवश्यकता	,,
,,	845	,,	रेल कर्मचारियों की रहन–सहन की दशा सुधारने और आवास सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।	,,
,,	846	,,	उन मार्गों पर, जहां कर्मचारियों और छात्रों को प्रतिदिन अपने काम और अध्ययन के स्थानों पर जाने के लिये यात्रा करनी पड़ती है, अधिक डिब्बों और गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	847	,,	समस्त देश में बिना टिकट यात्रा को सर्वथा रोकने के लिये ठोस तथा कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता।	,,
,,	848	,,	अहमदाबाद रेल स्टेशन (बड़ी लाइन और मीटर गेज लाइन पर) विभिन्न सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	849	,,	अहमदाबाद के निकट बटवा स्टेशन पर, जहां बहुत से उद्योग समूह तेजी से स्थापित हो रहे है शैडों की व्यवस्था करने तथा प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता।	,,

,,	850	,,	गुजरात में अहमदाबाद जिला में साबरमती मीटर गेज रेल स्टेशन और रानिय पहुंच सड़क के बीच ऊपरी-पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	851	,,	समस्त देश में गाड़ियों (स्थानीय, यात्री और एक्सप्रेस) के ठीक समय पर चलने की आवयश्कता ।	,,
,,	852	,,	पश्चिम रेल पर बम्बई से सूरत और बलसार से अहमदाबाद तक क्रमश: फ्लाइंग रानी और गुजरात क्वीन को लगने वाले समय को घटाने की आवश्यकता ।	,,
,,	853	,,	तीसरे, दूसरे, पहले तथा वातानुकूलित दर्जों के यात्रियों, विशेषतया लम्बी दूरी के यात्रियों के लिये एक समुचित, निष्पक्ष, दक्ष तथा सम्यक सेवा एवं स्थान आरक्षण पद्धति बनाने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	854	,,	यात्रियों तथा सामान्य जनता की सहायता और मार्कदर्शन करने के उद्देश्य से कुछ रेलवे प्लेटफार्मों पर बनाए गये "मैं आप की क्या सहायता कर सकता हूं," फलकों पर आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करने में विफलता ।	,,
,,	855	,,	रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने तथा समाप्त करने में विफलता ।	,,
,,	856	,,	बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास महानगरों में पर्याप्त संख्या में स्थानीय गाड़ियों (धीरे तथा तेज चलने वाली दोनों प्रकार की) चलाने में विफलता ।	,,
,,	857	,,	देश भर में कई स्थानीय तथा यात्री गाड़ियों की गति बढ़ाने में विफलता ।	,,
,,	858	,,	रेल गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने में विफलता ।	,,
,,	859	,,	तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले असंख्य यात्रियों की अनेक कठिनाइयों को दूर करने में विफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताविक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	860	श्री पी० जी० मावलंकर	रेल गाड़ियों, विशेषतया मीटर गेज लाइनों तथा लम्बी दूरी तक जाने वाली रेल गाड़ियों में भोजन सेवा में सुधार करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	861	,,	बम्बई से अहमदाबाद तक माल और यात्री यातायात के लिये विद्युत चालित रेल गाड़ियों को शीघ्र चलाने में विफलता ।	,,
,,	862	,,	अहमदाबाद और बम्बई के बीच एक दैनिक डी लक्स गाड़ी (वातानुकूल कुर्सियाना डिब्बों सहित) चलाने में विफलता ।	,,
,,	863	,,	अहमदाबाद–दिल्ली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन बदलने में विफलता ।	,,
,,	864	,,	गुजरात में भावनगर–तारापुर लाइन का निर्माण तुरन्त आरम्भ करने में विफलता ।	,,
,,	866	,,	बड़ौदा-छोटा उदयपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में विफलता ।	,,
,,	867	,,	रेल यात्रा को सुरक्षित और आरामदेह बनाने में विफलता ।	,,
,,	868	,	रेल बोर्ड को समाप्त करने अथवा उसमें आमूल परिवर्तन करने में विफलता ।	,,
,,	869	श्री रामावतार शास्त्री	प्रत्येक लोको शैड में टूल रूम की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं ।
,,	870	,,	उत्तर रेल के दिल्ली मण्डल में दूसरी कैटेगरी में भेजे गये लोको क्लीनरों को लोको में वापस लेने की आवश्यकता ।	,,

,,	871	,,	उत्तर रेल के दिल्ली मण्डल में क्लीनरों की छंटनी रोकने की आवश्यकता ।	,,
,,	872	,,	उत्तर रेल के दिल्ली मण्डल में फायरमैन 'सी' को लोको क्लीनर बनने से बचाने की आवश्यकता ।	,,
,,	873	,,	उत्तर रेल के दिल्ली मण्डल के रनिंग स्टाफ को रेल बोर्ड के आदेशों के अनुसार 8 घंटे अथवा अधिक की ड्यूटी करने के पश्चात् 16 घंटे का विश्राम देने की आवश्यकता ।	,,
,,	874	,,	रतलाम मण्डल के लोको और रनिंग कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	875	,,	रेल में गैंगमैनों, कीमैनों तथा मिस्त्रियों के कार्यभार घटाने में विफलता ।	,,
,,	876	,,	मध्य प्रदेश में रीवा जिले को रेल लाइनों से जोड़ने की आवश्यकता ।	,,
,,	877	,,	रेलगाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित करने में विफलता ।	,,
,,	878	,,	पटना से धनबाद जाने वाली तथा धनबाद से पटना वापस आने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रैस में गिरिडीह के लिए एक सवारी डिब्बा जोड़ने की आवश्यकता ।	,,
,,	879	,,	सभी मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों में पटना से दिल्ली के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	880	,,	पूर्व रेल में बीहटा में यातायात के जमाव को समाप्त करने के लिए एक पक्का ऊपरि सड़क-पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	881	,,	रेल स्टेशनों पर सभी द्वारों तथा लाजों पर कर्मचारियों को स्टूल अथवा कुर्सी उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।	,,
,,	882	,,	न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार रेल कर्मशालाओं के मिस्त्रियों को आकस्मिक छुट्टी की सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	883	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके लिए निर्धारित कोटे के अनुसार नौकरियां देने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं ।
,,	884	,,	भारतीय रेलों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कार्य करने की दशाओं का पूर्णरूपेण अध्ययन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	885	,,	रेल स्टेशनों पर गेटों पर कर्मचारियों की लगातार 14 दिन तक 24 घंटे की ड्यूटी को समाप्त करने में विफलता ।	,,
,,	886	,,	रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बिना किराये के क्वार्टर अलाट करने की आवश्यकता ।	,,
,,	887	,,	पूर्व रेल में पटना—गया लाइन पर चलने वाली सभी गाड़ियों में पानी, रोशनी और सफाई का अभाव ।	,,
,,	888	,,	पूर्व रेलवे के सादीसोपुर रेल स्टेशन के प्लेटफार्मों पर शैडों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	889	,,	समस्तीपुर कालेज को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता, क्योंकि रेल कर्मचारियों के बच्चे बहुत अधिक संख्या में वहां पढ़ते हैं ।	,,
,,	890	,,	रेलों में गैर-मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों और संगठनों से ज्ञापन और अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर रेल प्रशासन को निर्देश देने की आवश्यकता ।	,,
,,	891	,,	पूर्व-रेल में पटना—गया लाइन पर नदौल हाल्ट स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर उसे पूर्ण स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	,,

,,	892	,,	न्यायालय में मामलों की संख्या घटाने में विफलता ।	,,
,,	893	,,	भारतीय रेलों में वर्कशाप कैंटीन स्टाफ को प्राधिकृत वेतनमान देने में विफलता ।	,,
,,	894	,,	उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार लिपिकों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कर्मगार मानने की आवश्यकता ।	,,
1	895	,,	भारतीय रेलों में अनुसूचितीय कर्मचारियों के लिये वर्गोन्नति के पदोन्नति वाले कोटे को लागू करने, जिसके लिये वचन दिया गया था, में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं ।
,,	896	,,	वर्तमान में रात्रि गश्ती ड्यूटी के लिये एक गैंगमैन के स्थान पर दो गैंगमैनों को नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	897	,,	रेल बस्तियों में और अधिक औषधालय खोलने में विफलता ।	,,
,,	898	,,	'कीमैन' और 'मेट' के पदों का दर्जा बढ़ाने में विफलता ।	,,
,,	899	,,	अभियंताओं द्वारा रेलपथ के निरीक्षण पर प्रकाश डालने में विफलता ।	,,
,,	900	,,	सहायक और मंडलीय अभियंताओं द्वारा रेलपथ के अनुरक्षण के लिये निश्चित उत्तरदायित्व निर्धारित करने में विफलता ।	,,
,,	901	,,	खेल मैदान में बिखरे पड़े रेलपथ-सामान को चोरी से बचाने में विफलता ।	,,
,,	902	,,	रेलपथ अनुरक्षण के लिये नियुक्त रेलपथ गैंगों के लिये मानक निर्धारित करने में विफलता ।	,,
,,	903	,,	रेलपथ निरीक्षण सम्बन्धी पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव रखने वाले रेलपथ प्रभारी इंजीनियरों को नियुक्त करने में विफलता ।	,,

Shri Ram Avtar Shastri (Patna): Sir, while submitting my cut motions numbering 250, to draw the attention of the hon. Minister of Railways towards the following few points:

The working of the Railway Board particularly in the prevailing circumstances in the country, is quite unsatisfactory. There are certain officers in the Board who have always been a source of causing obstructions in the progress of Railways with the result that it has totally failed in bringing in the required efficiency and economy in the functioning of the Railways. The approaches of the Board's officials has been callous and conservative towards the railway employees and their problems. I, therefore, suggest that the Railway Board has no utility at all, and, hence; should be abolished.

The railway employees are certainly entitled to get their due. This question should be considered keeping it totally apart from the Third Pay Commission's recommendations. The Government has admitted that bonus is a deferred wage of the employees, and it has to be paid to the employees. All the recognised and unrecognised organisations of the railway employees are unanimous on this issue and the Government would be able to ignore it because they have already passed a strike ballot if the Government did not accede to this demand. Let the Railway Minister announce herewith that the railway employees would be given bonus.

Thirdly, the railway employees are very sore over the non-declaration of the Third Pay Commission's report. Besides that they are being harassed in the matters of proper grades and other leave facilities. The Railway Administration is victimising the employees. The bureaucrats there refuse to accept or entertain memoranda etc. from the unrecognised unions even though their grievances are genuine and just. It is really very unfortunate that such a bad behaviour always goes against the interest of the efficiency and performance. Let the hon. Minister consider the aspect carefully and remedy the situation. There have been quite a number of strikes, arrests and victimisation of employees on large scale over the issue of project allowance to the railway staff. Then there has been all-round discontent and tension in the minds of the employees over their victimisation in various forms, with the result that there have been frequent strikes at many places and by a large number of employees whether they belong to recognised or unrecognised union.

The hon. Minister should, therefore, declare here and now that he would ensure that the employees would be fully heard and their representation, memos etc. would be accepted by the administration may it be from recognised or unrecognised unions. On my part, I assure the hon. Minister on behalf of the railway employees that they would always be behind him in increasing the all-round efficiency and eliminating the corruption in the railways. Various railway halls, theatres are being used by the bureaucrats in their personal and unsocial entertainments, in the name of cultural activities, but the unrecognised unions are not allowed even to hold their meeting, gatherings etc. The hon. Minister should direct the railway administration in this behalf.

As regards railway canteens, most of them are being run by private parties although departmental catering has been introduced in the railways. There have been quite a big number of complaints against these private canteens but no action has been taken. The Railway Board did not care even a bit of the hon. Deputy Minister's directions regarding non-issuance of licences to the private

people. These people indulge profiteering and tax evasion. Also the service in the running trains is not at all satisfactory. Let these private catering be totally abolished and replaced by departmental catering. Then, dining-cars in the running trains should not be abolished as they are of very much use to the passengers.

There are about 4 lakhs of casual and substitute labourers. The substitute workers should be made regular.

Bihar is a backward State more particularly in the case of railway facilities. There is no railway line from Bitra to Daltanganj. These are no lines in hilly and forest areas also. Also there are quite a many railway lines and stations which do not have adequate facilities for the passengers. There should be a full-fledged Railway Public Service Commission's office at Danapur or Patna. A special train from Patna to Calcutta is also a must because the number of passengers on this route is in thousands. An office of the Railway Public Service Commission should be located at Katihar also.

Finally, I request the hon. Minister to carefully go through my cut-motion, at least once as they relate to the daily life of the railway employees and common masses. A claims' office should be located at Danapur or Patna.

श्री धर्मराव अफजलपुरकर (गुलबर्गा) मैं रेलवे के लिये अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं, रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है जिसका 31 मार्च, 1972 तक का कुल पूंजी-निवेश लगभग 4340.9 करोड़ रुपये की राशि का है । परन्तु खेद है कि फिर भी इस महान् उद्योग में घाटा ही चलता आ रहा है ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासन हुए:]
[Shri K. N. Tiwary in the chair:]

देश में लगभग 60,000 किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछी हैं और सरकार की नीति है कि सभी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया जाये । परन्तु इस संदर्भ में कोई उल्लेखनीय प्रगति अभी नहीं हुई है । मेरा निवेदन है कि होटागी से हुबली बरास्ता गाडाग तथा बेदलेरी से गोडाग मिराज के बंगलौर बारास्ता बेलगांव लाइनों को तुरन्त ही बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये । अनेक वर्षों से इसकी मांग की जा रही है तथा इसके फलस्वरूप रेलवे का वाणिज्य भी बढ़ेगा ।

रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि रेलवे में सुविधाओं के लिये हर वर्ष रेलवे को 4 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा रही है । परन्तु बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पीने के पानी, प्रतीक्षालयों तथा प्लेटफार्मों की सुविधायें सर्वथा अपर्याप्त हैं । मेरे अपने चुनावक्षेत्र के बहुत से स्टेशनों पर पिछले 100 वर्षों से भी ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । बम्बई से मद्रास लाइन का निर्माण यद्यपि वर्ष 1885 में हुआ था परन्तु वहां पर भी पर्याप्त सुविधायें देने में रेलवे प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है । प्रशासन केवल शहरी क्षेत्र पर ही करोड़ों रुपया खर्च कर देता है परन्तु ग्रामीण यात्रियों की वह पूरी तरह उपेक्षा करता है । रेलवे प्लेटफार्म न होने से वृद्ध तथा अपंग यात्रियों को गाड़ियों में चढ़ने तथा उनसे उतरने में बड़ी असुविधा होती है ।

मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय तीसरे दर्जे के यात्रियों को हर संभव सुविधा प्रदान करें। पूना से रायचूर तक की लाइन पर गाड़ियों में रोशनी तथा पेय जल की सुविधा नहीं है । मंत्री महोदय इसकी जांच करें ।

मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी नई रेल लाइन का निर्माण नहीं हुआ है । वाडी से गाडाग तक रेल लाइन हेतु 1947 में एक सर्वेक्षण किया गया था उस पर अभी तक काम आरम्भ नहीं किया गया है । यह क्षेत्र सूखाग्रस्त है, पिछड़ा तथा अविकसित है फिर भी अनेक बार अनुरोध किये जाने पर भी वहां रेल लाइन नहीं बिछाई गई है । मेरा अनुरोध है कि वाडी से गाडाग लाइन पर तुरन्त कार्य शुरू किया जाना चाहिये ताकि वहां के बाढ़ग्रस्त लोगों को रोजगार भी मिले । इसी प्रकार गुलबर्गा से उदगीर तक लाइन का काम भी हाथ में लिया जाना चाहिये । उसके फलस्वरूप दिल्ली से बंगलौर की दूरी 2540 किलोमीटर से घट कर 1965 किलोमीटर रह जायेगी ।

बहुत से प्रगति प्राप्त देशों में यात्री गाड़ियों की गति 160 कि० मी० प्रति घंटा तथा वाणिज्यिक गाड़ियों की गति 200 कि० मी० प्रति घंटा है जबकि हमारा रेलवे विभाग अभी राजधानी एक्सप्रैस की गति भी 100 कि० मी० प्रति घण्टा नहीं कर पाया है । जब तक हम अपनी गाड़ियों की गति नहीं बढ़ायेंगे हमारे देश की उन्नति नहीं होगी । जापान में 450 कि० मी० प्रति घंटा की गति वाली गाड़ियां चलाने की योजना बनाई जा रही है ।

माल-डिब्बों की कमी के कारण उद्योगों को हानि पहुंच रही है तथा लोगों को कम काम मिल रहा है। हमारे अन्दर यद्यपि माल-डिब्बों की निर्माण क्षमता प्रति वर्ष 27515 है परन्तु रेलवे केवल 12,000 माल-डिब्बे ही मंगाता है । रेलवे विभाग को 15,000 से 20,000 डिब्बे प्रतिवर्ष मंगाने चाहियें तथा जरूरतमन्द विभागों को देने चाहियें ।

गुलबर्गा स्टेशन का पुनर्निरूपण करने का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है इसके क्या कारण हैं ? इसके फलस्वरूप रेल कर्मचारियों तथा यात्रियों को उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं ।

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari (Balrampur): There appears to have been no change in our railway systems since the British period. Don't we need a change? Certainly there should be some improvement. As regards Railway Board, it is actually compelling the railway employees to indulge in corruption. It is a white elephant for the country and is responsible for the failness of all the railway programmes. Can't we do away with the Railway Board? There has been, a persistent demand from all concern for its abolishment. The hon. Minister should consider it.

Railway Protection Force has been the source of corruption in the Railways. The former Railway Minister Shri K. Hanumanthayya wanted to divert the R.P.F. towards Military side, but the latter did not accept them. The R.P.F. do not consider themselves under the Railway authorities. I suggest that the General Managers in the Railways should be given some powers to have some control over the R.P.F.

As regards N.E. Railways there is very heavy rush on our 17 Up and 18 Down train. Therefore its capacity should be enhanced by dieselisation or so.

The saloon system in the railways should be withdrawn. It was a wrong suggestion by the former Railway Minister Shri Hanumanthayya that in the saloons our officials are far more active than any of us. There saloons are meant only for the Railway Officials. I strongly plead for the oblition of the Saloon system.

Then there are ten to eight points in a first class boggie whereas only six points can be suffice. So the number should be reduced to six and thus a lot of expenditure avoided.

The work regarding conversion of the line from Samastipur to Barabanki into broad gauge had been taken up long ago but the progress in this behalf has been very slow. The hon. Minister should look into it and expedite the pace of the work there.

Then a lot of money can be saved by avoiding unnecessary printing work at various points on the walls of the boggies. It is not necessary to give captions like "Bathroom" "Lavotry" Alarm Chain etc. By eliminating such superfluous things we can save lakhs of rupees.

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad): First of all I would like to congratulate the hon. Railway Minister for giving assurances on 17th of the month in a meeting held at Muzaffarpur regarding the conversion of existing Samastipur-Barabanki Railway line into a Broad gauge line by 1976 to develop this backward area. I would like to invite his attention to the backward areas of Basti, Gonda and Baharaieh also. There is a great need for providing a new Railway line from Navagarh to Utarauli via Mehadaval, Satha and Umariagang. I would also like to bring it to the notice of the hon. Minister that malpractices are being exercised at Delhi Railway station in the matter of providing seats in Lucknow Mail resulting in difficulties to the passengers.

Several big officers have been working at certain stations for more than 10 years and it has been observed that they treat Class III and Class IV employees as their domestic servants. The hon. Minister should also look into this matter.

I would also like to suggest that a road bridge should be constructed at the place between Champaran and Devaria to provide a link between these two States. A Railway bridge should also be constructed at Patna. A new railway line between Ara to Saharan should also be laid. I also demand that passenger intend to go to Mughalsarai by Rajdhani Express should be allowed to purchase tickets. Demand of the people of Bihar for constructing new railway lines from Jhansharpur to Lukaha and from Hasanpur to Sakari should be acceded to by the Government. People of Darbhanga have demanded the conversion of Samastipur—Darbhanga railway line into broad gauge line. Government should also take steps in this regard.

The hon. Minister should have a control over the prevalent bureaucracy in the Railway Department. I have made repeated requests for constructing a platform in the north of the Khalilabad Railway station but nothing has been done in this regard. There is sufficient land in the north side for constructing the platform and it would also avoid the cases of accidents.

In view of the fact that Khalilabad is a big centre of handloom industry and traders from big cities like Bombay and Calcutta come to this place. I would like to suggest that One-up and Two-down mail trains should be halted at Khalilabad station at least for one minute. In the absence of halt these passengers particularly traders have to face hardships and in several cases they have been looted. I hope the hon. Minister would think over these problems and genuine demands of the people.

श्री पीलू मोदी (गोधरा): महोदय मद्रमा से कपडवंडा तक बहुत वर्ष पहले रलवै लाइन बना देनी चाहियें थी क्योंकि इस लाइन के लिये वहां पर्याप्त वातायात उपलब्ध है ' हज़ारों यात्रियों क साथ-साथ वहां माल यातायात भी बहुत है दथा विशेषज्ञों के अनुसार बहां दो यात्री गाड़ियां तथा दो माल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं ।

यदि मोडाम और कपड़गंज होकर उदयपुर से तमिलनाड तक 253 किलोमीटर की रेलवे लाइन बना दी जाती तो बम्बई तक सीधी रेलवे लाइन हो जाती तथा वह लाइन देश के पिछड़े तथा गरीब इलाके से होकर जातीं। मेरा सुझाव है कि सवरकथा में उपचुनाव होने की सम्भावना को देखते हुये सरकार को वहां इस रेलवे लाइन की शीघ्र व्यवस्था कर देनी चाहिये अन्यथा वहां से कांग्रेसी उम्मीदवार को एक वोट भी नही मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मंत्री से व्यक्तिगत स्तर पर शिकायत करना चाहता हूं। हाल में गुजरात से एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल आया था। उस प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मंत्री से भी मुलाकात की थी। किन्तु मंत्री महोदय ने प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के साथ शिष्ट व्यवहार नहीं किया तथा 1½ मिनट में उन्हें यह कहकर टाल दिया कि मुझे इस बारे में सब कुछ पता है अब खतम करो। मेरा अनुरोध है कि जनता के प्रतिनिधियों के साथ ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : वास्तव में मुझे इस बात का कोई आभास नहीं था कि मैंने उक्त प्रतिनिधि मण्डल के साथ कोई अशिष्ट व्यवहार किया है। जब समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार पढ़े तथा कुछ सहयोगियों ने मुझे इस बारे में बताया तो मैं चकित रह गया। मैंने अपने विशेष सहायक से पूछा कि क्या प्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री वी० के० शाह ने बुरा माना है तो मुझे बताया गया कि उन्होंने कोई बुरा नहीं माना। श्री शाह ने मुझे पत्र भी भेजा है जिसमें उन्होंने मेरी सराहना की है। उसके बाद मैंने पता किया कि क्या मैंने किसी अन्य प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत की है। मुझे पता लगा कि एक अन्य प्रतिनिधिमण्डल से भी मैंने तीन-चार दिन पहले बातचीत की है तथा उससे मैंने 1½ मिनट नहीं लगभग 15 मिनट तक बात की थी। मैं अन्य अनेक गलतियां कर सकता हूं किन्तु यह गलती नहीं कर सकता कि किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार करूं। यह मेरी प्रकृति के विरुद्ध है।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur): I want to draw the attention of the hon. Minister to the way-side Railway stations. There are no amenities such as sheds, light waiting rooms etc., for the passengers at the station. I request that the hon. Minister should take proper steps in this regard.

I would like to assuare the misunderstanding that the number of ticketless travel and chain pulling in Bihar and Eastern U.P. in higher than that in other parts. It should be clear that uneducated people of rural areas do not commit such malpractices. They are more honest than the people of urban areas and yet these poor people are deprived of all these facilities. I request that hon. Minister should provide them with all these amenities.

I also suggest that the organisation of various classes of Railway employees should be given recognition so that their grievances can be ventilated.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the malpractices adopted by the Railway Administration at D.S. level regarding the transfers of station Masters. It has been observed that heavy amount is demanded for the transfers of Station Masters to better stations. On the other side large number of employees of lower ranks are transferred from one place to other without considering their difficulties regarding the education of their children and the variety of regional languages. I suggest that this kind of corrupt practices should be curbed by the Government immediately.

Heavy amount is being spent on the maintenance of large number of Railway saloon meant for the big officers. I demand that all these saloons should be converted into third class coaches to avoid heavy expenditure.

I also demand that arrangements should be made to provide an approach road and lightening facilities at the Pindara halt on Faizabad Varanasi section. In view of the adequate earnings Manikala halt should be converted into the full-fledged stations. Survey of Shahganj Sultanpur railway line was completed several years ago but Government have not undertaken the construction of that line so far. I suggest that in view of the backwardness of that region this particular railway line should be constructed to facilitate the people.

I would also like to suggest that the Public Relation Department should be made more efficient and effective machinery to educate the people to understand that the Railway property belong to them and it should not be destroyed during agitation. Department of Public Relation should be provided with mass media and other facilities.

According to the recommendation made by Administrative Reforms Commission employee with better performance may be allowed to stay from three to five years at one place. I suggest that this recommendation should be implemented by the Government.

Shri R. V. Bade (Khargone): I have given notices of cut motions regarding certain demands. I would like to put stress on them. Madhya Pradesh has a population of 60 lacs of Adivasis. In Khargone district there is no railway line upto 100 miles and at some places the people have to cover a distance of about 200 miles to catch a train. If a railway line from Khandwa to Dahod is constructed, it will serve an area of 200—250 miles. It is very fertile area and this railway line will give facilities to the Adivasis living in that area. Even after 25 years of independence the Holker railway line have not been converted into broad-guage.

Bastar area is also a neglected area. Complete distance of 180 miles have to be covered by lines. If railway line is provided there, it will be a great boon for the Adivasis of that area. The railway line from Vizaga Patnam to Jagdalpur —a Japanese concern—should be used for passenger trains also. It is now being used for the transportation of iron ore only.

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए]

[Shri N. K. P. Salve in the chair]

There are number of employees in railways who are temporary even after serving 10 to 12 years and such there is lot of discontentment among them. They should be made permanent so as to satisfy them.

If Taj Express, which remains standing about 7 hours in Agra, i.e. if extended upto Gwalior it can give more revenue. Gwalior—Bhind line should be converted into broad guage. (*Interruptions*). To stop the running of dining car is a wrong step, it should be started again, because the food supplied in packets is not of good quality and more over passengers cannot have their choice.

Maharashtra Government demanded the construction of Manmad-Dhulia-Nardhana-Sispur—Ratlam line. Nothing has been done in this direction. It is a draught effected area, therefore, if this line is taken it will give employment to a

large number of draught effected people. With these words I support my cut motions.

डा० रानेन सेन (बारसात) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 304, 305 और 308 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

सबसे पहले में अन्तिम प्रस्ताव को लेता हूं। दमदम छावनी से बोनगांव तक लाइन को दोहरा किया जाना चाहिए। यह लाइन बंगला देश से लगती है। और अब क्योंकि हम बंगला देश से और बंगलादेश हमसे व्यावहारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं, यह आवश्यक है कि इस लाइन को दोहरा किया जाये। यह दूरी केवल 34 मील की है और इसे तय करने में बिजली की गाड़ी को भी एक घंटा 45 मिनट लगते हैं। इस कारण लोगों को बड़ी असुविधा होती है। इस कठिनाई को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। पहले भी कई बार इस सम्बन्ध में मांग की जाती रही है। पर एक अनुरोध है कि जब तक यह किया जाये तब तक और गाड़ियां इस लाइन पर चलाई जायें।

पश्चिम बंगाल की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यह आवश्यक है कि और फ्लैग स्टेशन स्थापित किए जाए। इस सम्बन्ध में सुझाव देते हुए मैं रेल मंत्री से अपील करूंगा कि इस पुरानी मांग को पूरा किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad): Use of saloons is highly objectionable by the families of officers. This provision was made for visiting the accident spots etc. where there is no arrangement of Dak Bangalow. Our Communist friends want to increase the pay of the workers. Most of the revenue of railways goes to workers, but the passengers do not get any additional facility. They should be provided the required facilities.

I thank the Minister for the Nadukuda—Milinagar railway line. I want that this should be given proper sanction and money. Persons who destroy the railway property should be executed under section 302.

My constituency Nizamabad is a big business centre. There is great need of a over bridge there It should be constructed without any delay.

The running time of G.T. and Dakshin Express should be reduced. I congratulate the railway workers for working honestly at the time of disturbances in Andhra Pradesh. I also congratulate the employees who are working at the stations situated in thick forests and lonely places without any protection.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : नई रेल लाइनों के सम्बन्ध में यह कहा जाना गलत है कि यदि लाइन लाभप्रद नहीं है तो उसे चालू नहीं किया जायेगा। हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था में, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जो अल्पविकसित हैं और पिछड़े हुये भी हैं। अतः इन क्षेत्रों के विषय में ऐसा कहने का तात्पर्य यह होता है कि इन क्षेत्रों में कभी भी रेल सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी। अतः नई लाइन बिछाने के संदर्भ में लाभकारिता की बात अन्तिम निर्णयक मापदंड नहीं हो सकती। सबरकांठा जिले के कपाडवंज और मोदासा के बीच एक रेल लाइन की बहुत दिनों से मांग चल रही है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर सदभावनापूर्ण ढंग से विचार करेंगे। लोग निराश हो चुके हैं। वह यह कहने लगे हैं कि जब तक हमारे क्षेत्र में रेल लाइन नहीं बिछाई जाती हम मतदान नहीं करेंगे। सभी दल इस मांग का समर्थन करते हैं।

गुजरात में एक और मांग दीर्घकाल से अनिर्णीत पड़ी है। भावनगर-तारापुर रेल लाइन की बहुत दिनों से मांग की जा रही है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार का आश्वासन नहीं देखा है। गुजरात सरकार केन्द्र को इस सम्बन्ध में आश्वासन दे चुकी है कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने पर तथा तारापुर-भावनगर रेल लाइन की मांग मंजूर हो जाने पर धनराशि की जो कमी रहेगी, उसे वह पूरा करेगी। यदि ऐसा है तो यह रेल लाइन शीघ्र ही क्यों नहीं बिछायी जाती ?

रेलगाड़ियों में देश पर्यन्त अत्यधिक भीड़ चलती है। महानगरों में उपनगरीय गाड़ियों में भी बहुत भीड़ चलती है। नए रेल मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अधिक भीड़ भाड़ के समय यात्री गाड़ियों में और डिब्बे जोड़े जाने चाहियें अथवा ऐसे समय अधिक गाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि अधिक रेलगाड़ियों तथा तेज चलने वाली रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाये तो भीड़ की समस्या का समाधान हो सकता है।

रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए स्थानों का आरक्षण कराने तथा माल की ढुलाई के लिये वैगन प्राप्त करने की समस्या बड़ी कठिन बन गई है। मंत्री महोदय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग 8, 10 दिन पहले आरक्षण कराने के लिए जाते हैं उनका आरक्षण अवश्य होना चाहिए। इस प्रणाली में जो दोष हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। माल डिब्बों के मामले में विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय नहीं है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने वाले माल डिब्बों के बारे में पारस्परिक प्रबंध होना चाहिए ताकि व्यापारियों को परेशान न होना पड़े और उनकी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायें।

जहां तक रेलगाड़ियों के तेज चलने का प्रश्न है हमारे एक ओर राजधानी एक्सप्रैस है, जिसे तेज चलाने के लिए रेलमार्ग को मजबूत करने पर करोड़ों रुपए की राशि व्यय की गई। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि अन्य यात्री गाड़ियों के लिए जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं किसी सीमा तक ऐसी सुविधा प्रदान क्यों नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों के स्कूल जाने के तथा मजदूरों के कारखानों में जाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले धरनों आदि से मुक्ति मिल सके तथा देरी से पहुंचने के कारण मजदूरों को होने वाली हानि से बचाया जा सके। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर यात्री गाड़ियों की गति को तेज कराना चाहिए।

गाड़ियों की गति में वृद्धि होने के बजाय उनकी गति धीमी हो रही है। गुजरात मेल अहमदाबाद से मध्यान्ह 9.30 बजे चलकर बम्बई सैन्ट्रल पूर्वान्ह 4.45 बजे पहुंचती थी अब यह गाड़ी अहमदाबाद से मध्यान्ह 9 बजे चलकर बम्बई सैन्ट्रल पूर्वान्ह 8 बजे पहुंचती है। वही दूरी होने पर भी समय में अन्तर क्यों आ गया। इस लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

ब्राड गेज लाइन के वाटवा स्टेशन पर शैड तथा प्लेटफार्म बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वहां बड़ी तेजी से उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं।

रेलगाड़ियों में लाखों व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हैं जिससे रेलों को बहुत बड़ी हानि होती है। रेल मंत्री स्वयं सेवी संगठनों तथा समझदार विद्यार्थियों तथा युवकों की सहायता से इसे रोक सकते हैं।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

यदि रेलों का उचित विकास करना है तो योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। अहमदाबाद स्टेशन पर बहुत सी सुविधाओं का अभाव है। वहां बहुत भीड़ रहती है प्लेटफार्म आवश्यकता से कम हैं। रेल मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो सुविधायें प्रदान की जायें वे 10 अथवा 20 वर्ष के लिए पर्याप्त होनी चाहियें।

तीसरी श्रेणी में लाखों लोग यात्रा करते हैं। इस श्रेणी के डिब्बों में अच्छी सुविधायें दी जानी चाहियें। रेल कर्मचारियों की बोनस की मांग पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

राजधानी एक्सप्रेस 4.20 पर चलने के बजाय 4.15 अथवा 4.25 पर चलनी चाहिए। यात्रियों को तकिए प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए उनसे बहुत थोड़ी सी राशि ली जानी चाहिए।

उड़ीसा बजट 1973-74

ORISSA BUDGET—1973-74

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जैसा कि सदन को विदित है, 3 मार्च, 1973 को संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा के पश्चात् उड़ीसा सरकार के कार्य तथा राज्य के राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ले ली गयीं थीं। उद्घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा का विघटन हो गया है और सभा के कार्य संसद द्वारा किए जायेंगे। अत: मैं 1 अप्रैल, 1973 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता हूं।

पुनरीक्षित अनुमान, 1972-73

समाप्त होने वाले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान अब 170.89 करोड़ रुपए है जो मूल अनुमान से 7.32 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्व से होने वाला व्यय भी मूल अनुमान से 23.54 करोड़ रुपए अधिक है। व्यय में यह वृद्धि राहत कार्यों पर किए गए व्यय तथा राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने के कारण हुई है। इस प्रकार 29.91 करोड़ रुपए का घाटा रहता है। पूंजी के संबंध में, गैर योजना लेखे के संबंध में राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए उस राज्य को दी गई 38.80 करोड़ रुपए की विशेष राशि सहित केन्द्रीय सरकार से ऋणों की प्राप्ति में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण 36.51 करोड़ रुपए की बचत होने की आशा है। इस प्रकार राज्य को कुल मिलाकर 6.60 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे 6.23 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट की राशि को, जो वर्ष के आरम्भ में थी, समाप्त करने पर राज्य के पास 37 लाख रुपए की नामपत्र की राशि रह जायेगी।

बजट अनुमान, 1973-74

1973-74 के लिए राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 175.79 करोड़ रुपए का है जिससे चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 4.90 करोड़ रुपए अधिक परिलक्षित होती है। राजस्व से प्राप्ति होने वाले व्यय का अनुमान 206.79 करोड़ रुपए है जिससे राजस्व प्राप्ति की ओर 31 करोड़ रुपए का घाटा रहता है। पूंजी लेखे की प्राप्तियों का अनुमान 123.47 करोड़ रुपए है। पूंजी लेखे के संबंध में 28.97 करोड़ रुपए की बचत के उपरान्त 1973-74 के लिए अनुमानों में

कुल 2.03 करोड़ रुपए का घाटा रह जाता है। यद्यपि इस घाटे को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त संशोधनों को एकत्र करने के राज्य के अंश द्वारा पूरा किया जाने की सम्भावना है। घाटे को पूरा करने के लिए राज्य को यह आवश्यक होगा कि वह सरकार को देय बकाया की वसूली में सुधार लाने तथा गैर विकासात्मक व्यय में मितव्ययता लाने के लिए विशेष कार्य करे।

चालू वर्ष में 57.35 करोड़ रुपए की राशि के स्थान पर 1973–74 में राज्य के योजना परिव्यय का अनुमान 64.48 करोड़ रुपए लगाया गया है जिसमें राज्य बजट में दिया गया 52.41 करोड़ तथा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली 12.07 करोड़ रुपए की राशि भी सम्मिलित है। 1973–74 की राज्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 37.03 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का अनुमान है। योजना परिव्यय का 28.56 करोड़ रुपए की राशि सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं के लिए तथा 13.57 करोड़ रुपए की राशि समाज सेवा कार्यों के लिए तथा 12.52 करोड़ रुपए की राशि कृषि कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई है।

अनुमान में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 21.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इन योजनाओं के अन्तर्गत विशेष रोजगार कार्यक्रम रखे गए हैं जो छोटे तथा मध्यस्तरीय किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उड़ीसा), 1972-73

Supplementary Demands for Grants (*Orissa*)—1872-73

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1972–73 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उड़ीसा) मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Supplementary Demands for Grants 1972-73 (Orissa) were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	चुनाव और गृह विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय	2,92,500
2	जेलें	17,34,200
3	पुलिस	30,94,500
4	आयोजन और समन्वय विभाग से सम्बन्धित व्यय	100
4क	ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित व्यय	2,11,00,000
5	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि	87,59,700
6	अन्य राजनीतिक और सेवा विभाग से सम्बन्धित व्यय	29,000
8	सांस्कृतिक कार्य	4,00,000
9	मंत्रियों, सिविल सचिवालय और वित्त विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	16,79,800

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
10	पेंशन . .	100
11	शिक्षा विभाग से सम्बन्धित व्यय	1,02,81,400
11क	पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	6,00,000
13	भू-राजस्व	16,400
14	उत्पाद शुल्क	2,02,300
15	पंजीकरण .	37,900
16	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	2,24,89,000
17	उद्योग विभाग से सम्बद्ध व्यय .	54,39,700
17क	खानें . . .	100
18	सिविल और सत्र न्यायालय और विधि विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय .	1,12,000
19	सरकारी मुद्रणालय और वाणिज्य विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय . .	65,300
20	श्रम रोजगार और आवास .	95,000
21	आदिम जाति और ग्रामीण कल्याण	7,05,300
22	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग से सम्बन्धित चिकित्सा तथा अन्य व्यय	13,73,800
23	लोक स्वास्थ्य	47,68,000
24	सिंचाई	1,60,10,200
24क	उत्थान सिंचाई	30,37,200
25	लोक निर्माण कार्य .	1,24,26,100
26	राज्य विधान मण्डल .	2,00,000
27	लोक निर्माण कार्य सामान्य प्रतिष्ठान .	5,50,100
28	बिजली योजनाएं	31,79,400
29	गाड़ियों पर कर	16,800
30	परिवहन योजनाएं .	21,19,700
31	वन .	52,00,400
32	मत्स्यपालन .	300
33	सहकारिता और विपणन .	15,71,500
34	नगर विकास विभाग से सम्बद्ध व्यय	96,08,200
35	पशुपालन	3,00,900

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
37	कृषि	1,900
38	पूर्ति विभाग	100
41	स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	8,13,20,000
42	जमींदारी उन्मूलन के लिए मुआवजा तथा राजस्व विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय	20,00,000
43	बहु प्रयोजनीय नदी सिंचाई और बिजली योजनाएं	1,06,15,500
43क	खान सिंचाई से सम्बन्धित पूंजीगत व्यय	33,00,000
44	कृषि सुधार और अनुसंधान	2,27,75,300
45	सरकारी व्यापार योजनाएं	13,00,50,000
46	सड़क और जल परिवहन योजनाएं	41,600
47	लोक स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	5,57,600
48	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1,00,200
54	वनों पर पूंजी परिव्यय	1,88,60,600
55	सहकारी संगठनों की शेयर पूंजी अंशदान और ऋण	1,44,50,800
57	पशुपालन विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	1,50,200
59	स्वास्थ्य विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	53,28,000
60	लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	36,96,000
61	खनन और भू-गर्भ विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	85,42,000
62	आदिम जाति और ग्रामीण कल्याण विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	86,000

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1973-74--जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1973-74—Contd.

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu): All the areas where meter guage lines run should be brought under one zone. It will help in better coordination. Headquarter of the Railway Public Service Commission should be shifted from Allahabad to Ajmer so that people belonging to Rajasthan could also get jobs in the railways.

Railway have ignored the Rajasthan completely. There is no broad gauge railway line in Rajasthan. No railway work has been started in Rajasthan although 24 districts out of 26 are facing drought and famine conditions. Had they started the work on Delhi-Ahmedabad railway line people of the famine affected areas would have got some work to earn their livelihood. We have been demanding a railway line from Ajmer to Kota. This should be sanctioned.

Kandla port should be linked by rail with Punjab and Rajasthan. This line should run via Bikaner and Barmer. It will also help in our defence preparations against Pakistan. Dabra-Khetri line should run via Chidow and should be extended to Sodalpur junction.

Prior to 1947 coach was used to run between Sikar and Loharu. This was stopped. I have been demanding for the last two years that this coach service should be resumed in this area but nothing has been done in this direction up till now. It is not true that there is not enough traffic on this route.

A underground or overbridge should be constructed at the Reengus junction. It will help the people of this area a lot because they have to wait for an hour or so when the gate is closed.

About 50 to 60 thousands workers of Sikar and Jhunjhunu are living in Ahmedabad. For going to Ahmedabad they have to change the train at Reengus junction and then at Phulera. A Direct Coach should be attached to Janta Express to relieve the people from their difficulties.

Rajasthan has come on top of the mineral map of India. To make use of these mineral resources transport, facilities should be developed. The work on these lines has to start just now so that we may not have to face any difficulty in future.

The train which arrives at Swai Madhopur at 4 p.m. should be extended upto Sikar.

Kertar and Paharsar should be made Flag stations. For want of train facilities people have to travel by camels.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

(Mr. Deputy Speaker in the Chair.)

Corruption is Rampant in the reservation department. Reservation system should be improved.

***श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** (थंजावूर) : लाखों रेल कर्मचारी बोनस की मांग कर रहे हैं। इस बारें में माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए। केवल इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं कि वह इस प्रश्न पर खुले दिल से विचार करेंगे।

सितम्बर, 1972 में दक्षिण रेलवे के संगचल कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। व सभी कम वेतन पाने वाले कर्मचारी है। उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन मुकदमों को वापस ले लें।

हजारों व्यक्ति रेलवेमें नैमित्तिक कर्मचारियों के रूप में गत 5,10 अथवा 15 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियमित बनाया जाना चाहिए। ताम्बरम में रहने वाले रेल कर्मचारियों को नगर प्रतिकारात्मक भत्ता तथा मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है। इन कर्मचारियों को ये भत्ते दिए जाने चाहिएं क्योकि ताम्बरम में चीज उतनी ही मंहगी हैं जिननी मद्रास में।

स्क्रैप लोहे को नीलाम द्वारा नहीं बेचा जाना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार होने की सम्भावना है। इसको पिघलाने के लिये रेलवे को अपनी फाउण्डरी लगानी चाहिए। माननीय मंत्री को इस वारें में ध्यान देना चाहिये।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का सक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

जहां तक नई लाइन बिछाने का सम्बन्ध है तमिलनाडु की उपेक्षा की जा रही है। थंजाबूर और पुट्टोकोठे के बीच नई रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए। मद्रास से तिरुचिरापल्ली के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

थंजावूर जिले की अधिक आबादी नमक उद्योग पर निर्भर करती है। परन्तु नमक को बाहर भेजने के लिए माल डिब्बे पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध करायें।

सितम्बर 1972 में संगचल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मयूरम से नागपट्टिनम तथा मयूरम से तिरुथुरैपून्डी के बीच अनेक रेलगाड़ियों को स्थगित कर दिया गया था। इन गाड़ियों को पुनः चलाया जाना चाहिए।

मयूरम और काराकुडी के बीच चलने वाली रेलगाड़ी की गति बढ़ाई जानी चाहिए।

Shri Sadhu Ram (Phillaur): I have written twice or thrice for the construction of overbridge at Phagwara State Government is also prepared to share the financial lender in their respect. The hon. Railway Minister should look into this matter.

Keeping in view the population of the Phagwara city reservation office should be opened there.

Delux and Srinagar Express should halt at Phagwara. I have written to the Railway Minister several times but nothing has been done. So far in this regard more staff should be posted at Phagwara so that a separate clerks may be deputed for issuing and collecting tickets.

Flying Mail should stop at Phillaur. This is a long standing demand of the people of this area. This demand should be acceeded to.

Chandigarh should be linked with Ropar by rail. Garhshankar should be linked with Hoshiarpur. Jalwara should be linked with Jammu. These lines will prove helpful in defence preparations also.

Catering in the railways should be given to cooperative societies. At least they should be given preference in this job.

Some improvement and development should be done at the Beas railway station. I will request the hon. Minister to pay attention at this also.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

मिरांडा हाऊस होस्टल की छात्राओं को तंग करने वाले अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की कथित अकर्मण्यता

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"The situation arising out of the reported police inactive in apprehending the culprits involved in harrassing the inmates of Miranda House

Hostel and the inmates of the hosted resorting to device action against the allegation suport."

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : 7 मार्च, 1973 को मिरांडा हाउस के पिछले गेट के बाहर एक लड़की कार में बैठी थी। एक टैक्सी में तीन व्यक्ति आये और लड़की को बाहर खींचने का प्रयत्न किया और उसको गालियां दी। लड़की के शोर मचाने पर ये तीन व्यक्ति कार की खिड़की के शीशे को तोड़कर भाग गये। उसी रात तीनों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये और टैक्सी भी पकड़ ली गई। एक मामला न्यायालय में दायर किया गया और न्यायालय ने अभियुक्तों को अब मुक्त कर दिया है।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला स्नातकोत्तर छात्रावास की कुछ छात्राओं ने 19, फरवरी, 1973 को छात्रावास की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के पास एक लिखित शिकायत भेजी, जिसमें आरोप लगाये गए थे कि 17 फरवरी, 1973 की रात्रि को लगभग 10.15 बजे एक सफेद एम्बेसेडर कार नं० यू०एस०एस० 5113 में बैठे व्यक्तियों द्वारा छात्रावास की एक लड़की तथा उसके अनुरक्षक को डराने धमकाने की घटना हुई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि 18 फरवरी, 1973 को दोपहर लगभग 12.30 बजे फिर वे तीन व्यक्ति छात्रावास के गेट पर एक सफेद ऐम्बेसेडर कार में आये और हार्न बजाया। शिकायतकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह फिर वही कार सं० यू० एस० एस० 5113 होगी। आरोप लगाया गया कि छात्रावास के चौकीदार के टोकने पर उसमें से एक व्यक्ति द्वारा हवाई-बन्दूक से गोली चलाई गई जो चौकीदार को लगी। इसके बाद वे कार में भाग गए। कार नं० यू० एस० एस०–5113 के पंजीकृत मालिक मैसर्स नारंग ब्रादर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

जांच-पड़ताल का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपने का निश्चय किया गया है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मार्ग निर्देशन के आधीन कार्य करेगा।

3. 3 मार्च, 1973 को महिला स्नातकोत्तर छात्रावास की एक लड़की ने यह आरोप लगाते हुए एक अन्य रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जब रात्रि के लगभग 8.45 बजे छात्रावास के गेट के बाहर एक मित्र से बात कर रही थी तो तीन व्यक्ति एक कार से उतरे और उनसे प्रश्न करने लगे। खतरे का अनुमान लगाकर वह होस्टल में भाग गई। तीन व्यक्तियों ने उसका पीछा किया। जब चौकीदार और उसके पीछे होस्टल हाउस कीपर आया तो अतिक्रमणकारी तेजी से वापस लौट गये। कार मालिक की और तीन छात्रों की जो उस समय कार का उपयोग कर रहे थे, खोज कर ली गई और उन्हें छात्रावास में आपराधिक अतिक्रमण करने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

4. महिला स्नातकोत्तर छात्रावास तथा मिरांडा हाउस होस्टल के कुछ सदस्यों ने पुलिस द्वारा यथोचित सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा अभियुक्तों को पकड़ने में पुलिस की असफलता पर अपना रोष प्रकट करने के लिए दिनांक 14 व 15 मार्च, 1973 को श्री के० आर० नारंग के घर के आगे तथा बाद में उपकुलपति के निवास पर प्रदर्शन का आयोजन किया।

5. विश्वविद्यालय क्षेत्र में महिला छात्रावास के पास सुरक्षा के प्रवन्ध सुदृढ़ कर दिए गए हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रक्रिया यह है कि उत्तर की एक प्रति हमें सप्लाई की जाती है। इस प्रकार के बिना तैयारी के वक्तव्य से बहुत असुविधा होती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : शिक्षा मन्त्री के वक्तव्य की जो प्रति हमें सुबह मिली थी वह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अब दिए गये वक्तव्य से बिल्कुल भिन्न है। हमें दोनों वक्तव्यों की प्रतियां मिलनी चाहिए ताकि हम संयुक्त रूप से उन पर विचार कर सकें।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मुझे दूसरे वक्तव्य के ब्यौरे की ठीक जानकारी नहीं है। मुझे कुछ अतिरिक्त जानकारी मिली थी जिसे मैंने इसमें जोड़ दिया है। मैं उसकी प्रति सप्लाई कर दूंगा, परन्तु उसमें समय लगेगा।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): A number of incidents have occurred in Delhi University campus in the last few days. A girl was molested and five persons were arrested. In and her incident a student hyjacked a bus which was dashed against a truck in which one or two persons died. The person belonging to affluent society indulge in such activities. After this incident the girls who took part in the demonstration raised slogans that the girls should be beware of the capitalists. The University students should organise themselves in such a way that they can take care of themselves and we should cooperate with them.

The report of the said incident was lodged with the police after three days. The Vice-Chancellor was informed on the third day and thereafter the report was lodged. I do not know as to why the police have not dealt with the situation in spite of a chain of similar incidents. I would like to know whether the car involved in the said incident has been impounded or not and whether the persons arrested in this connection have been granted bail and if so, in which court? We would also like to know the names of the arrested persons and action being taken against them. I would further appeal that no attempts should be made to give political colour to this problem. The culprits should be awarded deterrent punishment.

Shri K. C. Pant: I agree with the hon'ble Member that this is not a political issue and it will not be proper to make any attempt to give it a political colour. We had received a complaint on 19th February and we have referred the matter to the Special Branch who will investigate the matter under the guidance of C.B.I.

Three persons *viz.* Jagdish Chandra, Krishan Gopal and Ram Sahai have been arrested in connection with the incident of 7th March. They were in a taxi but they had connection with the University. This Taxi has also been impounded.

Shri R. V. Bade (Khargaon): The car involved in the incident bears No. U.S.A.-5113 and is owned by Narang Bros. I want to know whether this car has been attached or not? May I know the names of the persons occupying the car at the time of the incidence and whether Mr. Narang is involved in it. "Outraging the modesty of a woman" should have been covered under section 353 of

Criminal Procedure Code instead of 324. I would also like to know whether any steps have been taken to ensure safety of girl students?

Shri K. C. Pant: The facts, as reported are that a girl student accompanied by some one came and three youngmen were standing there. It was quarter past ten in the night. They were going inside when three youngmen approached them and said that they are policemen and tried to intimidate them. After some time they came out alongwith the Chowkidar and some other persons. Thereafter the aforesaid three persons fled in a car. Then the car appeared again at about quarter past twelve and the Chowkidar challenged them. They fired at chokidar and he was slightly hurt. The car reappear at 3 O'clock in the night and then they disappeared. This is the sequence of incident. It does not involve molestation or rape of any girl as such. So far the number of the car and its attachment is concerned, the statement are conflicting and the matter is being investigated. The hon'ble Member has asked about F.I.R. The fact is that the girls have not reported the matter to the police. The Dean of students' welfare had raised the question of security arrangements in his letter but it was not meant for F.I.R. However firing incident was referred to in this letter. The police took the initiative themselves and registered a case under section 324. The case is being investigated by the Crime Branch under the guidance of C.B.I. In the meantime two policemen have been posted there for beat petrolling the entire area covering Miranda House and Women's Hostel.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इन घटनाओं को सुनकर बहुत दुःख होता है, इससे पता चलता है कि वर्तमान शासन में किस प्रकार नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है । सरकार जीवन मूल्यों के सम्बन्ध में उदासीन प्रतीत होती है अन्यथा वह दिल्ली में नशीले पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित न करती। दिल्ली में सबसे अधिक अपराध होते हैं और इसका एक कारण शराब की खपत में निरन्तर वृद्धि होना है। विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी अपराध बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक बलात्कार की घटना हुई थी जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का एक पदाधिकारी अन्तर्गस्त था और वह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है । इस प्रकार की घटनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की संस्थाओं में हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। शरारती लड़कों के गिरोह इन संस्थाओं के चक्कर लगाते रहते हैं और अब तो पता चला है कि होस्टलों में भी वे सुरक्षित नहीं हैं । मंत्रियों के सुरक्षा सम्बन्धी व्यय में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है परन्तु लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसी घटनाओं में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली पुलिस उनके प्रति उदासीन है। सरकार को ऐसी घटनाओं के बारे में स्वयं ब्यौरेवार विवरण देना चाहिए परन्तु इसके लिए भी हमारी बेटियों और बहनों को आन्दोलन करना पड़ा है । ऐसे मामलों में सरकार को ध्यान देने वाली सूचना की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। जहां तक प्रस्तुत घटना का सम्बन्ध है यह 17 फरवरी, को हुई थी । इसकी शिकायत 19 फरवली को दर्ज की गई थी और आज 20 मार्च है परन्तु आज तक इन लड़कियों के अभिभावकों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सरकार ने या पुलिस ने कोई कार्यवाही भी की है या नहीं । क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब गोली चलाई गई थी तो यह मामला धारा 324 में ही क्यों दर्ज किया गया था ; क्या यह मामला अधिक गम्भीर नहीं है। हमारे विचार में यह मामला धारा 307 में दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि इसमें हत्या करने का प्रयास किया गया है ।

फिर जब यह मामला धारा 324 के अधीन दर्ज किया गया तो क्या इस धारा के अन्तर्गत किया गया अपराध संज्ञेय अपराध नहीं हैं ? यह संज्ञेय धारा है और इसके अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार करना चाहिए था । लड़कियों ने कार का नम्बर नोट कर लिया था और अधिकारियों को बता भी दिया था । यह कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है कि श्री नारग के सेक्रेटरी ने बताया है कि कार किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं दी गई थी क्या हमें कार के मालिक या उस सेक्रेटरी की बात सही मान लेनी चाहिए और सम्बन्धित लड़कियों के कथन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए ?

अभी तक कार भी नहीं पकड़ी गई है । कार पकड़ने से वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाता । यदि अभी तक कार ही नहीं पकड़ी गई तो सरकार दोषी व्यक्तियों को कैसे पकड़ेगी ? क्या कार के मालिक से पूछ-ताछ की गई है; और यदि हां, तो उनका क्या कहना है ? श्री नारंग के राजनीतिक सम्बन्धों को देखते हुए पुलिस कोई कार्यवाही करने से डरती है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने जो बात पहले कही है, माननीय सदस्यों ने उनकी ओर या तो विशेष ध्यान नहीं दिया अथवा ठीक ढंग से सुना नहीं है । मैं ने कहा है कि हम भी इस मामले को राजनैतिक रंग देना नहीं चाहते हैं ।

मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं ।

यह मामला जैसे घटित हुआ—कार का आना, गोली का चलाया जाना आदि—वैसे ही सभा के समक्ष रख दिया गया है ।

उन्होंने अपने भाषण के अन्त में कांग्रेस पार्टी को जैसे-तैसे इस मामले में लाने का प्रयास किया है. . . (**व्यवधान**) . . . । हमने इस मामले को पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कह दिया है कि वह अपराध शाखा की इस मामले में मदद करे । सरकार ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है. . . (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या जांच आयोग के लिये मंत्री महोदय सहमत होंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बीच में टोका-टाकी क्यों हो रही ? जब मैं खंडन करता हूं तो वह बेचैन क्यों हो उठते हैं ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या उन्होंने दिल्ली में शराब की दुकानों में वृद्धि नहीं की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने की है । मिश्राजी, अब उनकी बात सुनिये (**व्यवधान**) । आपने आरोप लगाया है अब उन्हें उसका उत्तर देने दीजिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : निःसंदेह. . . (**व्यवधान**) . . . बहुत सी शराब की दुकाने खोली गई हैं । इस सभा में पहले काफी देर तक चर्चा हुई फिर अवैध शराब का मामला उठाया गया । कई मित्रों ने दलील दी है कि सरकार को इसे अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए और बहुत सी नई दुकानें खोल कर सस्ते मूल्य पर शराब बेचनी चाहिए । माननीय सदस्य को याद होना कि ऐसा उसी वाद-विवाद के अनुसरण में किया गया है । कल सभा में यदि दूसरा निर्णय किया जाता है तो मैं प्रसन्न होऊंगा क्योंकि मैं मद्य-निशेध के पक्ष में हूं । यह सच है कि शराब पीने से मनुष्य अपराधिक तरीके से काम करने लगता है ।

मेरे मित्र ने कहा है कि हमारे कालेजों में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि महिला कालेजों के दरवाजे कमजोर हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। लड़कियों के कालेजों और स्कूलों के दरवाजों के निकट पुलिस को विशेष रूप से तैनात किया गया है।

छात्रावासों के बारे में मैंने तीन घटनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से दो घटनाओं में तुरन्त गिरफ्तारियां की गई हैं। जब कभी ऐसी घटना होती है तो कानून और व्यवस्था का तुरंत उपयोग होता है।

मेरे माननीय मित्र ने यह उल्लेख किया है कि मंत्रियों के लिये सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए थे और बम्बई तथा दिल्ली में कुछ धमकियां प्राप्त हुई थीं, उस अवधि के दौरान मंत्रियों और विरोधी दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी अतः यह एक पार्टी का मामला नहीं है। विरोधी दलों के नेताओं में से भी जिनको धमकियां दी गई थीं उनके लिये यह सुरक्षा प्रदान की गई थी (**व्यवधान**) अतः यह कहना गलत है कि दिल्ली पुलिस का इन घटनाओं में हाथ है। इस मामले में सरकार द्वारा पक्ष लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि जो चौकीदार घायल हो गया था उसके बयान को मैंने अपने वक्तव्य का आधार बनाया है। मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं :

> "उन्होंने एक एयर-गन से होस्टल के अन्दर की तरफ फायर किये। जो एक छर्रा मेरी बाईं पेट में लगा और मामूली दाग पड़ गया। मैंने कोई डाक्टरी नहीं कराई चूंकि चोट न थी।"

ऐसा चौकीदार ने कहा था। 3.00 बजे एयर-गन चलाई गई। किसी को कोई चोट नहीं लगी। संभवतया किसी पत्थर या वैसी ही किसी अन्य वस्तु को चोट लगी हो।

श्री बी० पी० मौर्य : क्या आपने एयर-गन देखी है? आप अभियुक्त की मदद कर रहे हैं। आप इस सभा का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे आश्चर्य है। मैंने अपने मूल वक्तव्य में कोई जानकारी नहीं दी है। यदि कोई प्रश्न न पूछे जाये तो मुझे प्रसन्नता होगी। यदि माननीय सदस्य विशिष्ट प्रश्न पूछें तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ता है। श्री बड़े के प्रश्नों के उत्तर में मैंने उसे स्पष्ट कर दिया है।

श्री समर गुह : दिल्ली हमारे देश की राजधानी है परन्तु यहां अपराध बहुत बढ़ रहे हैं।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश के अपराधों में औसतन वृद्धि 13 प्रतिशत हुई है जबकि इस वर्ष दिल्ली में अपराधों की यह वृद्धि 77.4 प्रतिशत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या किया गया है?

श्री समर गुह : मैं उसके बारे में अभी बोल रहा हूं। अकेली इन घटनाओं पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता।

लूट-पाट और डकैती की घटनाओं में भी बहुत वृद्धि हुई है। बड़े-बड़े अधिकारी और बहुत से लोग इन घटनाओं के पिछले कुछ दिनों में शिकार हुए हैं।

हम पुलिस में क्या विश्वास रख सकते हैं? मंत्री महोदय ने कहा है.... (**व्यवधान**)। अपराधों में स्वाभाविक ही है। उनकी रुचि होगी..... (**व्यवधान**)।

मंत्री महोदय ने तीन घटनाओं का उल्लेख किया जो मिरांडा हाउस के अहाते में 17 फरवरी 18 फरवरी और 7 मार्च, को हुई थी आज शिक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि दो बार प्रयास किये गये एक रात्रि के 12.30 बजे और दूसरा रात्रि के 3.00 बजे। गृह राज्य मंत्री ने उसका उल्लेख नहीं किया है।

मैं उन बहुत सी घटनाओं का उल्लेख करूंगा जो मिरांडा हाउस में तथा उसके आस पास हुई। 3 मार्च को एक फिएट पी० जी० गर्ल्स होस्टल में जबरदस्ती घुस गई। 7 मार्च को तीन आदमियों सहित एक कार गवर्नमेंट होस्टल के अहाते में बलपूर्वक घुस गई। 10 मार्च को होस्टल के अहाते में छुरे-बाजी की घटना हुई। इस प्रकार की और भी कई घटनाएं हुई हैं।

जब मैं इन घटनाओं का उल्लेख करता हूं तो मैं यह महसूस नहीं करता कि यह मामला विरोधी दल के लिये है अथवा सरकारी दल के लिये; दिल्ली में रहने वाले हम सभी के लिये यह शर्म की बात है...... और आज महिलाओं को खतरा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस-चांसलर 'चांसलर आफ वाइसेज एन्ड क्राइम्स' बन गया है। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि वहां हमारे लड़के लड़कियों का अपमान किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री समर गुह : मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं .....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है। हम पहले व्यवस्था का प्रश्न सुने।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि सरकार की आलोचना की जाती है तो उसका उत्तर दिया जा सकता है परन्तु वाइस चांसलर अपना बचाव करने हेतु इस सभा में उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह ठीक है। आप उसे छोड़िए।

श्री समर गुह : विश्वविद्यालय के लड़को और लड़कियों की सुरक्षा करना वाइस चांसलर का कर्त्तव्य होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 10 मिनट से अधिक समय ले लिया है। अब प्रश्न करिये।

श्री समर गुह : मैं छात्राओं द्वारा उस सज्जन के घर के सामने प्रदर्शन किये जाने पर उनके इस साहस के लिये उन्हें बधाई देता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया ह कि इसमें राजनीति का प्रभाव है।

नियमों के अनुसार लड़कियों को 8.30 बजे रात्रि तक मिरांडा होस्टल में आ जाना चाहिए...(**व्यवधान**) परन्तु यह अपराध और शर्म की बात है कि उनमें से बहुत सी लड़कियां इस नियम का पालन नहीं करती हैं। वे 9 बजे या 10 बजे लौटती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अपना प्रश्न नहीं करेंगे तो ....

श्री समर गुह : मैं अभी प्रश्न करूंगा ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको कोई प्रश्न नहीं करना है तो मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिये कहूंगा।

श्री समर गुह : यह घटना क्यों घटित हुई.... (**व्यवधान**) छात्रों द्वारा की गई शिकायत को स्वीकार करने में पुलिस को 27 दिन क्यों लगे ; क्या यह सच है कि जिस पुलिस अधिकारी ने शिकायत को दर्ज करने से इन्कार कर दिया था उसी अधिकारी को यह मामला जांच के लिये सौंपा गया है ? क्या श्री नारंग जो सतारूढ़ दल के व्यक्ति है, मुझे पता नहीं वह शामिल है या नहीं.... (**व्यवधान**) क्या यह सच है कि जो व्यक्ति सत्तारूढ़ दल का निकट सम्बन्धी होता है उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करने से डरती है क्या यह सच है कि दिल्ली में गश्त लगाने के लिये 2000 पुलिस कार्मिकों को होना चाहिये परन्तु आजकल सड़कों पर केवल 600 आदमी हैं क्योंकि अन्य लोगों को भिन्न-भिन्न काम सौंपे गये हैं ? क्या सरकार राजधानी में हो रहे इन अपराधों की रोकथाम के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: माननीय सदस्य ने रात्रि के 3 बजे जो कार आई उसका उल्लेख किया और कहा कि मैंने उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। मैंने अपने उत्तर के दौरान उसका उल्लेख किया था। चूंकि इस मामले की जांच हो रही है, अतः उन्होंने कहा कि मैंने पहले से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहा, यह ठीक है... (**व्यवधान**)। मेरे मित्र ने कहा कि विलम्ब हुआ, इस बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। लड़कियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय महिला छात्रावास की प्रबन्ध समिति को 19 तारीख का एक पत्र लिखा और उस पत्र की 20 तारीख को प्रोवोस्ट द्वारा पुष्टि की गई फिर उसे 'डीन आफ स्टूडेन्ट वेलफेयर' के पास भेजा गया जिसने एक 'कवरिंग लेटर' के साथ उसे 23-2-73 को डी० आई० जी० को भेजा। फिर वह एस० पी० के पास गया और रविवार भी बीच में पड़ गया। लड़कियों द्वारा भेजे गये पत्र की एक प्रतिलिपि 'डीन' द्वारा डी० आई० जी० को भेजी गई परन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। उनको चौकीदार से भी साक्षात्कार करना था और 28 फरवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अन्तर्गत एक मुकद्दमा दर्ज किया गया। अतः जो समय लगा उसका पूरा लेखा-जोखा है..... (**व्यवधान**)।

कार के सम्बन्ध में पुलिस को यह सुनिश्चित करने में कठिनाई हुई कि क्या यह वही कार थी जिसका उल्लेख किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस सहायक नहीं थी। जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जब इस मामले में थोड़ा सा भी सार्वजनिक हित था तो मैंने सोचा कि इसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा जाना चाहिये और मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से उनका मार्गदर्शन करने को कहा ताकि सन्देह के लिये कोई स्थान न रहे।

चूंकि यह मामला इस सभा में और राज्य सभा में उठाया गया है अतः माननीय सदस्यों की भावनाओं के लिये वैसा करना ठीक समझा गया।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 21 मार्च, 1973 / 30 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 21st March, 1973/30th Phalguna, 1894 (Saka).

MGIPND-LSIII-689 aiLS-14 9 73-490